सत्यमेव जयते

राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्र. 2

विधान सभा में दिनांक 17-03-2016
को उपस्थापित किया गया

राजस्व क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन क्र. 2

विषय–सूची

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii से xii
अध्याय–1 : सामान्य		
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	4
1.3	निर्धारण का बकाया	5
1.4	विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन	6
1.5	वापसियों के लंबित प्रकरण	6
1.6	लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर	7
1.7	लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण	9
1.8	लेखापरीक्षा योजना	12
1.9	लेखापरीक्षा परिणाम	12
1.10	यह प्रतिवेदन	12
अध्याय–2 : वाणिज्यिक कर		
2.1	लेखापरीक्षा के परिणाम	13
2.2	" वेट के अतंर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	14
2.3	अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियां	38
2.4	कर योग्य राशि का गलत निर्धारण	38
2.5	कर की गलत दर का निर्धारण	39
2.6	गलत कर मुक्त बिक्री मानते हुए करारोपण न करना	41
2.7	अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति	42
2.8	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	43
2.9	अमान्य छूट की स्वीकृति	44
अध्याय–3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
3.1	कर प्रशासन	45
3.2	लेखापरीक्षा के परिणाम	45
3.3	निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर और मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	46
3.4	शास्ति का अनारोपण	46

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
3.5	आन्तरिक लेखापरीक्षा	50
अध्याय–4 : वाहनों पर कर		
4.1	कर प्रशासन	51
4.2	लेखापरीक्षा के परिणाम	51
4.3	लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का आरोपण	52
4.4	वाहनों पर कर व शास्ति की वसूली न होना	52
4.5	व्यापार शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली होने के परिणामस्वरुप राजस्व की प्राप्ति न होना/कम प्राप्त होना	53
4.6	आंतरिक लेखापरीक्षा	54
अध्याय–5 : भू–राजस्व		
5.1	लेखापरीक्षा परिणाम	57
5.2	"मध्य प्रदेश में भू–राजस्व प्राप्तियॉ" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	58
5.3	अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ	79
5.4	भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना	79
अध्याय – 6 मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
6.1	कर प्रशासन	81
6.2	लेखापरीक्षा के परिणाम	81
6.3	उप पंजीयको द्वारा संदर्भित किये गये प्रकरणों का देरी से निपटान करना	82
6.4	बाजार मूल्य की गलत गणना	82
6.5	पट्टा विलेख पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	83
6.6	मुख्तारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	84
6.7	बंधक विलेखों का पंजीयन न होना	85
6.8	मुद्रांक शुल्क की अनियमित छूट	86
6.9	आंतरिक लेखापरीक्षा	86
अध्याय–7 खनन प्राप्तियां		
7.1	कर प्रशासन	87
7.2	लेखापरीक्षा परिणाम	87
7.3	शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क	88

कंडिका	विवरण	पृष्ठ
	विकास कर का अनारोपण/कम वसूली होना	
7.4	खनिज पट्टा विलेखों के प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण	88
7.5	अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली	89
7.6	रॉयल्टी की कम वसूली	90
7.7	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना	92
7.8	जारी अस्थायी अनुज्ञापत्र के विरूद्ध रॉयल्टी की अवसूली	92
7.9	राज्यांश की त्रुटिपूर्ण दर के निर्धारण के कारण रॉयल्टी की कम वसूली	93
7.10	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/वसूली न होना	94
7.11	आंतरिक लेखापरीक्षा	95
अध्याय–7 वन प्राप्तियां		
8.1	लेखापरीक्षा परिणाम	97
8.2	''मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियॉ'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	98
परिशिष्ट		125 से 219
संक्षिप्तरूपों की शब्दावली		221 से 222

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखारीक्षक के 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की लेखापरीक्षा के महत्तवपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है जिसे नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के अधीन संपादित किया गया है।

प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे पूर्ववर्ती अवधि मे ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हे पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, जहाँ भी आवश्यक हुआ है 2014–15 से पूर्व के प्रकरणों को भी शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 29 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 614.76 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 153.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 1.06 लाख की वसूली की जा चुकी है । कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 75,749.24 करोड़ के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य शासन की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 88,640.78 करोड़ थीं । इस राशि का 53 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा कर राजस्व (₹ 36,567.31 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 10,375.23 करोड़) के रूप में वसूल किया गया। शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 24,106.80 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 17,591.44 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियॉ, वन प्राप्तियॉ एवं विद्युत शुल्क की 515 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 13,55,453 प्रकरणों में ₹ 1,486.50 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2014–15 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 2,49,393 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 411. 49 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 654 प्रकरणों में ₹ 4.85 करोड़ संग्रहीत किये ।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्यिक कर

''वैट के अतंर्गत कर निर्धारण की प्रणाली'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि:

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की करयोग्य राशि का कम निर्धारण किया गया जबकि प्रकरण में अंकेक्षित खाते, विक्रय सूची और दूसरे ज्ञात प्रमाणों से कुल कर योग्य राशि अधिक प्रमाणित हुई। परिणामस्वरूप 30, कार्यालयों के 9,063 कर निर्धारण प्रकरणों में से 160 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 499.41 करोड़ की राशि कर निर्धारण हेतु शामिल नही थी जिस पर ₹ 41.84 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 82.08 करोड़ का करारोपण नही हुआ।

(कंडिका 2.2.11)

चौबीस कार्यालयों के 5,044 प्रकरणों में से 51 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 143.54 करोड़ की कुल बिक्री पर कम दर से करारोपण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.8 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 38.57 करोड़ का कम आरोपण/ करारोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.2.12)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय कुल विक्रय राशि में से कर राशि को घटा दिया गया जबकि कर राशि, कुल विक्रय राशि में शामिल नही थी । परिणामस्वरूप 17 कार्यालयों के 5,469 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि 27 प्रकरणों में ₹ 32.22 करोड़ की राशि का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.13)

व्यवसायी द्वारा कर मुक्त वस्तु बताते हुये कर योग्य वस्तु को बेचा गया। कर निर्धारण अधिकारियों ने भी प्रकरणों की जाँच में इसे कर मुक्त मानते हुये करारोपण नही किया। इसके परिणामस्वरूप सात कार्यालयों के 4,068 प्रकरणों की नमूना जाँच में से नौ प्रकरणों में ₹ 1.26 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 1.82 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.14)

इकत्तीस कार्यालयों के 13,840 कर निर्धारित प्रकरणों की नमूना जाँच में से 79 प्रकरणों में अंकेक्षित खातों में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर आगत कर छूट देना, अनुपयुक्त सामान पर आगत कर छूट और राज्य के बाहर स्टॉक के स्थानांतरण पर कम रिवर्सल या रिवर्सल नहीं किया जाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.2.15)

बिना सी/एफ फार्म अथवा त्रुटिपूर्ण सी/एफ फार्म के ₹ 267.72 करोड़ के अंतर्राज्यीय विक्रय का कर निर्धारण कर लिया गया। परिणामस्वरूप, 17 कार्यालयों के 1,629 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में से 29 प्रकरणों में ₹ 1.22 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करारोपण किया गया।

(कंडिका 2.2.17.1)

पाँच कार्यालयों के 99 प्रकरणों की नमूना जाँच मे सात प्रकरणों में पाया गया कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय पर ₹ 229.21 करोड़ की अनियमित छूट दी परिणामस्वरूप ₹ 9.33 लाख की शास्ति सहित ₹ 9.87 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.17.3)

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सोयाबीन और कपास की बिक्री पर कर निर्धारण करते समय, एक माह से अधिक के संव्यवहार के टीडीएस प्रमाणपत्र को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप 13 कार्यालयों के 4,226 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में 40 प्रकरणो में ₹ 4.45 करोड़ के टीडीएस का अनियमित समायोजन किया गया।

(कंडिका 2.2.18)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

बिना शुल्क की वसूली/पर्याप्त बैंक गारंटी और शोधक्षम प्रतिभूतियॉ प्राप्त कर निर्यात/परिवहन पारपत्र जारी करने से ₹ 8.54 करोड़ शुल्क की प्राप्ति न होना।

(कंडिका 3.3)

देशी मदिरा भण्डागारों के नियमों के अंतर्गत निर्धारित देशी मदिरा की भरी बोतलों का न्यूनतम स्कंध न रखे जाने पर विभाग द्वारा ₹ 1.27 करोड़ की शास्ति आरोपित न किया जाना।

(कंडिका 3.4.1)

विभाग द्वारा 67,577.11 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा व 51,413.57 बल्क लीटर बीयर की हानि पर ₹ 81.11 लाख की शास्ति की वसूली नहीं की गई, जो कि अनुमत्य सीमा से 41,470.55 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा के लिए व 30,624.46 बल्क लीटर बीयर के लिए अधिक थी।

(कंडिका 3.4.2)

IV. वाहनों पर कर

मोटरयान जिनके व्हील बेस 3800 मि.मि., 4200 मि.मि. व 5639 मि.मि. को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उनके लिए निर्धारित बैठक क्षमता से कम बैठक क्षमता में पंजीकृत करने से राजस्व की हानि ₹ 29.92 लाख।

(कंडिका 4.3)

तीन सौ उनचास आरक्षित लोक सेवायानों, 582 मालयानों, 134 मैक्सी कैब/टैक्सी कैब, 525 अर्थमूव्हर/हार्वेस्टर तथा आठ मंजिली गाडियों पर ₹ 4.56 करोड़ के यानकर व ₹ 2.57 करोड़ की शास्ति को न तो यान स्वामियों द्वारा जमा किया गया और न ही कराधान अधिकारियों द्वारा इसकी मॉग की गई।

(कंडिका 4.4)

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच पंजीकृत 2,17,408 दोपहिया व 57,361 चार पहिया वाहनों पर ₹ 2.06 करोड़ के व्यापार शुल्क, डीलरों से वसूलने में विभाग असफल रहा।

(कंडिका 4.5)

V. भू–राजस्व

''मध्यप्रदेश में भू–राजस्व प्राप्तियाँ'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

निजी संस्थाओं को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थान कॉम्पलेक्स तथा पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्रावधानों के विरूद्ध कम मूल्य पर शासकीय भूमि का आवंटन किया गया परिणामस्वरूप ₹ 29.80 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.2.8)

नजूल भूमि के स्थायी पट्टों के 2010–11 से 2014–15 की अवधि के नवीनीकरण के लम्बित 15,590 पट्टों में से केवल 917 प्रकरणों में स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 1962–63 से 2014–15 के मध्य 14,673 प्रकरणों की समाप्त हुई अवधि के नवीनीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कंडिका 5.2.9)

बारह कलेक्ट्रेट्स में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों की भूमि पर आरोपित प्रब्याजि तथा भू–भाटक पर पंचायत उपकर का आरोपण नहीं किया परिणामस्वरूप शासन को 1,063 प्रकरणों में ₹ 14.33 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 5.2.15)

तीन कलेक्ट्रेट्स में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोक अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन न करते हुए सम्यक रूप से अधूरे स्टाम्पित विलेखों को परिबद्ध न करने से स्टाम्प डयूटी, पंजीयन फीस तथा शास्ति के ₹ 4.84 करोड की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.2.16)

चौदह कलेक्ट्रेट्स में भू–राजस्व के विभिन्न मदों में 30 दिन से ज्यादा अवधि के ₹ 264.80 करोड़ की राशि लम्बित थी। बकाया राजस्व की वसूली तथा इस पर 100 प्रतिशत तक आरोपणीय शास्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कंडिका 5.2.19)

मुख्य खनिज के 252 पट्टों की 18,099.241 हेक्टेयर भूमि पर आरोपणीय भू–राजस्व का निर्धारण न करने से ₹ 31.15 करोड़ के भू–राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.2.20)

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान चार आयुक्त कार्यालयों में हमने देखा कि इन्दौर आयुक्त कार्यालय ने अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 120 इकाईयों एवं भोपाल आयुक्त कार्यालय में 47 इकाइयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई जबकि सागर संभाग आयुक्त कार्यालय में कोई लेखापरीक्षा योजना नहीं बनाई गई। इन्दौर में 60 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जबकि भोपाल सम्भाग में किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। उज्जैन सम्भाग एक मात्र सम्भाग था जहाँ लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से 90 प्रतिशत अधीनस्थ इकाइयों की लेखापरीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसके अलावा तहसील कार्यालयों द्वारा राजस्व के मासिक पत्रकों में दिखाये गये आंकड़ों की सत्यता की जाँच के लिए मासिक तौजी नहीं बनाई गई।

(कंडिका 5.2.23)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

उप पंजीयक द्वारा सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मुद्रांक संग्राहक (जिला पंजीयक) की ओर संदर्भित किये गये प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया, यद्यपि संदर्भित प्रकरणों के निराकरण की निर्धारित तीन महीने की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में ₹ 6.33 करोड़ की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(कंडिका 6.3)

यद्यपि 27 विलेखों में संबंधित वर्ष की गाईडलाइन के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य अधिक था, उप पंजीयकों द्वारा ये विलेख संपत्तियों के मूल्य की सही गणना हेतु मुद्रांक संग्राहक की ओर संदर्भित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 51.56 लाख कम आरोपित किया गया।

(कंडिका 6.4)

पंजीयन प्राधिकारियों ने पट्टा विलेखों के 17 दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क ₹ 2.33 करोड़ एवं पंजीयन फीस ₹ 1.65 करोड़ लगाई, जबकि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 2.55 करोड़ एवं ₹ 1.91 करोड़ लगाई जानी चाहिए थी। जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 21.89 लाख एवं ₹ 26.10 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 6.5)

मुख्तारनामा के 17 विलेखों में, दस्तावेजों को बिना प्रतिफल के तथा एक वर्ष से कम समय का मुख्तारनामा विलेख मान लिया गया जबकि उसमें विक्रय, उपहार, विनिमय या अचल सम्पत्ति को स्थायी रूप से संक्रान्त करने हेतु अधिकार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किये बिना ही दे दिये गये कि विक्रय के अधिकार एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दिये गये है, परिणामतः मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 28.27 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.6)

कालोनाइजर द्वारा विकास कार्य करने के लिए भूखण्ड प्रतिभूति के रूप में रखे जाते है, इन्हें बंधक नहीं रखा गया, जिन पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की उस क्षेत्र के लिए प्रचलित दरों के आधार पर अनुमानित विकास व्यय की गणना

₹ 15.10 करोड़ की गई। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित विकास व्यय की दर पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 27.18 लाख की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 6.7)

VII. खनन प्राप्तियाँ

अवधि 2013–14 के लिए 210 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर राशि ` 6.47 करोड़ के विरूद्ध ` 5.67 लाख का भुगतान किया। परिणामस्वरूप राशि ` 6.41 करोड़ की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.3)

विभाग, राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा क्योंकि विभागीय निर्देषों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर, खनि पट्टों के अनुबंध ` 100 के स्टांप पेपर पर निष्पादित किये गये, जिससे ` 4.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.4)

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा उत्खनि पट्टों से अनिवार्य किराये की वसूली योग्य राशि ` 1.31 करोड़ के विरूद्ध राशि ` 9.11 लाख वसूल किया गया जबकि खनन पट्टों के प्रकरणों में 53 पट्टेधारक, जिनके पास खनन पट्टे थे, ने जनवरी 2013 से फरवरी 2014 तक की अवधि में लंबित अनिवार्य किराया राशि ` 57.09 लाख का भुगतान नहीं किया, परिणामस्वरूप ` 1.79 करोड़ के अनिवार्य किराये की वसूली नही हुई।

(कंडिका 7.5)

दो पट्टेदारों ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2012 से दिसम्बर 2013 के मध्य देय रॉयल्टी की राशि ` 6.81 करोड़ के विरूद्ध रॉयल्टी राशि ` 5.83 करोड़ का भुगतान किया जबकि उत्खनि पट्टे पर रॉयल्टी के प्रकरणों में हमने अवलोकित किया कि 34 पट्टेधारकों द्वारा अवधि जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निष्कासित किये गये खनिज पर राशि ` 1.74 करोड़ के विरूद्ध ` 1.09 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ` 1.63 करोड़ के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.6)

विभाग द्वारा 28 प्रकरणों में व्यापारिक खदानों के अनुबंध के लिए वसूली योग्य राशि ` 65.74 लाख के विरूद्ध केवल ` 3.34 लाख वसूली की गयी परिणामस्वरूप संविदा राशि ` 62.40 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

(कंडिका 7.7)

VIII. वन प्राप्तियाँ

"मध्यप्रदेश में वन प्राप्तियाँ" पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन नौ वन मण्डलों के 250 कूपों में अनुमान की तुलना में 11 से 95 प्रतिशत तक कम था। आगे, आठ वन मण्डलों के 426 अन्य कूपों में, यद्यपि अनुमान के तुलना में समग्र उत्पादन में विचलन 10 प्रतिशत तक सीमित था, ईमारती काष्ठ, जो अधिक मूल्यवान है, का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 69.23 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 8.2.9)

वन विभाग ने वन क्षेत्र में उत्खनित तथा परिवहित खनिज के मात्रा का खनिज विभाग के आंकड़ों से मिलान नही किया। यह परिवहित खनिजों के अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.12)

नौ वर्षो तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना।

(कंडिका 8.2.16)

न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठाागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई।

(कंडिका 8.2.18)

कूप से प्रेषित वनोपज काष्ठाागार में परिवहन पर कम पायी गई, परिणामतः ₹ 2.07 करोड़ के हानि की हुई।

(कंडिका 8.2.20 तथा 8.2.21)

कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

(कंडिका 8.2.23)

वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.29)

काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को तैयार करने/आवश्यक अभिलेख संधारण करने तथा प्रेषणो का नियमित मिलान करने में कमियॉ थीं।

(कंडिका 8.2.19, 8.2.27, 8.2.31 तथा 8.2.32)

निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर आठ वर्षो से पुनरीक्षित नही हुई।

(कंडिका 8.2.33)

अध्याय – 1
सामान्य

अध्याय – 1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014–15 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समानुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाये गये हैं :

तालिका 1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

						(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	**विवरण**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	● कर राजस्व	21,419.33	26,973.44	30,581.70	33,552.16	36,567.31
	● कर–भिन्न राजस्व	5,719.77	7,482.73	7,000.22	7,704.99	10,375.23
	योग	**27,139.10**	**34,456.17**	**37,581.92**	**41,257.15**	**46,942.54**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	● विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	15,638.52	18,219.14	20,805.16	22,715.27	24,106.80[1]
	● सहायक अनुदान	9,076.56	9,928.77	12,040.20	11,776.82	17,591.44
	योग	**24,715.08**	**28,147.91**	**32,845.36**	**34,492.09**	**41,698.24**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 तथा 2)**	**51,854.18**	**62,604.08**	**70,427.28**	**75,749.24**	**88,640.78**
4.	**3 से 1 का प्रतिशत**	**52**	**55**	**53**	**54**	**53**

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 46,942.54 करोड़) का 53 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्तियों का शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1.1.2 **तालिका 1.2** वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

---

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 14 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' का अवलोकन करें । शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष ''0020–निगम कर, 0021–आय पर कर–निगम कर से भिन्न, 0032–सम्पत्ति कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–केन्द्रीय उत्पाद कर एवं 0044–सेवा कर'' शामिल हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है ।

तालिका 1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2010–11 बजट अनुमान वास्तविक	2011–12 बजट अनुमान वास्तविक	2012–13 बजट अनुमान वास्तविक	2013–14 बजट अनुमान वास्तविक	2014–15 बजट अनुमान वास्तविक	2014–15 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की तुलना का प्रतिशत: 2014–15 का बजट अनुमान	2013–14 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	9320.00 10256.76	11830.00 12516.73	14000.00 14856.30	16500.00 16649.85	19500.00 18135.96	(+) 7.00	(+) 8.93
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3400.00 3603.42	4050.00 4316.49	4800.00 5078.06	5750.00 5907.39	6730.00 6695.54	(–) 0.51	(+) 13.34
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1900.00 2514.27	2000.00 3284.46	3200.00 3944.24	4000.00 3400.00	4000.00 3892.77	(–) 2.68	(+) 14.49
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	1500.00 1746.20	1815.00 2047.46	2150.00 2395.03	2640.00 2578.74	2900.00 2686.39	(–) 7.37	(+) 4.17
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1090.00 1476.32	1370.00 1773.32	1370.00 1477.71	1600.00 1972.20	2050.00 2010.20	(–) 1.94	(+) 1.93
6.	वाहनों पर कर	1050.00 1198.38	1285.00 1357.12	1400.00 1531.25	1650.00 1598.93	2000.00 1823.84	(–) 8.81	(+) 14.07
7.	भू–राजस्व	182.46 360.81	500.31 279.06	550.00 443.59	572.00 366.23	700.10 243.10	(–) 65.28	(–) 33.62
8.	अन्य कर	227.54 263.17	267.69 1398.80	842.00 855.52	670.00 1078.82	1109.50 1079.51	(–) 2.70	(+) 0.06
	योग	**18670.00** **21419.33**	**23118.00** **26973.44**	**28312.00** **30581.70**	**33382.00** **33552.16**	**38989.50** **36567.31**		

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

तालिका 1.2 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में (–)0.51 एवं (–)65.28 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में करों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (–)33.62 प्रतिशत से लेकर (+)14.49 प्रतिशत की भिन्नता थी।

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये :

राज्य उत्पाद शुल्क – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (13.34 प्रतिशत) मुख्यतः प्रतिभूति जमा में आठ से 10 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि "स्टाम्प–न्यायिक–स्टाम्पों का विक्रय", एवं "पंजीयन शुल्क–दस्तावेजो को पंजीयन करने के लिये शुल्क" के अंतर्गत वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

भू–राजस्व – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में कमी (33.62 प्रतिशत) एवं बजट अनुमानों की तुलना में कमी (65.28 प्रतिशत), मुख्यतः "अन्य प्राप्तियॉं" के अंतर्गत कम प्राप्तियॉं थी जो कि असमय वर्षा एवं ओला वृष्टि तथा राजस्व अधिकारियों को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के आवंटन के फलस्वरूप हुई।

वाहनों पर कर – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (14.07 प्रतिशत) मुख्यतः "अन्य प्राप्तियॉं" के अंतर्गत हुई।

1.1.3 वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाये गये हैं :

तालिका 1.3
कर–भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)								
क्र. सं.	**राजस्व शीर्ष**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**2014–15 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की तुलना का प्रतिशत**	
		बजट अनुमान वास्तविक	**बजट अनुमान वास्तविक**	**बजट अनुमान वास्तविक**	**बजट अनुमान वास्तविक**	**बजट अनुमान वास्तविक**	**2014–15 का बजट अनुमान**	**2013–14 की वास्तविक प्राप्तियाँ**
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1650.00 2121.49	2540.00 2038.31	2300.00 2443.39	2220.00 2306.17	2500.00 2813.66	(+) 12.55	(+) 22.01
2.	ब्याज प्राप्तियां	167.09 298.56	166.90 1571.41	202.00 301.47	204.15 317.85	1133.60 1260.65	(+) 11.21	(+) 296.62
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	1000.00 836.61	1027.32 878.81	969.04 910.38	1100.00 1036.80	1250.23 968.77	(–) 22.51	(–) 6.56
4.	लोक निर्माण	42.31 36.77	55.54 47.92	63.55 33.22	38.49 46.92	49.50 50.82	(+) 2.67	(+) 8.31
5.	विविध सामान्य सेवाऐं	20.09 143.00	22.07 145.44	19.88 30.40	16.95 33.69	17.48 222.37	(+) 1172.14	(+) 560.05
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	113.42 85.14	117.50 106.05	93.49 239.15	184.40 380.22	165.50 140.21	(–) 15.28	(–) 63.12
7.	पुलिस	65.00 62.55	85.00 63.19	100.00 83.59	107.04 71.92	100.00 93.50	(–) 6.5	(+) 30.01
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	49.54 22.77	40.11 30.16	21.00 44.83	46.65 57.76	56.25 120.16	(+) 113.62	(+) 108.03
9.	सहकारिता	8.60 17.05	9.01 11.65	9.59 13.02	10.06 12.24	9.97 16.58	(+) 66.30	(+) 35.46
10	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	82.31 194.89	90.44 263.15	96.18 137.74	116.86 138.48	120.09 137.55	(+) 14.54	(–) 0.67
11	अन्य कर.भिन्न प्राप्तियां	1123.64 1900.94	1845.11 2326.64	3452.27 2763.03	3538.40 3302.94	1356.27 4550.96	(+) 235.55	(+) 37.79
योग		**4322.00 5719.77**	**5999.00 7482.73**	**7327.00 7000.22**	**7583.00 7704.99**	**6758.89 10375.23**		

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

तालिका क्र. 1.3 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियो में (–)22.51 से (+)1,172.14 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 एवं 2014–2015 कर के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (–)63.12 प्रतिशत से (+)560.05 प्रतिशत की भिन्नता थी।

अलौह धातु खनन – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियो की तुलना में वृद्धि (22.01 प्रतिशत) का मुख्य कारण "खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

ब्याज प्राप्तियाँ – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (296.62 प्रतिशत) का मुख्य कारण "सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

विविध सामान्य सेवायें – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (560. 05 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अदावाकृत जमा राशि" एवं "घटाऐ–वापसियाँ" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

अन्य प्रषासनिक सेवायें – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में कमी (63. 12 प्रतिशत) का मुख्य कारण, उपशीर्ष "न्याय प्रशासन के अंतर्गत अर्थदण्ड एवं जब्ती" के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी थी।

पुलिस – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (30 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अन्य सरकारों एवं अन्य पक्षों को भेजी गई पुलिस" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थे।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य – वर्ष 2013–14 की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (108.03 प्रतिशत) का मुख्य कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

सहकारिता – प्राप्तियों में वृद्धि (35.46 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अंकेक्षण शुल्क" के अंतर्गत वृद्धि थे।

अन्य कर भिन्न प्राप्तियॉ – प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण शीर्ष "0202–सामान्य शिक्षा, खेल, कलाएं एवं संस्कृति" के अंतर्गत में प्राप्तियों में वृद्धि थे।

बजट अनुमानों एवं वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों से भिन्नता के कारण, संबंधित विभागो द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी (मई एवं अगस्त 2015 के मध्य) प्रस्तुत नहीं किये गये।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2015 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 1,016.75 करोड़ थी जिसमें से ₹ 488.49 करोड़ की राशि **तालिका 1.4** में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका 1.4
राजस्व के बकाया का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	शासन का प्रत्युत्तर
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	603.91	305.80	विभाग ने स्वीकार किया ₹ 603.91 करोड में से ₹ 483.73 की वसूली मुश्किल थी। ₹ 603.91 करोड़ में से ₹ 92.58 करोड़, आर.आर.सी के माध्यम से वसूली न होने के कारण लंबित थे, ₹ 50.75 करोड़ न्यायालयीन प्रकरणों के कारण, ₹ 108.47 करोड़ की कुर्की शामिल थी, ₹ 3.47 करोड विभागीय अधिकारियों के पास लम्बित थे, ₹ 83.87 करोड़ बीमार मिलों से लम्बित थे,

				₹ 7.55 करोड़ अपलेखन हेतु अनुशंसित किये गये एवं शेष ₹ 257.22 करोड़ रूपये अन्य स्तरों पर लंम्बित थे।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	76.64	68.53	₹ 10.17 करोड़ की राशि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वसूली नहीं की जा सकी तथा ₹ 46.26 करोड़ की राशि वसूली योग्य न होने के कारण इसके अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है।
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन	168.92	89.96	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं अगस्त 2015) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	10.32	अप्राप्त	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं अगस्त 2015) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	156.96	24.20	₹ 156.96 करोड़ में से ₹ 125.25 करोड आर.सी.सी के माध्यम से वसूली न हो पाने के कारण लम्बित थे, ₹ 9.23 करोड़ न्यायलयीन प्रकरणों के कारण लंबित थे तथा ₹ 23 लाख, विभागीय अधिकारियों के पास लम्बित थे, ₹ 3.67 करोड़, बीमार कपड़ा मिलों से लंबित थे एवं ₹ 18.58 करोड़ अन्य स्तरों पर लम्बित थे।
योग		**1016.75**	**488.49**	

तालिका 1.4 से यह भी देखा जा सकता है कि राजस्व के कुल बकाया का 59 प्रतिशत वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित था। इसके अलावा वाणिज्यक कर विभाग के लगभग 80 प्रतिशत बकाया की वसूली मुश्किल बताई गई थी।

1.3 निर्धारण का बकाया

प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में वर्णित है :

तालिका 1.5
निर्धारण का बकाया

कर का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2012–13	88,124	2,32,539	3,20,663	2,00,552	1,20,111	62.54
	2013–14	1,20,111	2,78,856	3,98,967	2,30,404	1,68,563	57.75
	2014–15	1,68,563	3,45,803	5,11,366	3,42,242	1,69,124	66.93
वृत्ति कर	2012–13	63,411	89,708	1,53,119	1,05,945	47,174	69.19
	2013–14	47,174	96,790	1,43,964	89,473	54,491	62.15

	2014–15	54,491	89,140	1,43,631	1,03,005	40,626	71.72
प्रवेश कर	2012–13	62,066	1,93,494	2,55,560	1,64,443	91,117	64.35
	2013–14	91,117	2,28,794	3,19,911	1,87,253	1,32,658	58.53
	2014–15	1,32,658	3,06,952	4,39,610	2,89,572	1,50,038	65.87
विलासिता	2012–13	420	1,337	1,757	871	886	49.57
	2013–14	886	1,517	2,403	1,256	1,147	52.27
	2014–15	1,147	1,831	2,978	2,037	941	68.40
निर्माण संविदाओं पर कर	2012–13	2,620	7,371	9,991	6,305	3,686	63.11
	2013–14	3,686	7,793	11,479	5,192	6,287	45.23
	2014–15	6,287	12,724	19,011	9,164	9,847	48.20

इस प्रकार वर्ष 2014–15 में वाणिज्य कर /वैट, प्रवेश कर और विलासिता कर के निर्धारण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई किन्तु निर्माण संविदाओं पर कर के प्रकरण में, वर्ष 2012–13 की तुलना में उपलब्धि कम रही।

1.4 विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन

विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगो का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है

तालिका 1.6
कर अपवंचन

स. क.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2014 को लंबित प्रकरण	2014–15 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2015 का लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर एवं प्रवेश कर	269	352	621	274	269.10	347
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	13576	12036	25612	10368	32.98	15244
योग		**13845**	**12388**	**26233**	**10642**	**302.08**	**15591**

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के लंबित प्रकरण सबसे अधिक थे।

1.5 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2014–15 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2014–15 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख **तालिका 1.7** में किया गया है :

तालिका 1.7
वापसियों के लंबित प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स.क.	श्रेणी	विक्रय कर/वैट		विद्युत पर कर एवं शुल्क		मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	512	65.16	169	4.18	1482	4.8	11	0.27
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5475	1134.12	27	4.48	882	12.52	14	0.82
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	5368	1067.66	22	1.30	759	9.51	15	0.90
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	619	131.62	174	7.36	1605	7.81	10	0.19
5.	वापसी का प्रतिशत	89.66	89.03	11.22	15.01	32.11	54.91	60	82.57

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क विभाग में वापसी के लम्बित प्रकरणों के निराकरण की गति अत्यधिक धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश शासन द्वारा लेन–देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, जिन्हे निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

हमने दिसम्बर 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा पाया कि 4,273 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 18,181 कण्डिकाएं, जिनमें राशि ₹ 8,450.35 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2015 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनो का विवरण

	जून 2013	जून 2014	जून 2015
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,695	3,757	4,273
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	14,752	16,280	18,181
अन्तर्निहित राजस्व की राशि (₹ करोड में)	6,783.96	7,520.60	8,450.35

1.6.1 30 जून 2015 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1.	वित	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1,215	6,370	1,297.76
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	64	222	494.10
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क	279	1,110	997.73
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,179	3,897	2,743.34
5..	परिवहन	वाहनों पर कर	474	2,815	404.11
6.	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	576	1,903	589.69
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	286	1,472	1,904.21
8.	मनोरंजन	मनोरंजन शुल्क	200	392	19.41
	योग		**4,273**	**18,181**	**8,450.35**

निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी 2014–15 तक जारी 130 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख, महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

शासन को एक प्रभावशाली व्यवस्था निर्मित करना चाहिये जिसमें कि लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर समुचित प्रत्युत्तर शीघ्रतापूर्वक दिये जा सकें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों की कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2014–15 में लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आहूत नहीं की गयी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा अधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

1.6.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर राजस्व/कर –भिन्न राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, कुल 3,953 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए । सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण **तालिका 1.10** दिया गया है

तालिका 1.10
लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाने का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षित किया जाना था	लेखापरीक्षित नहीं हुए प्रकरणों की संख्या	अन्तर्निहित राजस्व
1.	2.	3.	5.
भू–राजस्व	2014–15	63	–
उत्पाद शुल्क	2014–15	06	–
वाणिज्यिक कर	2014–15	3,884	–
योग		**3,953**	

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं । विभाग/शासन से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है ।

यह प्रतिवेदन जिसमें 26 कंडिकाऐं तथा तीन निष्पादन लेखापरीक्षायें सम्मिलित थी, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा जुलाई 2015 के मध्य प्रेषित की गयी थीं। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवों को अनुस्मारक जारी करने के उपरान्त भी निष्पादन लेखापरीक्षा सहित किसी भी प्रारूप कण्डिका का जवाब नहीं भेजा और इन विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है । यद्यपि निष्पादन लेखापरीक्षा के निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए है उन्हे प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया हैं।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति की अनुशंसाओ पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छः माह के भीतर जारी किये जाने चाहिये। इन प्रावधानो के प्रतिकूल, प्रतिवेदनो की लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जा रहे थे। मध्यप्रदेश शासन के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 तथा 2014 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदनो में सम्मिलित 247 कण्डिकाऐं राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2011 से जुलाई 2015 के मध्य रखी गयीं। राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस तथा खनन) की 124 कण्डिकाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नही हुये (मार्च 2015)।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चयनित 27 कण्डिकाओ पर चर्चा की गई तथा इन पर कोई अनुशंसा नही की गई।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित **राज्य उत्पाद शुल्क विभाग** से सम्बन्धित

कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अग्रलिखित कण्डिकायें 1.7.1 से 1.7.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2004–05 से 2013–14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में राजस्व शीर्ष–0039 के अधीन राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है ।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2015 को इनकी संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.11** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं	नि.प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं
2005–06	353	1,191	604.59	27	153	70.02	09	72	44.56	371	1.272	630.05
2006–07	371	1,272	630.05	24	127	65.64	15	116	46.19	380	1,283	649.50
2007–08	380	1,283	649.50	31	173	89.51	23	251	154.55	388	1,205	584.46
2008–09	388	1,205	584.46	43	242	98.48	58	307	184.27	373	1,140	498.67
2009–10	373	1,140	498.67	45	302	181.53	72	348	109.70	346	1,094	570.50
2010–11	346	1,094	570.50	23	168	146.02	165	474	71.35	204	788	645.17
2011–12	204	788	645.17	26	173	85.89	28	178	118.50	202	783	612.56
2012–13	202	783	612.56	36	226	159.11	4	88	58.01	234	921	713.66
2013–14	234	921	713.66	29	188	198.37	4	81	45.31	259	1,028	866.72
2014–15	259	1,028	866.72	30	164	185.00	0	27	21.83	289	1,169	1,029.89

शासन द्वारा विभागीय समिति एवं महालेखाकार कार्यालय के मध्य पुरानी कण्डिकाओं के निराकरण के लिये तदर्थ समिति की बैठक की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त तालिका से अवलोकित किया जा सकता है कि 2005–06 के प्रारम्भ में 353 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1,191 कण्डिकाऐं लम्बित थी, वर्ष 2014–15 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या घटकर 289 एवं कंडिकाओं की संख्या 1,169 हो गयी। लंबित कण्डिकाओं का कम संख्या में निराकरण इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति **तालिका 1.12** में दर्शाई गई है

तालिका 1.12
स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वर्ष वसूली की गई	31.03.15 तक वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2004–05	9	9.60	4	0.88	0	0.04
2005–06	7	7.67	5	2.62	0.30	0.55
2006–07	1 समीक्षा	4.57	1	1.62	0.29	0.65
2007–08	11	7.95	5	1.82	0.15	0.21
2008–09	18	21.68	8	1.80	0.005	0.64
2009–10	9	5.09	5	3.90	0.007	0.35
2010–11	8	38.74	1	6.73	0.007	0.007
2011–12	1+1 समीक्षा	49.31	1	2.24	0.008	0.008
2012–13	1 (नि.ले.प.)	42.47	3	17.08	0.05	2.32
2013–14	8	60.43	3	4.31	0.02	0.02

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले दस वर्षो में वसूली की प्रगति अत्यंत धीमी रही। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही 'वसूली योग्य बकाया' के रूप मे संबंधित पक्षो से की जानी थी। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग/शासन के पास कोई कार्यप्रणाली नही है

शासन के स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करना चाहिये एवं इसकी निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

1.7.3 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा आयोजित की गई प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्बन्धित विभागों/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं । इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है ।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग पर पिछले पाँच वर्षो में निम्नलिखित निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गयी। अनुशंसायें **तालिका 1.13** में दी गई है।

तलिका 1.13

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का सार
2011–12	मदिरा पर उत्पाद शुल्क का संग्रहण	04	1. आसवनी में अल्कोहल उत्पादन के लिये रखा हुआ शीरा एवं अन्य मुलों पर नियंत्राण के लिये आसवनी नियमों में प्रावधान किया जाना; 2. बीयर के न्यूनतम उत्पादन के लिये मानदण्डों का निर्धारण किया जाना 3. लायसेंस फीस के समायोजन उपरांत संगणित की गई दुकानों के पुनरीक्षित वार्षिक मूल्य पर अहाता लायसेंस फीस की वसूली के लिये आवश्यक प्रावधान लाना; और
			4. आन्तरिक लेखापरीक्षा क्रियाविधि को सशक्त करना ।

निष्पादन लेखापरीक्षा पर उपरोक्त सभी अनुशंसायें, निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गई, तथापि इनके कार्यान्वयन की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2015)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को राजस्व संग्रहण, पुरानी कंडिकाओं की प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाते समय जोखिम का विश्लेषण करने के लिये शासन के राजस्व एवं कर प्रशासन, जैसे कि बजट भाषण, राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र, राज्य एवं केन्द्र के वित्त आयोग के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की अनुशंसायें, पिछले पाँच वर्षो के दौरान राजस्व अर्जन का संख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के घटकों, लेखापरीक्षा एवं इनके पिछले पाँच वर्षों के प्रभाव को आधार बनाया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान 1,039 इकाईयों में से 443 इकाइयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई तथा 434 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल योजना का 98 प्रतिशत थी। राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा समूह के भोपाल में स्थानान्तरण के कारण वाणिज्यक कर विभाग की आठ इकाइयों की लेखापरीक्षा योजनानुसार नहीं हो सकी। खनन विभाग की एक इकाई, मेसर्स एमपी मोनेट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड को आवंटन रद्द किये जाने के कारण योजनानुसार लेखापरीक्षा नहीं हो सकी।

कर प्रशासन की दक्षता की जाँच के उद्देश्य से उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिती

वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियॉ, वन प्राप्तियॉ एवं विद्युत शुल्क की 515 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 13,55,453 प्रकरणों में ₹ 1,486.50 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2014–15 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 2,49,393 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 411.49 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 654 प्रकरणों में ₹ 4.85 करोड़ संग्रहीत किये ।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 29 कंडिकायें (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 614.76 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित है।

विभागों/शासन ने ₹ 153.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 1.06 लाख की वसूली की जा चुकी है । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों II से VIII में की गई है।

अध्याय – 2
वाणिज्यिक कर

अध्याय–2
वाणिज्यिक कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमारे द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित 134 इकाईयों में से 106 इकाईयों (24 संभागीय कार्यालय, 22 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 60 वृत्त कार्यालय) के अभिलेखों की नमूना जांच, जिसमें ₹ 12,381.79 करोड़ की राशि सम्मिलित थी, में 855 प्रकरणों में ₹ 296.08 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हें आगामी **तालिका 2.1** में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

तालिका 2.1

			(` करोड़ में)
क्र. स.	**श्रेणी**	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
1	"वैट के अतंर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	213.30
2	कर का अनारोपण/कम आरोपण	204	10.04
3	कर की गलत दर का लागू किया जाना	123	10.63
4	कर योग्य टर्नओवर का गलत निर्धारण	84	4.83
5	छूट/कटौती की अनियमित कटौती	118	6.52
6	अन्य अनियमिततायें	325	50.76
	योग	**855**	**296.08**

वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा टैक्स के आंकलन व अन्य अनियमितताओं में बताये गए ₹ 51.67 करोड़ के 206 मामलों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया तथा उसमे से 17 मामलों में ₹ 11.00 लाख की वसूली की सूचना दी।

"वैट के अतंर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" की निष्पादन लेखापरीक्षा पर निष्पादन लेखा परीक्षा जिसमें ₹ 213.30 करोड़ की राशि अंतर्निहित है तथा कुछ अन्य उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षण जिनमें ₹ 62.38 करोड़ की राशि अंतर्निहित है का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है।

2.2 "वैट के अतंर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रमुख विषेषतायें

अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य "वैट के अतंर्गत कर निर्धारण की प्रणाली" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। हमने पाया कि वैट अधिनियमों का ठीक ढंग से पालन नही हुआ जैसे कि कर योग्य राशि का कम निर्धारण करना, कर की गलत दर आरोपित करना, अनियमित/गलत छूट आदि जिनमें राशि ₹ 213.30 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण नीचे दिये गये है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की करयोग्य राशि का कम निर्धारण किया गया जबकि प्रकरण में अंकेक्षित खाते, विक्रय सूची और दूसरे ज्ञात प्रमाणों से कुल कर योग्य राशि अधिक प्रमाणित हुई। परिणामस्वरूप 30, कार्यालयों के 9,063 कर निर्धारण प्रकरणों में से 160 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि ₹ 499.41 करोड़ की राशि कर निर्धारण हेतु शामिल नही थी जिस पर ₹ 41.84 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 82.08 करोड़ का करारोपण नही हुआ।

(कंडिका 2.2.11)

चौबीस कार्यालयों के 5,044 प्रकरणों में से 51 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 143.54 करोड़ की कुल बिक्री पर कम दर से करारोपण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.8 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 38.57 करोड़ का कम/गलत दर का करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.12)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय कुल विक्रय राशि में से कर राशि को घटा दिया गया जबकि कर राशि, कुल विक्रय राशि में शामिल नही थी । परिणामस्वरूप 17 कार्यालयों के 5,469 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया गया कि 27 प्रकरणों में ₹ 32.22 करोड़ की राशि का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.13)

व्यवसायी द्वारा कर मुक्त वस्तु बताते हुये कर योग्य वस्तु को बेचा गया। कर निर्धारण अधिकारियों ने भी प्रकरणों की जाँच में इसे कर मुक्त मानते हुये करारोपण नही किया। इसके परिणामस्वरूप सात कार्यालयों के 4,068 प्रकरणों की नमूना जाँच में सें नौ प्रकरणों में ₹ 1.26 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 1.82 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.14)

इकतीस कार्यालयों के 13,840 कर निर्धारित प्रकरणों की नमूना जाँच में से 79 प्रकरणों में अंकेक्षित खातों में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर आगत कर छूट देना, अनुपयुक्त सामान पर आगत कर छूट और राज्य के बाहर स्टॉक के स्थानांतरण पर कम रिवर्सल या रिवर्सल नहीं किया जाने के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.2.15)

बिना सी/एफ फार्म अथवा त्रुटिपूर्ण सी/एफ फार्म के ₹ 267.72 करोड़ के अंतर्राज्यीय विक्रय का कर निर्धारण कर लिया गया। परिणामस्वरूप, 17 कार्यालयों के 1,629 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में से 29 प्रकरणोंमें ₹ 1.22 करोड़ के शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करारोपण किया गया।

(कंडिका 2.2.17.1)

पाँच कार्यालयों के 99 प्रकरणों की नमूना जाँच मे सात प्रकरणों में पाया गया कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय पर ₹ 229.21 करोड़ की अनियमित छूट दी परिणामस्वरूप ₹ 9.33 लाख की पारगमन शास्ति सहित ₹ 9.87 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

(कंडिका 2.2.17.3)

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सोयाबीन और कपास की बिक्री पर कर निर्धारण करते समय, एक माह से अधिक के संव्यवहार के टीडीएस प्रमाणपत्र को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप 13 कार्यालयों के 4,226 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में 40 प्रकरणो में ₹ 4.45 करोड़ के टीडीएस का अनियमित समायोजन किया गया।

(कंडिका 2.2.18)

2.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, कर प्रशासन में और अधिक दक्षता लाने के लिये, व्यवसायियों को व्यावसाय में स्पर्धा के समान अवसर तथा स्पष्ट कर निर्धारण प्रणाली के लिये 2006 में लागू किया गया।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, मध्य प्रदेश में बिक्री के प्रत्येक स्तर पर करारोपण और संग्रहण निर्धारित करता है। मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत, उपभोक्ता के पास उत्पाद पहुँचने तक बिक्री के प्रत्येंक स्तर पर कर को सीमित करने के लिये, बिक्री के प्रत्येंक स्तर पर लगने वाले निर्गत कर (बिक्री पर देय कर) को आगत कर (क्रय पर देय कर) जिसे आगत कर छूट कहते है, से समंजन (सेट–ऑफ) किया जाता है।

पंजीकृत व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान राज्य के भीतर कर योग्य वस्तु की बिक्री करने पर वैट देय है। लेखा पुस्तकों में, इस प्रकार आरोपित या संग्रहित कर अलग से दिखाया जाता है और यह व्यवसायी के कुल आवर्त का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को पाँच[1] मुख्य वर्ग (श्रेणी) में रखा गया है, जिसका उद्देश्य इनके व्यवसाय पर वैट की भिन्न दरों के उपयोग है।

वस्तुओं की अंतर्राज्यीय बिक्री, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय में घोषणा पत्रों के समर्थन से कर मुक्त/कम दर पर कर की छूट मिलती है और घोषणा पत्रों के प्रस्तुत न करने पर, मध्य प्रदेश वैट, अधिनियम के अंतर्गत दी गई अनुसूची में कर की दर से अंतर्राज्यीय विक्रय पर कर लगाया जाता है।

2.2.2 मध्य प्रदेश वैट, अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली

वैट संग्रह और नियंत्रण प्रणाली स्व–कर मूल्यांकन पर आधारित है। वैट मूल्यांकन प्रणाली के समग्र उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन के स्तर को बढ़ाते हुए एवं कर अपवंचन को रोककर वैट राजस्व की वसूली को अधिकतम करना है। व्यवसायी अपनी देयता की गणना स्वंय करता है, इसके पश्चात् वाणिज्य कर विभाग व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणी की समीक्षा कर अंकेक्षण और कर निर्धारण, सुनिश्चित करने के लिए करता है कि कर दाताओ द्वारा वैधानिक तौर पर देय कर घोषित एवं भुगतान किया गया है।

[1] कर मुक्त वस्तुओं को परिशिष्ट 1 में, एक प्रतिशत दर वाली वस्तुओं को परिशिष्ट 2 के भाग 1 में, चार व पाँच प्रतिशत वाली वस्तुओं को परिशिष्ट 2 के भाग 2 में और 12.5/13 प्रतिशत दर वाली वस्तुओं को परिशिष्ट 2 के भाग चार में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुएं जिन पर एक बार कर आरोपणीय है परिशिष्ट 2 के भाग 3 में दर्ज है।

वैट के अंतर्गत कर निर्धारण प्रणाली में स्व–कर निर्धारण, कर निर्धारण, कर अंकेक्षण, पुनः कर निर्धारण या कर निर्धारण में संशोधन और कर अपवंचन का पता लगाने और रोकथाम से संबंधित मामलों के मूल्यांकन के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। कर निर्धारण प्रणाली और मूल्यांकन की प्रक्रिया को नीचे **सारणी–1** में दर्शाया गया है –

सारणी–1 : कर निर्धारण की प्रणाली व प्रक्रिया

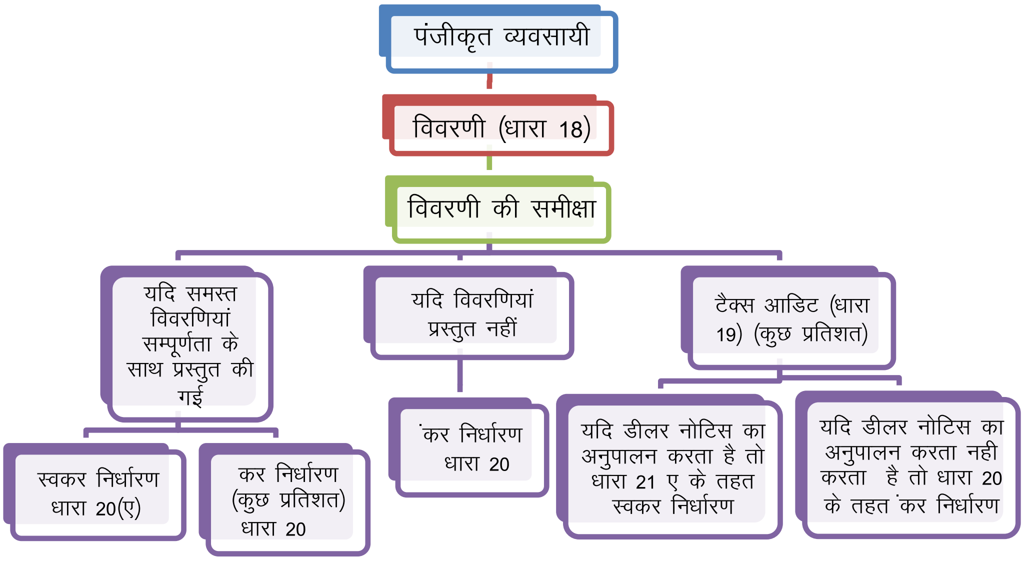

यद्यपि, जहां पर मध्य प्रदेश वैट, अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य सामान की खरीद या बिक्री कम/त्रुटिपूर्ण निर्धारित की गयी या कर निर्धारण से छूट गयी, मूल कर निर्धारण पुनः खोला जाएगा (धारा 21 के अंतर्गत) और इसके स्थान पर एक पुनः कर निर्धारण किया जायेगा। पुनः कर निर्धारण कर, निर्धारण आदेश में हुई किसी त्रुटि को सही करना है। जब भी किसी व्यवसायी का पुनः कर निर्धारण किया जाता है, कर निर्धारण अधिकारी छूटे गये आवर्त का निर्धारण नहीं करता है, बल्कि वह निरूपित कुल आवर्त का निर्धारण करता है। यदि आवश्यक हो तो वह कर निर्धारण के लिए सबसे अच्छे निर्णय का आश्रय भी ले सकते है।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (सीएसटी एक्ट) की धारा 9(2) सक्षम अधिकारी को यह प्राधिकृत करती है कि वह कर निर्धारण करने, पुनः कर निर्धारण करने, संग्रहण और व्यवसायी द्वारा देय जुर्माने एवं कर के भुगतान के लिए कर पर ब्याज के भुगतान के लिए दबाव बनाना केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों जिसमें कर निर्धारण से संबंधित प्रावधान भी शामिल है, का प्रयोग कर सकता है ।

2.2.3 संगठनात्मक ढाँचा

शासन के स्तर पर वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख, प्रधान सचिव होता है। वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त वाणिज्यिक कर के नियंत्रण में कार्य करता है जिसकी सहायता हेतु एक निदेशक होता है। विभाग चार क्षेत्रों में बंटा है प्रत्येक क्षेत्र का प्रमुख अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त होता है, प्रत्येक क्षेत्र में 15 संभागीय उपायुक्त होते हैं। इन संभागों में 33 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय तथा 80 वृत्त कार्यालय हैं जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी /सहायक आयुक्त है। विभाग में उत्तरदायित्व और अधिकारियों की सूची सारणी 2 में दिखायी गयी है।

सारणी 2 : संगठनात्मक संरचना दर्शाने वाला चार्ट

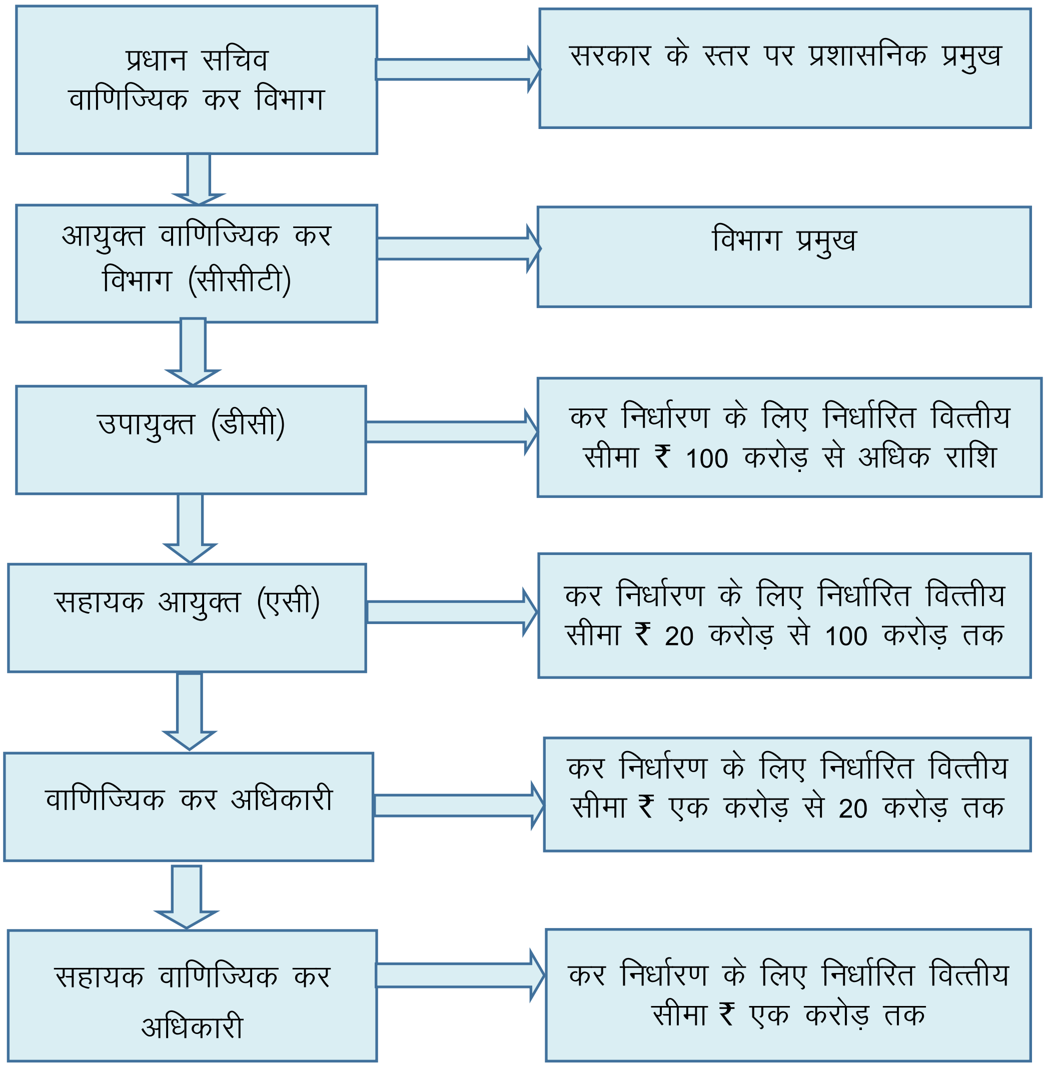

2.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

प्रणाली की दक्षता और प्रभावकारिता और कर निर्धारण से सम्बन्धित प्रक्रिया तथा राजस्व संग्रहण जानकारी के लिए, 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए वृत्त, क्षेत्रीय और संभाग कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण किये गये। इसके अतिरिक्त कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग से सूचनाएं एकत्र की गयीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2010–11 से 2014–15 की अवधि को सम्मिलित करते हुए की गई है जिसमें विभाग के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015[2] के मध्य किये गये कर निर्धारणों (अक्टूबर 2014 से जून 2015 तक) को लिया गया है। 130 इकाइयों में से 33 इकाइयों[3] (10 संभाग, 3 क्षेत्रीय और 20 वृत्त

---

[2] पूर्व लेखापरीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहे प्रकरण परंतु वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत प्रकरणों की भी जॉंच की गई/लेखापरीक्षा में शामिल किया गया ।

[3] **वृत्त कार्यालय**(20) : भोपाल–1, भोपाल–3, भोपाल–5, देवास, ग्वालियर–1, ग्वालियर–2, इंदौर–7, इंदौर–9, इंदौर–10, इंदौर–11, इंदौर–12, इंदौर–13, इंदौर–14, खरगौन, मंडीदीप, रतलाम–1, सतना–1, सेंधवा, उज्जैन–1 और वैढ़न
क्षेत्रीय कार्यालय(03) :भोपाल–1, भोपाल–2 और सागर–2
संभागीय कार्यालय(10) : भोपाल एंटीएवेजन ब्यूरो, भोपाल टेक्स आडिट विंग, भोपाल–1,भोपाल–2, इंदौर टेक्स आडिट विंग–1, इंदौर–1, जबलपुर एंटीएवेजन ब्यूरो, जबलपुर–2,रतलाम और सतना

कार्यालयों) को यादृच्छिक पद्धति से चुना गया। 12,958 कर निर्धारित प्रकरणों में से 12,466 प्रकरणों की लेखापरीक्षा की गयी।

चयनित इकाईयों को **सारणी 3** में नीचे दिखाया गया है।

सारणी 3 : पदानुक्रम और चयनित इकाइयाँ

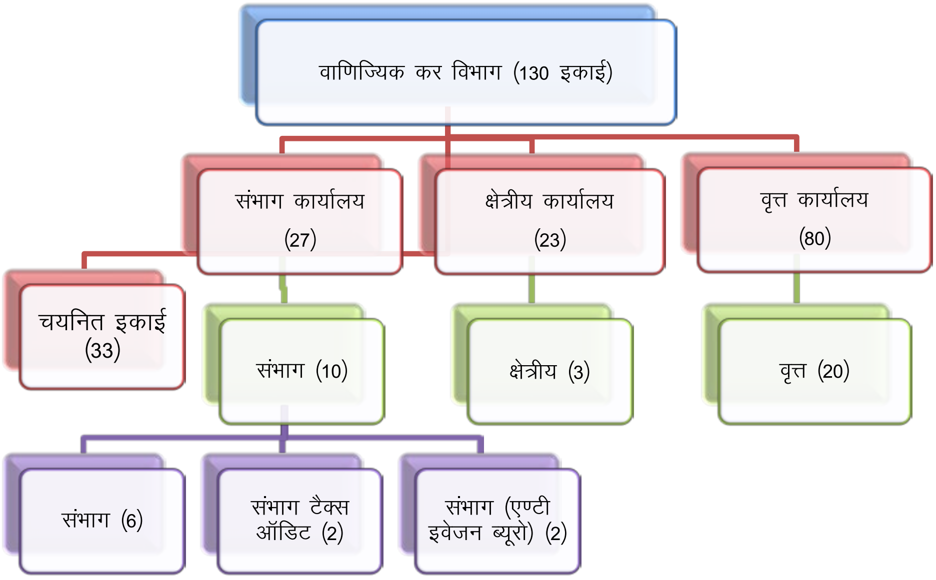

2.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई कि :—

- कर निर्धारण करने में अधिनियमों/नियमों का पालन तथा परिपत्रों/ ज्ञापनों के निर्देशों/आदेशों का अनुपालन किया गया,
- यह सुनिश्चित करना कि छूट/रियायत उद्घोषणा पत्र पर ही दी गयी है,
- यह सुनिश्चित करना कि क्या विवरणियों/अंकेक्षित खातों में सही जानकारी/सही समय पर प्रस्तुत की गई एवं
- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम और नियमों के प्रावधान, राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त है।

2.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न मानदंडों पर आधारित हैं:

- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002
- मध्यप्रदेश वैट नियम 2006
- केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956
- केन्दीय विक्रय कर (रजिस्ट्रेशन और टर्नओवर) नियम 1957
- विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये नियम, परिपत्रं, ज्ञापन और निर्देश।

2.2.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग को लेखापरीक्षा करने के लिए सहयोग तथा जानकारी एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग का आभारी है।

विभाग के प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा के क्षेत्र और कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में 18 फरवरी 2015 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। निष्पादन लेखा परीक्षा का प्रारूप जुलाई 2015 को राज्य सरकार को भेजा गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा आपत्तियां के सम्बन्ध में विभाग के प्रधान सचिव के साथ निर्गम सम्मेलन में 07 अक्टूबर 2015 को चर्चा की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा में सरकार/विभाग के विचारों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा के सभी पाँच अनुशंसाओं को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

2.2.8 पंजीकृत व्यवसायी और अपंजीकृत व्यवसाइयों का सर्वेक्षण

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायियों की स्थिति और वर्ष 2010–11 से 2014–15 के मध्य उनकी वृद्धि का प्रतिशत तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में पंजीकृत व्यवसाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत व्यवसायी	वर्ष के दौरान जिनके पंजीयन निरस्त किये गये ऐसे व्यवसाइयों की संख्या	वर्ष के अंत में पंजीकृत व्यवसाईयों की संख्या	पिछले वर्ष से पंजीकृत व्यवसाईयों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि
2010–11	232858	17678	9855	240681	–
2011–12	240681	28790	13644	255827	6.92
2012–13	255827	27903	20965	262765	2.71
2013–14	262765	26150	22454	266461	1.40
2014–15	266461	35378	24258	277581	4.17

(स्रोत : विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में प्रतिशत वृद्धि 1.40 और 6.92 प्रतिशत के मध्य है। नये व्यवसायियों को कर दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा कराये गये सर्वे के बारे में विभाग द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। यद्यपि उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि आयकर विभाग केन्द्रीय उत्पाद विभाग और दूसरे सरकारी विभागों से जानकारी एकत्र कर व्यवसायियों को कर दायरे में लाने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं ।

सर्वे के सम्बन्ध में उचित जवाब नहीं देना, इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि अपंजीकृत व्यवसायियों जिन पर कर देयता है के सर्वे कराने हेतु विभाग द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया।

2.2.9 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

वैट और केन्द्रीय विक्रय कर की 2010–11 से 2014–15 के अवधि की वास्तविक प्राप्तियाँ निम्न **तालिका 2.3** में दिखायी गयी है।

तालिका 2.3

(राशि करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	सकल प्राप्तियां (वैट और सी.एस.टी.)	अंतर अधिक्य/ कमियां	बजट अनुमान के सापेक्ष अंतर (प्रतिशत में)	पूर्व वर्ष के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियां की प्रतिशत वृद्धि
2010–11	9320.00	10256.76	936.76	10.05	---.
2011–12	11830.00	12516.73	686.73	5.80	(–) 22.03
2012–13	14000.00	14856.30	856.30	6.11	(–) 18.69
2013–14	16500.00	16649.85	149.85	0.90	(–) 12.07
2014–15	19500.00	18135.96	(–)1364.04	(–) 7.00	(–) 8.92

(स्रोत : म.प्र.शासन के वित लेखे)

उपरोक्त सारणी से यह आसानी से देखा जा सकता है कि वर्ष दर वर्ष राजस्व में सतत् वृद्धि हुई है किन्तु राजस्व वृद्धि का प्रतिशत गिरावट में है तथा पिछले पाँच वर्षो में पंजीकृत व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि एवं कर की दर में वृद्धि के बावजूद यह 22.03 प्रतिशत से 8.92 प्रतिशत गिरावट रही। इसके अतिरिक्त 2014–15 की अवधि के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से सात प्रतिशत कम रही।

निर्गम सम्मेलन में, राजस्व की गिरावट के विषय में विभाग द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2015) कि बाजार में मंदी तथा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी (इनका वैट राजस्व में लगभग 34 प्रतिशत का योगदान है) के कारण राजस्व में गिरावट हुई।

2.2.10 बकाया राजस्व

पांच वर्षों से अधिक के बकाया राजस्व और बकाया दायित्व के विवरण **तालिका 2.4** में दर्शाये गए हैं :–

तालिका 2.4

(राशि करोड़ ₹ में)

अवधि	वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	वर्ष के दौरान वसूली	वर्ष के अंत में अंतिम शेष	वर्ष के अंत मे पाँच वर्षों से अधिक बकाया
2010–11	586.95	1214.02	1800.97	1271.17	529.80	194.53
2011–12	529.80	1667.19	2196.99	1679.06	517.93	202.45
2012–13	517.93	1748.39	2266.32	1708.57	557.75	180.75
2013–14	557.75	1898.24	2455.99	1879.52	576.47	320.92
2014–15	576.47	2761.02	3337.49	2733.58	603.91	305.80

(स्रोत : विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि बकाया राजस्व 2010–11 में ₹ 529.80 करोड़ से 2014–15 में ₹ 603.91 करोड़ हो गये और 2010–11 को छोड़कर बाकी पांच वर्षों में राजस्व बकाये में बढ़ोत्तरी का क्रम रहा है। इसी प्रकार, पांच वर्षों से अधिक के बकाया की राशि 2010–11 में ₹ 194.53 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 304.80 करोड़ हो गई । इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2015 तक बकाया राजस्व ₹ 603.91 करोड़ का हो गया जिसमें से ₹ 483.72 करोड़ के बकाया अन्य प्रकरणों की श्रेणी में आते है जैसे कि न्यायालयीन प्रकरण, अपील प्रकरण, बीमार इकाईयों इत्यादि से सम्बन्धित है।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि पूरे देश में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग की कर निर्धारण प्रणाली सबसे अद्यतन है। कर निर्धारण प्रक्रिया को आसान कर यह हासिल किया गया है तथा विभाग वसूली की प्रगति से संतुष्ट है और ऐसा अपेक्षित है कि बकाया वसूली इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हो जाएगी।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राजस्व के बकाया में उत्तरोतर वृद्धि की ही प्रवृत्ति है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मूल्य संवर्धन कर के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा में, अधिनियम और नियमों को उल्लंघन और प्रणाली में कमियाँ आदि पायी गयी। इन कमियों के कारण राजस्व हानि की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गयी।

2.2.11 सकल विक्रय (टर्नओवर) का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की करयोग्य राशि का कम निर्धारण किया गया जबकि प्रकरण में अंकेक्षित खाते, विक्रय सूची तथा अन्य अभिलेखों से कुल कर योग्य राशि अधिक प्रमाणित हुई। कुल ₹ 499.41 करोड़ की राशि को कर निर्धारण हेतु शामिल नहीं किया गया परिणामस्वरुप ₹ 41.84 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 82.08 करोड़ का करारोपण नही हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 के मध्य आठ संभाग कार्यालयों[4], तीन क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल I, II और सागर–II) और 19 वृत्त कार्यालयों[5] के 9,871 कर निर्धारण प्रकरणों में से 9,063 प्रकरणों की नमूना जाँच की और पाया कि 157 व्यवसायी के 160 प्रकरण जो कि 2009–10 से 2012–13 की अवधि में कर निर्धारण हुए थे, का कर निर्धारण करते समय कर योग्य राशि ₹ 3,094.65 करोड़ निर्धारित की जबकि प्रकरण नस्तियों में उपलब्ध अंकेक्षित खाते, विषय सूची और अन्य अभिलेखों से सकल आवर्त की राशि ₹ 3,594.07 करोड अवधारित हुई।

प्लांट और मशीनरी की बिक्री, उत्पाद शुल्क और विविध कर योग्य मूल्य व्यवसायी की कर योग्य राशि में शामिल नहीं किये गये। इसी प्रकार, संविदा कार्य, जॉब कार्य और विक्रय वापसी छूट आदि में अधिक कटौती दिखायी गयी। अतः मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 2(z) के प्रावधानों की उपेक्षा से कुल ₹ 499.41 करोड़ राशि का कर निर्धारण नहीं किया गया, इस धारा के अंतर्गत कर योग्य राशि का अर्थ व्यवसायी द्वारा सामान की बिक्री या आपूर्ति करने में बिक्री के समय विक्रय वापसी और छूट की राशि घटाने के बाद प्राप्त कीमत से है।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.24 करोड़ का कर आरोपित नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कम कर निर्धारण से ₹ 41.84 करोड़ का शास्ति भी व्यवसायियों पर आरोपणीय थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट I** में है।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उठाये गये मुद्दों की निश्चित समय में जाँच/सुधार कर तथा कर निर्धारण के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दे। विभाग ने यह भी कहा कि आवश्यक मॉड्यूल को प्रणाली में लेते हुए ई–कर निर्धारण द्वारा कर निर्धारण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता थी। यह भी बताया गया कि निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ली गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर/स्वीकार्यता निर्धारित समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

---

[4] संभागकार्यालय (8) : टी.ए.डब्ल्यू. भोपाल, भोपाल–I, भोपाल–II, इंदौर– I, इंदौर टी.ए.डब्ल्यू–I, जबलपुर–II, रतलाम और सतना

[5] वृत्त कार्यालय (19) : भोपाल–I, भोपाल–III, भोपाल–V, ग्वालियर–I, ग्वालियर–II, इंदौर–VII, इंदौर–IX, इंदौर–X, इंदौर–XI, इंदौर–XII, इंदौर–XIII, इंदौर–XIV, खरगौन, मण्डीदीप, रतलाम, सतना, सेंधवा, उज्जैन और वैढन

2.2.12 गलत दर से कर का आरोपण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ₹ 143.54 करोड़ के आवर्त पर कम दर से करारोपण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.80 करोड़ के शास्ति सहित ₹ 38.57 करोड़ के कर का अनारोपण/त्रुटिपूर्ण करारोपण हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में छः संभाग कार्यालयों[6], तीन क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल–I, II और सागर–II) और 15 वृत्त कार्यालयों[7] के 5,646 प्रकरणों में से 5,044 प्रकरणों की नमूना लेखापरीक्षा की और पाया कि 48 व्यवसायी के 51 प्रकरणों में जो कि 2009–10 से 2012–13 की अवधि के थे, का कर निर्धारण जनवरी 2012 और मार्च 2015 की अवधि में किया गया कर निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य आवर्त ₹ 143.54 करोड़ पर कम कर दर से कर आरोपण वस्तुओं का तथा गलत वर्गीकरण कर किया जो कि मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 9 तथा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचनाओं का उलंघन था जिसके अर्न्तगत वस्तुओं पर करारोपण अनुसूचि–II में दिए गए हैं जो कि वस्तु के वर्गीकरण पर आधारित है।

परिणामस्वरूप, ₹ 11.77 करोड़ का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत चूंकि कम कर निर्धारण व्यवसायियों पर आरोप्य था, में ₹ 26.80 करोड़ की शास्ति भी वसूल की जानी थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट II** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग ने बताया (अक्टूबर, 2015) कि यह वस्तु पर कर की दर के संबंध में मत भिन्नता के कारण हो सकता है। यह भी बताया गया कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नामनक्लेचर कोड की अनुपस्थिति में कर की दर के आंकलन करने में गलती की संभावना हुई हो। यह भी बताया कि निष्पादन लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा आपत्तियों का विस्तृत उत्तर निर्धारित समय में प्रस्तुत किया जायेगा। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

2.2.13 गलत कटौती की अनुमति दिये जाने के कारण कर का कम आरोपण

प्रकरणों का कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रय मूल्य में कर की राशि को शामिल मानते हुए कर की राशि को (विक्रय मूल्य से) घटाया। यद्यपि यह (कर की राशि) कुल विक्रय राशि में शामिल नहीं की गयी थी। इस कारण से ₹ 32.22 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

2.2.13.1 अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में दो संभाग कार्यालय (भोपाल–2 और जबलपुर–2) और 10 वृत्त कार्यालयों[8] के 3,543 प्रकरणों में 3,229 प्रकरणों की नमूना लेखापरीक्षा की और पाया कि 13 व्यवसाइयों के 14 प्रकरणों में जो कि 2010–11 से 2012–13 की अवधि के थे, का कर निर्धारण मई 2013 और फरवरी 2015 की अवधि में किया गया, कर योग्य राशि का निर्धारण करते समय कर निर्धारण

[6] **संभागीय कार्यालय**(6) : भोपाल टैक्स आडिट,भोपाल–1,भोपाल–2, इंदौर–1, इंदौर टेक्स आडिट–1 और सतना

[7] **वृत्त कार्यालय**(15) : भोपाल–1, भोपाल–3, भोपाल–5, देवास, ग्वालियर–1, ग्वालियर–2, इंदौर–7, इंदौर–10, इंदौर–11, इंदौर–13, मंडीदीप, सतना–1, सेंधवा, उज्जैन–1 और बेढ़न

[8] **वृत्त कार्यालय**(10) : भोपाल–1, ग्वालियर–1,ग्वालियर–2,इंदौर–9,इंदौर–11,इंदौर–14, खरगौन, रतलाम–1, सतना–1 एवं उज्जैन–1

अधिकारी ने विक्रय मूल्य में कर की राशि घटायी है जबकि विक्रय मूल्य में कर की राशि शामिल नहीं थी।

यह मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 2(x)(iii) के अनुसार, यदि विक्रय मूल्य में कर की राशि शामिल नहीं की गयी है तो यह (कर की राशि) विक्रय मूल्य में नहीं घटायी जाएगी। अतः यह म.प्र. वैट अधिनियम 2002 की धारा 2(x)(iii) का उल्लंघन था।परिणामस्वरूप ₹ 47 लाख का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अनुसार कम कर निर्धारण व्यवसायियों पर आरोप्य होने के कारण ₹ 70.14 लाख वसूली योग्य शास्ति का विवरण **परिशिष्टि III** में नीचे दिया गया है।

2.2.13.2 अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में संभाग कार्यालय सतना और चार वृत्त कार्यालयों[9] की 2,246 प्रकरणों में से 2,240 प्रकरणों की नमूना जांच की गयी और पाया गया कि 2011–12 से 2012–13 की अवधि के प्रकरणों जिनका फरवरी 2013 से फरवरी 2015 के मध्य 12 व्यवसायियों के 13 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया था, व्यवसायियों द्वारा प्रमाणित वैट ऑडिट रिपोर्ट[10] प्रस्तुत की गयी। बिक्री की गयी वस्तुओं का मूल्य शुद्ध क्रय के आधार पर निकाला गया (अर्थात् वैट घटाकर क्रय) और वस्तुओं की विक्रय मूल्य की गणना, बेचे जाने वाली वस्तुओं की कीमत में लाभ जोड़कर की गयी। इस कारण, विक्रय मूल्य ही शुद्ध विक्रय थी (अर्थात वैट के बिना) किन्तु प्रमाणित वैट ऑडिट रिपोर्ट में, विक्रय मूल्य को शुद्ध बिक्री के स्थान पर वैट के साथ विक्रय त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया।

कर निर्धारण के दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने वैट की छूट ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बिना यह सुनिश्चित किए कि वैट ऑडिट रिपोर्ट में दिखायी गयी बिक्री वास्तव में शुद्ध बिक्री थी, प्रदान की। पणिामस्वरूप मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत शास्ति की राशि ₹ 23.28 करोड़ सहित ₹ 31.05 करोड़ का कम करोरोपण हुआ जिसका वर्णन **परिशिष्ट IV** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015), विभाग ने विषय पर सहमति जतायी और आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.2.14 वस्तुओं को कर मुक्त मानते हुए विक्रय पर कर का अनारोपण

व्यवसायियों ने कर योग्य वस्तु की बिक्री की तथा कर मुक्त बिक्री का दावा किया। कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारी ने भी इन प्रकरणों को त्रुटिपूर्ण ढंग से कर मुक्त वस्तु मानते हुए बिक्री पर करारोपण नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ के शास्ति सहित ₹ 1.82 करोड़ का कम करारोपण रहा।

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 की अवधि में एक संभाग कार्यालय (रतलाम) और छः वृत्त कार्यालयों'[11] की 4,093 कर निर्धारण प्रकरणों में 4,068 प्रकरणों की नमूना जांच की गयी और पाया गया कि 2010–11 से 2011–12 के मध्य अवधि के प्रकरणों जिनका मई 2013 से मार्च 2015 के मध्य आठ व्यवसाइयों के नौ प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया व्यवसायियों ने अनुसूची–II में कर योग्य वस्तु जैसे कृषि सम्बन्धित

[9] **वृत्त कार्यालय**(4) : भोपाल–5इंदौर–10,इंदौर–11,इंदौर–13,

[10] अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत 1.4.12 से जिन पंजीकृत व्यवसाइयों का सकल विक्रय 10 करोड़ रुपये से अधिक है उनके द्वारा रिपोर्ट फार्म 41–ए में इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

[11] **वृत्त कार्यालय**(6) : भोपाल–5,देवास,इंदौर–9,इंदौर–11,इंदौर–12,और मंडीदीप

पाइप, स्प्रिंकल पाइप और फिटिंग, वेन्टीलेटर्स और टोमैटो सॉस ₹ 10.74 करोड़ की बिक्री की।

कर निर्धारण अधिकारी ने गलत वर्गीकरण करते हुए अनुसूची–II के कर योग्य वस्तु को अनुसूची–I की कर मुक्त वस्तु माना तथा कोई कर आरोपित नहीं किया, जो कि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और ज्ञापन के विरूद्ध था। परिणामस्वरूप ₹ 55.55 लाख का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत शास्ति की राशि ₹ 1.26 करोड़ कम कर निर्धारण के कारण व्यवसायियों से देय है को **परिशिष्ट–V** में दिखाया गया हैं।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि वस्तु के वर्गीकरण और कर की दर लागू करने से सम्बन्धित है। विभाग ने आश्वस्त किया कि लापरवाही के कारण गलती पाए जाने पर अपेक्षित कार्यवाही होगी। तदुपरांत कोई जवाब नहीं दिया (नवम्बर 2015)।

हम अनुषंसा करते है कि राजस्व हानि को रोकने हेतु अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को सर्तकतापूर्वक लागू किया जाए। साथ ही कठोर व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व तय किये जाये जिससे कि कर निर्धारण प्रकरणों में प्रभावपूर्ण ढंग से हानि रोकी जाए।

2.2.15 आगत कर छूट (अधिनियम की धारा 14)

अंकेक्षित खातों में दिखायी गयी क्रय से अधिक क्रय पर आगत कर छूट, आगत कर छूट न प्राप्त करने योग्य वस्तु और राज्य के बाहर स्टॉक स्थानांतरण पर आगत कर छूट का रिवर्सल नही किया जाना/कम रिवर्सल आदि के परिणामस्वरूप ₹ 10.37 करोड़ की गलत/अधिक आगत कर छूट प्रदान की गयी।

हमने देखा कि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों की अनदेखी करने के कारण 2011–12 से 2014–15 की अवधि के अप्रैल 2013 से मार्च 2015 में किये गये 76 व्यवसाइयों के 80 कर निर्धारण प्रकरणों में आगत कर छूट की अनियमितता पायी गयी।

2.2.15.1 अंकेक्षित खातों में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति

हमने अक्टूबर 2014 से जून 2015 में पाँच संभाग कार्यालय[12] और 15 वृत्त कार्यालयों[13] के 2010–11 से 2012–13 की अवधि के प्रकरण जिनका कर निर्धारण जुलाई 2012 और मार्च 2015 के मध्य हुआ था, 8,280 कर निर्धारण प्रकरणों में 7,551 कर निर्धारण प्रकरणों में हमने नमूना जांच में पाया कि 34 प्रकरणों में व्यवसायी अंकेक्षित खातों के क्रय के अनुसार ₹ 32.47 करोड़ की आगत कर छूट पाने की पात्रता रखते थे।

तथापि व्यवसायी द्वारा अनुचित दावा किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी ने अंकेक्षित खाते में प्रमाणित क्रय से ज्यादा क्रय पर ₹ 36.11 करोड़ की आगत कर छूट प्रदान की। इसी प्रकार 20 प्रकरणों में क्रय बिल/सूची के अभाव के बावजूद ₹ 3.71 करोड़ की आगत कर छूट प्रदान की और जहाँ बिलों में वैट पृथक से नहीं दिखाया गया वहां पर भी व्यवसायियों को ₹ 2.35 करोड़ की छूट दी।

[12] **संभागीय कार्यालय**(5) : भोपाल टेक्स आडिट, भोपाल–1, भोपाल–2, इंदौर टेक्स आडिट–1 और सतना

[13] **वृत्त कार्यालय**(15) : भोपाल–1, भोपाल–5,ग्वालियर–1, ग्वालियर–2, इंदौर–9, इंदौर–10, इंदौर–11, इंदौर–12, इंदौर–13, मंडीदीप, रतलाम–1, सतना–1, सेंधवा, उज्जैन–1 और बैढ़न

यह मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(1) और नियम 9 के प्रावधानों का उलंघन था, जिसके अंतर्गत व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के प्रमाणीकरण करने और प्रमाणित अंकेक्षित खातों में दिखायी गयी क्रय पर ही आगत कर छूट दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप ₹ 4.99 करोड़ की अनियमित आगत कर छूट की स्वीकृति दी गयी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर के कम कर निर्धारण पर ₹ 3.21 करोड़ की शास्ति की राशि व्यवसायी से वसूली योग्य थी जिसे परिशिष्ट–VI में दिखाया गया है।

2.2.15.2 आगत कर छूट के लिए अस्वीकार्य वस्तुओं पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति

आगत कर छूट न दिये जाने वाले वस्तुओं पर आगत कर छूट दिया गया अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य दो संभाग कार्यालय (भोपाल–II तथा रतलाम) और पाँच वृत्त कार्यालयों[14] के 2,071 कर निर्धारण प्रकरणों में से 2,022 प्रकरणों में हमने नमूना जांच में पाया कि 2010–11 से 2012–13 की अवधि के प्रकरण जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2013 से सितम्बर 2014 के मध्य हुआ था सात व्यवसायियों के सात प्रकरणों में, व्यवसायियों को ₹ 40.64 लाख की भवन निर्माण सामग्री और सरसों पर तथा उन व्यवसायियों जिन्होंने कम्पोजीशन ले रखा था, आगत कर छूट स्वीकृत किया गया था।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(6) के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने अधिनियम की धारा 11(ए) के अंतर्गत कम्पोजीशन की सुविधा ली है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित[15] प्लांट मशीनरी उपकरण और पार्ट्स पर भी आगत कर छूट का दावा नहीं होगा या स्वीकृत किया जाएगा। इसी प्रकार, धारा 26–ए(4) के अंतर्गत सरसों के लिए भी आगत कर छूट का दावा नहीं होगा या स्वीकृत किया जाएगा। परिणामस्वरूप ₹ 40.64 लाख का कम करारोपण हुआ। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर के कम कर निर्धारण पर ₹ 1.13 करोड़ के शास्ति की राशि का विस्तृत विवरण **तालिका 2.5** में नीचे दिखाया है।

तालिका 2.5

(राषि ₹ में)

क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह वस्तु	आई.टी.आर. दावा स्वीकृत की राशि	आई.टी. आर. के रोक की राशि	जुर्माने की राशि
1.	वृत्त IX इंदौर	मै.साई शक्ति एग्रोटेक प्रा.लि. 23610905610 1074/11(वैट)	2010–11 सितम्बर 2013 बिल्डिंग मैटीरियल (आयरन एण्ड स्टील और वेल्डिंग मैटीरियल)	1499750	184176	552528
2.	उपा.वा. कर रतलाम	गुजरात अम्बुजा ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. उपायुक्त वाणिज्यिक कर 23553104439 सी.एस.0000031519 (वैट)	2010–11 अप्रैल 2013 बिल्डिंग मटेरियल	94084	94084	0
3.	वा.क.अ.I रतलाम	जी.एच.बीजापुर कं. रतलाम 23473404795 505/11 (वैट)	2010–11, अगस्त 2013 प्लांट एण्ड मशीनरी (कम्पोजीशन धारा 11–ए)	2976242	2976242	8928726

14 **वृत्त कार्यालय**(5) : इंदौर–9,,इंदौर–11,रतलाम–1,सतना–1, और उज्जैन–1

15 बिल्डिंग मैटीरियल, धारा 14(6)(vi) के ज्ञापन ए–3–95–05–I–V(28) दिनांक 17 अगस्त 2007 के अंतर्गत अधिसूचित है।

4.	उपा.वा. क.II भोपाल	क्रॉम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड ट्रांसफार्मर डिवीजन 23644104120 11/11 (वैट)	2010–11, जून 2013 बिल्डिंग निर्माण में सीमेंट का उपयोग	38873	38873	116619
5.	वा.क.अ. वृत्त–I सतना	मै.चेलाराम मन्नाराम 23167000222 732/3 (वैट)	2012–13, सितम्बर 2014 सरसों (मस्टर्ड)	489396	489396	1468188
6.	वा.क.अ. वृत्त–XI, इंदौर	मै.ममता ट्रांसफार्मर्स प्रा.लि. 23981100037 6/12 (वैट)	2011–12, जून 2014 बिल्डिंग मैटीरियल	57631	57631	172893
7.	वा.क.अ. वृत्त–XI, इंदौर	मै.ममता ट्रांसफार्मर्स प्रा.लि. 23981100037 6/12 (वैट)	2011–12, जून 2014 बिल्डिंग मैटीरियल (कम्पोजीशन वर्क)	40721	40721	122163
8.	वा.क.अ. वृत्त–I उज्जैन	मै. लव नारंग 2328266638 2092/14 (वैट)	2011–12, अगस्त 2014 बिल्डिंग मैटीरियल	183018	183018	0
			योग	**5379715**	**4064141**	**11361117**

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि लेखा परीक्षा में लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विस्तृत जवाब/स्वीकारोति भेजी जाएगी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.2.15.3 राज्य के बाहर स्टॉक स्थानांतरण पर आई.टी.आर. का कम रिवर्सल या रिवर्सल नहीं किया जाना

अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य तीन संभाग कार्यालय जबलपुर–II, (रतलाम और सतना) और आठ वृत्त कार्यालयों[16] के 4,279 कर निर्धारण प्रकरणों में 4,267 प्रकरणों की हमने नमूना जांच की और पाया कि 2010–11 से 2012–13 के मध्य कर निर्धारण प्रकरणों की अप्रैल 2013 से फरवरी 2015 के मध्य में 17 व्यवसायियों के 18 कर निर्धारण प्रकरणों में आगत कर छूट का कम रिवर्सल/रिवर्सल नही किया गया है। 11 प्रकरणों में ₹ 8.63 लाख का आगत कर छूट रिवर्सल नहीं किया गया जबकि अन्य सात प्रकरणों में ₹ 21.39 लाख की बिक्री और स्टॉक ट्रांसफर के अनुपात में आगत कर छूट का कम रिवर्सल हुआ।

इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(1)(a)(6) के प्रावधानों के अंतर्गत वस्तुओं का निस्तारण करने के अन्यथा मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय या अंतर्राज्यीय विक्रय या भारत के बाहर विक्रय करने पर उसके द्वारा क्रय मूल्य के चार प्रतिशत की दर या ऐसे वस्तुओं के शुद्ध आगत कर जो भी कम हो से आगत कर छूट (रिवर्सल) की राशि देय होगी इस प्रावधान की अनदेखी पर परिणामस्वरूप ₹ 30.04 लाख के आगत कर छूट का अनियमित दावा और स्वीकृति की गयी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर के कम कर निर्धारण जो कि व्यवसायी पर आरोप्य था, ₹ 32.62 लाख की शास्ति का विवरण **परिशिष्ट VII** में दिखाया गया है।

[16] **वृत्त कार्यालय**(20) : भोपाल–1,भोपाल–3,भोपाल–5,इंदौर–7,इंदौर–10,इंदौर–11,इंदौर–13,और सेंधवा

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तर/अनुपालन निर्धारित अवधि में दिये जायेंगे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

2.2.15.4 लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों पर आगत कर छूट का प्रमाणीकरण नहीं होना

वाणिज्यकर आयुक्त के निर्देष के बावजूद लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेल की खरीद और बिक्री का सत्यापन तार्किक अन्तिम बिन्दु तक न किया जाकर, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना सत्यापन के लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेल पर राषि ₹ 21.21 करोड़ के आगत कर रिबेट की स्वीकृति प्रदान की गई।

अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य पाँच संभाग कार्यालय[17], तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (भोपाल–I, II, सागर–II) और नौ वृत्त कार्यालयों[18] के 4,720 कर निर्धारण प्रकरणों में 4,610 की हमने नमूना जांच की और पाया कि अवधि 2009–10 से 2012–13 की अवधि के प्रकरणों को जून 2012 से फरवरी 2015 में 45 व्यवसाइयों के 45 प्रकरण कर निर्धारण किये गये जिसमें ₹ 21.22 करोड़ का आगत कर छूट लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों पर विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया।

हालांकि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों[19] के अनुसार लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों के क्रय और विक्रय का प्रमाणीकरण किया जाना और इन वस्तु पर आगत कर छूट का अंतिम बिन्दु तक प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया। लौहा और इस्पात तथा खाद्य तेलों पर अंतिम बिन्दु तक आगत कर छूट का प्रमाणीकरण न किये जाने वाले प्रकरणों का विस्तृत विवरण **परिषिष्ट –VIII** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) की शुरुआत में मैन्युली करने पर पता लगाना संभव नहीं था, अब यह ऑन लाइन प्रणाली से प्रमाणित किया जा रहा था।

निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में सत्यता लायी गयी कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार आगत कर छूट का प्रमाणीकरण लौहा और इस्पात तथा सरसों में अंतिम बिन्दु तक किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया।

2.2.16 आगत कर छूट का प्रमाणीकरण तंत्र

विभाग में प्रचलित प्रणाली से सभी प्रकरणों का आगत कर छूट प्रमाणीकरण ठोस रूप से संभव नहीं है।

विभाग में नकद वापसी के प्रकरणों में आगत कर छूट की स्वीकृति और प्रमाणीकरण के लिए आगत कर छूट का प्रमाणीकरण की अलग इकाई है। यद्यपि दूसरे प्रकरणों में विक्रय व्यवसायियों से क्रय का प्रमाणीकरण के लिए कोई तंत्र नहीं है जैसा कि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(6–ए) के अंतर्गत हो, जो प्रावधानित करता है कि

[17] **संभागीय कार्यालय** (5) : भोपाल टेक्स आडिट,भोपाल–1,भोपाल–2 ,इंदौर–1 और रतलाम

[18] **वृत्त कार्यालय**(9) : भोपाल–1,भोपाल–3,इंदौर–7,इंदौर–9,इंदौर–11,इंदौर–14,खरगौन, मंडीदीप और रतलाम–1

[19] परिपत्र कमांक 81/2009–10/30/15/502 इन्दौर दिनांक 9.12.2009 एवं परिपत्र कमांक81/2009–10/30/15/588 इन्दौर दिनांक : 26.10.2010

पंजीकृत व्यवसायी द्वारा आगत कर छूट का दावा या स्वीकृति निर्धारित प्रतिबन्धों और शर्तों के साथ दी जाएगी।

हमने देखा कि पूर्व अनुच्छेदों में चर्चा किये गये मुद्दे यह तथ्य स्थापित करते हैं कि विभाग में प्रचलित प्रणाली से सभी प्रकरणों का आगत कर छूट प्रमाणीकरण ठोस रूप में संभव नहीं है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, आगत कर छूट प्रमाणीकरण तंत्र के विफल होने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि 2013–14 के बाद के सभी आगत कर छूट प्रकरणों का दोहरा प्रमाणीकरण किया गया, इसके लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जा चुका है तथा प्रत्येक व्यवसायी के ऑन लाइन विवरणी भरने से यह संभव हो सका है।

निष्पादन लेखा परीक्षा के अंतर्गत लाए गए प्रकरणों में प्रचलित प्रणाली की कार्य प्रणाली से आगत कर छूट, प्रमाणीकरण और स्वीकृत करने के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन/विभाग को आगत कर छूट स्वीकृत करने के पहले दस्तावेजों और अंकेक्षित खातों से क्रय को प्रमाणित/प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.17 अंतर्राज्यीय व्यापार में उद्घोषणा पत्रों का अनियमित उपयोग

अंतर्राज्यीय व्यापार में उद्घोषणा पत्रों के उपयोग न करने या अनुचित फार्म का उपयोग करने के प्रकरणों में कर की दर में छूट/आंशिक की गलत स्वीकृति दी गयी। परिणामस्वरूप ₹ 22.56 करोड़ का कम/त्रुटिपूर्ण करारोपण नही हुआ।

सी.एस.टी. अधिनियम और नियमों के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार, अंतर्राज्यीय व्यापार में पंजीकृत व्यवसायी निर्धारित घोषणापत्र फार्म–सी, ई–I/ई–II और फार्म–एफ को प्रस्तुत करने पर करों की छूट/आंशिक छूट की पात्रता द्वारा रखते हैं।

राज्य शासन, इन घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने पर व्यवसायियों को व्यापार को उन्नत करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करती है। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान कर निर्धारण करते समय, कर निर्धारण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित और वैध संवैधानिक पत्र जिसको राज्य के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, के आधार पर ही कर की रियायती दर पर स्वीकृति की जानी चाहिए अन्यथा अंतर्राज्यीय व्यापार करने पर मध्य प्रदेश वैट अधिनियम में दी गयी कर की दर से वस्तु की बिक्री पर कर लगेगा।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8 सहपठित सी.एस.टी. (रजिस्ट्रेशन और टर्नओवर 1956) के नियम 12 के अनुसार, अंतर्राज्यीय वस्तु की बिक्री पर फार्म ''सी'' प्रस्तुत करने पर अप्रैल 2008 से मई 2008 में तीन प्रतिशत की दर एवं जून 2008 से दो प्रतिशत की दर से कर लगा है तथा सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6–ए के अंतर्गत प्रेषण बिक्री (शाखा स्थानान्तरण) पर फार्म एफ को प्रस्तुत करने पर कर भुगतान करने से छूट मिलेगी। संवैधानिक पत्र और सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत न करने पर अधिनियम में दिए गए इन माल पर कर की दर से करारोपण होगा।

इसी प्रकरण, सी.एस.टी. एक्ट की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन बिक्री पर (ऐसे माल के एक राज्य से दूसरे राज्य में, इस तरह के वस्तु के मालिकाना हक के दस्तावेजों के हस्तांन्तरण द्वारा प्रभावित) फार्म ई–I/II और फार्म ''सी'' प्रस्तुत करने पर कर से मुक्त रहेगा।

2.2.17.1 बिना फार्म और दोषपूर्ण फार्म के आंशिक/पूर्ण छूट स्वीकृत की।

बिना ''सी'' फार्म एवं दोषपूर्ण सी/एफ फार्म के अंतर्राज्यीय सकल आवर्त ₹ 267.22 करोड़ का कर निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप 28 व्यवसाइयों के 29 प्रकरणों में ₹ 1.22 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करोरोपण हुआ।

अक्टूबर 2014 से जून 2015 के सात संभागीय कार्यालयों[20] और 10 वृत्त कार्यालयों[21] के 1,864 में से 1,629 कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच की और पाया कि 2010–11 से 2012–13 की अवधि के 28 व्यवसायियों के 29 प्रकरणों का कर निर्धारण अगस्त 2012 से फरवरी 2015 के मध्य ''सी''/''एफ'' फार्म बिना प्रस्तुत किये बिना/दोषपूर्ण''सी''/''एफ'' फार्म करने पर भी छूट देते हुए अंतर्राज्यीय विक्रय की सकल राशि ₹ 267.72 करोड़ का कर निर्धारण किया गया।

बीस प्रकरणों में व्यवसाइयों ने बिना ''सी''/''एफ'' फार्म जमा किये कर की छूट/आंशिक छूट की सुविधा प्राप्त की। इसी प्रकार, नौ प्रकरणों में व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत किये गये ''सी''/''एफ'' फार्म पूर्ण रूप[22] से नहीं भरे गये और न ही क्रय व्यवसायी/एजेंट द्वारा विशिष्ट प्रविष्टियां और हस्ताक्षर किये गये इसके बावजूद व्यवसायी द्वारा सी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत कर की रियायती दर की सुविधा प्राप्त की गयी। परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 11.86 करोड़ का कम करारोपण हुआ इसका वर्णन परिशिष्ट –IX में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि त्रुटियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा फार्म उत्पन्न किये गये और कर निर्धारण किया गया। यह भी बताया कि लेखापरीक्षा की आपत्तियों का उचित समय में उत्तर दिया जाएगा। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.2.17.2 निर्धारित अवधि से पश्चात् के लेन–देन से संबंधित उद्घोषणा पत्रों का प्रयोग

निर्धारित अवधि के बाद के लेन देनों से संबंधित उद्घोषणा पत्रों (सी और एफ) स्वीकार किये गये और रियायती पर कर का करारोपण किया गया जिससे ₹ 83.31 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ।

नवम्बर 2014 और जून 2015 के मध्य दो संभागीय कार्यालय (भोपाल–I और रतलाम), एक क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल–I) और आठ वृत्त कार्यालयों[23] में 1,106 कर निर्धारण प्रकरणों में 964 प्रकरणों की हमने नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2008–09 से 2012–13 की अवधि के मई 2011 से मार्च 2015 के 20 व्यवसाइयों के 20 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया, कर निर्धारण में निर्धारित अवधि के बाहर के उद्घोषणा पत्र

---

[20] **संभागीय कार्यालय**(7) : भोपाल टेक्स आडिट,भोपाल–1, इंदौर टेक्स आडिट–1, इंदौर–1 जबलपुर–2 रतलाम और सतना

[21] **वृत्त कार्यालय**(10) : भोपाल–1, ग्वालियर–1, ग्वालियर–2, इंदौर–7, इंदौर–9, इंदौर–11, इंदौर–12, इंदौर–13, खरगौन और रतलाम–1

[22] ''सी'' फार्म के प्रकरणों में: दिनांक जहाँ से पंजीयन वैध है, जारी करने वाले प्राधिकरी की मुद्रां, माल क्रय करने का उद्देश्य पंजीयन क्रं. तथा दिनांक, क्रय करने वाले व्यवसायी का नाम पंजीयन क्रं. के साथ, क्रय करने वाले व्यवसायी के हस्ताक्षर इत्यादि।
''एफ'' के प्रकरण में: दिनांक जहाँ से पंजीयन वैध है, जारी करने वाले प्राधिकारी की मुद्रां, माल का विवरण तथा मात्रा , दिनांक तथा अंतरण कर्त्ता। अंतरिति का पंजीयन क्रं., अंतरण कर्ता तथा अंतरिति का नाम तथा पंजीयन क्रं. अंतरिति के हस्ताक्षर, माल की सुपुर्दगी का दिनांक इत्यादि।

[23] **वृत्त कार्यालय**(8) : भोपाल–1, देवास, इंदौर–11, इंदौर–12, इंदौर–13, इंदौर–14, सेंधवा और उज्जैन–1

(सी और एफ) स्वीकार किये गये और सकल आवर्त पर रियायती दर से करारोपण किया गया।

यह सी.एस.टी. एक्ट की धारा–8 सहपठित म.प्र. (केन्द्रीय) नियम के नियम–12 का उल्लंघन था, जिसके अनुसार उद्घोषणा पत्र ''सी'' फार्म को त्रैमासिक अवधि में प्रस्तुत करना है तथा उपनियम के अनुसार एक उद्घोषणा पत्र ''सी'' फार्म में किसी वित्तीय वर्ष की एक त्रैमासिकी के समान उन्ही क्रेता और विक्रेता के बीच के सभी लेन–देन शामिल रह सकते हैं। इसी प्रकार फार्म ''एफ'' का उपयोग मासिक आधार पर होता है और एक घोषणापत्र में किसी एक विशेष माह के लेन–देन शामिल होते हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 83.31 लाख का कम करारोपण हुआ जो परिशिष्ट **–X** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि गलतियों को सुधारने, फार्म उत्पन्न करने के लिए कर निर्धारण का कार्य ऑनलाइन किया गया। यह भी बताया गया कि निर्धारित अवधि में लेखा परीक्षा की आपत्तियों का उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।(नवम्बर 2015)

2.2.17.3 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय पर अनियमित छूट

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत पारगमन विक्रय ₹ 229.21 करोड़ को कटौती की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 9.33 लाख के शास्ति सहित ₹ 9.87 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य तीन संभागीय कार्यालय (भोपाल–II, जबलपुर–II और इंदौर–I) और दो वृत्त कार्यालय (इंदौर–IX और इंदौर–XII) के 215 कर निर्धारण प्रकरणों में से 99 प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 2009–10 से 2010–11 की अवधि के जून 2012 से सितम्बर 2013 के छः व्यवसाइयों के सात प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया जिसमें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 6(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।

तीन व्यवसायी के चार प्रकरणों में पारगमन विक्रय को कटौती की अनियमित स्वीकृति प्रदान की गयी जबकि वस्तु के अधिकार सम्बन्धी दस्तावेज क्रेता के पक्ष में नहीं थे। परिणामस्वरूप ₹ 9.46 करोड़ कम करारोपण हुआ। इसी प्रकार तीन व्यवसायियों के तीन प्रकरण सकल विक्रय ₹ 13.76 करोड़ ई–1 सी फार्म से समर्थित नहीं थे। व्यवसायी उनके द्वारा ली गई कर की छूट के पात्र नही थे। व्यवसायियों द्वारा ई–1 और सी फार्म प्रस्तुत न किये जाने पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती की छूट प्रदान की गयी, जिसके कारण ₹ 9.33 लाख शास्ति सहित ₹ 41.58 लाख रुपये का कम करारोपण हुआ जिसको कि तालिका 2.6 में नीचे दिखाया गया है।

तालिका 2.6

(राशि ₹ में)

क्र.	इकाई का विवरण	व्यवायी का नाम टिन, प्रकरण क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	ट्रांजिट सेल स्वीकृति/स्वीकारयोग्य	ट्रांजिट सेल की राशि जिस पर आपत्ति ली गई	राशि कर/शास्ति की राशि	कुल
1.	संभागीय उपायुक्त–I वा.क.इंदौर	मै.जेपलिन मोबाइल इण्डिया 23131504267 296/10	2009–10 जून 2012	450700980 0	45070098	901402 0	901402
2.	सं.उपा.वा. क.–II भोपाल	मै.सुनील हाई टेक इंजी.लि. बेतूल 23544704217 44/2011 वैट 38/2011 सी. एस.टी.	2010–11 सितम्बर 2013	118635410 0	118635410	4745416 0	4745416
3.	सं.उपा.वा. क.–II भोपाल	मै.हाइप्रो पावर कार्पोरेशन लि. बेतुल 23684705692 21/2011 सी. एस.टी.	2010–11 सितम्बर 2013	1157081365 0	1157081365	80676280 0	80676280
4.	सं.उपा.वा. क.–II भोपाल	मै.हाइप्रो पावर कार्पोरेशन लि. बेतुल 23684705692 21/2011 ई.टी.	2010–11 सितम्बर 2013	826510373 0	826510373	8265103 0	8265103
		योग (ए)		**2147297246**	**2147297246**	**94588201**	**94588201**
5.	वृत्त–IX इंदौर	मै.पराग इंटरप्राइजेज 23890902352/ सी.एस. 0000000011737	2010–11 मई 2013	9581125 7189505	2391621	310910 932730	1243640
6.	वृत्त–XII इंदौर	मै.यूनियन इंटरप्राइजेज 23601204812 सी.एस. 000000074952 सी.एस.टी.	2010–11 सितम्बर 2013	6972550 0	6972550	348628 0	348628
7.	सं.उपा.वा. क.जबलपुर	मै. महावीर कोल रिसोर्सेज प्रा.लि. 23787206297 2/11 सी.एस. टी.	2010–11 सितम्बर 2013	128298387 0	128298387	2565968 0	2565968
		योग (बी)		**144852062 7189505**	**137662558**	**3225506 0**	**4158236**
	कुल योग (ए + बी)			**2292149308**	**2292149308**	**97813707 0**	**98746437**

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 2015) त्रुटियों को सुधारने के लिए ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत फार्म उत्पन्न किये गये और कर निर्धारण किया गया। यह भी बताया कि लेखा परीक्षा की आपत्तियों का निर्धारित समय में उत्तर दिया जाएगा। अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार में उद्घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने पर उसके प्रमाणीकरण के लिए पूर्ण रूप से भरे होना सुनिश्चित किया जाए।

2.2.18 निर्धारित किये गये कर के विरुद्ध टी.डी.एस. का अनियमित समायोजन

कर निर्धारण अधिकारी ने सोयाबीन और कपास की बिक्री में निर्धारित किये गये कर में से एक कैलेण्डर माह से ज्यादा अवधि के लेन–देनों के टी.डी.एस. प्रमाण–पत्रों के टी.डी.एस. समायोजन की स्वीकृति दी। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 4.45 करोड़ टी.डी. एस. का अनियमित समायोजन हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 और जून 2015 के मध्य दो संभागीय कार्यालय (टैक्स ऑडिट विंग भोपाल और इंदौर–I), तीन क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल–I, II और सागर–II) और आठ वृत्त कार्यालयों[24] में 4304 कर निर्धारण प्रकरणों में से 4,226 प्रकरणों की नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2009–10 से 2012–13 की अवधि के फरवरी 2013 से फरवरी 2015 के मध्य 39 व्यवसाइयों के 40 निर्धारित प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने एक कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि के लेन–देनों से सम्बन्धित टी.डी. एस. प्रमाण–पत्रों का अधिसूचित वस्तुओं[25] की बिक्री में निर्धारित कर के विरूद्ध टी.डी. एस. समायेाजन की स्वीकृति प्रदान की।

यह म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 26–ए के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसमें एक कैलेण्डर माह की अवधि के लेन–देन के लिए टी.डी.एस. प्रमाण–पत्र प्रभावशील होगा। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.45 करोड़ के टी.डी.एस. का अनियमित समायोजन हुआ जिसका विवरण **परिषिष्ट–XI** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) की सम्बन्धित व्यवसाइयों से संशोधित टी.डी.एस. प्राप्त किये जा रहे है। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)

2.2.19 पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में प्रकरणों का कर निर्धारण

अंकेक्षित खातों के साथ आवश्यक कागजात, अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रपत्र और सही/पूर्ण उद्घोषणा पत्र सकल विक्रय निर्धारित करने आई.टी.आर और कोई दूसरे छूट यदि कोई हो का दावा, कर निर्धारण में सत्यापित करने हेतु आवश्यक है यद्यपि देखा गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आवश्यक दस्तावेज न होने पर भी कर निर्धारण किया जिसका वर्णन नीचे किया गया है।

2.2.19.1 प्रमाणिक अंकेक्षित खातों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल आवर्त ₹ 1,380.21 करोड़ के 33 प्रकरणों का खातों में दिखाये गये आंकड़ों के आधार पर कर निर्धारण किया जबकि खाते सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किये गये थे। यद्यपि 33 व्यवसाईयो के 30 प्रकरणों में न्यूनतम ₹ 10,000 का शास्ति आरोपित किया गयी जो कि व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खातों को प्रस्तुत न करने के लिए हतोत्साहितकरने हेतु पर्याप्त नही था।

हमने नवम्बर 2014 और जून 2015 के मध्य चार संभागीय कार्यालय[26] और आठ वृत्त कार्यालयों[27] के 840 कर निर्धारण प्रकरणों में से 677 प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 2009–10 से 2012–13 की अवधि के जून 2012 से मार्च 2015 के मध्य निर्धारित 33 व्यवसाइयों के 33 प्रकरणों का व्यवसायीयो द्वारा (सी.ए.) से प्रमाणित अंकेक्षित खाते की रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की गयी।

---

24 **कार्यालय**(8) : भोपाल–3, देवास, ग्वालियर–2,इंदौर–10,इंदौर–14, खरगौन, मंडीदीप और सेंधवा

25 सोयाबीन, सरसों एवं कपास

26 **संभागीय कार्यालय**(4) : भोपाल–2, इंदौर–1, इंदौर टेक्स आडिट–1, और रतलाम

27 **वृत्त कार्यालय**(8) : भोपाल–1, भोपाल–5,,इंदौर–11,इंदौर–12,इंदौर–13,इंदौर–14, रतलाम, और बैढ़न

तथापि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सकल आवर्त ₹ 1,380.21 करोड़ के इन प्रकरणों का खातों में दिखाये गये जिन आंकड़ों के आधार पर कर निर्धारण किया गया वह खाते सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किये थे।

यद्यपि, ऊपर बताये गये प्रकरणों में से 30 प्रकरणों पर शास्ति आरोपित की मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा–39 के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी जिसका सकल आवर्त एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक[28] होता है उसको अपने खातों को सनदी लेखाकार से अंकेक्षित कराना चाहिए और रिपोर्ट को निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना चाहिए। अधिनियम के अनुसार, दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने पर ₹ 10,000 या वर्ष की विक्रय राशि का 0.1 प्रतिशत जो भी कम हो, की शास्ति व्यापारी पर लगाया जाएगा। यद्यपि व्यवसायी द्वारा अंकेक्षित खाते प्रस्तुत न करने पर कवल न्यूनतम राशि ₹ 10,000 का शास्ति आरोपित करना व्यवसायी को हतोत्साहित करने हेतु पर्याप्त नही है।

निर्गम सम्मेलन में (अक्टूबर 2015), विभाग ने आपत्तियों को स्वीकारा और आश्वासन दिया कि यदि लापरवाही की गयी तो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी और आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके आगे अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सजा के प्रावधान कठोर करने के लिए विभाग को शास्ति की राशि बढ़ानी चाहिए, ताकि अंकेक्षित खाते प्रस्तुत न करना हतोत्साहित प्रभाव करने वाला हो।

2.2.19.2 अंकेक्षित खाते में प्रारम्भिक स्कंध और अंतिम स्कंध में विभाजन न करना और क्रय तथा विक्रय का गलत वर्गीकरण करना।

35 व्यवसाइयों के 37 प्रकरणों में प्रारम्भिक स्कंध और अंतिम स्कंध में मद/वस्तुवार में उचित कर अनुपालन कियो बिना और क्रय तथा विक्रय का सही वर्गीकरण सुनिश्चित किये बिना कर निर्धारण किया गया।

हमने नवम्बर 2014 और मार्च 2015 के मध्य दो संभागीय कार्यालय (इंदौर–I और रतलाम), एक क्षेत्रीय कार्यालय (भोपाल–I) और 11 वृत्त कार्यालयों[29] में 861 कर निर्धारण प्रकरणों में से 796 प्रकरणों की नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2009–10 से 2012–13 की अवधि के जून 2012 से फरवरी 2015 के मध्य निर्धारित 35 व्यवसाइयों के 37 प्रकरणों में अंकेक्षित खाते में कि प्रारम्भिक स्कंध और अंतिम स्कंध में विभाजन और सही वर्गीकरण के साथ विक्रय नहीं दिखाया गया जबकि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा–39 के अंतर्गत यह आवश्यक था।

यद्यपि, कर निर्धारण बिना उचित कर, अनुपालन के किया गया प्रारम्भिक और अंतिम स्कंध में मद/वस्तुवार से विभाजन और सही वर्गीकरण के साथ क्रय और विक्रय को कर निर्धारित करने में प्रदर्शित किया जाना चाहिए क्योंकि गलत वर्गीकरण दुष्प्रभाव से सकते हैं जिनको पूर्व के परिच्छेदों में बताया जा चुका है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान (अक्टूबर 2015), विभाग ने आपत्तियां स्वीकार की और आश्वासन दिया कि यदि ऐसी गलतियां की जाती है तो अधिनियम के नियमों के अंतर्गत उचित कार्यवाही कर आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

इसके आगे उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

---

28 दि.09.08.2010 तक ₹ 40 लाख और दि.10.08.2010 से 31.03.2011 ₹ 60 लाख

29 **वृत्त कार्यालय**(11) : भोपाल–1,भोपाल–3, ग्वालियर–2, इंदौर–7,इंदौर–9,इंदौर–10, इंदौर–11,इंदौर–12,इंदौर–13,रतलाम–1,,और सेंधवा,

2.2.19.3 फार्म–49 प्रस्तुत न करना।

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित नहीं किया कि फार्म–49 चेक पोस्ट से प्राप्त किये गये और संबंधित नस्ती में रखे गये ताकि वस्तुओ के मध्यप्रदेश राज्य में आयात या राज्य से निर्यात करने के दौरान कर चोरी रोकी जा सकें।

मध्यप्रदेश राज्य में वस्तुओं के आयात या राज्य के बाहर निर्यात करने पर कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित वस्तु के लिए उद्घोषणा पत्र फार्म–49 धारा 57(2) के अंतर्गत निर्धारित है। चेक पोस्ट द्वारा प्रमाणित फार्म–49 प्राप्त किये जाने के बाद व्यवसायी की प्रकरण नस्ती में रखे जाने चाहिए जिससे कि विभाग के नियमानुसार माल का भौतिक सत्यापन प्रमाणित किया जा सके। अधिसुचना[30] के अनुसार, प्रत्येक प्रकरण नस्ती में फार्म–49 विवरणियों के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने चाहिए जिससे कि राजस्व हित में भविष्य में किसी भी संवीक्षा के लिए यह स्वतः में ही पर्याप्त हो। प्रकरणों के कर निर्धारण नस्ती में यह बताया जाना चाहिए कि व्यवसायी के क्रय तथा विक्रय को फार्म–49 (चेक पोस्ट से प्राप्त होने पर) में दिये विवरण से सत्यापित/मिलान कर लिया गया है।

हमने अक्टूबर 2014 और मार्च 2015 के मध्य तीन संभागीय कार्यालयों से (भोपाल–I, II और इंदौर–I) और आठ वृत्त कार्यालयों[31] में 3,628 कर निर्धारण प्रकरणों में से 3,392 प्रकरणों की नमूना लेखा परीक्षा की और पाया कि 2009–10 से 2012–13 की अवधि के मध्य जून 2012 से फरवरी 2013 के 31 व्यवसाइयों के 32 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय प्रकरणों में यह सुनिश्चित नहीं किया कि संबंधित कागजात जैसे फार्म–49 चेक पोस्ट से प्राप्त किये गये और नस्तीयों में लगाए गए। इन आधारभूत कागजातों के अभाव में, प्रदेश के बाहर की क्रय (वस्तु और मात्रा) का व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/विवरणियों से मिलान नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि यह कार्य अब कम्प्यूटरीकृत प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत किया जा रहा है क्योंकि राज्य में माल प्रवेश करते समय चेक पोस्ट पर फार्म–49 के साथ इलेक्ट्रॉनिकली प्रविष्टि होती है और यह अधिकारियों के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध रहती है।

2.2.20 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

2.2.20.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अति आवश्यक घटक है और यह कानून के नियमों और विभागीय निर्देशों को यथोचित लागू कराना सुनिश्चित करता है। यह त्वरित सेवाओं के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रबन्धकीय सूचना तंत्र को बढ़ाने में मदद करता है, कर अपवंचन, अधिक वसूली तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने में सहायता प्रदान करता है अतः यह आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण घटक है।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग उपस्थित नहीं था। पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसका उल्लेख किया गया था तब भी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की गयी।

विभाग ने स्वीकार किया (अप्रैल 2015) कि वाणिज्यिक कर विभाग में अलग से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विंग नहीं है।

---

30 परिपत्र क्र./सी.टी./वैट/15/06/1/टे/294 इंदौर दिनांक 02.08.2006 और परिपत्र क्र. 4/2012–13/30/15/300 दिनांक 27.04.2012

31 **वृत्त कार्यालय**(8) : भोपाल–1,भोपाल–3,भोपाल–5,,ग्वालियर–2, इंदौर–9,इंदौर–12,इंदौर–13,और बेढ़न

2.2.20.2 अधिनियम की धारा–19 के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा में मानदण्ड का अनुपालन न किया जाना।

कर लेखापरीक्षा के चयनित प्रकरणों की जानकारी ना तो वाणिज्यिक कर आयुक्त ने प्रदान की और ना ही कर लेखापरीक्षा भोपाल और इन्दौर कार्यालयों के पास उपलब्ध थी। साथ ही कर लेखापरीक्षा निर्धारित समय अवधि में इसे पूर्ण नही किया गया।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत कर लेखापरीक्षा में निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रकरणों का यादृच्छिक चयन किया जाएगा। कर लेखापरीक्षा में प्रकरणो के चयन के तरीको न मानना (अनुपालन न होना) और आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा जारी परिपत्रों[32] के अनुसार 2 संभागीय उपायुक्त हिन्दी कार्यालय भोपाल और इंदौर–Iकमिश्नर के द्वारा तय किये गये मापदंण्ड/उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक वर्ष हिन्दी के लिये चयनित इकाइयों की सूची जारी की जाती है, जो न संभागीय कार्यालय में उपलब्ध थी और न ही आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलबध करायी गयी। उपायुक्त कर लेखापरीक्षा भोपाल और इंदौर ने यह सूचना दी कि कर लेखापरीक्षा के प्रकरणों का चयन आयुक्त कार्यालय से किया जाता है। यद्यपि आयुक्त कार्यालय ने लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी नहीं दी। अतः निष्पादन लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि चयनित प्रकरण कर लेखापरीक्षा हेतु लिए गये।

कर लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध प्रकरणां की वर्षवार स्थिति तथा उपायुक्त टैक्स ऑडिट इन्दौर–1 और भोपाल द्वारा वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के दौरान टैक्स ऑडिट में नहीं लिए गये प्रकरण **तालिका 2.7** में नीचे दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.7

वर्ष	टैक्स ऑडिट विंग का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में प्रकरणों की संख्या	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	वर्ष के दौरान टैक्स ऑडिट के लिए उपलब्ध प्रकरण	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षित प्रकरणों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा नहीं किये गये प्रकरणों की संख्या	उपलब्ध प्रकरणों के सापेक्ष लेखा परीक्षा न किये गये प्रकरणों का प्रतिशत
2012–13	इंदौर–I	187	567	754	594	160	21.22
	भोपाल	314	1840	2154	541	1613	74.88
2013–14	इंदौर–I	160	929	1089	722	367	33.70
	भोपाल	1613	1062	2675	2318	357	13.34
2014–15	इंदौर–I	367	159	526	456	70	13.30
	भोपाल	357	560	917	615	302	32.92
योग		**2998**	**5117**	**8115**	**5246**	**2869**	

(स्त्रोत : विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 की अवधि में कर लेखापरीक्षा विंग द्वारा 13.30 प्रतिशत से लेकर 74.88 प्रतिशत प्रकरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

चयनित इकाइयों की सूची उपलब्ध नहीं होने से लेखापरीक्षा मे यह आस्वासित नहीं किया जा सका कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा निर्धारित किये गये चयनित मापदण्डों का सही ढंग से पालन किया गया।

[32]आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग इंदौर परिपत्र क्र. 15/06/वैट/187 इंदौर दिनांक 21.06.2006

विभाग ने बताया कि (जून 2015) टैक्स ऑडिट के लिए चयनित/ सूची इकाइयों के चयन के लिए तय करने का आधार उपलबध नहीं है। यह बताया गया कि सूचना एकत्रित करके लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) कि मापदण्डो के अनुसार चयनित इकाइयाँ के लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी और कम प्रकरणों की गयी लेखापरीक्षा के लिए यह बताया गया कि विभागीय समस्या और कर्मचारियों की संख्या कम होने से सभी चयनित किये गये प्रकरण की लेखापरीक्षा टैक्स ऑडिट में नहीं की जा सकी है।

2.2.20.3 विभागीय नियमावली का अभाव

नियमावलीवेट के अन्तर्गत कर निर्धारण करने की कार्यविधि का खाका और सही दिशा निर्देश का पालन कराती है। नियमावली, कर निर्धारण अधिकारी को व्यवसाइयों का कर निर्धारित करने नीति निर्धारण करने, साधारण नियम और प्रक्रियाओं का पालन कराने में मार्गदर्शक है। नियमावलीप्रभावी नियंत्रण के लिए आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करती है।

हमने देखा कि वाणिज्यिक कर विभाग में कोई नियमावलीनहीं था जिससे कि वाणिज्यिक कर विभाग की पूरी कार्यशैली में नियंत्रण न होने का जोखिम है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2015) की एक संस्था के माध्यम से नियमावलीतैयार करने की प्रकियाजारी है जिसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग बनाकर विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए है और विभागीय नियमावली को पूर्ण करना चाहिए जिससे की वैट निर्धारण के अंतर्गत नीति, सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के पालन की रूपरेखा निर्धारित हो सकें।

2.2.21 निष्कर्ष और अनुशंसाए

निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ :–

- व्यवसाईयों के प्रकरण नस्तियों में उपलब्ध अंकेक्षित खातों/अन्य अभिलेखों में दर्ज सकल विक्रय के विरूद्ध कर योग्य सकल विक्रय का निर्धारण करने में मध्य प्रदेश वेट अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नही किया तथा त्रूटिपूर्ण दरों का अनुप्रयोग किया जिससे ₹ 154.69 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- **अनुशंसा** : हम अनुशंसा करते है कि राजस्व हानि को रोकने हेतु अधिनियम/नियमों के प्रावधानों को सर्तकतापूर्वक लागू किया जाए। साथ ही कठोर व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व तय किये जाये जिससे कि कर निर्धारण प्रकरणों में प्रभावपूर्ण ढंग से हानि रोकी जाए।

- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकेक्षित खातों के क्रय से अधिक के क्रय पर आई टी.आर.स्वीकृत किया, आई.टी.आर. की छूट प्राप्त न करने वाले वस्तु पर आई.टी.आर. और स्टॉक स्थानांतरण में आई.टी.आर. का नॉन रिवर्सल/कम रिवर्सल और विक्रेता व्यवसाइयों से क्रय का प्रमाणित न करने के कारण ₹ 10.36 करोड़ के आई.टी.आर. को स्वीकृत किया गयां वाणिज्यिक कर विभाग ने कार्य की समीक्षा हेतु ठोस प्रणाली नही बनाई ।

- **अनुशंसा :** हम अनुशंसा करते हैं कि शासन/विभाग को आगत कर छूट स्वीकृत करने के पहले दस्तावेजों और अंकेक्षित खातों से क्रय को प्रमाणित/प्रतिस्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

- कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करने में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखायी जिससे कई प्रकरणों में फार्म के बगैर और फार्म के गलत/अवैध/द्वितीय प्रति होने पर भी छूट प्रदान की गयी जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध है परिणामस्वरूप ₹ 22.56 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

अनुशंसा : हम अनुशंसा करते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार में उद्घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने पर उसके प्रमाणीकरण के लिए पूर्ण रूप से भरे होना सुनिश्चित किया जाए।

- विभाग ने अनिवार्य रूप से जमा किये जाने वाले संवैधानिक रिपोर्ट/फार्म आदि को सुनिश्चित किये बिना कर निर्धारण किया तथा अंकेक्षित खाते न प्रस्तुत करने पर साधारण शास्ति का प्रावधान व्यवसाईयों के लिए पर्याप्त नही है।

अनुशंसा : हम अनुशंसा करते हैं कि सजा के प्रावधान कठोर करने के लिए विभाग को शास्ति की राशि बढ़ानी चाहिए, ताकि अंकेक्षित खाते प्रस्तुत न करना हतोत्साहित प्रभाव करने वाला हो।

- आंतरिक लेखा परीक्षा विंग न होने तथा विभागीय नियमावली के न होने से आंतरिक नियंत्रण अपूर्ण था। तदुपरांत कर लेखापरीक्षा के लिए आयुक्त, वाणिज्यिक विभाग द्वारा कर लेखापरीक्षा में चयनित प्रकरणों के लिए तय किए गए मापदण्ड का पालन नहीं किया गया।

- **अनुशंसा** : हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग को, आंतरिक लेखा परीक्षा विंग बनाकर विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना चाहिए है और विभागीय नियमावली को पूर्ण करना चाहिए जिससे की वैट निर्धारण के अंतर्गत नीति, सामान्य नियमों और प्रक्रियाओं के पालन की रूपरेखा निर्धारित हो सकें।

2.3 अन्य लेखापरीक्षा आपत्तियां :–

हमने वाणिज्यिक कर विभाग में मूल्य संवर्धन कर, केन्द्रीय विक्रय कर प्रवेश कर आदि के कर निर्धारण अभिलेखों की जांच की और पाया कि कई प्रकरणों में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन न होना, कर का कम /अनारारोपण/ शास्ति/दण्ड, गलत कर की दर लगाना, कर योग्य टर्नओवर से गलत राशि हटाना, गलत छूट और अन्य प्रकरण जिन्हें इस अध्याय में आगे अनुच्छेदों में बताया गया है।

यह सभी प्रकरण उदाहरणात्मक है और हमारे द्वारा की गई नमूना जांच पर आधारित है। पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा छोड़े गये इन बिन्दुओं को ध्यान में लाया गया था किन्तु न केवल इस तरह की अनियमितताएं लगातार होती रही बल्कि पकड़ में नहीं आ पायी जब तक लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हो गयी। यह सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करे जिससे कि ऐसी छूट रोकी जा सके।

2.4 कर योग्य राशि का गलत निर्धारण

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 26.78 करोड़ की गलत कर योग्य राशि का निर्धारण किया गया जबकि व्यवसाइयों के अंकेक्षित खातों/विक्रय सूची/ सम्बन्धित रिकार्ड से ₹ 31.34 करोड़ का कर निर्धारण किया जाना था, परिणामस्वरूप, ब्याज और शास्ति की राशि ₹ 25.18 लाख सहित ₹ 54.75 लाख का कम करारोपण हुआ।

हमने जून 2013 और फरवरी 2015 के मध्य देखा कि दो संभागीय कार्यालय (इंदौर और जबलपुर) एक क्षेत्रीय कार्यालय (ग्वालियर) और नौ वृत्त कार्यालय[33] के 10,629 कर निर्धारण प्रकरणों में से 10,210 प्रकरणों की लेखापरीक्षा की गयी। 2009–10 और 2011–12 की अवधि के दिसम्बर 2011 और सितम्बर 2013 के मध्य 12 व्यवसाइयों के 12 प्रकरणों का कर निर्धारण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय ₹ 26.78 करोड़ का गलत कर योग्य राशि का निर्धारण किया जबकि व्यवसाइयों के अंकेक्षित खातों/विक्रय सूची और प्रकरण में उपलब्ध अन्य रिकार्ड से ₹ 31.34 करोड़ का कर निर्धारण किया जाना था। यह मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 2(जेड) के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसके अनुसार आवर्त राशि का अर्थ व्यवसायी द्वारा माल के विक्रय या आपूर्ति करने में निश्चित अवधि के भीतर विक्रय वापसी और कमीशन को हटाकर प्राप्त धन राशि से है। इस प्रकार ₹ 4.86 करोड़ के आवर्त राशि का कर निर्धारण नहीं किया गया परिणामस्वरूप म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 18(4) और धारा 21(2) के अंतर्गत ₹ 25.18 लाख के ब्याज और शास्ति सहित ₹ 54.75 का कम करारोपण रहा **(परिषिष्ट–XII)**।

उदाहरण स्वरूप दो प्रकरण तालिका 2.8 में नीचे दिए गए हैं :

तालिका 2.8

क्र.	लेखापरीक्षिती इकाई	कर निर्धारण अवधि/लेखा परीक्षा का माह	हमारी आपत्तियां	विभाग का उत्तर
1.	वा.क.अ.कटनी	2010–11/ जून 2014	कर निर्धारण अधिकारी ने पुराने वाहन की बिक्री, मशीनरी पार्ट्स अर्थ मूविंग मशीन की बिक्री ₹ 1.20 करोड़ को बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किया जबकि यह व्यवसायी	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (जून 2014) कि सत्यापन पश्चात

[33]**वृत्त कार्यालय**(20) : इंदौर,जबलपुर,कटनी 1, मंदसौर (2), सतना, शहडोल (2), शाजापुर

			के अंकेक्षित खाते में दिया गया है। परिणामस्वरूप कम कर निर्धारण के कारण ₹ 5.08 लाख का करारोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 2.03 लाख का ब्याज भी देय होगा।	कार्यवाही की जाएगी।
2.	वा.क.अ. वृत्त–4 जबलपुर	2010–11 / जनवरी 2015	कर निर्धारण अधिकारी ने कर योग्य राशि ₹ 31.71 करोड़ का गलत निर्धारण किया जबकि कर निर्धारण में व्यवसायी ने वास्तविक आवर्त ₹ 37.71 करोड़ दिखाया था कर योग्य राशि का कम निर्धारण करने के कारण ₹ 62,801 का कम करारोपण हुआ	कर निर्धारण अधिकारी ने (जनवरी 2015) में बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही जाएगी।

इसे इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने (जून 2013 और फरवरी 2015 के मध्य) बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण की जानकारी आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन (मई 2015) को दी गयी। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

2.5 गलत दर से कर का आरोपण

कर निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न वस्तुओं पर गलत दर से कर के आरोपण से आवर्त राशि ₹ 18.40 करोड़ पर करारोपण किया। परिणामस्वरूप, शास्ति की राशि ₹ 51.03 लाख सहित ₹ 1.38 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

हमने अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के मध्य एक संभागीय कार्यालय (उज्जैन) चार क्षेत्रीय कार्यालय[34] और आठ वृत्त कार्यालयों[35] में 9,178 कर निर्धारण प्रकरणों में से 8,929 प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 16 व्यवसाइयों के 18 प्रकरणों में जो कि 2007–08 से 2012–13 के मध्य अवधि जुलाई 2010 से मार्च 2014 में कर निर्धारण किए गए थे, कर निर्धारण अधिकारी ने वस्तु का गलत वर्गीकरण करते हुए आवर्त राशि ₹ 18.40 करोड़ पर कर की कम दर लगायी।

यह म.प्र. वैट अधिनियम की धारा–9 के अंतर्गत प्रावधानों और इसमें जारी अधिसूचनाओं का उल्लंघन थाजिसके अनुसार वस्तु के वर्गीकरण के आधार पर अनुसूची –II के अनुसार वस्तु पर कर लगाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 51.03 लाख के शास्ति जो म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत कर का कम कर निर्धारण व्यवसायी पर होगा सहित ₹ 1.37 करोड़ का कम करारोपण हुआ (**परिशिष्ट –XIII**)।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर 10 व्यवसाइयों के 12 प्रकरणों में, कर निर्धारण अधिकारी ने सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्यवाही पर सहमति जतायी। एक व्यवसायी के एक प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

शेष बचे छः व्यवसाइयों के छः प्रकरणों में विभागीय उत्तर और हमारे कथन **तालिका 2.9** में दिखाए गए हैं।

---

34 ग्वालियर 2, इंदौर 1, नीमच और सागर

35 भोपाल, देवास, हरदा, कटनी, खण्डवा, पीथमपुर, सीहोर और उज्जैन

तालिका 2.9

क्र.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसाइयों की संख्या	प्रभावित राशि (लाख ₹ में)	लगायी जाने वाली/ लगायी गयी कर की दर	वस्तु	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
1.	वा.क.अ. वृत्त–II, उज्जैन I	1.01	13/5	पेपर दोना	पेपर दोना की बिक्री पर कर की दर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत से लगायी गयी	पेपर कप अंग्रेजी का शब्द है जिसे हिन्दी में सामान्यतः दोना कहा जाता है।	वस्तु बाउल (दोना) कप एवं कांच से भिन्न है। बाउल II/II/ 29 में 1.4.11 से रखा गया है। अतः यह 2010–11 में II/IV/1 अनुसार कर योग्य है।
2.	वा.क.अ. वृत्त–II, भोपाल I	2.29	12.5/4	डीजल ऑयल इंजन	डीजल ऑयल इंजन की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर के बजाय 4 प्रतिशत से कर लगाया गया	व्यवसाइयों ने पंप की खरीद और बिक्री की है, इंजन की नहीं	फार्म–49 से साबित होता है कि व्यवसायी ने राज्य के बाहर से डीजल इंजन खरीदे थे।
3.	स.आ.वा.क. नीमच 2	22.19	13/5	फेल्ट एण्ड फेल्ट कम्पोनेन्ट	फेल्ट एण्ड फेल्ट कम्पोनेन्ट की बिक्री पर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया	अपीलीय अधिकारी के आदेश होने से कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं है और सी.एस.टी. प्रकरण में कपड़ा समझकर वूल फेल्ट पर कर लगाया गया	आयुक्त वा.क. में सीलवेल प्रकरण के आदेश के सम्बन्ध में 13 प्रतिशत से कर लगाया गया है। हमें उत्तर मान्य नहीं है।
4.	वा.क.अ.–II कटनी I	5.20	13/5	इन्वर्टर / घरेलू यू.पी.एस.	इन्वैर्टर/ घरेलू यू.पी.एस. की बिक्री पर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत से कर लगाया गया	कर निर्धारण अधिकारी ने पंजाब वैट के सम्बन्ध में न्यायिक उद्घोषणा का हवाला देते हुए बताया कि व्यवसायी यू.पी.एस. और बाहरी बैटरी का व्यवसाय करता है।	एम.पी.वैट एक्ट 2002 अनुसूची की प्रविष्टि में कम्प्यूटर और पार्ट्स सूचना टैक्नोलॉजी के पार्ट्स है। पंजाब वैट एक्ट में सूचना टैक्नोलॉजी उत्पादकों की कोई शर्त नहीं है। निर्णय में इस पर चर्चा की जा चुकी

						यू.पी.एस. पर वैट एक्ट की प्रविष्टि नं. 51(8) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत से कर देय है।	है। निर्णय के अनुसार भी बेचे गये गुड्स पर 13 प्रतिशत से कर देय है।
5.	वा.क.अ.II, कटनी–I	8.08	13/5	मशीनरी पार्ट्स मोटर पार्ट्स मोटर पार्ट्स	दर मशीनरी पार्ट्स, मोटर पार्ट्स की बिक्री पर 13 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत से कर लगाया जाता है।	कृषि यंत्रों पर 5 प्रतिशत की दर से कर तथा मशीनरी पार्ट्स पर 13 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया	मोटर पार्ट्स मशीनरी पर 13 प्रतिशत की दर से कर लगाने के लिए आपत्ति ली गयी है और कृषि यंत्र की बिक्री पर नहीं ली गयी है। मशीनरी/मोटर पार्ट्स पर 13 प्रतिशत से कर देय है।

हमारे द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन को प्रकरण की सूचना दी गयी (मई 2015)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।(नवम्बर 2015)

2.6 त्रूटिपूर्ण कर मुक्त विक्रय मानते हुए करारोपण न करना।

कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय ₹ 3.84 करोड़ की राशि के वस्तु जैसे ऑटो एल.पी.जी., ड्रिप लाइन, पेस्टीसाइड्स आदि के विक्रय को त्रूटिपूर्ण ढंग से कर मुक्त मानते हुए कर का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ का कम करारोपण हुआ।

हमने मार्च 2014 से फरवरी 2015 के मध्य पांच वृत्त कार्यालयों[36] के 4,312 में से 4,173 कर प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि 2010–11 से 2012–13 की अवधि के पांच व्यवसाइयों के पांच प्रकरण जिनका कर निर्धारण फरवरी 2013 से मार्च 2014 के मध्य किया गया में व्यवसायी द्वारा कर योग्य वस्तु जैसे ऑटो एल.पी.जी., ड्रिप लाइन, पेस्टीसाइड्स आदि की राशि ₹ 3.84 करोड़ का विक्रय किया जबकि मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की अनुसूची–II और इसके अंतर्गत जारी किये गये अधिसूचनाओं के अनुसार यह वस्तु कर योग्य है।

कर निर्धारण अधिकारी ने इन प्रकरणों का कर निर्धारण करते समय इन्हे गलत रूप से कर मुक्त मानते हुए करारोपण नही किया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 37.18 लाख का कम करारापेण हुआ। इसके अतिरिक्त धारा 21(2) के अंतर्गत जहां कर निर्धारण करने में चुक का दायित्व व्यवसायी पर हो, ₹ 1.04 करोड़ की शास्ति भी आरोपणीय है। (परिशिष्ट –XIV)।

हमारे द्वारा अप्रैल 2014 और फरवरी 2015 के मध्य इंगित किए गए प्रकरणों में से तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की

[36] धार, इंदौर (2), जबलपुर, नीमच

जाएगी। अन्य दो प्रकरणों में विभाग के उत्तर और हमारी टीप तालिका 2.10 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.10

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	वस्तु	टर्नओवर (लाख ₹ में)	लागू कर की दर (प्रतिषत में)	करारोपण न किया जाना (लाख ₹ में)
1.	कीटनाशक	51.17	5	2.60
	यह बताये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मार्च 2014) कि जैव खाद और जैव कीटनाशक (डंग उत्पादित) अनुसूची–I की प्रविष्टि 26 में कर मुक्त है। उत्तर मान्य नहीं है अनुसूची–I में केवल जैव खाद में कर मुक्त है, जैव कीटनाशक के लिए कोई प्रविष्टि नहीं है इसलिए दूसरे कीटनाशकों के समक्ष रखते हुए ये कीटनाशक भी अधिनियम की प्रविष्टि II/II/24 के तहत कर योग्य है।			
2.	पाइप्स और मोटर्स	57.77	5	2.89 8.67 (शास्ति)
	यह बताये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (जनवरी 2015) कि स्प्रिंकलर (ड्रिप सिंचाई यंत्र) अधिनियम की प्रविष्टि I/72 के अंतर्गत कर मुक्त है। पाइप और मोटर के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है चूंकि 2011–12 में यह I/72 की प्रविष्टि मे शामिल नहीं है अपितु प्रविष्टि II/II/64 के अंतर्गत कर योग्य है।			

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं शासन को अवगत कराया (मई 2015) लेकिन उनके उत्तर नहीं प्राप्त हुए (नवम्बर 2015)।

2.7 अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति।

कर निर्धारण अधिकारी ने ₹ 71.67 लाख की आगत कर छूट (आई.टी.आर.) स्वीकृत की जो कि सम्बन्धित प्रावधानों और नियमों के अनुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 1.90 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

अक्टूबर 2013 और फरवरी 2015 के मध्य तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (छिन्दबाड़ा, इंदौर–II और नीमच) और नौ वृत्त कार्यालयों[37] के 8,907 कर निर्धारण प्रकरणों में से 8,547 प्रकरणों की नमूना लेखापरीक्षा की ओर पाया कि अवधि 2009–10 से 2012–13 के जून 2012 और फरवरी 2014 के मध्य कर निर्धारण किए गए 17 व्यवसाइयों के 17 प्रकरणों में व्यवसायी अंकेक्षित खातों में प्रमाणित क्रय राशि अनुसार ₹ 4.41 करोड़ की आगत कर छूट प्राप्त करने की पात्रता रखते थे।

व्यवसाइयों ने आई.टी.आर. ₹ 5.13 करोड़ का गलत दावा किया और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया। यह म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 14(1) सहपठित नियम 9 का उल्लंघन था जिसके अनुसार व्यवसाइयों को आई.टी.आर. की छूट उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों को प्रमाणित करके तथा अंकेक्षित खातों से क्रय को प्रमाणित करने के बाद ही स्वीकृत की जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, ₹ 71.67 लाख की आई.टी.आर. अधिक स्वीकृत की गयी। इसके अतिरिक्त म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 18(4) और 21(2) के अंतर्गत ₹ 1.18 करोड़ केब्याज और शास्ति की राशि भी आरोपणीय है (**परिषिष्ट –XV** में विस्तृत विवरण दिया गया है)।

अक्टूबर 2013 और फरवरी 2015 के मध्य 14 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी और शेष तीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर नीचे तालिका 2.11 में दिखाए गए हैं।

[37] अशोकनगर, ग्वालियर, हरदा, इंदौर (2), सागर सतना शहडोल और उज्जैन

तालिका 2.11

क्र.	लेखा परीक्षिती इकाई/ व्यवसाइयों की संख्या	कर निधारण की अवधि/माह	हमारी संक्षिप्त आपत्तियां	विभागीय उत्तर/ हमारे प्रत्युत्तर
1.	स.आ.–I, वृत्त–III, ग्वालियर 01	2009–10 जून 2012	अंकेक्षित खातों के अनुसार ₹ 9.23 करोड़ के साबुन की खरीद पर आई.टी.आर. स्वीकृत योग्य था जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने ₹9.64 करोड़ के क्रय पर आई.टी.आर. स्वीकृत किया। परिणामस्वरूप ₹ 5.09 लाख का अमान्य आई.टी.आर. स्वीकृत किया।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि क्रय सूची और बिल प्रस्तुत करने के आधार पर आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया। जवाब मान्य नहीं है चूंकि आपत्ति अंकेक्षित खाते में प्रमाणित क्रय के आधार पर ली गयी है।
2.	सहा.आयु.डिवी.–II इंदौर 01	2010–11 अप्रैल 2013	व्यवसायी ने कुल टर्न ओवर ₹ 4.60 करोड़ का 76.92 प्रतिशत ₹ 3.54 करोड़ का राज्य के बाहर स्टॉक स्थानांतरण किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण करते समय, व्यवसायी के कर निर्धारण के प्रस्ताव में सहमति दिखाते हुए स्टॉक स्थानांतरण पर आई.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि स्टॉक स्थानांतरण आयातित माल (दूसरे राज्य से मंगाने) क्रय पर आर.टी.आर. का रिवर्सल नहीं किया जाता है। जवाब इस सत्य के अनुरूप नहीं है कि (आयातित माल) क्रय करने के स्थान पर बेचा गया जिससे घटाया (घटाने का लाभ मिला) जिसका प्रभाव कर निर्धारण आदेश दिनांक 15 अपैल 2013 के बिन्दु क्रमांक–1 में स्पष्ट किया।
3.	वा.क.अ. –I सतना 01	2010–11 जुलाई 2013	कर निर्धारण अधिकारी ने अंतर्राज्यीय क्रय पर ₹ 77,072 का गलत आई.टी.आर. स्वीकृत किया।	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि क्रय सूची से अंतर्राज्यीय क्रय को अलग करने के बाद आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया। उत्तर मान्य नहीं है। क्रय पर गलत आई.टी.आर. स्वीकृत किया गया यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, नागपुर (बिल नं.381 और 384 दिनांक 31 मई 2010 से किये गये क्रय से स्पष्ट है।

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन को जानकारी दी (मई–2015) उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (नवम्बर–2015)।

2.8 प्रवेश कर का अनारोपण /कम आरोपण

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मिल्क पाउडर, प्लास्टिक पैकिंग सामग्री, टायर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, विस्फोटक, बिटुमिन, फर्नेस ऑयल, हेक्सेन एच.डी.पी.ई. /पी.पी.वोवन बैग, आयरन एण्ड स्टील, कोल, ऑयल सीड, डीजल, कीटनाशक आदि के सकल टर्न ओवर ₹ 1,138.98 करोड़ पर या तो प्रवेष कर का आरोपण नहीं हुआ अथवा गलत दर से हुआ। परिणामस्वरूप, ₹ 17.85 करोड़ के ब्याज और शास्ति सहित राशि ₹ 31.25 करोड़ के प्रवेश कर की कम वसूली/वसूली नही हुई।

हमने अप्रैल 2013 और जून 2015 के मध्य आठ संभागीय कार्यालय[38], छः क्षेत्रीय कार्यालय[39] और 28 वृत्त कार्यालयों[40] के कर निर्धारण प्रकरण आदेशो, अंकेक्षित खाते, क्रय सूची आदि की नमूना जांच के दौरान पाया कि 2006–07 से 2012–13 की

38 भोपाल डिवीजन–I, भोपाल डिवीजन–II, भोपाल–टी.ए.डब्ल्यू., इंदौर डिवी.–I, इंदौर टी.ए.डब्ल्यू.–I, जबलपुर डिवी.–II,, रतलाम और सतना

39 भोपाल डिवीजन–I, भोपाल डिवीजन–II, ग्वालियर–डिवीजन–II, इंदौर डिवीजन–I, कटनी और सागर–II

40 भोपाल(5), बुरहानपुर, देवास, धार, ग्वालियर–(2), इंदौर–(8),, कटनी मंण्डिदीप नरसिंहपुर रतलाम शहडोल सतना–(2), उज्जैन–(2), और बैढन।

अवधि के मई 2009 से मार्च 2015 कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित के मध्य 118 व्यवसाइयों के 124 प्रकरणों मे मिल्क पाउडर, प्लास्टिक पैकिंग मैटीरियल, टायर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, विस्फोटक बिटुमिन, फर्नेस ऑयल, हेक्सेन, एच.डी.पी.ई. /पी.पी.बोवेन बैग, आयरन एण्ड स्टील कोल, ऑयल सीड डीजल कीटनाशक आदि पर, ₹ 1,138.98 करोड़ की राशि पर प्रवेश कर का या तो आरोपण नहीं हुआ या गलत दर से हुआ।

यह मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 और इसके तहत जारी नियम और अधिनियमों के प्रतिकूल था। इसके परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 18(4)(ए) और धारा 21(2) के अंतर्गत ब्याज और शास्ति राशि ₹ 17.85 करोड़ सहित ₹ 31.25 करोड़ के प्रवेश कर की कम/अवसूली रही। विभाग के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर सहित विवरण **परिशिष्ट–XVI** में दिया गया है।

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यिक कर और शासन को सूचित किया (मई 2015) उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2015)।

2.9 अमान्य छूट की स्वीकृति

कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाइयों को प्रमाण–पत्रों से प्राप्त छूट के अतिरिक्त अन्य क्रय पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट दी और इसके साथ ही गुड्स के क्रय पर छूट की सीमा से अधिक छूट दी जिसके परिणामस्वरूप, शास्ति ₹ 19.43 करोड़ सहित प्रवेश कर ₹ 25.91 करोड़ की छूट अनियमित रही।

हमने अक्टूबर 2014 और जून 2015 अवधि मे देखा कि तीन संभागीय कार्यालयों (भोपाल–II, इंदौर और रतलाम) और तीन वृत्त कार्यालयों (इंदौर–X, XI और सेंधवा) में 2010–11 से 2012–13 की अवधि के अप्रैल 2013 और मार्च 2015 में कर निर्धारण किये गये 12 व्यवसाइयों के 15 प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसाइयों को प्रमाणपत्रों से प्राप्त छूट के अतिरिक्त अन्य क्रय करने पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट दी और इसके साथ वस्तु के क्रय पर छूट की सीमा से अधिक छूट की स्वीकृति दी।

यह अधिनियम की धारा 10 का उल्लंघन था, जिसके अनुसार सरकार अधिसूचना[41] द्वारा और कुछ प्रतिबन्धों और शर्तों के साथ जैसी कि उसमें दी गयी हो, किसी निश्चित अवधि के लिए व्यवसायी द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने पर जैसी अधिसूचना में दी गयी हो, प्रवेश कर के भुगतान से छूट दे सकती है। इसके परिणामस्वरूप, जुर्माने ₹ 19.43 करोड़ सहित ₹ 25.91 करोड़ के प्रवेश कर की छूट अनियमित रही। विभाग के उत्तर और हमारे प्रत्युत्तर सहित विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –XVII** में दिखाए गए हैं।

हमने प्रकरण को आयुक्त वाणिज्यक कर और शासन (जुलाई 2015) को बताया, उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2015)।

---

[41] ज्ञापन क्र.ए–3–68–2004–1–V(21) दिनांक 04.04.2005

अध्याय – 3
राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय–3
राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासकीय प्रमुख है। आबकारी आयुक्त विभाग प्रमुख है, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, तीन उपायुक्त आबकारी, संभागो में सात उपायुक्त आबकारी, सम्भागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी होते है। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन को प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम है साथ ही आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भी उत्तरदायी है।

आसवनियों, बोतल भराई, संयंत्र (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन का परिवीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों तथा उपनिरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

राज्य आबकारी राजस्व में, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित या आदेशित किसी शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियाँ संचिन्हित होती है। इसमें विक्रय के लिए मदिरा का विनिर्माण आधिपत्य तथा प्रदाय, भाँग एवं पॉपीस्ट्रॉ से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमारे द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों से सम्बन्धित 61 इकाईयों में से 36 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 19,948 प्रकरणों में ₹ 108.10 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हें आगामी **तालिका 3.1** में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

तालिका 3.1

			(` करोड़ में)
क्र. स.	**श्रेणी**	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
1	फुटकर लायसेंसधारियो को अनुचित लाभ	325	0.68
2	सत्यापन प्रतिवेदनो की अप्राप्ति पर शुल्क की वसूली न होना	2,106	2.57
3	स्पिरिट/मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति/शुल्क का अनारोपण	631	0.78
4	मदिरा दुकानों से लायसेंस फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना	27	1.86
5	देशी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय	2,058	5.93
6	लायसेंस की शर्तो के उल्लघंन पर शास्ति का अनारोपण	1,105	24.76
7	अन्य प्रेक्षण	13,696	71.52
	योग	**19,948**	**108.10**

वर्ष 2014–15 लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये 19,276 प्रकरणों में ₹ 86.45 करोड़ के अवनिर्धारण, शास्ति का अनारोपण एवं राजस्व की हानि को स्वीकार किया।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का, जिनमें ₹ 11.09 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

3.3 परिवहन/निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर और मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना

विदेशी मदिरा लायसेंसधारियों द्वारा निर्यात/परिवहन की गई 7,78,21,068 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 5,88,918 प्रुफ लीटर बीयर जिसमें उत्पाद शुल्क ₹ 8.54 करोड़ की राशि अंतर्निहित थी, के आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र गन्तव्य इकाइयों के प्रभारी अधिकारियों जो निर्यात/परिवहन के परमिट जारी करने हेतु प्राधिकरी को प्रस्तुत नहीं किये गये।

हमने सहायक आबकारी आयुक्त छतरपुर, धार एवं रायसेन में निर्यात/परिवहन परमिट पंजियो एवं आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र (ई.वी.सी.) की प्राप्ति पंजियो में अवलोकित किया (जुलाई 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) कि इन इकाइयों द्वारा जारी 340 परमिटों पर लायसेंसधारियों द्वारा 7,78,210.68 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 5,88,918 प्रुफ लीटर बीयर निर्यात/परिवहन की गई, जिसमें शुल्क ₹ 8.54 करोड शामिल थी।

यह देखा गया कि मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम के नियमों 12, 13 एवं 14 में दिये गये प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए विभाग ने (अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2014 के मध्य) निर्धारित शुल्क की वसूली किये बिना या बिना पर्याप्त बैंक गारंटी/शोधक्षम प्रतिभूति के साथ बंधपत्र निष्पादित कर जो अंतर्निहित शुल्क की राशि के बराबर हो, प्राप्त किये बिना ही निर्यात/परिवहन हेतु परमिट जारी कर दिये।

पुनः आगे यह देखा गया कि लायसेंसधारियो द्वारा गन्तव्य इकाइयों के प्रभारी अधिकारी से सत्यापन प्रमाण–पत्र, जिसमे शुल्क ₹ 8.54 करोड़ अन्तर्निहित थी, प्रस्तुत नही किये गये। उक्त वर्णित नियम के नियम–13 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार विभाग के द्वारा प्रस्तुत नही किये गये आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्रो हेतु शुल्क ₹ 8.54 करोड लगाया जाना था। ऐसा नही करने से शुल्क ₹ 8.54 करोड की प्राप्ति नहीं हो सकी।

हमारे द्वारा प्रकरणो को इंगित किये जाने के पश्चात सहायक आबकारी आयुक्तों ने बताया (जुलाई 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) कि आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र शीघ्र प्रस्तुत कर दिये जायेगें। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि मदिरा के निर्यात/परिवहन से पूर्व पर्याप्त बैंक गारंटी/ बांड के साथ शोधक्षम प्रतिभूति प्राप्त नही की गई। इसके अलावा आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र अभी तक (नवम्बर 2015) प्रस्तुत नही किये गये है। हमने शासन एवं विभाग को प्रकरण सूचित किया (जुलाई 2015)। शासन एवं विभाग का जवाब प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 2015)।

3.4 शास्ति का अनारोपण

3.4.1 भण्डागारो में देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध बनाये रखने मे असफल रहने वाले प्रकरणों पर शास्ति का अनारोण

देशी मदिरा लायसेंसधारियो द्वारा बोतल बंद देशी मदिरा का नियमानुसार न्यूनतम स्कन्ध देशी मदिरा भण्डागारों में नही रखा गया। लायसेंसधारियो द्वारा नियमो का निरंतर उल्लघंन पर सहायक आबकारी आयुक्तो/जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा राशि ₹ 1.27 करोड शास्ति नही लगायी गयी।

हमने छः सहायक आबकारी आयुक्तो[1] एवं पांच जिला आबकारी अधिकारियों[2] के अभिलेखों जैसे स्कन्ध पंजी, मासिक पंजी इत्यादि से अवलोकन (जनवरी 2014 से मार्च 2015 के बीच) किया कि 10 लायसेंसधारियो द्वारा (जुलाई 2011 से फरवरी 2015 के बीच) देशी मदिरा भण्डागारो मे बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध नही रखा गया।

यह मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 4(4) मे दिये गये प्रावधानो का उल्लघंन था, जिसके अनुसार लायसेंसधारियो को प्रत्येक विनिर्माण एवं स्टोरेज भण्डारगारो मे बोतलबंद मदिरा/परिशोधित स्पिरिट का एक न्यूनतम स्कन्ध रखना चाहिए, जो पिछले महीने सप्लाई किये गये पाँच दिनो के औसत के बराबर हो। यद्यपि मद्य भण्डारगार अधिकारियो द्वारा मासिक विवरणियों के माध्यम से न्यूनतक स्कन्ध न रखने की सूचना सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को दी, लेकिन सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने शास्ति का आरोपण नही किया हैं।

मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अनुसार नियमो के लगातार उल्लघंन करने के कारण लायसेंसधारियो पर राशि ₹ 1.27 करोड की शास्ति अधिरोपित नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड की शास्ति आरोपित नहीं हो सकी।

प्रकरणों को इंगित करने के पश्चात् सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने (जनवरी 2014 से मार्च 2015 के मध्य) बताया कि प्रकरण उच्च अधिकारियो को सूचित कर दिया गया है एवं नियमानुसार उचित कार्यवाही करने के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि नियमों के अनुसार देशी मदिरा का न्यूनतम स्कन्ध न रखने के लिए प्रस्तावित शास्ति कर प्रकरणो को आबकारी आयुक्त की ओर भेजने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रकरण आबकारी आयुक्त एवं शासन को (मई 2015) में सूचित किया गया था, उनके उत्तर (नवम्बर 2015) तक प्राप्त नही हुए।

3.4.2 निर्यात/परिवहन के दौरान विदेशी मदिरा/बीयर की अधिक हानियों पर शास्ति का अनारोपण

विदेशी मदिरा एवं बीयर के निर्यात/परिवहन के दौरान क्रमशः 67,577.11 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा एवं बीयर के 51,413.57 बल्क लीटर जो विदेशी मदिरा के प्रकरण में अनुमत्य सीमा से 41,470.55 प्रुफ लीटर अधिक तथा बीयर के प्रकरण में अनुमत्य सीमा से 30,624.46 बल्क लीटर से अधिक थी, जिस पर विभाग द्वारा वसूली योग्य शास्ति ₹ 81.11 लाख आरोपित एवं वसूली नहीं की गई।

हमने भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं मुरैना के सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयो के विदेशी मदिरा बोतलभराई इकाइयो एवं आसवनियों के आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र की जाँच में (अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) पाया कि छः लायसेंसधारियो द्वारा 1,05,31,197 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 83,15,527 बल्क लीटर बीयर का निर्यात/परिवहन किया गया है (अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2014 के मध्य) जो मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 16 एवं 19 परिवहन पर में दी गई अनुमत्य हानि पर 0.25 प्रतिशत की दर से क्रमशः 26,106.56 प्रुफ लीटर एवं 20,789.11 बल्क लीटर थी।

[1] छतरपुर, मुरैना, रायसेन, रतलाम, रीवा एवं उज्जैन।

[2] बालाघाट, बुरहानपुर, छिन्दबाडा, देवास एवं मन्दसौर।

विदेशी मदिरा एवं बीयर के परिवहन के 3016 प्रकरणों में पाया गया कि विदेशी मदिरा (स्पिरिट) का कुल नुकसान 67,577.11 प्रुफ लीटर था जो अनुमत्य सीमा से 41,470.55 प्रुफ लीटर अधिक था, इसी प्रकार बीयर का कुल नुकसान 51,413.57 बल्क लीटर पाया गया जो कि अनुमत्य सीमा से 30,624.46 बल्क लीटर अधिक थी।

शास्ति प्रावधानों के अनुसार अनुमत्य सीमा से अधिक नुकसान होने पर लायसेंसधारी शास्ति के भुगतान हेतु हेतु उत्तरदायी होगा, जो उस समय विदेशी मुद्रा पर लागू शुल्क से अधिक नही होगी। इस प्रकार छः लायसेंसधारियो पर ₹ 81.11 लाख की शास्ति लगाई जानी चाहिए थी। यद्यपि भण्डार प्रभारी द्वारा त्रैमासिक विवरणियों के माध्यम से मदिरा में अधिक नुकसान की जानकारी आसवनियों के जिला आबकारी अधिकारियों को दी गई थी, विभाग द्वारा शास्ति का आरोपण एवं वसूली नही की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.11 लाख की शास्ति की प्राप्ति नही हो सकी।

प्रकरणों मे हमारे द्वारा इंगित करने के बाद (अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल, ग्वालियर एवं मुरैना ने (अगस्त 2014 से जनवरी 2015 के मध्य) बताया, कि शास्ति आरोपित कर वसूली की जावेगी, जबकि सहायक आबकारी आयुक्त इन्दौर ने (दिसम्बर 2014) में बताया, कि प्रकरण, सहायक आबकारी आयुक्त उड़नदस्ता इन्दौर के कार्यालय में लंबित है तथा वहाँ से निर्देश प्राप्त होने पर वसूली की जावेगी।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को (मई 2015) प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (नवम्बर 2015)।

3.4.3 देशी मदिरा के अधिक नुकसान पर शास्ति का अनारोपण

देशी मदिरा के 34,10,716.70 प्रुफ लीटर परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से 14,910.67 प्रुफ लीटर अधिक हानि के 726 प्रकरणों में विभाग ने ₹ 33.65 लाख की शास्ति वसूल नहीं की गयी।

हमने सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय धार एवं तीन जिला आबकारी अधिकारियों (दतिया, होशंगाबाद वं सीहोर) के (जून और जुलाई 2014 के मध्य) भण्डागारों में संधारित अभिलेखों की जाँच में पाया कि अप्रैल 2011 से अप्रैल 2013 के मध्य देशी मदिरा विनिर्माण भण्डागारो से 34,10,716.70 पी.एल. देशी मदिरा परिवहन हेतु 726 परमिट जारी किये गये थे, जिनके विरूद्ध 33,90,906.31 पी.एल.मात्रा प्राप्त हुई।

देशी मदिरा की हानि 19,810.19 प्रूफ लीटर की हुई जो कि मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 10 के अनुसार हानि की अनुमत्य सीमा से 14,910.67 प्रूफ लीटर अधिक थी जिसके अनुसार परिवहन के दौरान पेट बोतलों के लिये 0.1 प्रतिशत तथा काँच की बोतलों के लिये 0.25 प्रतिशत हानि अनुमत्य थी।

उपरोक्त वर्णित नियम के अंतर्गत शास्ति की दर, देशी स्पिरिट उस समय विद्यमान प्रति प्रूफ लीटर शुल्क का अधिमतम तीन गुना परन्तु चार गुना से अनधिक आबकारी आयुक्त या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमत्य सीमा से अधिक हानियों पर अधिरोपित की जावेगी। इस प्रकार न्यूनतम शास्ति ₹ 33.65 लाख लगाई जानी चाहिए थी। अधिकतम नुकसान के प्रकरणो की जानकारी त्रैमासिक प्रतिवेदन के माध्यम से सहायक आबकरी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को दी गई थी। तथापि सहायक आबकरी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित और वसूल नही की गई।

हमारे द्वारा इंगित करने के बाद जिला आबकारी अधिकारी दतिया, होशंगाबाद, सिहोर ने (जून एवं जुलाई 2014) तथा सहायक आबकरी आयुक्त धार ने (जुलाई 2014) बताया कि शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की ओर भेजे गये है।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग को (मई 2015) प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (नवम्बर 2015)।

3.4.4 एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की अधिक हानि पर शास्ति का अनारोपण

मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यों को 124 परमिटों के माध्यम से 41,84,740 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल निर्यात की गई, जिसके विरूद्ध आयात करने वाले राज्य को 41,61,959 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप, 8,369.48 प्रूफ लीटर की अनुमत्य सीमा से 14,411.50 प्रूफ लीटर अधिक हानि हुई। विभाग ने इस हानि के विरूद्ध लायसेंसधारियो से ₹ 13.26 लाख शास्ति के रूप में वसूल नहीं किये।

हमने जिला आबकारी अधिकारी खरगौन के मैसर्स एसोसिएट एल्कोहल और ब्रेवरी लिमिटेड के आबकारी सत्यापन प्रमाण–पत्र की जाँच (जुलाई 2014) में पाया, कि 124 परमिटो से 41,84,740 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल मध्यप्रदेश से दूसरे राज्यों को निर्यात (अप्रैल 2013 से अप्रैल 2014 के मध्य) किया गया, जिसके विरूद्ध आयातित राज्य को 41,61,959 प्रूफ लीटर एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल प्राप्त हुई, परिणामस्वरूप अनुमत्य सीमा 8,369.48 प्रूफ लीटर से 14,411.50 प्रूफ लीटर की अधिक हानि हुई।

मध्यप्रदेश डिस्टीलरी नियम 1995 के नियम 6(4) एवं 8(4) के अनुसार कि स्पिरिट/एक्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए.) को टेंकर द्वारा दूरी के हिसाब से एक आसवनी/भण्डारगार से दूसरे आसवनी में परिवहन या निर्यात करने पर रिसाव या वाष्पीकरण कुल निर्यात/परिवहन का 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक हर अनुमत्य है।

अनुमत्य सीमा से अधिक नुकसान या कमी के प्रकरणो में लायसेंसधारी उस समय प्रचलित देशी स्पिरिट पर प्रति प्रुफ लीटर शुल्क से अधिक शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी था। इस प्रकार अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर विभाग द्वारा ` 13.26 लाख वसूली योग्य शास्ति लगाई जानी चाहिए थी, जो न तो लगाई गई और न ही वसूल की गई ।

इसके परिणामस्वरूप लायसेंसधारी से ` 92 प्रति प्रुफ लीटर के हिसाब से (2013–14 मे देशी स्पिरिट की प्रति प्रुफ लीटर शुल्क की दर पर) ` 13.26 लाख की प्राप्ति नही हो सकी। यद्यपि मदिरा के अधिक हानि के प्रकरणों की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी को त्रैमासिक विवरणियों के माध्यम से दे दी थी। विभाग द्वारा शास्ति का आरोपण नही करते हुए वसूली भी नही की गई।

हमारे द्वारा इंगित करने के बाद विभाग मे उत्तर (सितम्बर 2015) में बताया, कि नौ प्रकरणों में शास्ति की राशि ` 52,376 वसूल कर ली गई है जबकि 123 प्रकरणों मे डिस्टीलरी ने 25 प्रतिशत राशि जमा करवा दी तथा आबकारी आयुक्त के न्यायालय से शास्ति आरोपण के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। हांलाकि विभाग ने अपने उत्तर के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

हमने प्रकरण शासन एवं विभाग के (मई 2015) संज्ञान में लाया, शासन का उत्तर (नवम्बर 2015) प्राप्त नहीं हुआ।

3.5 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आबकारी आयुक्त कार्यालय में आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख संयुक्त संचालक होता है, जो मध्यप्रदेश कोष एवं लेखा के अधिकारियो के सहयोग से विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्य का निष्पादन करता है।

विभाग प्रतिवर्ष अधिनस्थ कार्यालयो की लेखापरीक्षा हेतु रोस्टर तैयार करता है। हालांकि, विभाग ने सूचित किया, कि विभाग प्रमुख एवं दूसरे स्टाफ के शाखा कार्यालयों मे व्यस्तता के कारण वर्ष 2014–15 मे रोस्टर पद्धति के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन नही हो सका। विभाग ने 2014–15 में 16 इकाइयो की लेखापरीक्षा की और इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में 96 सामान्य प्रकृति के पैराग्रफ लिये गये तथा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय मेन्यूअल के अनुसार कार्य करें।

पिछले वर्षो के दौरान इकाइयों की योजना, लेखापरिक्षित आपत्तियो की संख्या, निराकृत एवं शेष आपत्तियों का विवरण निम्नलिखित **तालिका 3.2** में दिया गया है:–

तालिका 3.2

वर्ष	रोस्टर के अनुसार इकाईयां	लेखापरीक्षित ईकाइयां	रोस्टर से कम लेखापरीक्षित इकाईयां	कमी का प्रतिषतं	शामिल की गई कंडिकाएं	निराकृत की गई कंडिका	वर्ष के अन्त मे शेष बची कंडिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
2010–11	50	41	09	18.00	60	07	117
2011–12	50	16	34	68.00	64	12	169
2012–13	50	16	34	68.00	111	10	270
2013–14	35	08	27	77.14	41	00	311
2014–15	–	16	–	–	96	00	407

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग मे आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु 2010–11 से 2013–14 तक रोस्टर पद्धति के अनुसार बनाये गये प्लान के लक्ष्य को प्राप्त नही किया। कमी लक्ष्य में 2010–11 से 2013–14 तक 18 प्रतिशत से 77.14 प्रतिशत रही। विभाग ने 2014–15 में रोस्टर पद्धति के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा का संचालन नही किया और 69 इकाइयों में से केवल 16 इकाइयों की लेखापरीक्षा हुई। आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को मजबूत करने हेतु या आवश्यक है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताओं को दूर करे, जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है।

अध्याय – 4
वाहनों पर कर

अध्याय–4

वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से प्रमुख सचिव (परिवहन) के अधीन कार्य करता है। चालक अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना एवं वाहनों पर कर/शुल्क/शास्ति का आरोपण एवं संग्रहण की प्रक्रिया का प्रशासनिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। जिसकी सहायता के लिए मुख्यालय स्तर पर एक अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), दो संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन/वित्त), तीन उप परिवहन आयुक्त एवं एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है। मैदानी स्तर पर 10 संभागीय परिवहन उपायुक्त, 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.), 10 अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) एवं 30 जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) है। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों का परिवीक्षण करते हैं।

वाहनों पर कर का संग्रहण निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन किया जाता है :

- मोटरयान अधिनियम, 1988 ;
- केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 ;
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991, तथा
- मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम (नियम), 1991

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014–15 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित 51 में से 24 इकाईयों (क्षे.प.का. –10, अ.क्षे.प.का.–5 एवं जि.प.का.–9) जिसमें ₹ 356.51 करोड़ का कुल राजस्व अन्तर्निहित था, की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 20.02 करोड़ के 3,30,743 प्रकरण प्रकट हुए, जो तालिका 4.1 में निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं :–

तालिका 4.1

			(` करोड़ में)
क्र.सं.	**श्रेणी**	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
1.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	16,800	11.68
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	1,057	3.44
3.	मैक्सी कैब वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	641	2.11
4.	अन्य	3,12,245	2.79
	योग	**3,30,743**	**20.02**

वर्ष के दौरान विभाग ने 1,60,454 प्रकरणों में ₹ 6.01 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य प्रकार की कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 157 प्रकरणों में ₹ 12.96 लाख की राशि वसूल की गई।

उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रकरणों जिसमें ₹ 9.48 करोड़ की राशि सन्निहित है, कि

चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

4.3 लोक सेवा वाहनों की बैठक क्षमता के गलत निर्धारण से कम कर का आरोपण

मोटरयान जिनका व्हील बेस 3800 मि.मी., 4200 मि.मी. एवं 5639 मि.मी. है, को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित बैठक क्षमता की तुलना में कम बैठक क्षमता के लिये पंजीकृत किया गया जिसके कारण ₹ 29.92 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

हमने (जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) 10 कार्यालयों[1] के कम्प्यूटर डाटा बेस एवं पंजीकरण अभिलेखों की जाँच की और पाया कि मॉडल टाटा एल.पी.1109/42 जिसका व्हील बेस 4200 मि.मी. है, मॉडल टाटा एल.पी.709/38 जिसका व्हील बेस 3800 मि.मी. तथा मॉडल अशोक लीलैण्ड ए.एल.पी.एस.वी.3/41 तथा 4/94 जिसका की व्हील बेस 5639 मि.मी. है (माह जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) के 57 वाहनों को कम बैठक क्षमता के लिये पंजीकृत किया गया था।

यह म.प्र. मोटरयान कर नियम 1994 के नियम 158 (3) एवं परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 31 मई 2005 को जारी निर्देशों के विरूद्ध था। इस प्रकार वाहनो को उनकी बैठक क्षमता के 2 से 14 सीट कम बैठक क्षमता में पंजीकृत करने के कारण ₹ 29.92 लाख के कम कर का आरोपण हुआ।

यह इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जाँच करने के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

हमने प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

4.4 वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये 349 लोकसेवा यानों, 582 मालयानों, 134 मैक्सी कैब/टैक्सी कैब, 525 अर्थमूवर/हार्वेटर तथा 8 मंजिली गाडियों पर यानकर ₹ 4.56 करोड़ एवं शास्ति ₹ 2.57 करोड़ का भुगतान न तो यान स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों ने उसकी मांग की।

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 (1) के अनुसार प्रत्येक मोटरयान पर कर का उद्ग्रहण अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जायेगा। कर का भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा–13 के अनुसार शास्ति भी आरोपित होगी।

हमने (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) 23 परिवहन कार्यालयों के मांग एवं वसूली पंजी, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी पंजी, वाहन जमा पंजी तथा कम्प्यूटर डाटाबेस की नमूना जाँच की और पाया कि 11,832 वाहनों (माह अप्रैल 2011 एवं मार्च 2014 के मध्य) में से 1,598 वाहनों पर कर की राशि ` 4.56 करोड़ का भुगतान, न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी माँग की गयी । अधिनियम की धारा–13 के अनुसार कर के विलम्ब से भुगतान के लिए ` 2.57 करोड की शास्ति आरोपणीय थी, जो आरापित नहीं की गई। परिणामस्वरूप ` 7.13 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। विवरण **तालिका 4.2** में नीचे दर्शाया गया है।

[1] क्षे.प.का.–भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.का.–खण्डवा, जि.प.का.– बालाघाट, भिंड तथा मण्डला.

तालिका 4.2

(लाख में)				
वाहनों के प्रकार/वाहनों की संख्या	**शामिल कार्यालयों की संख्या**	**कर जो वसूली नहीं गयी**	**कर न भुगतान करने पर शास्ति**	**वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना**
लोक सेवायान 349	9 क्षे.प.का. 2 अ.क्षे.प.का. 8 जि.प.का. योग 19 कार्यालय[2]	218.00	103.00	321.00
माल यान 582	8 क्षे.प.का. 4 अ.क्षे.प.का. 7 जि.प.का. योग 19 कार्यालय[3]	108.00	65.54	173.54
मैक्सी कैब/टैक्सी कैब 134	1 क्षे.प.का. 4 अ.क्षे.प.का. 1 जि.प.का. योग 06 कार्यालय[4]	19.76	15.37	35.13
अर्थ मूवर्स/हार्वेस्टर 525	9 क्षे.प.का. 4 अ.क्षे.प.का. 6 जि.प.का. योग 19 कार्यालय[5]	102.00	68.51	170.51
मंजिली गाड़ी 8	2 क्षे.प.का. 2 अ.क्षे.प.का. योग 04 कार्यालय[6]	8.36	4.44	12.80
योग		**456.12**	**256.86**	**712.98**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर कराधान अधिकारियों ने (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) बताया कि बकाया करों की वसूली के लिए सूचना पत्र जारी किये जायेंगे/प्रकरणों में परीक्षण उपरांत वसूली की जावेगी।

हमने प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 2015)।

4.5 व्यापार शुल्क की वसूली न होना/कम वसूली होने के परिणामस्वरुप राजस्व की प्राप्ति/कम प्राप्ति होना

अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच पंजीकृत 2,17,408 दोपहिया वाहनों तथा 57,361 चार पहिया वाहनों पर व्यापार शुल्क की राशि ₹ 2.06 करोड़ (प्रति मोटरसाइकिल ₹ 50 तथा अन्य के लिए प्रतिवाहन ₹ 200 की दर से) वसूलने में विभाग असमर्थ रहा।

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 के तहत कोई भी व्यक्ति वाहन को सार्वजनिक स्थल पर तब तक नहीं चला रूकेगा जब तक वह पंजीकृत न हो। परन्तु केन्द्रीय

---

2 क्षे.प.का. – भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर, शहडोल एवं उज्जैनय अ.क्षे.प.का. – खण्डवा एवं मंदसौरय जि.प.का. – बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, दतिया, मण्डला, राजगढ़, श्योपुर एवं टीकमगढ़

3 क्षे.प.का. – ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर एवं उज्जैनय अ.क्षे.प.का. –छतरपुर, खण्डवा, खरगौन एवं मंदसौर जि.प.का. – अलिराजपुर, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, मण्डला, श्योपुर एवं टीकमगढ़

4 क्षे.प.का. – होशंगाबाद, अ. क्षे. प. क. – खण्डवा, खरगौन, मंदसौर एवं छतरपुर, जि.प.क. अलिराजपुर

5 क्षे.प.का. – भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर एवं उज्जैनय अ.क्षे.प.का. – छतरपुर, खण्डवा, खरगौन एवं मंदसौरय जि.प.का. – अलिराजपुर, बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, मण्डला एवं श्योपुर

6 क्षे.प.का. – होशंगाबाद एवं उज्जैन, अ.क्षे.प.क – खण्डवा एवं खरगौन

मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 के अनुसार पंजीकृत व्यवसायी को पंजीकरण की आवश्यकता से इन शर्तो पर छूट प्रदान की गई है कि यदि वह नियम 34 में दर्शाये प्रपत्र 16 मे व्यापार प्रमाण पत्र दिये जाने या उसके नवीनीकरण हेतु नियम 81 में दिये गये प्रति वाहन हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करे। व्यापार शुल्क वसूली हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा भी इस संबंध में नियमानुसार व्यापार शुल्क वसूलने हेतु एक आदेश (27 जनवरी 2012) जारी किया गया है। विभाग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वास्तव में कितने वाहन बेचे गये थे जिनके लिए व्यापार प्रमाणपत्र जारी किये गये और व्यापार शुल्क की सही राशि वसूल की गई।

हमने (जून 2014 से मार्च 2015 के मध्य) 12 कार्यालयों[7] के वाहन पंजीकरण डाटा तथा व्यापार पंजीकरण प्रमाण–पत्र/व्यापार शुल्क पंजी के जांच में पाया कि (अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के मध्य) 2,19,975 दोपहिया वाहन तथा 58,830 चार पहिया वाहन पंजीकृत थे।

उपरोक्त आदेश के विरूद्ध यह देखा गया कि व्यापार शुल्क केवल 12,567 दोपहिया वाहनों तथा 1,469 चार पहिया वाहनों पर ही वसूला गया। विभाग द्वारा ₹ 2.10 करोड़ व्यापार शुल्क के विरूद्ध मात्र ₹ 4.22 लाख व्यापार शुल्क वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ के व्यापार शुल्क की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा (जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) इंगित किये जाने पर पाँच कराधान प्राधिकारियों[8] ने बताया कि वसूली हेतु संबंधित व्यवसायियों को नोटिस जारी किये जा रहे है। कराधान प्राधिकारी मंडला एवं मंदसौर (जुलाई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) ने बताया कि परीक्षण उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। कराधान प्राधिकारी बुरहानपुर तथा टीकमगढ़ ने बताया कि मुख्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के उपरांत वसूली की जायेगी। कराधान प्राधिकारी रीवा तथा सिवनी ने बताया कि नियम 81 के अंतर्गत व्यापार शुल्क केवल व्यापार प्रमाण–पत्र के लिए है न कि वाहनों के विक्रय से संबंधित है। अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छतरपुर ने बताया कि वसूली के उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

हम कराधान प्राधिकारी रीवा तथा सिवनी के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 27 जनवरी 2012 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जिसके अनुसार व्यवसायी द्वारा विक्रय हेतु रखे गये प्रत्येक वाहन पर व्यापार शुल्क प्रभारणीय है जो बाद में बेचे तथा पंजीकृत किये जाते हैं।

हमने प्रकरण परिवहन आयुक्त एवं शासन को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

4.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी संगठन को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1992 में परिवहन आयुक्त के सीधे नियंत्रण में की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा सभी अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्पादित करने तथा ऐसे परीक्षण के दौरान संसूचित अनियमितताओं पर उचित सुधारात्मक कार्रवाही करने हेतु अनुदेश जारी करने के उद्देश्य के साथ संयुक्त परिवहन आयुक्त (वित्त) के पर्यवेक्षण में निष्पादित की जा रही है।

---

[7] क्षे.प.का. – जबलपुर, रीवा तथा सागर, अ.क्षे.प.का. छतरपुर, खण्डवा, मंदसौर, सिवनीय जि.प.का – बालाघाट, भिण्ड, बुरहानपुर, मण्डला तथा टीकमगढ़

[8] क्षे.प.का. – जबलपुर तथा सागर, अ.क्षे.प.का. खण्डवाय जि.प.का. – बालाघाट तथा भिण्ड

वर्ष 2014–15 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा 35 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी जिसके विरूद्ध केवल पाँच इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की गई। विभाग द्वारा बताया गया कि विभागीय स्टॉफ निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनाव में संलग्न होने के कारण 30 इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा ग्वालियर में है एवं चुनाव प्रक्रिया सामान्यतः 30 दिन में पूरी हो जाती है अतः शेष अवधि में आन्तरिक लेखा परीक्षा पूर्ण की जा सकती थी । केवल पाँच इकाईयों की लेखापरीक्षा यह दर्शाता है कि विभाग के पास सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है । विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

अध्याय – 5
भू–राजस्व

अध्याय – 5

भू–राजस्व

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2014–15 में 393 भू–राजस्व की इकाइयों में से 122 इकाइयों (20–क्लेक्टरेट, 101–तहसीलदार एवं 1–राजधानी परियोजना) की नमूना जांच की तथा इसमें ₹ 416.15 करोड़ के 2,55,068 प्रकरणों में राजस्व के कम निर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं पायी गई जिन्हें तालिका 5.1 में विभिन्न श्रेणियों में दर्शाया गया है :–

तालिका 5.1

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	निष्पादन लेखापरीक्षा **'मध्यप्रदेश में भू–राजस्व प्राप्तियों'**	1	121.56
2.	गलत दरों के कारण प्रब्याजि एवं भू–भाटक की हानि	10	6.58
3.	नजूल भूमि पट्टों के नवीनीकरण न होना	5,688	1.90
4.	व्यपवर्तन किराया एवं प्रब्याजि का कम निर्धारण	6,188	33.36
5.	व्यपवर्तन किराया, प्रब्याजि एवं आर्थिक दण्ड (पेनाल्टी) की मांग न करना	1,02,019	1,493
6.	प्रक्रिया व्यय की अवसूली एवं अनारोपण	142	49.21
7.	आर.आर.सी. (राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों) की प्रविष्टि (दर्ज) न होना	4,777	7.89
8.	अन्य अनियमितताएं (प्रक्रिया व्यय, भू–राजस्व बकाया, राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों पर कार्यवाही न करना, बी–7 में चूककर्त्ताओं की सूची तैयार कर, कार्यवाही न करना)	1,36,243	180.72
	कुल	**2,55,068**	**416.15**

वर्ष 2014–15 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में 58,411 प्रकरणों में ₹ 163.94 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य कमियों को इंगित किया गया जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। विभाग ने वर्ष 2014–15 में 293 प्रकरणों में ₹ 1.20 करोड़ की वसूली की।

मध्यप्रदेश में भू–राजस्व प्राप्तियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 121.56 करोड़ एवं ₹ 13.13 लाख की लेखापरीक्षा में पाई गई कमियों को अनुवर्ती कण्डिकाओं में दर्शाया गया है।

5.2 मध्यप्रदेश में भू–राजस्व प्राप्तियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रमुख विशेषताएँ

जनवरी से जून 2015 के मध्य हमने भू–राजस्व के निर्धारण एवं वसूलियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच की। इसमें राजस्व के अनिर्धारण, कम निर्धारण एवं माँग कायम न करने से सम्बन्धित ₹ 121.56 करोड़ की कई कमियाँ जानकारी में आई। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कमियाँ निम्न प्रकार है :–

निजी संस्थाओं को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थान कॉम्पलेक्स तथा पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्रावधानों के विरूद्ध कम मूल्य पर शासकीय भूमि का आवंटन किया गया परिणामस्वरूप ₹ 29.80 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

(कण्डिका 5.2.8)

नजूल भूमि के स्थायी पट्टों के 2010–11 से 2014–15 की अवधि के नवीनीकरण के लम्बित 15,590 पट्टों में से केवल 917 प्रकरणों में स्थाई पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 1962–63 से 2014–15 के मध्य 14,673 प्रकरणों की समाप्त हुई अवधि के नवीनीकरण के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कण्डिका 5.2.9)

बारह कलेक्ट्रेट्स में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों की भूमि पर आरोपित प्रब्याजि तथा भू–भाटक पर पंचायत उपकर का आरोपण नहीं किया परिणामस्वरूप शासन को 1,063 प्रकरणों में ₹ 14.33 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(कण्डिका 5.2.15)

तीन कलेक्ट्रेट्स में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोक अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन न करते हुए सम्यक रूप से अधूरे स्टाम्पित विलेखों को परिबद्ध न करने से स्टाम्प डयूटि, पंजीयन फीस तथा शास्ति के ₹ 4.84 करोड की वसूली नहीं हुई।

(कण्डिका 5.2.16)

चौदह कलेक्ट्रेट्स में भू–राजस्व के विभिन्न मदों में 30 दिन से ज्यादा अवधि के ₹ 264.80 करोड़ की राशि लम्बित थी। बकाया राजस्व की वसूली तथा इस पर 100 प्रतिशत तक आरोपणीय शास्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(कण्डिका 5.2.19)

मुख्य खनिज के 252 पट्टों की 18,099.241 हेक्टेयर भूमि पर आरोपणीय भू–राजस्व का निर्धारण न करने से ₹ 31.15 करोड़ के भू–राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(कण्डिका 5.2.20)

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान चार आयुक्त कार्यालयों में हमने देखा कि इन्दौर आयुक्त कार्यालय ने अधीनस्थ कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए 120 इकाइयों एवं भोपाल आयुक्त कार्यालय में 47 इकाइयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई जबकि सागर संभाग आयुक्त कार्यालय में कोई लेखापरीक्षा योजना नहीं बनाई गई। इन्दौर में 60 इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई जबकि भोपाल सम्भाग में किसी भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। उज्जैन सम्भाग एक मात्र सम्भाग था जहाँ लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से 90 प्रतिशत अधीनस्थ इकाइयों की लेखापरीक्षा कर लक्ष्य प्राप्त किया गया। इसके अलावा तहसील कार्यालयों द्वारा राजस्व

के मासिक पत्रकों में दिखाये गये आंकड़ों की सत्यता की जाँच के लिए मासिक तौजी नहीं बनाई गई।

(कण्डिका 5.2.23)

5.2.1 प्रस्तावना

सभी भूमि, चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए अथवा किसी भी स्थान पर स्थित हो, राज्य शासन को राजस्व भुगतान के लिए दायित्वाधीन है। केवल वे भूमि राजस्व भुगतान से मुक्त होंगी जिन्हें राज्य शासन के साथ किसी विशेष छूट, अनुबन्ध अथवा किसी नियम के प्रावधानों अथवा समय–समय पर प्रचलित नियमों के तहत मुक्त रखा गया है। शासन को भूमि के लिए भुगतान योग्य सभी धन राशियां जो प्रब्याजि या भाटक के रूप में वर्णित हों, भू–राजस्व कहलाता हैं । जब कृषि भूमि आवासीय/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित की जाती है तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यपवर्तित की गई भूमि पर प्रब्याजि पर व्यपवर्तन किराए का निर्धारण किया जाता है।

राज्य में स्थायी अथवा अस्थाई पट्टे के रूप आवंटित की जाने वाली नजूल भूमि पर भू–भाटक, प्रब्याजि तथा ब्याज का आरोपण किया जाता है। नजूल भूमि वह शासकीय भूमि है जिस पर निर्माण या सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे बाजार और मनोरंजन स्थल आदि का उपयोग किया जाता है। भू–राजस्व, उपकर, अर्थदण्ड, शास्ति, प्रक्रिया व्यय एवं ब्याज का आरोपण एवं संग्रहण मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) और अधिसूचनाओं/कार्यकारी अनुदेशों द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अतिरिक्त पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि पर आरोपित भू–राजस्व पर पंचायत उपकर भी आरोपित किया जाता है।

5.2.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर राजस्व विभाग प्रमुख सचिव के अधीन होता है। प्रधान राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख है। सभी जिलों में विभागीय क्रियाकलापों पर प्रबन्ध नियंत्रण का कार्य कलेक्टर करते हैं। उपसंभाग स्तर पर पदस्थ किये गये प्रभारी अधिकारियों को अनुविभागीय अधिकारी कहते हैं। ये कलेक्टर की उन शक्तियों का उपभोग करते हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। राजस्व अभिलेखों एवं बन्दोबस्त के रखरखाव के लिए अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (भू–अभिलेख) की पदस्थापना होती है । तहसीलदार/अपर तहसीलदार राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। नीचे चार्ट में संगठन अधिक्रम एवं विभागीय दायित्व को चार्ट–एक में दर्शाया गया है।

चार्ट 1: संगठनात्मक संरचना

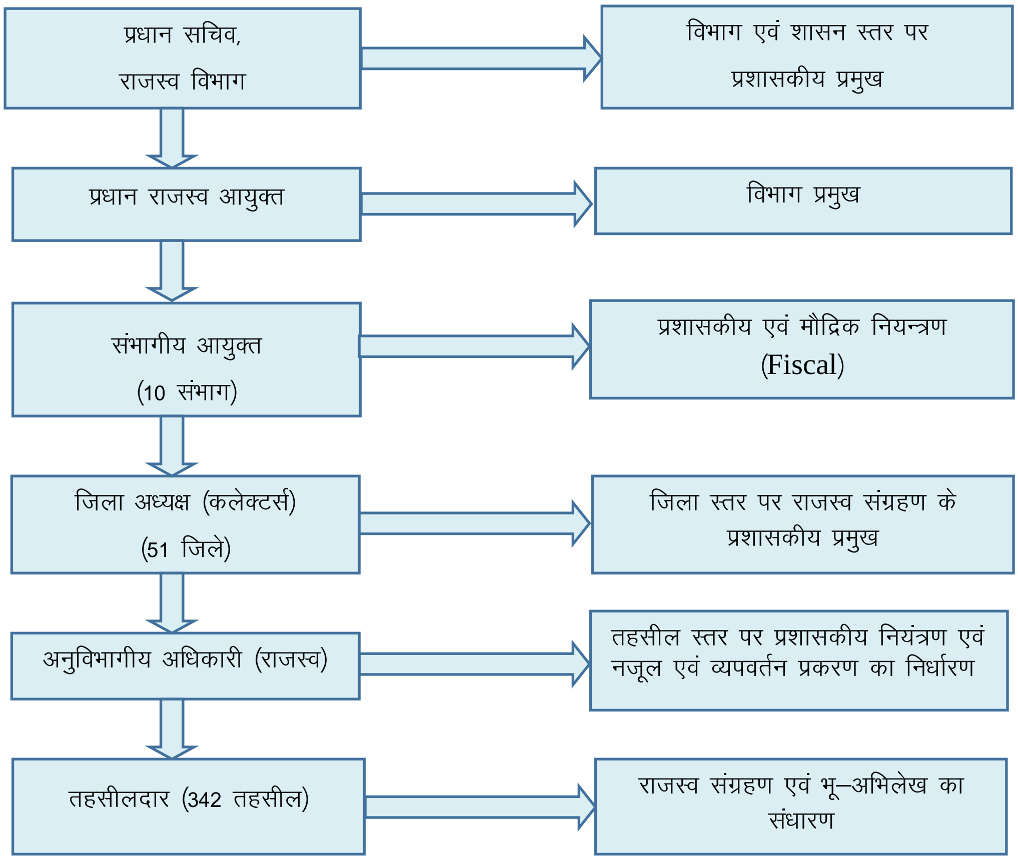

5.2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत लगान, प्रब्याजि, शुल्क एवं अर्थदण्ड के निर्धारण एवं संग्रहण की दक्षता एवं प्रभावकारिता के मूल्यांकन के उद्देश्य से वर्ष 2010–11 से 2014–15 के मध्य अवधि के कलेक्टर्स, अनुविभागीय अधिकारियों तथा तहसीलदारों के अभिलेखों की जाँच की गई। इसके अतिरिक्त प्रधान राजस्व कमिश्नर कार्यालय से भी जानकारियाँ एकत्र की गई। जनवरी से जून 2015 के मध्य प्रदेश के 51 कलेक्ट्रेट्स में से 14 जिले[1] के कलेक्टर्स एवं इनका 74 तहसीलों[2] में से 25 तहसील कार्यालयों के क्रियाकलापों को निष्पादन लेखा परीक्षा की गई। इन इकाइयों का चयन प्रतिस्थापन रहित साधारण यादृच्छिक विधि से किया गया।

5.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित है :–

- मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959
- मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993
- मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, 1982
- मध्यप्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली), अधिनियम, 1987 एवं

[1] भोपाल (राजधानी परियोजना सहित), छतरपुर,, छिन्दवाडा, धार, हरदा, इन्दौर, जबलपुर, खरगोन, सागर, सतना, सवनी, सीधी, सिगंरोली और उज्जैन।

[2] बीना, छापारा, छतरपुर, छिन्दवाडा, धार, गोपदबनास (सीधी), हरदा, हुजूर (भोपाल), इन्दौर, जबलपुर, खरगोन, लखनादोन, मेहर, महिदपुर, महेशवर, मऊ, नोगांव, पंधुरना, रघुराजनगर (सतना), राजनगर, सागर, सिहोनी, सिहोरा, सिगंरोली और उज्जैन

- राजस्व परिपत्र पुस्तक

5.2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई कि

- नियम प्रक्रिया एवं शासकीय आदेशों का नजूल भूमि आवंटन भू–राजस्व प्रब्याजि एवं नजूल रेंट के निर्धारण एवं उस पर उपकर के आरोपण का पालन दक्षतापूर्वक किया गया।
- भू–भाटक, प्रीमियम तथा उस पर आरोपित ब्याज का सही निर्धारण एवं नियत समय पर वसूली की गई एवं
- राजस्व वसूली के नियन्त्रण एवं उपयुक्त प्रणाली का होना

5.2.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक जानकारियाँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किये गये सहयोग को स्वीकार करते हैं। लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली की चर्चा हेतु विभाग के प्रधान सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 19 जनवरी 2015 को आयोजित किया गया। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जून 2015 में विभाग एवं शासन को अग्रेषित की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर प्रधान सचिव राजस्व, मध्यप्रदेश शासन के साथ 26 सितम्बर 2015 को निर्गम सम्मेलन में चर्चा हुई। विभाग एवं शासन का दृष्टिकोण इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल कर लिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सभी पाँचों अनुशंसाओं को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया।

5.2.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राजस्व परिपत्र पुस्तक (आर.बी.सी.वाल्युम–I) क्र.11 की कण्डिका 6.6.1 एवं मध्यप्रदेश बजट मेन्युअल 2012 के अनुसार राजस्व प्राप्ति अनुमान वास्तविक माँग जिसमें पूर्व वर्षों की बकाया राशि भी शामिल हो तथा उनके वर्ष के दौरान प्राप्ति की वास्तविक सम्भावना पर आधारित होनी चाहिए। मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 192 के अनुसार, वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों से प्राप्त जानकारियों एवं आंकड़ों के आधार पर बजट अनुमान तैयार करेंगे।

भू–राजस्व की वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक की कुल प्राप्तियाँ एवं इसी अवधि की कुल कर प्राप्तियां **तालिका 5.2** में दर्शाई गई है :–

तालिका 5.2

(` करोड़ में)

वर्ष	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य (+) एवं कमी (–) का परिवर्तन	परिवर्तन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	वास्तविक कर प्राप्ति एवं कुल प्राप्ति का प्रतिशत
2010–11	400.24	360.81	(–) 39.43	(–) 9.85	21419.38	1.68
2011–12	475.00	279.06	(–) 195.94	(–) 41.25	26973.44	1.03
2012–13	550.00	443.59	(–) 106.41	(–) 19.35	30581.70	1.45
2013–14	572.00	366.23	(–) 205.77	(–) 35.97	32342.12	1.13
2014–15	700.10	243.10	(–) 457.00	(–) 65.28	36567.31	0.66

(स्त्रोत : मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से ये परिलक्षित है कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से 10 से 65 प्रतिशत कम रही। इससे स्पष्ट है कि बजट अनुमान पूर्व वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों जिनमें पूर्व वर्षों के बकाया भी शामिल हैं को ध्यान में न रखकर तदर्थ आधार पर बनाये गये। भू–राजस्व प्राप्तियाँ विगत दो वर्षों में लगातार कम रही।

विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति में बजट के अनुमानों की तुलना में आई गिरावट के कारणों का आंकलन नहीं किया। विभाग ने राजस्व प्राप्ति में, आई गिरावट के लिए वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में राजस्व अधिकारियों के चुनावों में व्यस्त होने तथा अनपेक्षित बारिश एवं ओलावृष्टि को मुख्य कारण माना।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

शासकीय भूमि से सम्बन्धित प्रकरण

5.2.8 नजूल भूमि का कम दरों पर आवंटन के परिणामस्वरूप प्रब्याजि भू–भाटक का कम निर्धारण

निजी संस्थानों को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना, उच्च शिक्षण संस्थान कॉम्पलेक्स तथा पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्रावधानों के विरूद्ध कम मूल्य पर शासकीय भूमि का आवंटन किया गया परिणामस्वरूप ₹ 29.80 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

5.2.8.1 शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन

राजस्व परिपत्र पुस्तक–IV–I के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नजूल भूमि का आवंटन न्यूनतम दर पर निर्धारित प्रीमियम के 50 प्रतिशत पर प्रीमियम तथा उसके 2 प्रतिशत के बराबर भू–भाटक पर किया जावेगा। राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनवरी 1992 में जारी परिपत्र के अनुसार, शासकीय भूमि का मूल्यांकन कलेक्टर गाइडलाइन के प्रावधानों या पुनरीक्षित न्यूनतम दर दोनों में जो अधिक हो, के आधार पर किया जावेगा।

विभाग द्वारा दिसम्बर 2009, में पुनः परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि विनिर्देश निम्नतम दरों को ''कलेक्टर्स गाईडलाईन वेल्यू'' पढा जाए। इस प्रकार लागू प्रावधानों के अनुसार, नजूल भूमि का आवंटन सम्बन्धित वर्ष की कलेक्टर्स गाइडलाइन की दरों अनुसार किया जावेगा। राजस्व परिपत्र पुस्तक खण्ड IV–1 के अनुसार नजूल भूमि वह भूमि है जिसका स्थल महत्व ज्यादा है तथा कृषि महत्व नहीं है। इस प्रकार नजूल भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि के रूप में नहीं किया जा सकता।

निष्पादन लेखा परीक्षा में शामिल कार्यालयों में शासकीय भूमि आवंटन के निर्धारित प्रकरणों की नमूना जाँच में हमने पाया कि कुल आवंटित 15 प्रकरणों में से छः प्रकरणों में भूमि आवंटन प्राइवेट संस्थानों को और नौ प्रकरणों में शासकीय संस्थानों आवंटन किया गया। हमने पाया कि इन्दौर में फरवरी 2014 में 20.803 हेक्टेयर शासकीय नजूल भूमि दो प्राइवेट संस्थानों क्रमशः सिमबायसिस फाउण्डेशन एवं श्री विले पार्ले केलवानी मण्डल, इन्दौर प्राइवेट विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने को दी। विभाग ने जमीन का मूल्यांकन कृषि भूमि दर ₹ 2,500 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया। उल्लेखनीय है कि नजूल भूमि का स्थल मूल्य, महत्व होता है न कि कृषि महत्व। अतः यह कृषि दर पर आवंटन हेतु मूल्यांकित नहीं की जानी चाहिए थी। इस

प्रकार नजूल भूमि को आवासीय महत्व की भूमि के अनुसार ₹ 5,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रीमियम एवं भू–भाटक की गणना अनुसार ₹ 26.52 करोड़[3] होती है।

नजूल भूमि के आवंटन में गलत दरों पर गणना करने से शासन को ₹ 26.42 करोड़ के प्रीमियम एवं भू–भाटक से वंचित होना पड़ा। इसके अतिरिक्त शासन पट्टा अवधि में प्रतिवर्ष आवर्ति रूप से आरोपणीय वार्षिक भू–भाटक ₹ 52 लाख की कम प्राप्ति होगी।

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव, राजस्व ने बताया (सितम्बर, 2015) कि सुधार के लिए पुनरीक्षित आदेश जारी किये जावेंगे।

5.2.8.2 हमने मार्च, 2015 में भोपाल कलेक्ट्रेट नजूल के भूमि आवंटन के पट्टों की नमूना जांच में पाया कि मध्यप्रदेश शासन ने 0.424 हेक्टेयर नगर निगम सीमा में स्थित भूमि नवयुवक सभा, बैरागढ़ को दिसम्बर, 2010 में शैक्षणिक उद्देश्य से ₹ 13.69 लाख प्रीमियम एवं ₹ 27,399 के वार्षिक भू–भाटक पर आवंटित की गई थी। शासन ने यह भूमि ₹ 30 प्रति वर्गफुट के न्यूनतम प्रीमियम एवं प्रीमियम के दो प्रतिशत की राशि के बराबर वार्षिक भू–भाटक पर आवंटित की। यह आवंटन शासन के पूर्व आदेशों (दिसम्बर 2009) कलेक्टर गाइडलाइन की दरों[4] के प्रावधानों का उल्लंघन था।

इस प्रकार कलेक्टर गाइडलाइन की दरों के स्थान पर निम्नतम दरों के लागू करने से ₹ 2.46 करोड़ के प्रीमियम एवं भू–भाटक का कम निर्धारण एवं ₹ 4.82 लाख प्रति वर्ष के भू–भाटक का पट्टे के जीवनकाल में अनारोपण हुआ। भूमि के पट्टे के प्रीमियम एवं भू–भाटक के कम निर्धारण से पट्टा अनुबन्ध में ₹ 38.41 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति हुई। **(तालिका 5.3)**

तालिका 5.3

आरोपणीय प्रीमियम एवं भू–भाटक	आरोपणीय प्रीमियम वार्षिक भू–भाटक	प्रीमियम एवं भू–भाटक का कम आरोपण	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण
2,54,63,755 5,09,275	13,69,950 27,399	2,40,93,805 4,81,876	3,97,545 2,98,060
कुल		2,45,75,681	38,41,246

(गणना लेखापरीक्षा द्वारा की गई)

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव, राजस्व ने बताया (सितम्बर 2015) कि वसूली के लिए पुनरीक्षित आदेश जारी किये जावेंगे।

5.2.8.3 वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन

कलेक्टर कार्यालय, हरदा में हमने पाया (मई 2015) कि शासन द्वारा 16,500 वर्गफुट शासकीय नजूल भूमि एक प्राइवेट पार्टी को पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए मार्च 2006 में आवंटित की गई थी। यह भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत के नाम मात्र प्रीमियम पर आवंटित की गई।

यह आवंटन मध्यप्रदेश शासन के (नवम्बर 1995) आदेशों का उल्लंघन था, जिसके अनुसार शासकीय भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को भूमि

---

[3]

भूमि का क्षेत्रफल	भूमि का बाजार मूल्य प्रभार्य	देय प्रीमियम/भू–भाटक	प्रभारित प्रीमियम/भू–भाटक	कमी
20.803 हे.	104.02 करोड़	52.01/1.04 करोड़	26/0.52 करोड़	26/0.52 करोड़

[4] ₹ 12,000 प्रतिवर्ग मीटर का 50 प्रतिशत, वर्ष 2010–11 के कलेक्टरर्स गाईडलाइन के अनुसार

के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के रियायती मूल्य पर पेट्रोलियम कंपनी के आउटलेट स्थापित करने के लिए किया जावेगा। इसके कारण प्रीमियम एवं भू–भाटक की ₹ 37.01 लाख की कम वसूली एवं ₹ 2.57 लाख के भू–भाटक की पट्टा अवधि में प्रतिवर्ष आवर्ती रुप से कम आरोपण हुआ।

इस प्रकार **तालिका 5.4** दर्शाये गये विवरणानुसार प्रीमियम एवं भू–भाटक के कम निर्धारण से भूमि के पट्टा अनुबन्ध में ₹ 6.95 लाख की मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन की कम प्राप्ति हुई ।

तालिका 5.4

(राशि ₹ में)

आरोपणीय प्रीमियम वार्षिक भू–भाटक	प्रीमियम आरोपित वार्षिक भू–भाटक	प्रीमियम का कम आरोपण भू–भाटक	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण
42,93,680 3,22,026	8,50,800 64,260	34,42,880 2,57,766	3,97,545 2,98,060
कुल		**37,00,646**	**6,95,605**

(गणना लेखापरीक्षा द्वारा की गई)

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव, राजस्व ने (सितम्बर 2015) बताया कि शासन द्वारा इस प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए रियायत दी गई थी।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राजस्व परिपत्र पुस्तक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शासकीय भूमि को, पेट्रोल पम्प आवंटन के लिए, भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत प्रीमियम पर आवंटित किया जाए एवं भूमि आवंटन आदेश में रियायत पर भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण को विशेष प्रकरण मानने सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं थे।

5.2.9 नजूल भूमि के स्थाई पट्टों का नवीनीकरण न होना

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के मध्य नजूल भूमि के स्थायी पट्टों के 15,590 नवीनीकरण प्रकरणों में से केवल 917 प्रकरणों में नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए 1962–63 से 2014–15 के मध्य समाप्त हुए स्थायी पट्टों के 14,673 प्रकरणों में नवीनीकरण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सहपठित राजस्व परिपत्र पुस्तक–IV-1 के अनुसार, शहरी क्षेत्र में पट्टे पर धारित नजूल भूखण्ड हेतु देय भू–भाटक पट्टे के नवीनीकरण हो जाने पर, पुनरीक्षण योग्य हो जाता है । पुनरीक्षित भाटक (किराया) पुनरीक्षण के तुरंत पूर्व के भाटक के छः गुना पर निर्धारित किया जाता है । पुनरीक्षित निर्धारण जिस वर्ष में लागू किया जाता है उसके आगामी वित्तीय वर्ष या पूर्व पट्टे के समाप्ति की तिथि में से जो पहले हो, मान्य होगा ।

इसके अतिरिक्त राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार नजूल अधिकारी द्वारा एक पंजी का संधारण किया जावेगा। इस पंजी में सभी पट्टेदारों को पट्टा आवंटन की तिथि, वसूला जाने वाला वार्षिक किराया एवं पट्टा नवीनीकरण की आगामी तिथि संबंधी जानकारी संधारित की जाएगी।

हमने जनवरी से मई 2015 के मध्य देखा कि सागर एवं सिवनी के अलावा नजूल अधिकारियों ने पट्टों के नवीनीकरण की निगरानी रखने के लिए लीज रजिस्टर संधारित नहीं की। जिला कलेक्टर कार्यालयों में लीज आवंटन सम्बन्धी मूल अभिलेख

संधारित न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वास्तव में इन कार्यालयों में कितनी लीज पूर्व में स्वीकृत कर पट्टेदारों को आवंटित की गई थी, कितनी लीज नवीनीकरण योग्य थी एवं उनका कितना किराया वसूली योग्य था।

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित 14 कलेक्टर कार्यालयों में नजूल भूमि पट्टों के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी में हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2014–15 में कुल 22,690 स्थायी नजूल पट्टों में से 15,590 पट्टे नवीनीकरण योग्य थे। इसमें से नवीनीकरण के लिए केवल 917 आवेदन पट्टेदारी से प्राप्त हुए। नजूल अधिकारियों ने 513 पट्टा नवीनीकरण आवेदनों को निर्णित किया तथा 404 प्रकरण अनिर्णित लम्बित रखे। वर्ष 1962–63 से 2014–15 के मध्य तक पट्टा अवधि समाप्त हुए 14,673 प्रकरणों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

केवल जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर एवं प्रधान सचिव, राजस्व विभाग के मध्य हुए पत्राचार (फरवरी 2015) में हमने पाया कि 13,989 स्थायी पट्टों के प्रकरण नवीनीकरण के लिए लम्बित थे। जिसके विरुद्ध जुलाई 2014 तक जिला कलेक्टर ने पट्टो नवीनीकरण हेतु मात्र 238 प्रकरण पंजीकृत किये विभाग द्वारा 64 प्रकरणों में ₹ 15.77 करोड़ की मांग जारी की गई और उनमें से मात्र ₹ 19.92 लाख की वसूली 33 प्रकरणों में की गई तथा ₹ 15.57 करोड़ वसूली हेतु लम्बित रहे।

यह विचारणीय तथ्य है कि जबलपुर में 13,989 स्थायी पट्टों के प्रकरण नवीनीकरण के लिए लम्बित थे। अन्य कलेक्टर कार्यालयों द्वारा देय स्थायी पट्टों के नवीनीकरण सम्बन्धी न्यूनतम संख्या की सत्यता भी संदेहास्पद है। चूँकि स्थायी पट्टा सम्बन्धी पंजियां संधारित नहीं की गई, पट्टों के प्रकरणों का विवरण उपलब्ध न होने के कारण लेखा परीक्षा में उपरोक्त प्रकरणों में शामिल सम्भावित राजस्व को निर्धारित नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव राजस्व ने बताया (सितम्बर, 2015) कि स्थायी पट्टों की पंजियां संधारित की जावेगी एवं मांग एवं वसूली प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जावेगा।

हमारी अनुषंसा है कि विभाग द्वारा शासकीय भूमि के स्थायी पट्टों का संपूर्ण अभिलेख संधारित किया जावे जिससे पट्टों का नियत समय पर नवीनीकरण एवं यथोचित मांग कायम कर उस पर नियन्त्रण रखा जा सके। शासकीय भूमि के सम्बन्ध में देय राशियों की नियत समय पर मांग कायम न करने एवं अभिलेख संधारित न करने में हुई चूक के लिए शासकीय सेवकों की जिम्मदारी तय की जावे।

5.2.10 अस्थायी पट्टों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा ।

यद्यपि 1979 से 2006 के मध्य 100 अस्थायी शासकीय भूमि के पट्टों की पट्टावधि समाप्त हो चुकी थी, परन्तु विभाग ने केवल सात पट्टेदारों की भूमि का कब्जा अधिग्रहित किया तथा 48,307.25 वर्गफुट भूमि के 93 अस्थायी पट्टे अवैध रूप से पट्टेदारों के कब्जे में थी।

हमने पाया कि जनवरी से मई 2015 के मध्य सम्पन्न निष्पादन लेखापरीक्षा में किसी भी कलेक्टर कार्यालय में नजूल अधिकारियों ने राजस्व पुस्तक परिपत्र IV(1) की कण्डिका 28 एवं 35 के अनुसार अस्थायी पट्टों की पट्टावधि समाप्ति की निगरानी रखने के लिए आवश्यक पंजियां संधारित नहीं की थी। अस्थायी पट्टा पंजी में पट्टाधारकों की

संख्या, पट्टा आवंटन की तिथि, पट्टा अवधि एवं पट्टा नवीनीकरण की तिथि शामिल होती है।

अस्थायी पट्टों की प्रारम्भिक जानकारी सम्बन्धी बुनियादि अभिलेख संधारित न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन कार्यालयों द्वारा पूर्व में स्वीकृत अस्थायी पट्टों की वास्तविक संख्या क्या थी तथा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण शासकीय भूमि इन अस्थायी पट्टेदारों के कब्जे में अवैध रूप से थी। अस्थायी पट्टे से सम्बन्धित मूल अभिलेख संधारित न होने के कारण हम विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी पर निर्भर थे। नौ कलेक्टर[5] कार्यालय ने बताया उनके यहाँ कोई अस्थाई पट्टों के अभिलेख अस्तित्व में नहीं हैं तथा पांच जिला कलेक्टर कार्यालयों[6] द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में अस्थायी पट्टों की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गई।

इन पाँच कलेक्टर कार्यालयों में (जनवरी से मई 2015 के मध्य) में हमने पाया कि 101 में से 100 अस्थायी भूमि पट्टों की पट्टावधि वर्ष 1979 से 2006 के मध्य समाप्त हो चुकी थी, इन 100 में से मात्र 07 पट्टों का ही कब्जा शासन द्वारा वापिस लिया गया। शेष 93 प्रकरणों में 48,307.25 वर्गफुट शासकीय भूमि पर शासन द्वारा न तो इसे पट्टा के नवीनीकरण की अथवा इन्हे कब्जा मुक्त कराने हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र पुस्तक भाग–IV(1) की कंडिका–28 एंव 35 के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन प्रावधानों के अनुसार नजूल अधिकारी अस्थायी पट्टों के नवीनीकरण हेतु दायित्वाधीन है तथा यदि पट्टेदार पट्टा नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो पट्टा निरस्त माना जायेगा।

विर्निदिष्ट 93 प्रकरणों में सात अस्थायी पट्टों की कुल आवंटित भूमि 13,797 वर्गफुट शासकीय भूमि जो अवैध रूप से कब्जे में थी, उसकी कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार कुल कीमत ₹ 10.27 करोड़ थी। शेष 86 पट्टों जिनकी भूमि क्षेत्र 34,570.25 वर्गफुट था, की वास्तविक बाजार मूल्य की गणना लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग द्वारा इन पट्टों के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गई जानकारी में इन पट्टों के स्थल के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। यदि विभाग द्वारा पट्टेधारियों के अवैध कब्जे की शासकीय भूमि का पूर्ण संबंधित अभिलेख संधारित कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया होता तो इस अवैध कब्जे की भूमि के बाजार मूल्य का आकार और अधिक होता।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, राजस्व ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार (सितम्बर 2015) कर बताया कि वसूली की जावेगी।

5.2.11 अवैध कब्जे की भूमि का बेदखली प्रतिवेदनों का उपलब्ध न होना

पन्द्रह तहसीलों के 141.89 हेक्टेयर शासकीय भूमि के निर्णित 778 प्रकरणों की अभिलेखों में बेदखली प्रतिवेदन न होना।

हमने जनवरी से मई 2015 के मध्य 15 तहसीलों[7] के 10,368 भूमि अतिक्रमण के 1,463 प्रकरणों की नमूना जाँच में पाया कि तहसीलदार ने वर्ष 2010–11 एवं 2014–15 के मध्य 141.89 हेक्टेयर भूमि के 778 प्रकरण निर्णित किये, जिनमें अर्थदण्ड आरोपित करने के साथ भूमि पर बेदखली के भी आदेश पारित किये लेकिन अभिलेखों में इन

[5] भोपाल, छतरपुर, छिन्दवाडा, हरदा, इन्दौर,, सागर, सीधी, सिगंरोली और उज्जैन।

[6] धार, जबलपुर, खरगोन, सतना और सिओनी।

[7] बीना, भोपाल (हुजूर), छतरपुर, छिन्दवाडा, धार, हरदा, इन्दौर, इन्दौर (नजूल), खरगोन, लखनादोन, महेश्वर, मैहर, मऊ, राजनगर, रघुराजनगर (सतना)।

अतिक्रमण भूमि के सम्बन्ध में उपयुक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बेदखली रिपोर्ट नहीं पाई गई।

सम्बन्धित तहसीलदारों ने उपरोक्त अतिक्रमण भूमि की बेदखली तथा उसकी प्रतिवेदन प्राप्ति हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इन बेदखली प्रतिवेदनों के अभाव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध कब्जा जारी रखने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इन 778 प्रकरणों की अतिक्रमण की गई भूमि की गणना निर्धारित नहीं की जा सकी क्योंकि विभाग द्वारा इन पट्टों की भूमि के वास्तविक स्थल की जानकारी के बारे में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराई गई ।

यह भी देखा गया कि विभाग ने इन प्रकरणों में कोई जुर्माना भी आरोपित नहीं किया। विभाग ने जुर्माना आरोपित न कर इन भूमि अतिक्मणकारियों को अनुचित लाभ दिया जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के प्रावधानों का उल्लंघन है जिसके अनुसार यदि अतिक्रमित भूमि के बेदखली आदेश पारित होने के बाद भी खाली नहीं की जाती है तो तहसीलदार ऐसे दण्ड को आरोपित कर सकेंगे जो बेदखली आदेश पारित होने की तिथि से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹ 500 एवं ₹ 2,000 प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा।

हमारे द्वारा इंगित करने पर तहसीलदारों ने (जनवरी से मई 2015 के मध्य) बताया कि बेदखली रिपोर्ट प्राप्त कर एवं नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, राजस्व ने बताया (सितम्बर 2015) कि अवैध कब्जे वाली भूमि की बेदखली करायी जाकर अर्थदण्ड भी आरोपित किया जावेगा।

5.2.12 नजूल भूमि के भू–भाटक की माँग कायम न करना

दो तहसील कार्यालयों में वर्गीकरण पंजी एवं चालानों की समीक्षा में पाया गया कि नजूल भूमि के भू–भाटक की मांग कायम नहीं की गई परिणामस्वरूप ₹ 80.55 लाख के भू–भाटक की अवसूली रही।

तहसील कार्यालयों महेश्वर एवं बीना की (जनवरी से मई 2015 के मध्य) निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल अवधि में हमने पाया कि शासकीय भूमि से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी तथा स्थायी पट्टों के पंजियां महेश्वर तहसील में संधारित नहीं थे, जबकि बीना तहसील कार्यालय में यह अभिलेख तो संधारित थे परन्तु अद्यतन नहीं थे। अभिलेखों के नियमित संधारण में कमी एवं अपूर्णता के कारण भी लीज आंवटन की वास्तविक संख्या एवं वार्षिक भू–भाटक राशि को अंतिम रुप से निर्धारित नहीं किया जा सका ।

आगे, वर्गीकरण पंजी एवं चालानो की नमूना जांच में हमने पाया कि शासकीय भूमि के आवंटन से संबंधित नजूल भू–भाटक की मांग वार्षिक मांग में शामिल नहीं की गई। 853 पट्टा आवंटन के प्रकरणों, जिनमें ₹ 16.11 लाख की वार्षिक मांग वसूली हेतु लम्बित थी। मांग एवं वसूली पंजियों के संधारण के अभाव में निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि की ₹ 80.55 लाख[8] की मांग कायम नहीं की गई। यह राजस्व पुस्तक परिपत्र की कण्डिका 15 से 18 के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसमें तहसील कार्यालयों में मांग एवं वसूली के प्रावधान सन्निहित है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया (सितम्बर 2015) कि उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

---

[8] वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए ₹ 16.11 लाख प्रतिवर्ष की दर से

व्यपवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण

5.2.13 व्यपवर्तन प्रीमियम जमा कराये बिना अनियमित रूप से व्यपवर्तन आदेश जारी किया जाना

दस कलेक्टर कार्यालयों में मांग एवं वसूली पत्रकों तथा सम्बन्धित व्यपवर्तन प्रकरणों में देखा गया कि भूमि के कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए बिना व्यपवर्तन प्रीमियम तथा चालू अवधियों के वार्षिक किराये को जमा कराये बिना व्यपवर्तन आदेशों को जारी किया गया जिसके फलस्वरूप व्यपवर्तन प्रीमियम ₹ 19.68 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

हमने 10 कलेक्टर कार्यालयों[9] में (जनवरी तथा मई 2015 के मध्य) 2010–11 से 2014–15 की अवधियों के मांग एंव वसूली पत्रकों तथा सम्बन्धित व्यपवर्तन प्रकरणों की जांच के दौरान पाया कि सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से व्यपवर्तन आदेश आवेदकों को जारी किये गये जबकि व्यपवर्तन प्रीमियम की राशि आवेदकों द्वारा जमा नहीं की गई थी।

जिसके परिणामस्वरूप शासकीय राजस्व ₹ 19.68 करोड़ की वसूली नहीं हुई। यह राशि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 एवं 172 के प्रावधान के अर्न्तगत यदि भूमि, जो एक प्रयोजन हेतु निर्धारित है, को अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराये जाने पर अनुविभागीय (राजस्व) एवं पुर्नरीक्षित तथा पुनःनिर्धारित भू–राजस्व एवं प्रीमियम देय होता है, का पालन न करने से आवेदको द्वारा अदत्त रही ।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र वसूली हेतु निर्देशित किया गया।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग व्यपवर्तन आदेष जारी करने से पूर्व व्यपवर्तन प्रीमियम एवं किराया पूर्ण वसूल करें जिससे शासकीय राजस्व लम्बी अवधि तक बिना वसूली न रहे।

5.2.14 व्यपवर्तन प्रब्याजि एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण

त्रुटिपूर्ण दरों के आरोपण, नगर एवं निवेश योजना द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण भूमि का संज्ञान लिये बिना व्यपवर्तन करने तथा व्यपवर्तन आदेशों में दण्ड एवं दरों को सम्मिलित न किये जाने से 53 प्रकरणों में राशि ₹ 1.31 करोड़ के व्यपवर्तन प्रब्याजि एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण हुआ।

हमने व्यपवर्तन प्रकरणों की जांच के दौरान छः कलेक्टर (व्यपवर्तन)[10] कार्यालयों में जनवरी और मार्च 2015 के मध्य इन ईकाइयों में निर्धारित कुल 11,353 प्रकरणों में से 2,803 व्यपवर्तन प्रकरणों की नमूना जांच की, जिसमें 53 प्रकरण प्रब्याजि तथा भू–भाटक के अवनिर्धारण के अवलोकित किये गये। उक्त स्थिति एवं निवेश योजना (3 प्रकरण) द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण भूमि का संज्ञान लिये बिना व्यपवर्तित करने, भू–भाटक एवं दण्ड को व्यपवर्तन प्रकरणों में सम्मिलित न करने (1 प्रकरण), भू–भाटक के वर्ष 2012–13 से प्रभार्य होने किन्तु वर्ष 2013–14 से प्रभावित करने (47 प्रकरण) तथा दरों के त्रुटिपूर्ण आरोपण (2 प्रकरण) के कारण निर्मित हुई।

---

9 भोपाल, छतरपुर, छिंदबाड़ा, जबलपुर, खरगौन, सतना, सागर, सिवनी, सिंगरौली तथा उज्जैन

10 भोपाल (राजधानी परियोजना), छतरपरु, धार, इंदौर, सतना एवं उज्जैन

परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 तथा 172 की शर्तों के अन्तर्गत जब एक उद्देश्य के लिये निर्धारित भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित की जाती है तो ऐसी भूमि पर देय भू–राजस्व, ऐसे व्यपवर्तन के दिनांक से जो शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर उस उद्देश्य के अनुसार जिसे लिये उसे व्यपवर्तित किया गया है, संशोधित एवं पुनर्निर्धारित किया जायेगा, का अनुपालन न करने से व्यपवर्तन प्रब्याजि तथा भू–भाटक की राशि ₹ 1.31 करोड़ का कम आरोपण किया जाना पाया गया। **(परिशिष्ट– XVIII)**

इसके अतिरिक्त जहां अनुविभागीय अधिकारियों की अनुमति प्राप्त किये बिना भू–स्वामी भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिये व्यपवर्तित करता है वहां उस अनाधिकृत व्यपवर्तित भूमि हेतु बाजार मूल्य से 20 प्रतिशत अनाधिक शास्ति के आरोपण का प्रावधान है।

प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा निर्गम सम्मेलन के दौरान बताया (सितम्बर 2015) की प्रकरणों की पुनर्जांच एवं उनमें आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। भोपाल में संबंधित भू–स्वामियों को सूचना जारी की गई।

5.2.15 पंचायत उपकर का अनारोपण/अवनिर्धारण

अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित भूमि के पट्टों एवं व्यपवर्तन प्रकरणेां में पंचायत उपकर का आरोपण तथा मांग न किये जाने से शासन ₹ 14.33 करोड़ के राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

हमने 12 कलेक्टर कार्यालयों[11] की जनवरी और मई 2015 के दौरान दर्ज किये गये व्यपवर्तन प्रकरणों की जांच में पाया कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के मध्य 9,889 प्रकरणों में से 1,063 प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा प्रब्याजि एवं भू–भाटक पर पंचायत उपकर का आरोपण नहीं किया गया। आगे हमने जांच में पाया कि कलेक्टर कार्यालय हरदा, द्वारा प्रब्याजि एवं भू–भाटक दोनों पर उपकर का आरोपण एवं संग्रहण किया गया। जबकि 12 कलेक्टर कार्यालयों में शासन के आदेशों का गलत अर्थ निकालने के परिणामस्वरूप प्रब्याजि/भू–भाटक पर उपकर का आरोपण नहीं किया गया। जो कि मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 74 की शर्तों का उल्लंघन था जिसमें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि पर प्रति रुपया 50 पैसे की दर से पंचायत उपकर का आरोपण एवं संग्रहण किया जायेगा। इस प्रकार नीचे दी गई **तालिका 5.5** अनुसार शासन ₹ 14.33 करोड़ के राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

तालिका 5.5

(राशि करोड़ ₹ में)

स. क्र.	कलेक्टर कार्यालय का नाम	पंचायत उपकर के अवनिर्धारण की प्रकृति	कुल प्रकरणों की संख्या आपत्तिगत प्रकरण	प्रब्याजि/ वार्षिक भू–भाटक (2009–10 से 2014–15)	निर्धारण योग्य एवं प्रभार्य योग्य उपकर/ वार्षिक भू–भाटक (2009–10 से 2014–15)	कुल राशि
1.	छिन्दवाड़ा, सतना, सीधी और	व्यपवर्तन, प्रब्याजि एवं भू–भाटक पर	7401/ 627	4.46/ 7.89	2.23/ 3.95	6.18

11 भोपाल, छिंदबाड़ा, धार, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, सागर, सतना, सिवनी, सीधी, सिंगरौली एवं उज्जैन

	सिंगरौली	निर्धारण नहीं किया गया/ अवनिर्धारण				
2.	भोपाल, धार, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, सागर, सतना, सिवनी तथा उज्जैन	प्रब्याजि पर अवनिर्धारण	2465/ 413	0.00/ 4.46	0.00/ 2.23	2.23
3.	छिंदवाड़ा, धार, सागर तथा उज्जैन	शासकीय भूमि के प्रब्याजि एवं भू–भाटक पर निर्धारण नहीं किया गया	23/ 23	10.07/ 1.76	5.04/ 0.88	5.92
		कुल योग	**9889/ 1063**	**14.53/ 14.11**	**7.27/ 7.06**	**14.33**

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा बताया (सितम्बर 2015) कि अधिनियम में पंचायत उपकर के आरोपण हेतु प्रावधान है एवं विभाग द्वारा इसके वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जावेंगे।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रब्याजि के साथ–साथ भू–भाटक पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु निर्देश जारी करने के संबंध में विचार कर सकता है।

5.2.16 लोक अधिकारी के कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने से स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना।

भूमि के व्यपवर्तन हेतु आवेदकों द्वारा प्रस्तुत 11 लिखतों में भूमि के विक्रय एवं विकास हेतु अधिकार विकासकर्त्ताओं को प्रदान किये गये, जिनपर प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प शुल्क नहीं चुकाया गया साथ ही ऐसी लिखतें पंजीकृत भी नहीं करायी गई। अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा भूमि के व्यपवर्तन के आवेदनों पर विचार करने से पूर्व मुद्रांक संग्राहक को न तो इन लिखतों अपूर्ण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली हेतु संदर्भित किया और न हीं शास्ति आरोपित की।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 सहपठित धारा 35 के अनुसार, प्रत्येक लोक अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह, जिसके समक्ष उसकी राय में शुल्क से प्रभार्य कोई लिखत उसके कृत्यों के पालन में प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कि यह प्रतीत होता है ऐसी लिखत सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं है। उस दशा में उसे परिबद्ध कर उचित स्टाम्प शुल्क आरोपित करने हेतु मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित करेगा, असम्यक रूप से मुद्रांकित लिखतें साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जा सकती है जब तक कि उन पर कमी मुद्रांक शुल्क सहित कम मुद्रांक की राशि सहित मुद्रांक शुल्क की राशि का दस गुना शास्ति का भुगतान न कर दिया गया हो।

हमने कलेक्टर कार्यालय धार, हरदा एवं राजधानी परियोजना, भोपाल में व्यपवर्तन प्रकरण नस्तियों की जांच (जनवरी तथा मई 2015 के मध्य) में पाया कि अचल सम्पत्तियों के विक्रय अनुबंध, संयुक्त उपक्रम अनुबंध एवं बंधक पत्र की 11 लिखतें चार व्यपवर्तन नस्तियों के साथ संलग्न थी। यह लिखतें नियमानुसार सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं पायी गई। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा इन लिखितों को अपूर्ण मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति की राशि के साथ अपूर्ण राशि के दस गुना दर से वसूल किये बिना ही स्वीकार किया गया ।

जिसके परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क ₹ 43.36 लाख सहित दस गुना शास्ति (₹ 4.34 करोड़) तथा पंजीयन फीस (₹ 7.12 लाख) के रूप में राजस्व की वसूली नहीं हुई जैसा कि **तालिका 5.6** में दर्शाये गये विवरणानुसार –

तालिका 5.6

(राशि लाख ₹ में)

इकाई का नाम	लिखतों की संख्या/ लिखत की प्रकृति	सम्पत्तियों का बाजार मूल्य	स्टाम्प शुल्क			प्रभार्य पंजीयन फीस बाजार मूल्य का 0.8% + ₹ 145	शास्ति कमी स्टाम्प शुल्क के दस गुना की दर से
			प्रभार्य	प्रभारित	कम प्रभारित		
राजधानी परियोजना भोपाल	1/संयुक्त उपक्रम अनुबंध	520.33	37.72	0.01	37.71	4.16	377.14
कलेक्टर (डायवर्सन) धार	8/कब्जा सहित भूमि विक्रय के अनुबंध	49.71	2.49	0.02	2.47	0.41	24.65
कलेक्टर (डायवर्सन) हरदा	2/बंधक पत्र	318.00	3.18	0.002	3.18	2.55	31.78
कुल योग	**11 लिखतें**	**888.04**	**43.39**	**0.032**	**43.36**	**7.12**	**433.57**

(गणनाएं लेखापरीक्षा द्वारा की गई)

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान, प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा बताया गया कि कार्रवाई कर वसूली की जावेगी जबकि भोपाल में सम्बन्धित पक्षों को नोटिस जारी किये गये।

5.2.17 कॉलोनाइजरों द्वारा प्रतिभूति राशि का भुगतान न किया जाना।

कॉलोनाइजरों द्वारा 15 प्रकरणों में भूमि व्यपवर्तन के आवेदन के साथ प्रतिभूति जमा नहीं की गई जबकि अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा ₹ 3.85 करोड़ की प्रतिभूति जमा कराये बिना भूमि व्यपवर्तित की गई।

5.2.17.1 कलेक्टर कार्यालय भोपाल एवं इंदौर की लेखापरीक्षा (फरवरी और मार्च 2015 के मध्य) से संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010 एवं 2015 के मध्य निर्णीत किये गये 670 प्रकरणों में से 103 व्यपवर्तन प्रकरणों की नमूना जांच की गई। उक्त प्रकरणों में से 15 प्रकरणों में कॉलोनाइजरों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय पर ₹ 3.85 करोड़ की प्रतिभूति जमा की जाना अपेक्षित थी। जबकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि न ही कॉलोनाइजरों द्वारा उक्त प्रकरणों में प्रतिभूति जमा की गई और न ही अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा उनकी वसूली की गई।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 172 के अधीन निर्मित नियम 4 का अनुपालन न किये जाने से देय राशि ₹ 3.85 करोड़ की प्रतिभूति की वसूली नहीं की गई जिसके अंर्तगत प्रावधान है, कि कॉलोनाइजर, अनुविभागीय अधिकारी की भूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ भूमि के अनुमानित विकास व्यय के पांचवे भाग की रकम जमा करेगा और चालान आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा, इसमें विफल रहने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा (सितम्बर 2015) के दौरान बताया किया कि उचित कार्यवाही की जावेगी।

5.2.17.2 आगे हमने अवलोकित किया कि कलेक्टर कार्यालय, हरदा, खरगौन, सागर तथा सिवनी (जनवरी और मई 2015 के मध्य) कॉलोनाइजरों द्वारा प्रस्तुत 663 व्यपवर्तन प्रकरणों की नमूना जांच में 53 प्रकरणों में पाया गया कि न ही कॉलोनाइजरों द्वारा अनुमानित विकास व्यय की राशि, उनके आवेदनों में उल्लेखित की गई और न ही उनके द्वारा कोई प्रतिभूति राशि जमा की गई। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना था किन्तु वर्ष 2009–10 तथा 2013–14 के मध्य इन आवेदनों को निर्णीत किया गया तथा व्यपवर्तन की अनुमति भी दी गई। परिणामस्वरूप जहां आवेदनों पर अनियमित प्रवेश दिया गया वहीं उन्हें व्यपवर्तन की अनियमित अनुमति भी प्रदान की गई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा बताया (सितम्बर 2015) कि उक्त संबंध में उचित कार्यवाही की जावेगी।

5.2.18 अनाधिकृत व्यपवर्तन के प्रकरणों का निराकरण न होना

कलेक्टर कार्यालय भोपाल में वर्ष 2012–13 में भूमि उपयोग के अनाधिकृत व्यपवर्तन के नौ प्रकरण प्रकाश में आये। तथापि दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राशि ₹ 1.84 करोड़ की शास्ति का आरोपण नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अनुविभागीय अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना भूमि उपयोग व्यपवर्तित करता है, तो ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत की दर से शास्ति आरोपित कर भू–राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

हमने कलेक्टर कार्यालय, भोपाल के अवधि 2010–11 से 2014–15 की दायरा पंजियों[12] की जांच (मार्च 2015) में पाया कि वर्ष 2012–13 में अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना भू–स्वामियों द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन के 14 प्रकरण शास्ति आरोपण की कार्यवाही हेतु दर्ज किये गये। इनमें से केवल पांच प्रकरण ही निराकृत किये गये एवं शेष नौ प्रकरणों में शास्ति आरोपण तथा पुनर्निर्धारण की कार्यवाही होना नहीं पाया गया।

आगे जांच में पाया गया कि इन नौ प्रकरणों को पश्चात्वर्ती दायरा पंजियों में अग्रेषित किया जाना नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप इन अवैध व्यपवर्तन के नौ प्रकरणों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका। इन प्रकरणों के निराकरण न होने के फलस्वरूप राशि ₹ 1.84 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं हो सकी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा बताया (सितम्बर 2015) गया कि कार्यवाही की जावेगी।

निगरानी प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण

5.2.19 भू–राजस्व के बकाया की वसूली न होना तथा शास्ति का अनारोपण

चौदह कलेक्टर कार्यालयों के वसूली पत्रकों में देखा गया कि भू–राजस्व की विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत ₹ 264.80 करोड़ की राशि 30 दिनों से अधिक समय से बकाया थी जिस पर 100 प्रतिशत तक की शास्ति आरोपण योग्य थी।

---

[12] दायरा पंजी में भूमि व्यपवर्तन के आवेदनों संबंधी जानकारी दर्ज की गयी है।

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व के बकाया राशि की वसूली शीघ्र की जानी चाहिए। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र (दिसम्बर 2013) द्वारा चालू मांग का शत–प्रतिशत सहित पूर्व वर्षों की बकाया का 90 प्रतिशत वसूली किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया। चूककर्ता को मांग–पत्र जारी किया जाना तथा इस प्रकार वसूल किया गया राजस्व भू–राजस्व शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाना चाहिये था।

इसके अतिरिक्त, यदि भुगतानकर्त्ता द्वारा देयक तिथि से 30 दिनों के अंदर देय राशि का भुगतान न किया जाये, तो अनुविभागीय अधिकारी या नजूल अधिकारी, जैसा भी प्रकरण हो, मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–143 के अंतर्गत भू–राजस्व की मूल राशि के 100 प्रतिशत से अनाधिक शास्ति आरोपित कर सकते हैं। देय भू–राजस्व का भुगतान एक वर्ष के अंदर न किये जाने पर पटवारी चूककर्ताओं की सूची तैयार कर नियमों के तहत तहसीलदार न्यायालय में चूककर्ताओं से शासकीय देय राशियों की वसूली हेतु सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तुत करेगा। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–1 क्रमांक 1 की कंडिका 12(5) के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में तहसीलदार एक वर्ष से अधिक के बकायादारों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण दर्ज करेगा और इसकी सूचना कलेक्टर को प्रतिवर्ष पहली नवम्बर तक प्रस्तुत करेगा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कलेक्टर कार्यालय में अवधि 2010–11 से 2014–15 के वर्गीकरण पंजी तथा मांग एवं वसूली पत्रकों की जांच में हमने पाया कि (जनवरी एवं मई 2015 के मध्य) भू–राजस्व के विभिन्न शीर्षों जैसे व्यपवर्तन प्रीमियम एवं किराया, नजूल प्रीमियम, भू–भाटक, शास्ति आदि के अंतर्गत ₹ 264.80 करोड़ की राशि वसूली हेतु बकाया थी किन्तु तहसीलदारों द्वारा नियमनुसार कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई। भू–राजस्व बकाया की कुल राशि ₹ 264.80 करोड में से ₹ 201.17 करोड एक वर्ष से अधिकतम तथा ₹ 63.63 करोड़ की राशि एक वर्ष से कम किन्तु 30 दिनों से अधिक अवधि से बकाया थी।

प्रावधानों के अनुसार भू–राजस्व के भुगतान में विलम्ब, बकाया राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत तक की शास्ति के विषय को आकर्षित करती है किन्तु सम्बन्धित कलेक्टरों द्वारा भू–राजस्व की बकाया दर हेतु कोई शास्ति का आरोपण नहीं किया गया। तहसीलदारों द्वारा भी एक वर्ष से अधिक की अवधि की चूक के प्रकरणों में चुककर्ताओं पर प्रकरण पंजीबद्ध कर तथा उनकी चल–अचल सम्पत्ति की कुर्की कर भू–राजस्व की वसूली प्रक्रिया पर निगरानी नहीं रखी गई।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु निधियां सृजित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नये शुल्क एवं कर आरोपित करती है या विद्यमान शुल्कों की दरों में वृद्धि करती है, साथ ही ऐसे समय में ही सरकार वर्ष 2014–15 के अंत तक कर राजस्व की बकाया राशि ₹ 264.80 करोड़ के संग्रहण हेतु अपनी वसूली प्रणाली को उपयोग करने में विफल रही है।

निर्गम सम्मेलन (सितम्बर 2015) के दौरान, लेखापरीक्षा प्रेषण को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा विभाग के अधिकारियों को शास्ति आरोपित करने तथा बकाया के प्रकरणों में बकायादारों की चल–अचल सम्पत्ति की कुर्की कर, वसूली के निर्देश दिये गये।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग, भू–राजस्व की बकाया वसूली पर कुशलतापूर्वक निगरानी रखे तथा लागू प्रावधानों के अनुसार भुगतान में एक वर्ष से अधिक विलम्ब के प्रकरणों में बकायादारों की सम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही की जाये।

5.2.20 खनन पट्टों पर भू–राजस्व का अनिर्धारण एवं वसूली न होना।

मुख्य खनिज के 252 पट्टों की 18,099.241 हेक्टेयर भूमि पर आरोपणीय भू–राजस्व का निर्धारण न करने से ₹ 31.15 करोड़ के भू–राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित नौ कलेक्टर कार्यालयों[13] तथा जिला खनिज कार्यालयों से जहां मुख्य खनिज हेतु पट्टे दिये गये से एकत्रित सूचना की, नमूना जांच में पाया गया कि खनिज पट्टाधारी भूमि पर भू–राजस्व के निर्धारण, आरोपण तथा वसूली से संबंधित अभिलेख कलेक्टर कार्यालयों तथा जिला खनिज कार्यालयों दोनों में न तो उपलब्ध थे और न ही संधारित किये गये।

आगे सम्बन्धित जिला खनिज कार्यालयों से जानकारी एकत्रित करने पर पाया गया कि मुख्य खनिजों हेतु स्वीकृत 252 खनन पट्टों जिनका क्षेत्रफल 18,099.241 हेक्टेयर था, पर वार्षिक राशि ₹ 6.23 करोड़ पट्टाधारियों से भू–राजस्व के रूप में अवधि 2010–11 से 2014–15 में वसूली योग्य थी। जिला खनिज अधिकारियों द्वारा भू–राजस्व के निर्धारण हेतु कलेक्टरों को न तो प्रकरण प्रस्तुत किये और न ही कलेक्टरों द्वारा जिला खनिज अधिकारियों से प्रकरण मंगाये गये साथ ही इन शीर्षों के अधीन किसी भी कलेक्टर कार्यालय में राजस्व की वसूली किया जाना नहीं पाया गया।

कलेक्टर तथा जिला खनिज दोनों कार्यालयों में निगरानी के अभाव में भू–राजस्व ₹ 31.15 करोड़[14] का अनिर्धारण/अनारोपण हुआ । जो मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा–59 के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश खनन पट्टों पर भू–राजस्व हेतु निर्धारण नियम, 1987 के नियम–3 का उल्लघंन है जिसमें खनन प्रयोजन हेतु पट्टे पर दी गई भूमि पर कुल भूमि अनुसार ₹ 200 से ₹ 5,000 प्रति हेक्टेयर की दर से भू–राजस्व के निर्धारण एवं वसूल किये जाने के प्रावधान है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा बताया (सितम्बर 2015) कि मुख्य खनिज पट्टों पर, भू–राजस्व वसूल करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

5.2.21 कलेक्टर कार्यालयों में परिवीक्षण प्रणाली के न होने के कारण प्रक्रिया व्यय वसूल न होना

विभाग द्वारा राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों के विरूद्ध वसूली गई राशि ₹ 129.98 करोड़ पर प्रभार्य ₹ 3.90 करोड़ के प्रक्रिया व्यय को चूककर्ताओं को जारी मांग पत्रो में सम्मिलित न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 3.90 करोड़ के प्रक्रिया व्यय की वसूली नही की गई।

मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 एवं मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता में यह प्रावधान है कि वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर आर सी) प्राप्त होने के पश्चात राजस्व प्रकरण पंजी में राजस्व प्रकरण दर्ज करेगा तथा 15 दिनों के अन्दर मांग–पत्र जारी करेगा। अधिनियम एवं उसके अंर्तगत बनाये गये नियमों के अनुसार, मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय आरोपणीय है।

इसके अतिरिक्त नियम–10 के अनुसार प्रत्येक वसूली अधिकारी आर.आर.सी. प्राप्त होने पर, प्रत्येक आर.आर.सी. पर राजस्व प्रकरण संख्या दर्ज करेगा तथा प्रपत्र–VII में निर्धारित वसूली पंजी में इसके विवरण को संधारित करेगा। जिसमें बैकवार प्रत्येक

[13] छतरपुर, छिंदबाड़ा, धार, जबलपुर, खरगोन, सागर, सतना, सिवनी तथा सिंगरौली

[14] भू–राजस्व की गणना पाँच वर्षो के लिए ₹ 6.23 करोड़ प्रति वर्ष की दर से 252 खनि पट्टों के लिए

प्रकरण की मांग, संग्रहण एवं प्रक्रिया व्यय का इन्द्राज होता है। वसूली अधिकारी प्रपत्र–IX में एक प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रत्येक माह की 20 तारीख को प्रस्तुत करेगा, जिसमें उनके द्वारा अथवा आर.आर.सी. जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा वसूल किये गये प्रक्रिया व्यय तथा आदेशिका शुल्क का विवरण दर्ज होगा। कलेक्टर द्वारा प्रपत्र–IX में प्राप्त ऐसे प्रतिवेदनों को प्रपत्र–X एकीकृत कर प्रत्येक माह शासन को अग्रेषित किया जावेगा।

5.2.21.1 हमने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान सभी कलेक्टर कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया (जनवरी और मई 2015 के मध्य) कि वसूली अधिकारियों (तहसीलदार) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आर.आर.सी. से सम्बंधित जानकारी एवं विवरण तैयार नहीं किये गये थे।

निर्धारित प्रपत्र में आर.आर.सी. प्रकरणों की मांग एवं वसूली का विवरण संधारित न करने से, प्रकरणों की संख्या, मांग एवं वसूली की सही स्थिति तथा उन पर आरोपणीय प्रक्रिया व्यय की जांच नहीं की जा सकी। आगे हमने पाया कि धार, जबलपुर तथा उज्जैन जिलों को छोड़कर किसी कलेक्टर द्वारा प्रतिमाह शासन को एकीकृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई, इस प्रकार वसूली योग्य प्रक्रिया व्यय की जानकारी शासन को प्रत्येक माह के अन्त में उपलब्ध नही करायी गई थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा स्पष्ट किया गया कि (सितम्बर 2015) सभी प्रकरणों में प्रक्रिया व्यय की वसूली हेतु सामान्य निर्देश जारी किये जायेंगें।

5.2.21.2 हमने 12 कलैक्टर कार्यालयों[15] के (जनवरी और मई 2015 के मध्य) बैकं आर.आर.सी. के संबंध में मांग एवं वसूली पत्रको (अवधि 2010–11 से 2014–15) की नमूना जांच में पाया कि संबंधित तहसीलदारों द्वारा बैकं आर.आर.सी. के विरूद्ध वसूल किये गये ₹ 129.98 करोड़ पर वसूली योग्य प्रक्रिया व्यय ₹ 3.90 करोड़ की वसूली नहीं की गई। विभाग द्वारा प्रक्रिया व्यय की वसूली का परिवीक्षण नहीं किया गया; इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.90 करोड़ का प्रक्रिया व्यय वसूल नहीं हुआ।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुख सचिव, राजस्व ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2015) कि सभी प्रकरणों व्यय की वसूली हेतु सामान्य निर्देश जारी किये जायेंगें।

5.2.22 सेवा प्रभार का अनारोपण/शासकीय खाते में जमा न होना

विभिन्न विभागों के भू–अर्जन से संबंधित अभिलेखों में पाया कि 42 प्रकरणों में राशि ₹ 9.75 करोड के सेवा प्रभार की मांग एवं वसूली नहीं की गई तथा पांच प्रकरणों में राशि ₹ 29.73 लाख की वसूली तो की गई किन्तु उसे शासकीय खाते में जमा न करते हुए निजी जमा खाते में रखा गया जिससे शासन राशि ₹10.05 करोड के राजस्व से वंचित रहा ।

भू–अर्जन कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं स्टाफ को प्रोत्साहन देने तथा इस सर्वे कार्य के व्यय की प्रतिपूर्ति करने के उददेश्य से शासन ने (जुलाई–1991) में भू– अर्जन के अवार्ड का दस प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार आरोपित करने का निर्णय लिया । यह संबंधित विभागों/उपक्रमों/स्थानीय निकायों जिनके लिए भू–अर्जन किया जाना था, से भूमि के प्रत्याशित मूल्य पर अग्रिम के रूप में वसूल किया जाना और वसूली गई राशि मुख्य शीर्ष 0029 भू–राजस्व के अंतर्गत शासकीय खाते में जमा कराया जाना था।

आगे राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के अनुसार सेवा प्रभार भू–अर्जन के मूल्य का पांच प्रतिशत आरोपित किया गया ।

---

15 भोपाल, छतरपुर, छिंदबाड़ा, हरदा, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, सागर, सतना, सीधी, सिओनी और सिंगरौली

कलेक्टर कार्यालय भोपाल, हरदा, इंदौर एवं सिंगरौली द्वारा उपलब्ध कराये गए भू–अर्जन के प्रकरण अभिलेखों एवं जानकारी (जनवरी एवं मई 2015 के मध्य) में हमने पाया कि वर्ष 2010–11 एवं 2014–15 के मध्य विभिन्न विभागों के भू–अर्जन के सभी 42 प्रकरणों मे ₹ 213.96 करोड के भू–अर्जन आदेश के अवार्ड स्वीकृत किये गए ।

विभिन्न विभागों से (मार्च 2010 तथा दिसम्बर 2013 के बीच) 04 प्रकरणों में राशि ₹ 29.73 लाख की वसूली गई एवं उसे निजी जमा खाते/बैंक खाते में रखा गया तथा इसी दौरान संबंधित विभागों से 38 प्रकरणों में राशि ₹ 9.75 करोड़ की न मांग की गई और न ही वसूली की गई । सेवा प्रभार की वसूली की संपूर्ण प्रक्रिया की देखरेख करने में कलेक्टर असफल रहे जिसके परिणामस्वरुप राजकोष ₹10.05 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा ।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव राजस्व ने बताया (सितम्बर 2015) कि वसूली की कार्यवाही की जावेगी और निजी जमा खाते में रखी गई राशि के प्रकरणों में हुई त्रुटि को सुधारा जावेगा ।

5.2.23 आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागीय गतिविधियां, प्रचलित नियमों, अधिनियमों तथा स्वीकृत कार्यप्रणाली के अनुरूप किफायती, दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी तरीके से संचारित हैं, अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न अभिलेखो, पंजियो/लेखा पुस्तको को उचित तथा सही रूप में संधारित कर रहे हैं तथा राजस्व चोरी कम एवं अवसूली को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये गये हैं।

5.2.23.1 आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं विभागीय निरीक्षण

- **आन्तरिक लेखापरीक्षा**

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा, विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण घटक है । हमने पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा जो विभाग की लेखापरीक्षा के माध्यम से भू–राजस्व के अधिनियम एवं नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है, प्रधान राजस्व के कमिश्नर कार्यालय में अस्तित्व में नही थी। जबकि संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यरत है जो आयुक्त कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अधीनस्थ कार्यालयो में लेखापरीक्षा करती है। समर्पित आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग के अस्तित्व में न होने के कारण नियमित गलतियों की निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई चर्चा, विभाग के जानकारी में नही आयी।

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान इन्दौर एवं भोपाल आयुक्त कार्यालयों में पाया कि अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए 120 एवं 47 इकाईया स्वीकृत की गई। इसमें से केवल 60 इकाईयॉ की इन्दौर आयुक्त कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा की गई, जबकि भोपाल में एक भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई। सागर आयुक्त कार्यालय द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई लेखापरीक्षा योजना नहीं बनायी गयी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की उज्जैन आयुक्त कार्यालय में स्थिति संतोषजनक रही क्योंकि 90 प्रतिशत इकाईयों का लक्ष्य हासिल किया गया।

- **निरीक्षण**

राजस्व पुस्तक परिपत्र–II–1 की कंडिका–34 के अनुसार संभाग के आयुक्त को प्रत्येक कलेक्टर कार्यालयों के राजस्व अधिकारी को एक वर्ष में तथा तहसील को तीन वर्ष में निरीक्षण करना चाहिए, जबकि कलेक्टर की अधीनस्थ तहसील को प्रत्येक वर्ष निरीक्षण करना होता है।

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में पाया कि सभी चार संभागीय आयुक्त कार्यालयों में क्रमशः 70 एवं 50 के विरूद्ध 23 एवं 14 कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के निरीक्षण किये गये। कलेक्टरों को 125 तहसीलो का निरीक्षण करना था परन्तु उनके द्वारा केवल 30 तहसीलों का निरीक्षण किया गया। विभाग द्वारा इन निरीक्षणों में बिन्दुओं/आपत्तियों तथा निरीक्षण नोट्स/ज्ञापनों की विस्तृत जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई गई।

निर्गम सम्मेलन में विभाग ने आन्तरिक लेखा परीक्षा की योजना की कमियो को स्वीकार किया (सितम्बर 2015) ।

5.2.23.2 मासिक तौजी का तैयार न करना एवं कोषालय से सत्यापन न करना।

राजस्व पुस्तक परिपत्र तथा मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के अनुसार प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को माँग एवं वसूली पत्रक मासिक तौजी[16] के रूप में बनाकर प्रत्येक माह में कोषालय से सत्यापित करना चाहिए। सत्यापित तौजी उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण जानकारी है जिसकी निगरानी से कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयो में कपटपूर्ण चालानों की प्राप्ती एवं धन के विंनियोजन से बचा जा सकता है।

हमने राजधानी परियोजना भोपाल, सभी जिला कलेक्टर तथा तहसील कार्यालयो में (जनवरी से मई 2015 के मध्य) में पाया कि किसी भी कार्यालय में तौजी न तो बनाई गई और न ही कोषालयों से सत्यापित कराई गई। केवल उज्जैन में मासिक तौजी बनाकर कोषालय से सत्यापित कराई गई। इस प्रकार मासिक पत्रकों में दिखाए वसूली के आंकड़ो की सत्यता की जाँच नही की जा सकी। मासिक तौजी के अभाव में शासकीय धन से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये चालानों के माध्यम से कपट तथा गबन की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता।

निर्गम सम्मेलन में प्रधान सचिव राजस्व ने बताया (सितम्बर 2015) कि मासिक तौजी के लिए आवश्यक निर्देश सभी जिलों को जारी किये जावेंगे।

5.2.23.3 विभागीय नियमावली का न बनाया जाना

भू–राजस्व विभाग में ऐसा कोई विभागीय नियमावली नहीं है जिसमें सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यो के कर्त्तव्य, कार्य, दायित्व शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो। इस नियमावली के अभाव में विभाग द्वारा भू–राजस्व निर्धारण आरोपण तथा वसूली हेतु विभिन्न स्तर पर अपनायी जाने वाली जाँचो को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। विभागीय नियमावली, अधिनियम एवं नियमो के प्रावधानों विभाग को सुचारु रुप से चलाने तथा प्रशासन के उद्देश्य से अति महत्तवपूर्ण होता है।

विभागीय नियमावली के अभाव में शासकीय प्राप्तियों का गलत जमा, बकाया राशियों की वसूली पर नियन्त्रण का अभाव एवं नियमित माँग कायम करने में असफलता की सम्भांवना बनी रहती है।

हम सिफारिश करते है कि विभाग, भू–राजस्व विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करे, मासिक तौजी को बनाकर कोषालय अभिलेख से सत्यापित कराना सुनिश्चित करे और तैयार विभागीय नियमावली के माध्यम से मध्य प्रदेश भू–संहिता के नियमों अर्न्तगत प्रभावशाली प्रशासन सुनिश्चित करे।

---

16 मासिक तौजी एक तिथिवार चालानों का विवरण है जिससे कोषालय के अभिलेखों से समाशोधन हेतु तैयार किया जाता है।

प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग ने निर्गम सम्मेलन में बताया (सितम्बर 2015) कि विभागीय नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया को शीघ्र ही प्रारंभ किया जायेगा ।

5.2.24 निष्कर्ष एवं अनुषंसायें

- स्थायी नजूल भूमि के स्थायी पट्टो के नमूना जाँचों में 14 में से 12 कलेक्टर कार्यालयो में रजिस्टर्स संधारित नही किया गया और नजूल भूमि के स्थायी आवंटन पट्टो की कोई विस्तृत जानकारी इन कार्यालयो में उपलब्ध नही थी। इन पट्टा आवंटन के संधारण के अभाव में नजूल भूमि के पट्टो के नवीनीकरण नही हुए।

अनुषंसाः विभाग शासकीय भूमि के स्थायी पट्टो का पूर्ण अभिलेख संधारित करे जिससे इनके नवीनीकरण एवं माँग कायम कर वसूली पर प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सके।

- कृषि भिन्न उद्देश्य हेतु कृषि भूमि के व्यपवर्तन आदेश जारी किये गये परिणाम स्वरूप प्रब्याजि की ₹ 19.68 करोड़ की अवसूली रही।

अनुषंसा : विभाग व्यपवर्तन आदेश जारी करने के पूर्व व्यपवर्तन प्रब्याजि एवं किराया ब्यपवर्तन आदेश जारी करने के पूर्व जमा कराए।

- ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय भूमि के आवंटन एवं कृषि भूमि के व्यपवर्तन पर आरोपणीय पंचायत उपकर ₹ 14.33 का अनारोपण/अवसूली रही।

अनुषंसा : विभाग ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोपणीय प्रब्याजि एवं किराये पर पंचायत उपकर के आरोपण हेतु निर्देश जारी करने पर विचार करें।

- भू–राजस्व के विभिन्न मदों पर 30 दिन से ज्यादा पुराना बकाया राजस्व ₹ 264.80 करोड़ वसूली के लिए लम्बित था जिस पर 100 प्रतिशत तक अर्थदण्ड भी आरोपणीय था। परन्तु तहसीलदारों ने इस बकाया भू–राजस्व पर कोई भी अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

अनुषंसा : विभाग बकाया भू–राजस्व की वसूली पर ईमानदारी से निगरानी रखे तथा एक वर्ष से ज्यादा पुराने राजस्व की वसूली हेतु प्रावधानो के अनुरूप चूक कर्त्ताओ की सम्पत्ति की कुर्की कार्यवाही करें।

- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अधूरी पाई गई जैसे आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा का न होना, अधीनस्थ कार्यालयो की अपर्याप्त निरीक्षण मासिक तौजी का साधारण न होना तथा विभागीय मेन्यूअल का न बनाया जाना।

अनुषंसा : विभाग आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा की स्थापना कर, नियमित मासिक तौजी का बनाया जाना तथा कोषालय से इसका समाधान कर तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता तथा नियमों मे प्रभावी नियन्त्रण कर भू राजस्व विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार कर सकता।

5.3 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

हमने भू–राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण से संबंधित प्रलेखो की संवीक्षा की जिसमें भू–राजस्व तथा उपकर के शासकीय खाते में प्रेषण संबंधित अनियमितता ज्ञात हुई जिसे निम्नलिखित कण्डिका में दर्शाया गया है।

5.4 भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

तीन तहसील कार्यालयों में भू–राजस्व प्रातियॉ, जिन्हे शासकीय खातो में मुख्य शीर्ष "0029–भू–राजस्व" के अंतर्गत जमा किया जाना चाहिये था, को पंचायती राज निधि में जमा किया गया जिससे राजकोष ₹ 13.13 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

हमने नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य तीन[17] तहसील कार्यालयों, में अवलोकित किया कि वित्तीय वर्ष 2015–2016 एवं 2013–2014 के मध्य संग्रहित ₹ 13.13 लाख का भू–राजस्व एवं पंचायत उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष "0029–भू–राजस्व" में जमा कराने के बजाय पंचायत राज निधि में जमा किया गया, यद्यपि, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (भाग–1) के नियम 7(i) सहपठित नवम्बर 2001 में जारी अधिसूचना के अनुसार, तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहित भू–राजस्व एवं उपकर, कोषालय को प्रेषित कर शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष "0029–भू–राजस्व" के अंतर्गत जमा किया जाना चाहिये। इस प्रकार राजकोष ₹ 13.13 लाख के राजस्व से वंचित रह गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य), तहसीलदार टोंक–खुर्द ने बताया (नवम्बर 2014) की जिला पंचायत से पत्राचार करने के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी। तहसीलदार पानसेमल (बड़वानी) ने बताया (मार्च 2015) कि जिला पंचायत से पत्राचार करने पश्चात राशि वसूल की जायेगी तथा तहशीलदार शुजालपुर (शाजापुर) ने बताया (मार्च 2015) कि जनपद पंचायत से वसूली कर राशि मुख्य शीर्ष "0029" में जमा की जायेगी।

प्रकरण विभाग तथा शासन को (मई तथा जून 2015 के मध्य) प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

---

17 पनसेमल (बड़वानी), शुजालपुर एवं टोंक–खुर्द (देवास)

अध्याय – 6

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

अध्याय–6

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

6.1 कर प्रशासन

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन कार्यरत है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्य प्रदेश विभाग प्रमुख है। दो संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन, एक उप महानिरीक्षक पंजीयन, एक वरिष्ठ जिला पंजीयक, एक जिला पंजीयक और एक लेखा अधिकारी मुख्यालय पर कार्यरत हैं। राज्य में 51 पंजीयन जिले अधिसूचित हैं। पन्द्रह पंजीयन जिलों में से प्रत्येक में एक वरिष्ठ जिला पंजीयक, शेष जिलों में से प्रत्येक में 36 जिला पंजीयक हैं तथा राज्य में 234 उप पंजीयक कार्यालय हैं। उप पंजीयन कार्यालय वह स्थान हैं, जहाँ पंजीयन से संबंधित जनसाधारण के समस्त पंजीयन कार्यो का निर्वहन किया जाता है। जिला स्तर पर कलेक्टर पंजीयन प्रशासन का प्रमुख होता है। जिला पंजीयक का कार्य उप पंजीयको को उनके दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों में दिशा निर्देश देना, वांछित मुद्रांकों के मूल्यांकन के प्रकरणों में आदेश पारित करना, शास्ति, वापसी तथा उप पंजीयक एवं लोक कार्यालयों का जहाँ मुद्रांक शुल्क शामिल होता है, का निरीक्षण करना होता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2014–15 के दौरान विभाग की 233 इकाईयों में से 88 [1] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की। इन ईकाईयों में 16,31,365 विलेख दर्ज थे जिसमे से 1,63,137 विलेखों का लेखा परीक्षण किया गया। इनके अवलोकन में प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली, गलत छूट एवं अन्य प्रेक्षणों का पता चला; जिनमें 2,024 प्रकरणों में ₹ 110.79 करोड़ की राषि अंतनिर्हित थी, जिन्हे **तालिका 6.1** में निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:–

तालिका 6.1

(₹ करोड़ में)

स.क्रं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	677	17.31
2	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन/गलत छूट के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पजीयन फीस की कम प्राप्ति	211	5.68
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान से गलत छूट	26	2.52
4	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व की कम प्राप्ति	105	14.32
5	अन्य प्रेक्षण	1,005	70.96
	योग	**2,024**	**110.79**

[1] एक महानिरीक्षक पंजीयन का कार्यालय, चार जिला पंजीयक के कार्यालय, 83 उप पंजीयक कार्यालय

वर्ष 2014–15 के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई 873 प्रकरणों में ₹ 17.82 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान विभाग ने 54 प्रकरणों में ₹ 22 लाख की वसूली की।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों जिनमें ₹ 7.99 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, की निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

6.3 उप पंजीयको द्वारा संदर्भित किये गये प्रकरणों का देरी से निपटान करना

उप पंजीयक द्वारा मई 2010 से मार्च 2014 के मध्य सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मुद्रांक संग्राहक (जिला पंजीयक) की ओर संदर्भित किये गये प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया, यद्यपि संदर्भित प्रकरणों के निराकरण की निर्धारित तीन महीने की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में ₹ 6.33 करोड़ की प्राप्ति नहीं हो सकी।

हमने जिला पंजीयक कार्यालय ग्वालियर एवं 12 उप पंजीयक कार्यालयो[2] की (मार्च 2014 से मार्च 2015 के मध्य) अभिलेखों की नमूना जांच में पाया, कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 47–क में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उप पंजीयकों द्वारा (मई 2010 से मार्च 2014 के मध्य) 1534 प्रकरणों को मुद्रांक संग्राहक की ओर संदर्भित किया गया था, जिन्होंने इन प्रकरणों का निर्धारित अवधि में निराकरण नहीं किया।

इन प्रकरणों में संदर्भित प्रकरणों के निपटान हेतु निर्धारित तीन महीने की अवधि के उपरांत तीन से छत्तीस महीने का विलम्ब हुआ, जो जुलाई 2004 के विभागीय निर्देशों का उल्लंघन था, जिसके अनुसार संदर्भित प्रकरणों के सही बाजार मूल्य का निर्धारण मुद्रांक संगाहक को अधिकतम तीन महीने की समयावधि में करना है। इस असामान्य देरी के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 6.33 करोड़ की प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रकरण इंगित किये जाने के बाद संबंधित उपपंजीयकों ने (मार्च 2014 से मार्च 2015 के मध्य) बताया कि मुद्रांक संग्राहक को प्रकरणों के शीघ्र निपटान हेतु निवेदन किया जावेगा। जिला पंजीयक ग्वालियर ने बताया(जनवरी 2015) कि संदर्भित प्रकरणों का निपटान किया जा रहा था जबकि जिला पंजीयन, बुरहानपुर ने बताया, कि एक प्रकरण में ₹ 14,000 की वसूली हो गई, जबकि शेष प्रकरणों में राशि की वसूली हेतु आर.आर. सी. जारी कर दी गई है।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को (जून 2015) प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2015)।

6.4 बाजार मूल्य की गलत गणना

यद्यपि 27 विलेखों में संबंधित वर्ष की गाईडलाइन के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य अधिक था, उप पंजीयकों द्वारा ये विलेख संपत्तियों के मूल्य की सही गणना हेतु मुद्रांक संग्राहक की ओर संदर्भित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 51.56 लाख कम आरोपित किया गया।

---

[2] अशोकनगर, बड़वाह (खरगौन), बैतूल, बुरहानपुर, छतरपुर, देवास, जावरा (रतलाम), करैरा (षिवपुरी), खण्डवा, मन्दसौर, नागौद (सतना) और रतलाम

हमने छः उप पंजीयन कार्यालयों[3] में 61,049 प्रकरणों में से 6,105 प्रकरण अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के मध्य पंजीकृत हुए थे की नमूना जांच (अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 के मध्य) की तथा 27 विलेखों के अवलोकन पर पाया कि संबंधित वर्ष के लिए बाजार मूल्य गाईडलाइन के आधार पर गणना करने पर पंजीयन मूल्य ₹ 11.89 करोड़ के विरूद्ध बाजार मूल्य ₹ 18.09 करोड़ था।

उप पंजीयकों द्वारा विलेखों में घोषित संपत्ति का बाजार मूल्य, उस वर्ष की बाजार मूल्य गाइडलाइन के साथ सत्यापित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप स्टाम्प का कम मूल्यांकन हुआ और इन विलेखों को सम्पत्ति के सही मूल्यांकन की गणना एवं आरोपणीय शुल्क के लिए मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित नहीं किया गया।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के धारा 47–क में निर्धारित है कि यदि संपत्ति का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य गाईडलाइन में दिखाये गये बाजार मूल्य से कम है, तो ऐसी सम्पत्तियों के विलेखों को सही बाजार मूल्य की गणना एवं शुल्क लगाने के लिए मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 51.56 लाख कम लगाई गई। **(परिशिष्ट –XIX)**

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर उप पंजीयको ने बताया (मार्च 2014 से मार्च 2015 के मध्य) कि सभी प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किया जावेगा।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को (जून 2015) प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2015)।

6.5 पट्टा विलेख पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

पंजीयन प्राधिकारियों ने पट्टा विलेखों के 17 दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क ₹ 2.33 करोड़ एवं पंजीयन फीस ₹ 1.65 करोड़ लगाई, जबकि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमषः ₹ 2.55 करोड़ एवं ₹ 1.91 करोड़ लगाई जानी चाहिए थी। जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमषः ₹ 21.89 लाख एवं ₹ 26.10 लाख की कम प्राप्ति हुई।

हमने चार उप पंजीयन कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच की (मार्च से सितम्बर 2014 के मध्य) तथा पाया कि (मई 2010 से मार्च 2014 के मध्य) निष्पादित एवं पंजीकृत किये गये 120 पट्टा विलेखों में से 17 पट्टा विलेखों की नमूना जांच करने पर पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की दर से मुद्रांक शुल्क ₹ 2.55 करोड़ एवं पंजीयन फीस ₹ 1.91 करोड़ भुगतान योग्य है। मुद्रांक शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूचि 1–अ के अनुच्छेद 33 में दी गई दर से लगाया जाता है। पंजीयन फीस, पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद–II के अनुसार, मुद्रांक शुल्क की तीन चौथाई लगाई जाती है।

पंजीयन प्राधिकारियों ने मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 2.33 करोड़ एवं पंजीयन फीस के रूप में मात्र ₹ 1.65 करोड़ लगाये। उप पंजीयको ने पट्टा विलेखों में दिखाई गई पट्टे की विभिन्न अवधियों के लिए मुद्रांक शुल्क की भिन्न दरों को लागू नहीं किया गया और न ही पट्टा विलेखों में बताये गये अनुसार आवधिक अंतरालों पर किराये पर पट्टे की दरों का संशोधन करने संबंधी खण्ड पर विचार किया गया। जिसके परिणामस्वरूप

---

3 अनुपपुर, बड़वाह, छतरपुर, गाडरवाड़ा, खरगौन, कोतमा

4 अनुपपुर, गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर), सुखालिमा (इन्दौर) और उमरिया

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः ₹ 21.89 लाख एवं ₹ 26.10 लाख की कम प्राप्ति हुई। **(परिशिष्ट XX)**

प्रकरणों को इंगित करने के पश्चात् (मार्च से सितम्बर 2014 के मध्य) उप पंजीयक सुखालिया (इन्दौर III) ने उत्तर में बताया (मई 2014) कि एक प्रकरण (दस्तावेज क्रमांक 5887 (4) दिनांक 30 मार्च 2014) में पट्टा राशि एवं बाजार मूल्य दर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था एवं उच्च दर पर शुल्क अधिरोपित की गई। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की 75 प्रतिषत पंजीयन फीस लगाई जानी चाहिए, जो दस्तावेज पर नहीं लगाई गई, साथ ही मुद्रांक शुल्क ₹ 24,361 कम लगाया गया। अन्य प्रकरणों में उप पंजीयक, सुखालिया (इन्दौर III), अनुपपुर, गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर) और उमरिया ने बताया (मार्च से सितम्बर 2014) कि मामला आवष्यक कार्यवाही हेतु मुद्रांक संग्राहक की ओर अग्रेषित किया जावेगा।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को (जून 2015) प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2015)।

6.6 मुख्तारनामा के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

मुख्तारनामा के 17 विलेखों में, दस्तावेजों को बिना प्रतिफल के तथा एव वर्ष से कम समय का मुख्तारनामा विलेख मान लिया गया जबकि उसमें विक्रय, उपहार, विनिमय या अचल सम्पत्ति को स्थायी रूप से संक्रान्त करने हेतु अधिकार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किये बिना ही दे दिये गये कि विक्रय के अधिकार एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये दिये गये है, परिणामतः मुद्रांक शुलक एवं पंजीयन फीस ₹ 28.27 लाख का कम आरोपण हुआ।

हमने चार उपपंजीयक कार्यालयों[5] में पंजीकृत 623 मुख्तारनामों में से 156 मुख्तारनामों की नमूना जांच करने पर पाया (मार्च 2014 से फरवरी 2015 के मध्य) कि (अप्रैल 2006 से मार्च 2014 के मध्य) मुख्तारनामों के 17 विलेख पंजीकृत हुए, जिनमें अचल सम्पत्ति के विक्रय, उपहार, विनिमय या स्थायी रूप से सक्रांत हेतु अधिकार दिये गये। यद्यपि यह मुख्तारनामें में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया, कि अधिकार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं है। चूकिं मुख्तारनामें में अवधि एक निश्चित रूप से परिभाषित नही थी, उन संपत्तियों के बाजार मूल्य पर शुल्क लगाया जाना चाहिए था।

इन प्रकरणों में विलेखों को बिना प्रतिफल के तथा एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए विक्रय हेतु मुख्तारनामा माना गया तथा इन प्रकरणों पर संबंधित उप पंजीयकों द्वारा ₹ 100 से ₹ 1000 तक मुद्रांक शुल्क लगाई गई।

यद्यपि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूचि 1–अ के अनुच्छेद 45(डी) में निर्धारित है कि जब मुख्तारनामा बिना प्रतिफल के मध्य प्रदेश में स्थित अचल सम्पत्ति के निपटान हेतु एजेन्ट को प्राधिकृत करने हेतु हस्तांतरण किया गया हो या प्रतिफल रहित एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए हो या जब यह वसूली योग्य न हो या जहां यह कोई निश्चित अवधि के लिये न हो, ऐसे दस्तावेजों के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण अवधि के समान शुल्क भुगतान योग्य है। इसका अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 28.27 लाख का कम आरोपण हुआ। **(परिशिष्ट XXI)**

5 खण्डवा, कोतमा (अनुपपुर), राजगढ़ और उमरिया

प्रकरण इंगित करने के बाद (मार्च 2014 से फरवरी 2015 के मध्य) उप पंजीयक राजगढ़ (दिसम्बर 2014), कोतमा (अनुपपुर) तथा उमरिया (मार्च 2014) ने बताया कि प्रकरणों को मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किया जायेगा। उप पंजीयक खण्डवा (फरवरी 2015) ने बताया, कि संशोधन कर दिया जायेगा।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को (जून 2015) प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2015)।

6.7 बंधक विलेखों का पंजीयन न होना

कालोनाइजर द्वारा विकास कार्य करने के लिए भूखण्ड प्रतिभूति के रूप में रखे जाते है, इन्हें बंधक नहीं रखा गया, जिन पर मध्य प्रदेष हाउसिंग बोर्ड की उस क्षेत्र के लिए प्रचलित दरों के आधार पर अनुमानित विकास व्यय की गणना ₹ 15.10 करोड़ की गई। इसके परिणामस्वरूप अनुमानित विकास व्यय की दर पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राषि ₹ 27.18 लाख की प्राप्ति नहीं हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूचि 1–अ के अनुच्छेद 38 (ब) के साथ शासन की अधिसूचना (सितम्बर 2007) तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 75 के अनुसार एक बंधक विलेख कब्जा रहित पर इस विलेख द्वारा सुरक्षित राशि का एक प्रतिशत शुल्क लगानी है। आगे मध्य प्रदेश नगर पालिका नियम के नियम 12 के अनुसार विकासकर्ता को स्थानीय प्राधिकारियों के पक्ष में भूमि/भूखण्ड का 25 प्रतिशत भूमि विकास व्यय के विरूद्ध सुरक्षा के रूप में स्थायी निकाय के पक्ष में बंधक रखना चाहिए। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17 उपबंधित करती है कि ऐसे बंधक विलेखों का पंजीयन अनिवार्य है।

विभागीय उपबंधित क्रमांक 439 (पंजीयन अधिनियम का भाग) के अनुसार जिला पंजीयक को लोकसेवा कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए यह सुनिष्चित करना चाहिए, कि ऐसे दस्तावेजों पर उचित मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। हमने तीन उप पंजीयक कार्यालयों[6] के (मार्च 2014 से मार्च 2015 के मध्य 73 ठेकेदारों के पट्टों के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि उपरोक्त नियमों के अनुसार, विकास के लिए प्रतिभूति के रूप में 25 प्रतिशत भूखण्ड बंधक नहीं रखे गये थे। साथ ही जिला पंजीयक, ने भी इन विभागों का निरीक्षण नहीं किया, जिससे यह पता चलता कि विलेख उचित रूप से निष्पादित एवं विधिवत मुद्रित है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गई दर के आधार पर भूमि का अनुमानित विकास व्यय ₹ 15.10 करोड़ था। प्रावधानों के अनुसार भूखण्ड बंधक नहीं रखने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के रूप में राशि ₹ 27.18 लाख का आरोपण नहीं हुआ। **(परिशिष्ट XXII)**

प्रकरण को इंगित करने के पश्चात् उप पंजीयक बड़वाह (खरगौन) ने मार्च 2015 में बताया, कि एक प्रकरण पहले से ही मुद्रांक संग्राहक को भेज दिया था और अन्य मुद्रांक संग्राहक को संदर्भित किये जावेंगे। उप पंजीयक, गोटेगाँव (नरसिंहपुर) ने बताया (मार्च 2014) कि मामला उप संभागीय अधिकारी (राजस्व) के संज्ञान में लाया जाएगा एवं उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उप पंजीयक सतना ने बताया (जून 2014) कि उप पंजीयन कार्यालय में कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। जिला पंजीयक सतना ने सूचित किया, कि बंधक पट्टे के पंजीयन हेतु नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा जावेगा।

6 बड़वाह (खरगौन), गोटेगाँव (नरसिंहपुर) और सतना

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को प्रतिवेदित किया गया (जून 2015), उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2015)।

6.8 मुद्रांक शुल्क की अनियमित छूट

कृषि भूमि के विनिमय में भुगतान की गई शुल्क में छूट, अनुमानित बाजार मूल्य के बराबर नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11.08 लाख की राजस्व की हानि हुई।

हमने दो उपपंजीयक कार्यालयों[7] के (मई से सितम्बर 2014 के मध्य) अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि सम्पत्ति के विनिमय के सात विलेख पंजीकृत थे, लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई और पाया गया कि छः प्रकरणों में कृषि भूमि के विनिमय में भुगतान किया गया शुल्क अनुमानित बाजार मूल्य के बराबर नहीं थी। कृषि भूमि के बाजार मूल्य के बीच अंतर में विविधता ₹ 4.81 लाख और ₹ 21.32 लाख थी।

यह मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना (नवम्बर 1996) का उल्लंघन था, जिसके अनुसार अगर विनिमय के तहत भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य के बराबर नहीं है, तो मुद्रांक शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूचि 1–अ के अनुच्छेद 29 के अनुसार इसे हस्तांतरण के रूप में लेन देन मानते हुए उस सम्पत्ति पर मुद्रांक शुल्क लगाया जायेगा जिसका बाजार मूल्य अधिक है। इन प्रकरणों में जमीन की अनुमानित बाजार मूल्य विनियम के अंतर्गत बराबर मूल्य से लगाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.08 लाख की राजस्व की हानि हुई। **(परिशिष्ट XXIII)**

प्रकरणों को इंगित करने के बाद दोनो उप पंजीयकों ने (मई एवं सितम्बर 2014) बताया, कि सभी प्रकरण मुद्रांक संग्राहक की ओर प्रेषित किए जावेंगे।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को (जून 2015) प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हए (नवम्बर 2015)।

6.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो सामान्यतः सभी नियंत्रण के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को विश्वास दिलाने में मदद करता है कि निर्धारित तंत्र काफी अच्छी तरह से कार्य कर रहे है।

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने वर्ष 2014–15 के दौरान 61 उप पंजीयन कार्यालयों एवं 22 जिला पंजीयन कार्यालयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई थी। इनमें से 21 उप पंजीयन कार्यालयों की विभाग लेखापरीक्षा की गई, जबकि किसी भी जिला पंजीयन कार्यालय की लेखापरीक्षा नहीं की गई। विभाग ने योजना बनाई गई केवल 25 प्रतिशत इकाईयों का ही आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन किया। आंतरिक लेखापरीक्षा में तौजी रजिस्टर का मिलान न करना, फ्रेकिंग मशीन द्वारा स्टाम्प फ्रेकिंग न करना, दस्तावेजों का पंजीकरण अपर्याप्त मुद्रांक के साथ करना और दस्तावेजों में गलत वर्गीकरण के साथ पंजीयन करना देखे गये थे।

[7] देपालपुर (इन्दौर) और गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर)

अध्याय – 7
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय–7
खनन प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

खनिज संसाधन विभाग, सचिव खनन, मध्यप्रदेश शासन के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है। संचालक, भौतिकी एवं खनिकर्म विभाग प्रमुख है, जिसकी सहायता के लिए चार क्षेत्रीय प्रमुख इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में, 50 जिला खनिज अधिकारी, जिला स्तर पर तथा एक हीरा अधिकारी, पन्ना में है। जिला खनिज अधिकारी, सहायक जिला खनिज अधिकारी तथा खनन निरीक्षक जिला स्तर पर कलेक्टर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहते है।

खनन प्राप्तियाँ निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अधीन संग्रहीत की जाती है :

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960,
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988,
- संगमरमर विकास एवं संरक्षण नियम, 2002,
- मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम, 1996,
- मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम) नियम, 2006,
- मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास अधिनियम, 2005,
- कोयला खदान नियंत्रण नियम, 2004, तथा
- कोल बियरिंग क्षेत्र अधिनियम, 1957,

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014–15 में खनन प्राप्तियों से संबंधित 51 ईकाइयों मे से 35 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 1,097 प्रकरणों में ₹ 138.96 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना एवं अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई, जिन्हें **तालिका 7.1** में उल्लेखित निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनिवार्य किराया/रायल्टी का अनारोपण/कम आरोपण	310	28.04
2.	ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अवनिर्धारण	255	39.69
3.	व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की कम वसूली	36	1.26
4.	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	122	0.95
5.	अन्य प्रेक्षण (चूना पत्थर के सीमेंट में परिवर्तित घटक के कारण रायल्टी की अवसूली, पर्यावरण अनुमति के कारण खदानों की नीलामी व संचालन न होना, मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस की कम वसूली)	374	69.02
	योग	**1,097**	**138.96**

विभाग ने 1,024 प्रकरणों में ₹ 78.19 करोड़ के राजस्व की वसूली न होना/कम वसूली होना/अनारोपण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हे वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था तथा 132 प्रकरणों में ₹ 3.19 करोड़ की वसूली की गई।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों जिसमें ₹ 15.37 करोड़ की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

7.3 शिथिल खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना एवं सड़क विकास कर का अनारोपण/कम वसूली होना

अवधि 2013–14 के लिए 210 खनि पट्टेदारों द्वारा देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर राशि ₹ 6.47 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5.67 लाख का भुगतान किया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 6.41 करोड़ की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

हमने मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं नवम्बर 2010 की अधिसूचना के अनुसार दस जिला खनिज कार्यालयों[1] में मुख्य खनिजों के खनि पट्टो के वैयक्तिक प्रकरण की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) कि 16,175 हेक्टेयर शिथिल खदानों हेतु 796 खनि पट्टेदारों की नमूना जाँच में पाया कि 210 खनि पट्टेदारों ने 2013–14 की अवधि हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके पश्चात नवम्बर 2010 में जारी अनुदेशों के अनुसार देय ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर ₹ 4000 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से देय राशि ₹ 6.47 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5.67 लाख का भुगतान किया। विभाग ने कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नही की। यद्यपि प्रत्येक पट्टाधारी को नियम–7 की शर्तो के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन तक कर जमा करना था लेकिन विभाग ने प्रत्येक तिमाही में कर संग्रहित नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 6.41 करोड़ राजस्व की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा, दमोह, नरसिंहपुर, नीमच, सीधी व टीकमगढ़ ने बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात/वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जिला खनिज अधिकारी अनूपपुर, कटनी, सतना एवं शहडोल ने बताया कि मांग पत्र जारी कर राशि वसूल की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2015)।

7.4 खनिज पट्टा विलेखों के प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

विभाग, राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा क्योंकि विभागीय निर्देशों के अनुसार संविदा धन की पूरी राशि पर मुद्रांक शुल्क का आरोपण करने के स्थान पर, खनि पट्टों के अनुबंध ₹ 100 के स्टांप पेपर पर निष्पादित किये गये, जिससे ₹ 4.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

[1] अनूपपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, नीमच, सतना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़

हमने जिला खनिज कार्यालय कटनी एवं टीकमगढ़ में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) को स्वीकृत पट्टों से संबंधित व्यापारिक खदानों की प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच के दौरान अवलोकित किया (अप्रैल 2014 एवं जून 2014 के मध्य) कि जुलाई 2013 में निगम ने 4 ठेकेदारों से ₹ 45.81 करोड़ में 2 वर्षो हेतु रेत खदानों के लिए अनुबंध किया।

खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मार्च 1993 में जारी अनुदेशों के अनुसार मुद्रांक शुल्क के आरोपण हेतु संविदा राशि की संपूर्ण राशि को प्रीमियम मानते हुए मुद्रांक शुल्क ₹ 2.29 करोड़ की राशि उद्ग्राह्यय थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 के अनुसार, मुद्रांक शुल्क के 75 प्रतिशत की दर से पंजीयन फीस ₹ 1.72 करोड़ आरोपणीय थी। तथापि, म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 के स्टांप पेपर पर संविदा निष्पादित की। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट–XXIV** में दिये गये विवरणानुसार ₹ 4.01 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया (जून 2014) कि प्रकरण को कलेक्टर ऑफ स्टांम्प को अग्रेषित कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा एवं जिला खनिज अधिकारी टीकमगढ़ ने बताया (अप्रैल 2014) कि कंडिका की आपत्ति इस कार्यालय से संबंधित नही थी।

हम जिला खनिज अधिकारी, टीकमगढ़ के उत्तर से सहमत नही है क्योंकि म.प्र.रा.ख. नि.लि., खनिज संसाधन विभाग का एक पट्टेदार था और शासन के समस्त देय का नियमानुसार भुगतान करना पट्टेदार का दायित्व था, शासन के राजस्व हित की सुरक्षा के लिए समान जवाबदेही खनिज संसाधन विभाग की भी थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.5 अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा उत्खनि पट्टों से अनिवार्य किराये की वसूली योग्य राशि ₹ 1.31 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹ 9.11 लाख वसूल किया जबकि खनन पट्टों के प्रकरणों में 53 पट्टेधारक, जिनके पास खनन पट्टे थे, ने जनवरी 2013 से फरवरी 2014 तक की अवधि में लंबित अनिवार्य किराया राशि ₹ 57.09 लाख का भुगतान नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.79 करोड़ के अनिवार्य किराये की वसूली नही हुई।

7.5.1 उत्खनि मदों में अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

हमने 21 जिला खनिज कार्यालयों[2] के पट्टेदारों की वैयक्तिक नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2014 से मार्च 2015 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 435 उत्खनि पट्टेदारों में से 125 उत्खनि पट्टेदारों ने जनवरी 2010 से दिसम्बर 2014

[2] अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, धार, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, कटनी, रायसेन, रतलाम, सागर, सतना, शहडोल, शाजापुर, सिंगरौली, उमरिया एवं विदिशा

की अवधि हेतु देय अनिवार्य किराया राशि ₹ 1.31 करोड़ के विरूद्ध ₹ 9.11 लाख का किराया भुगतान किया था।

विभाग द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (i) (क) के अनुसार भुगतान न की गई अनिवार्य किराये की शेष शासकीय राशि जिसे प्रत्येक वर्ष प्रथम माह की बीस तारीख को या उससे पूर्व वसूल किया जाना चाहिए था को वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारंभ नही की। ऐसा नही करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (मई 2014 एवं मार्च 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि अभिलेखों की संवीक्षा के उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी, मांग पत्र जारी किए जायेंगे व बकाया राशि की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को (मई 2015) प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.5.2 खनि पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

हमने पांच जिला खनिज कार्यालयों[3] के 555 पट्टाधारियों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (जून 2014 और सितम्बर 2014 के मध्य) कि 194 खनन पट्टो के 53 पट्टेधारकों ने अवधि जनवरी 2013 से जनवरी 2014 तक देय अनिवार्य किराया ₹ 57.09 लाख का भुगतान नहीं किया, जो कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 9 (क) (i) के प्रावधानों का उल्लघंन था, जिसके अनुसार खनि पट्टे का प्रत्येक पट्टेधारक, पट्टा क्षेत्र से निष्कासित या उपयोग किये गये किसी खनिज के लिए रॉयल्टी के भुगतान का उत्तरदायी है। जिला खनिज अधिकारियों ने भी अनिवार्य किराये की वसूली हेतु मांग पत्र जारी नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 57.09 लाख के अनिवार्य किराये की वसूली नहीं हुई। **(परिशिष्ट XXV)**

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि संवीक्षा उपरांत वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.6 रॉयल्टी की कम वसूली

दो पट्टेदारों ने खनिजों के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2012 से दिसम्बर 2013 के मध्य देय रॉयल्टी की राशि ₹ 6.81 करोड़ के विरूद्ध रॉयल्टी राशि ₹ 5.83 करोड़ का भुगतान किया जबकि उत्खनि पट्टे पर रॉयल्टी के प्रकरणों में हमने अवलोकित किया कि 34 पट्टेधारकों द्वारा अवधि जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य निष्कासित किये गये खनिज पर राशि ₹ 1.74 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.09 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.63 करोड़ के रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

[3] अनूपपुर, सागर सतना छिंदवाड़ा, और कटनी

7.6.1 खनन पट्टे पर राज्यांश की कम प्राप्ति

हमने जिला खनिज कार्यालय कटनी एवं जिला हीरा कार्यालय, पन्ना से सम्बन्धित प्रकरण नस्तियों, कर निर्धारण तथा वार्षिक उत्पादन विवरण की संवीक्षा के दौरान (मई 2014 और जून 2014 के मध्य) अवलोकित किया कि दो पट्टेधारकों द्वारा हीरा पत्थरों, बाक्साइट (रिफ्रेक्टरी व सीमेंट/ग्रेड), लेटेराइट एवं फायर क्ले के उपभोग/परिवहन हेतु अवधि जनवरी 2012 और दिसम्बर 2013 के मध्य में देय राशि ₹ 6.81 करोड़ के विरूद्ध ₹ 5.83 करोड़ का भुगतान किया।

जिला खनिज अधिकारी, कटनी एवं जिला हीरा अधिकारी, पन्ना ने रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियमन, 1957 की धारा 9 (i) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ नही की। परिणामस्वरूप रॉयल्टी ₹ 98.09 लाख की कम वसूली हुई। यदि जिला खनिज अधिकारी और जिला हीरा अधिकारी विभागीय निर्देशों के अनुसार/विरणियों की समय पर संवीक्षा करते तो रॉयल्टी की कम वसूली को टाला जा सकता था।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मई और जून 2014 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी और जिला हीरा अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ हैं (अक्टूबर 2015)।

7.6.2 उत्खनि पट्टे पर रॉयल्टी की कम वसूली

हमने दस जिला खनिज कार्यालयों[4] के कुल 1031 उत्खनि पट्टों से संबंधित प्रकरण नस्तियों तथा विवरणियों की संवीक्षा से अवलोकित किया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य) कि नमूना जांच किये गये 93 पट्टेदारो में से 34 पट्टेदारों ने जनवरी 2009 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य हटाये गये खनिजों के संबंध में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996, के नियम 30 (i)(ख) के अनुसार भुगतान योग्य राशि ₹ 1.74 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.09 करोड़ के रॉयल्टी का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64.54 लाख के रॉयल्टी की कम प्राप्ति हुई। प्रकरण की नस्तियों से यह भी ज्ञात हुआ कि जिला खनिज अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की गई थी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारी, देवास ने बताया कि देय राशि की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा, अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार जांच के बाद सुनिश्चित की जायेगी।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015), उनके उत्तर प्राप्त नही हुये है (नवम्बर 2015)।

[4] बैतूल, भोपाल, धार, देवास, हरदा, पन्ना, रायसेन, रीवा, सतना और शहडोल

7.7 व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना

विभाग द्वारा 28 प्रकरणों में व्यापारिक खदानों के अनुबंध के लिए वसूली योग्य राशि ₹ 65.74 लाख के विरूद्ध केवल ₹ 3.34 लाख वसूली की गयी परिणामस्वरूप संविदा राशि ₹ 62.40 लाख की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई।

हमने 09 जिला खनिज कार्यालयों[5] में 126 व्यापारिक खदानों के प्रकरणों में से 112 प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान 28 प्रकरणों में (मई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य) अवलोकित किया कि अवधि 2011–14 में ठेकेदारों से संविदा राशि ₹ 65.74 लाख बकाया थी जिसके विरूद्ध केवल राशि ₹ 3.34 लाख वसूली की गयी। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 37 (i) एवं ठेकेदार के अनुबंध की शर्त क्र. 5 (i) एवं 9 के अनुसार संविदा राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नही की थी। परिणामस्वरूप 28 ठेकेदारों से संविदा राशि ₹ 62.40 लाख की वसूली नही/कम हुई जिसका विवरण **परिशिष्ट-XXVI** में दर्शाया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर (मई 2014 एवं नवम्बर 2014 के मध्य), जिला खनिज अधिकारी शाजापुर ने बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी जिला खनिज अधिकारी हरदा, रतलाम, उमरिया और विदिशा ने बताया कि वसूली की कार्यवाही के पश्चात् लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी मुरैना, श्योपुर एवं शिवपुरी ने बताया कि लेखापरीक्षा को वसूली के बारे में जांच के पश्चात् सूचित किया जायेगा। जिला खनिज अधिकारी सीधी ने बताया कि खदान को वन एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुपालन में बंद किया था जिसे पुनः 21 मई 2013 को खोला गया था एवं ठेकेदार द्वारा नियमानुसार संविदा राशि को जमा किया गया था।

हम जिला खनिज अधिकारी सीधी के उत्तर से सहमत नही हैं, क्योंकि ठेकेदार ने 21 मई 2013 से 30 जून 2013 के मध्य अवधि के लिये जिसमें खदान चालू थी संविदा राशि जमा नही की थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनके उत्तर प्राप्त नही हुए है (नवम्बर 2015)।

7.8 जारी किये गये अस्थायी अनुज्ञापत्र के विरूद्ध रॉयल्टी की वसूली न होना

जिला खनिज अधिकारी, ठेकेदार से अग्रिम रॉयल्टी ₹ 46.00 लाख की वसूली करने में विफल रहा जिस शासकीय कार्य के लिए गौण खनिज की निकासी, हटाने एवं परिवहन करने की अनुमति दी गयी थी।

हमने जिला खनिज कार्यालय, सतना में प्रकरण नस्तियों तथा ठेकेदारों को जारी किए गए अस्थायी अनुज्ञापत्रों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (मई 2014) कि एक ठेकेदार को 08 मार्च 2013 को राज्य शासन के निर्माण कार्यो के लिए तीन अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किए गए। जिला खनिज अधिकारी ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के नियम 68 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम रूप से देय रॉयल्टी की वसूली नही की तथा

[5] हरदा, मुरैना, रतलाम, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, उमरिया और विदिशा

ठेकेदारों द्वारा बिना भुगतान पर ही, अनुज्ञापत्र जारी कर दिये। इसके परिणामस्वरूप ` 46.00 लाख के रॉयल्टी की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी सतना ने बताया (मई 2014) कि तीन में से दो अस्थायी अनुज्ञापत्र सैद्धान्तिक सहमति देने के पश्चात् जारी किए थे चूंकि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी, अतः खनिज का खनन नहीं हुआ था एवं यदि खनिज का खनन नहीं किया जाता है तब राजस्व की वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि तीनों प्रकरणों में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन एजेंसी से पर्यावरणीय मंजूरी अस्थायी अनुज्ञापत्र प्रदाय किये जाने के समय पूर्व से ही थी एवं नियम 68 के तहत रॉयल्टी की वसूली की जानी चाहिए थी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.9 रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण दर के निर्धारण के कारण रॉयल्टी की कम वसूली

विभाग ने खनिजों जैसे लेटेराइट, लोह अयस्क एवं मैगनीज के विक्रय मूल्य की गणना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट खनिजों के विक्रय मूल्य से कम दर पर की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.78 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 9 (i) के अनुसार पट्टा क्षेत्र से हटाये गए या उपयोग किए खनिजों के संबंध में अनुसूची–II में उल्लेखित दरों से रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। आगे खनिज रियायत नियम के नियम 64 (घ) के अनुसार भारतीय खनन ब्यूरो द्वारा प्रकाशित विभिन्न खनिजों के लिए राज्यवार विक्रय मूल्य राज्य में किसी भी खदान में एक माह के दौरान किसी भी समय उत्पादित किसी भी खनिज के संबंध में रॉयल्टी की गणना के लिए विक्रय मूल्य होगा और रॉयल्टी उसमें दिए गए सूत्र[6] के अनुसार गणना की जायेगी।

हमने जिला खनिज कार्यालयों बालाघाट एवं जबलपुर से संबंधित अवधि 2013–14 के दस्तावेजो की संवीक्षा के दौरान (फरवरी 2015) अवलोकित किया कि तीन प्रकरणों में पट्टेदारों ने पट्टा क्षेत्र से 78,654.095 मीट्रिक टन (लेटेराइट, लौह अयस्क एवं मैगनीज) अयस्क का प्रेषण किया (जनवरी 2013 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य)। विभाग ने खनिजों के विक्रय मूल्य की गणना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट खनिजों के विक्रय मूल्य से कम दर पर की। इस प्रकार रॉयल्टी ₹ 13.78 लाख कम मूल्यांकन किया गया, परिणामस्वरूप रॉयल्टी की इस सीमा तक कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (फरवरी एवं मार्च 2015 के मध्य) जिला खनिज अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पालन प्रतिवेदन पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2015)। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2015)।

[6] रॉयल्टी = खनिज का विक्रय मूल्य (ग्रेड वार एवं राज्य वार) आई.बी.एम. द्वारा प्रकाशित x रॉयल्टी की दर (प्रतिशत में) x खनिज की कुल मात्रा ग्रेड प्रस्तुत की जाने वाली/प्रेषण की जाने वाली

7.10 विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/वसूली न होना

विभाग द्वारा नियमों के प्रावधानों के अनुसार खनिज पट्टों, व्यापारिक खदानों तथा उत्खनि पट्टों से संबंधित रॉयल्टी/अनिवार्य किराया/संविदा राशि के विलंबित भुगतानों पर ब्याज ₹ 31.28 लाख का आरोपण नहीं किया।

7.10.1 खनिज पट्टा

हमनें जिला खनिज कार्यालयों अनूपपुर एवं छिंदवाड़ा के अवधि 2013–14 के मुख्य खनिज पट्टों की प्रकरण नस्तियों की संवीक्षा के दौरान अवलोकित किया (अगस्त/सितम्बर 2014) कि नमूना जांच किये गए नौ पट्टेधारकों में से दो पट्टेधारकों ने अवधि जनवरी 2008 व दिसम्बर 2013 के मध्य रॉयल्टी/अनिवार्य किराए का भुगतान 258 से 1,718 दिवसों तक विलंब से किया। जबकि खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 64 (क) के अनुसार पट्टेदार को रॉयल्टी तथा किराया नियत दिनांक तक जमा किया जाना था, विफल रहने की स्थिति में वह निर्धारित तिथि की समाप्ति के 60 दिवस पश्चात् से ऐसे रॉयल्टी की भुगतान तिथि तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी था।

इन प्रकरणों में विभाग द्वारा ₹ 6.96 लाख के ब्याज की राशि के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.96 लाख के ब्याज की वसूली नही हुई।

मार्च 2015 में यह इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी अनूपपुर ने बताया कि राशि की वसूली उपरांत लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा एवं जिला खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा ने बताया कि प्रकरणों की जांच के पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

7.10.2 व्यापारिक खदान

हमने पांच जिला खनिज कार्यालयों[7] के अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के 144 व्यापारिक खदानों में से 59 व्यापारिक खदानों की नमूना जांच के दौरान संवीक्षा में अवलोकित किया (जुलाई से सितम्बर 2014) कि 26 ठेकेदारों के स्वामित्व की 59 व्यापारिक खदानों ने सात से 452 दिवस विलंब से भुगतान किया। यह मध्यप्रदेश गौण खजिन नियम 1996 के नियम 37 (i) एवं संविदा अनुबंध की शर्त क्र. 5 (i) के अनुरूप नही था जिसमें प्रावधानित था कि व्यापारिक खदानों के ठेकेदार को देय संविदा राशि, संविदा अनुबंध में दी गई तिथि को अथवा पूर्व भुगतान करना आवश्यक है, जिसमें विफल रहने पर चूक जारी रहने तक ठेकेदार संविदा राशि के अतिरिक्त 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

विभाग द्वारा इन विलंबित भुगतानों पर ब्याज की वसूली के लिए मांग पत्र जारी नही किया गया, परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 11.11 लाख की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जांच के पश्चात् बकाया राशि की वसूली की जावेगी।

[7] अनूपपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, पन्ना और शाजापुर

7.10.3 उत्खनि पट्टा

हमने सात खनिज कार्यालयों[8] की अवधि अप्रैल 2011 से मार्च 2015 के मध्य उत्खनि पट्टों के प्रकरणों की संवीक्षा (अप्रैल, अगस्त व दिसम्बर 2014) के दौरान कुल 697 उत्खनि पट्टों में से 183 उत्खनि पट्टों की नमूना जांच की एवं 45 उत्खनि पट्टों में पाया कि अनिवार्य किराया/रॉयल्टी के भुगतान में 16 से 1,357 दिवस के मध्य विलंब से हुआ।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (i) (घ) के अनुसार उत्खनि पट्टों के पट्टेदारों को यह आवश्यक है कि अनिवार्य किराया अथवा रॉयल्टी का भुगतान उपनियम (क) एवं (ख) के अधीन वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख तक अथवा इसके पूर्व हो, विफल रहने पर चूक जारी रहने तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा। तथापि विभाग ने इन विलेखित भुगतानों पर कोई ब्याज आरोपित नही किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 13.21 लाख की वसूली नही हुई। **(परिशिष्ट – XXVII)**

इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2014 एवं मार्च 2015) जिला खनिज अधिकारी देवास, शिवपुरी एवं उज्जैन ने बताया कि देय राशि की वसूली के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा, अन्य जिला खनिज अधिकारियों ने बताया कि जांच पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2015), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2015)।

7.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं सामान्यतः इसे सभी नियंत्रणों पर नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करने मे सहायता करता है कि संगठन निर्धारित प्रणाली के अनुरूप कार्य कर रहा है।

विभाग ने बताया कि विभाग में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा विधमान नहीं थी अतः अवधि 2009–10 से 2014–15 के दौरान खनन इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई।

[8] देवास, हरदा, होशंगाबाद, पन्ना, शिवपुरी, टीकमगढ़ और उज्जैन

अध्याय – 8
वन प्राप्तियाँ

अध्याय– 8
वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2014–15 में, वन विभाग के 81 ईकाईयों के अभिलेखों के नमूना जॉच में 52 प्रकरणों में राशि ₹ 199.08 करोड़ की रायल्टी की नही/कम वसूली, ब्याज/विस्तार शुल्क के अनाधिरोपण एवं अन्य अनियमितताएं परिलक्षित हुई, जो निम्नलिखित श्रेणियों में **तालिका 8.1** में दिया गया है ।

तालिका 8.1

			(₹ करोड़ में)
स.क्र.	**विवरण**	**प्रकरणों की संख्या**	**राषि**
1.	**"मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियाँ"** पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	173.44
2.	ईमारती का जलाऊ काष्ठ में वर्गीकरण करने के कारण राजस्व हानि/अनुमानित की तुलना में इमारती काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	4	3.24
3.	अवरोध दर से कम मूल्य पर काष्ठ का नीलाम किये जाने से हानियाँ	6	0.48
4.	राजसात वनोपज के अनिवर्तित रहने से हानियॉ	7	1.34
5.	चिन्हांकित वृक्षों की कटाई नही करने से राजस्व का अवरूद्ध रहना	2	4.37
6.	वन राजस्व की बकाया वसूलियॉ	8	4.40
7.	विदोहित काष्ठ के त्रृटिपूर्ण अनुमान तथा विदोहित काष्ठ के परिवहन नही होने के कारण राजस्व का अवरूद्ध रहना	2	9.22
8	चिन्हांकित कूपों में वृक्षों का पातन नही करने/ बांसों का अनुमान से कम विदोहन करने से राजस्व का अवरूद्ध रहना	2	0.85
9.	अन्य अनियमितताएं	20	1.74
	योग	**52**	**199.08**

विभाग ने एक प्रकरण में कम आंकलन एवं अन्य कमियों की राशि ₹ 8.23 लाख को स्वीकार किया जो वर्ष 2014–15 के अवधि में लेखापरीक्षा में इंगित की गई।

"मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियाँ" पर निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 173.44 करोड़ की राशि अंतर्निहित है का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है।

8.2 ''मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियाँ'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य बिन्दु

हमने दिसम्बर 2014 से जून 2015 के मध्य, मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जॉच किया। इसमें कार्य आयोजना के क्रियान्वयन नही होने, उत्पादन में कमी, वन प्राप्तियों में कमी तथा निगरानी में कमी से सम्बन्धित ₹ 173.44 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को सम्मिलित करती हुई कई कमियॉ परिलक्षित हुईं। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को आगे चिन्हांकित किया गया है–

ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन नौ वन मण्डलों के 250 कूपों में अनुमान की तुलना में 11 से 95 प्रतिशत तक कम था। आगे, आठ वन मण्डलों के 426 अन्य कूपों में, यद्यपि अनुमान के तुलना में समग्र उत्पादन में विचलन 10 प्रतिशत तक सीमित था, ईमारती काष्ठ, जो अधिक मूल्यवान है, का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 69.23 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 8.2.9)

वन विभाग ने वन क्षेत्र में उत्खनित तथा परिवहित खनिज के मात्रा का खनिज विभाग के आंकड़ों से मिलान नही किया। यह परिवहित खनिजों के अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.12)

नौ वर्षों तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलामी का कार्यान्वयन नही किया जाना।

(कंडिका 8.2.16)

न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई।

(कंडिका 8.2.18)

कूप से प्रेषित वनोपज काष्ठागार में परिवहन पर कम पायी गई, परिणामतः ₹ 2.07 करोड़ के हानि की हुई।

(कंडिका 8.2.20 तथा 8.2.21)

कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

(कंडिका 8.2.23)

वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

(कंडिका 8.2.29)

काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को तैयार करने/आवश्यक अभिलेख संधारण करने तथा प्रेषणों का नियमित मिलान करने में कमियां थीं।

(कंडिका 8.2.19, 8.2.27, 8.2.31 तथा 8.2.32)

निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर आठ वर्षो से पुनरीक्षित नही हुई।

(कंडिका 8.2.33)

8.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदश के वन 94,689 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (3,08,245 वर्ग किमी.) का 30.72 प्रतिषत है तथा देश के कुल वन क्षेत्र का 12. 10 प्रतिशत है। वन आच्छादन राज्य के केन्द्रीय, पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्व देने वाले मुख्य वनोपज, काष्ठ श्रेणी में ईमारती, बांस, जलाऊ तथा खैर हैं, जबकि गैर–काष्ठ श्रेणी में, ये तेंदुपत्ता, साल बीज, हर्रा, गोंद, चिरौंजी, महुआ के फूल तथा बीज, इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त, वन अपराध प्रकरणों में क्षतिपूर्ति, अधिरोपित शास्ति सहित क्षतिपूर्ति वनीकरण पर पर्यवेक्षण शुल्क, वन क्षेत्र से परिवहित खनिज पर अभिवहन शुल्क, इत्यादि भी वन प्राप्तियों के स्रोत हैं। मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ अकाष्ठ उत्पाद के व्यापार में लगा हुआ है, जबकि काष्ठ उत्पाद का व्यापार विभागीय तौर पर नीलाम तथा उपभोक्ताओं को निस्तारी[1] विक्रय द्वारा किया जाता है। वन प्राप्ति, शासन के गैर–कर राजस्व का एक मुख्य स्रोत है, अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, यह राज्य के कुल कर भिन्न राजस्व का 9.34 तथा 14.63 प्रतिशत के मध्य विस्तारित था।

8.2.2 वन के प्रबन्धन हेतु प्रणाली

वन विभाग वनों का प्रबन्धन अपने विभिन्न सामान्य तथा उत्पादन वन मण्डलो के द्वारा करता है। वन मण्डल, परिक्षेत्रो में उप विभाजित हैं जो आगे वृत्तों में विभाजित हैं। कक्ष, इसके प्रबन्धन हेतु वनों की लघुत्तम ईकाई है, जबकि कूप एक चिन्हांकित वन क्षेत्र होता है जहॉ विदोहन किया जाना होता है।

सामान्य वन मण्डल विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों जैसे, सुरक्षा, वनो का संवर्धन, पातन हेतु वृक्षों का चिन्हांकन, इत्यादि में लगे होते है तथा उत्पादन वन मण्डल पातन, परिवहन तथा वनोपज के विक्रय में लगे होते हैं। कम उत्पादन के वन क्षेत्रो में, सामान्य वन मण्डल उत्पादन वन मण्डलो के भी कार्य सम्पादित करते हैं।

वनों का प्रबन्धन, कार्य आयोजना के प्रावधानो के अनुसार किया जाता है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना तथा वन भू–अभिलेख) के शीर्षता में वन विभाग के पृथक कार्य आयोजना वन मण्डलो द्वारा 20 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वन मण्डल हेतु 10 वर्ष के लिए अनुमोदित किया जाता है। कार्य आयोजनाओं में, वन वर्धनिक[2] कार्यो के प्रबन्धन हेतु विस्तृत योजना होती है, जिसमें कार्यवृत्तों का बनाना, कूपों का चिन्हांकन, वृक्षों का पातन तथा विदोहन उपरान्त उपचार यथा झाड़ियों की सफाई तथा पौधारोपण इत्यादि शामिल होते हैं।

8.2.3 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव के समग्र नियंत्रण के अधीनं विभाग कार्य करता है, जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष हैं एवं विभाग के समग्र प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। विभाग का पदानुक्रम तथा उनके उत्तरदायित्व **चार्ट 1** में दर्शाये गये हैं:

[1] आसपास के रहवासियों को सस्ते दरों पर जलाऊ लकड़ी, बांस तथा बल्ली प्रदान करना

[2] वन वर्धनिक कार्य, वन संसाधन के पूर्ण विस्तार के उद्देष्य से स्थापित, विकास, संगठन तथा वन के वनस्पतियों के गुणवत्ता को नियंत्रित करने की कला एवं विज्ञान है।

चार्ट 1: संगठनात्मक संरचना

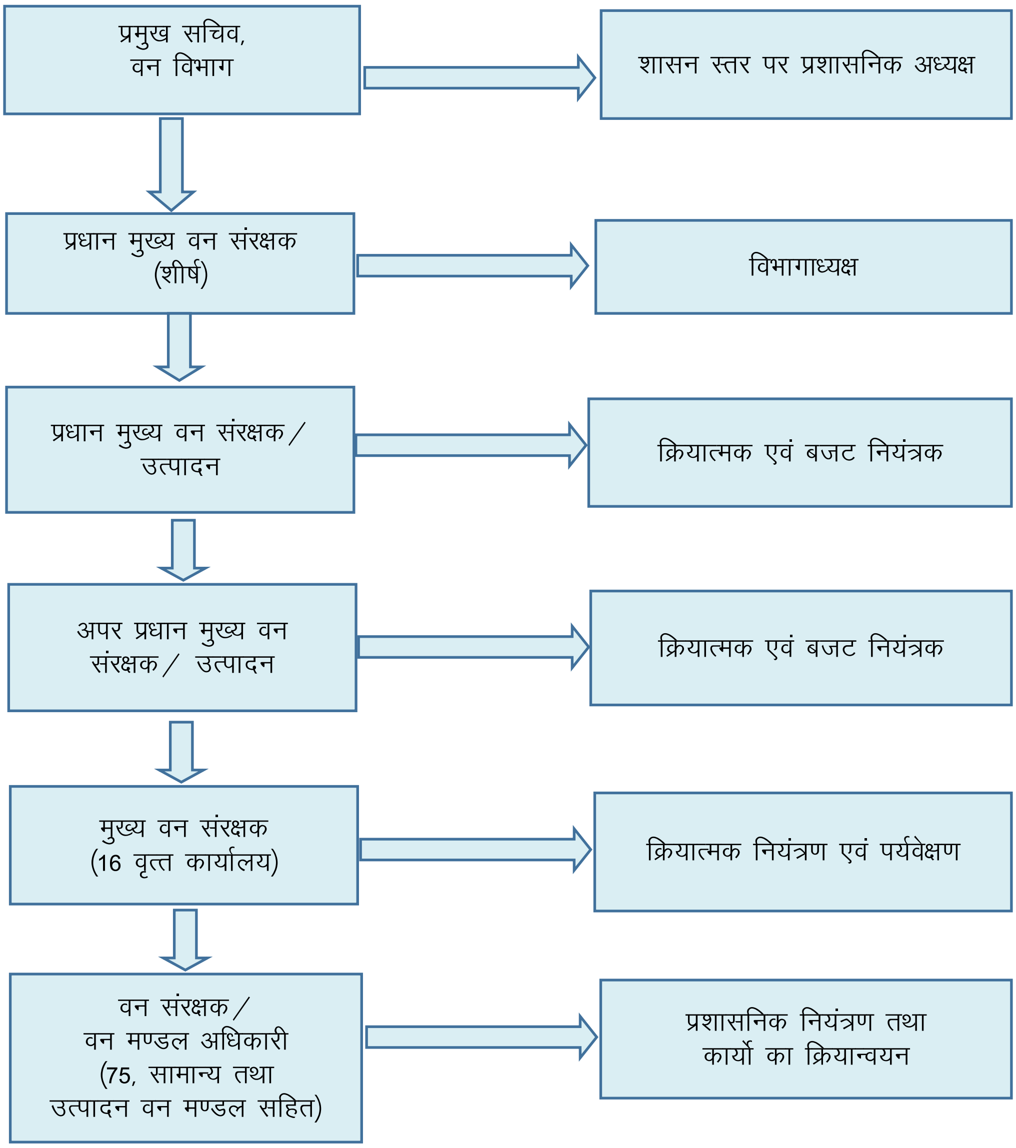

क्षेत्रीय/सामान्य/उत्पादन वन मण्डलो के प्रभारी वन संरक्षक/ वन मण्डल अधिकारी होते है, जिनकी उप वन मण्डल अधिकारी तथा परिक्षेत्र अधिकारी सहायता करते हैं। परिक्षेत्र अधिकारी की सहायता उप परिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल तथा वनरक्षक करते हैं।

8.2.4 लेखापरीक्षा विस्तार तथा कार्य प्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा दिसम्बर 2014 से जून 2015 के अवधि के मध्य किया गया तथा 75 वन मण्डलों में से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना के आधार पर चयनित 18 वन मण्डलो[3] तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के अवधि 2010–11 से 2014–15 से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया गया ।

[3] छः सामान्य वन मण्डल– बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, बैतुल उत्तर, छिन्दवाड़ा पश्चिम, तथा छिन्दवाड़ा दक्षिण; पॉच अन्य सामान्य वन मण्डल (उत्पादन कार्यों में भी लगे हुए)– सीहोर, ग्वालियर, सीधी, सिंगरौली, तथा कटनी; सात उत्पादन वन मण्डल– खण्डवा, छिन्दवाड़ा, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर, हरदा तथा सिवनी

8.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित से निगमित मानदण्डों पर आधारित था:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927; वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969;
- मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनियम) काष्ठ नियम, 1973; वन उपजों का व्ययन (निर्वर्तन) नियम, 1974; मध्य प्रदेश वित्त संहिता; मध्य प्रदेश कोषालय संहिता तथा मध्य प्रदेश वन वित्तीय संहिता; तथा
- शासन तथा विभाग द्वारा जारी अनुदेश तथा आदेश।

8.2.6 लेखपरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया कि:

- कार्य आयोजना में प्रावधानित चिन्हांकन, पातन तथा निस्सारण की गतिविधियॉ मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावी ढंग से की गईं;
- राजस्व को महत्तम करने हेतु वन प्राप्तियों का आंकलन तथा संग्रहण दक्षतापूर्ण किया गया; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा लेखा तंत्र दक्ष तथा प्रभावी थे।

8.2.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी तथा अभिलेख उपलब्ध करने में सहयोग के लिए वन विभाग का आभारी है। प्रमुख सचिव से लेखापरीक्षा विस्तार तथा कार्य प्रणाली 27 मार्च 2015 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शासन को 27 जूलाई 2015 को जारी किया गया। वन विभाग के प्रमुख सचिव तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से 12 अक्टूबर 2015 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर चर्चा की गई। शासन के उत्तर प्राप्त हुए (नवम्बर 2015) तथा समुचित रूप से सम्मिलित किया गया। शासन/विभाग के अभिमत समुचित रूप से निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित किये गये। सभी सात अनुषंसायें विभाग ने स्वीकार किये थे।

8.2.8 वन प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के नियम 128 के अनुसार, पूर्व वर्ष के प्राप्तियों तथा आगामी वर्ष हेतु अनुमानित प्राप्तियों के आधार पर, वन मण्डल अधिकारी प्राप्तियों के वार्षिक बजट अनुमान तैयार करते हैं। ये वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा अन्ततः वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है।

31 मार्च 2015 को समाप्त, विगत पाँच वर्ष में प्राप्त राजस्व की प्रवृत्ति **तालिका 8.2** में दिया गया है।

तालिका 8.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियॉ	विचलन	प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (–)	कर भिन्न प्राप्तियों में वन प्राप्तियों का प्रतिषत भाग
2010–11	1,000.00	836.61	(–) 163.39	(–) 16.34	14.63
2011–12	1,027.32	878.81	(–) 148.51	(–) 14.46	11.74
2012–13	969.04	910.38	(–) 58.66	(–) 6.05	13.00
2013–14	1,100.00	1,036.80	(–) 63.20	(–) 5.75	13.46
2014–15	1,250.23	968.77	(–) 281.46	(–) 22.51	9.34
योग	**5,346.59**	**4,631.37**			

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे तथा बजट अनुमान)

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, वन विभाग ने बजट अनुमान 5,346.59 करोड़ के विरूद्ध विभिन्न उप शीर्षो यथा काष्ठ तथा अन्य अन्य वनोपज का विक्रय, सामाजिक तथा फार्म वानिकी से प्राप्तियॉ, काष्ठ, बांस का राजकीय व्यापार तथा अन्य प्राप्तियॉ के अन्तर्गत 4,631.37 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया। वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2014–15 में, बजट अनुमान से क्रमशः 16.34, 14.46 तथा 22.51 प्रतिशत का विचलन था जो इंगित करता है कि अनुमान अवास्तविक थे । वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में वास्तविक प्राप्तियों में विचलन क्रमशः घट कर 6.05 तथा 5.75 प्रतिशत हो गया।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, कर भिन्न प्राप्तियों में वन प्राप्तियों का हिस्सा 14.63 प्रतिशत घट कर 9.34 प्रतिशत हो गया।

शासन ने उत्तर प्रदान नही किया (नवम्बर 2015)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वनोपज में कमी

8.2.9 काष्ठ के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि

ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन नौ वन मण्डलों के 250 कूपों में अनुमान की तुलना में 11 से 95 प्रतिशत तक कम था। आगे, आठ वन मण्डलों के 426 अन्य कूपों में, यद्यपि अनुमान के तुलना में समग्र उत्पादन में विचलन 10 प्रतिशत तक सीमित था, ईमारती काष्ठ, जो अधिक मूल्यवान है, का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 69.23 करोड़ की हानि हुई।

सामान्य वन मण्डल द्वारा विदोहन के लिए बकाया कूपों का चिन्हांकन तथा चिन्हांकित कूपों से प्राप्त होने वाले ईमारती/जलाऊ काष्ठ का अनुमान किया जाता है। मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के द्वारा जारी किये गये अनुदशों (जनवरी 1984) के अनुसार, ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ के वास्तविक एवं अनुमानित उत्पादन में 10 प्रतिशत का विचलन अनुमत्य है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आगे स्पष्ट किया (मार्च 2004) कि अधिक विचलन के कारणों की जॉच एवं सम्मिलान सामान्य एवं उत्पादन वन मण्डल दोनो के अधिकरियों के द्वारा विदोहन के समय संयुक्त निरीक्षण कर किया जाये।

हमने 12 वन मण्डलों के विदोहन प्रगति प्रतिवेदन एवं विदोहन से संबंधित अन्य अभिलेखो की जॉच किया तथा पाया कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान आठ

वन मण्डलों[4] के 2900 कूपों में से 193 कूपो में अनुमानित उत्पादन 37119.563 घ.मी. ईमारती एवं 38190 जलाऊ चट्टों के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन 24896.915 घ.मी. ईमारती एवं 26249 जलाऊ चट्टों का हुआ। विभिन्न कूपों में उत्पादन में कमियॉ 11 से 85 प्रतिशत के मध्य विचलित हुआ। इन कूपों में संयुक्त निरीक्षण किया गया हो, को स्थापित करने हेतु अभिलेखों में कुछ भी नही पाया गया। उत्पादन में कमियॉ ₹ 27.08 करोड़ के राजस्व हानि[5] में परिणित हुई।

आगे, सीहोर (सामान्य) वन मण्डल की कार्य आयोजना, 62 कूपों में प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त के अन्तर्गत उपचार प्रावधानित किया। अवधि 2010–11 से 2013–14 के दौरान, इन 62 कूपों में से 57 कूपों में 17,995.850 घ.मी. ईमारती काष्ठ के अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन 7,330.332 घ.मी. ईमारती काष्ठ प्राप्त हुआ, जो विभिन्न कूपों में 15 से 95 प्रतिशत तक अनुमान से कम था। ईमारती काष्ठ का उत्पादन 5488.818 घ.मी.[6] कम रहा। यह ₹ 11.50 करोड़ के राजस्व हानि में परिणित हुआ।

आगे, आठ वन मण्डलों[7] के अन्य 426 कूपों में ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ के अनुमानित उत्पादन 135306.105 घ.मी. एवं 63024 चट्टे था जिसके विरूद्ध वास्तविक उत्पादन क्रमशः 103025.66 घ.मी एवं 106138 चट्टे का हुआ। यद्यपि समग्र उत्पादन 10 प्रतिशत की कमी के सीमा के अन्दर था, ईमारती काष्ठ का उत्पादन अनुमान से 11 से 100 प्रतिशत तक कम था जिसकी क्षतिपूर्ति जलाऊ काष्ठ के उत्पादन में वृद्धि से हुई, जो ₹ 30.65 करोड़ की हानि में परिणित हुई।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि अनुमानित उत्पादन को संयुक्त निरीक्षण में पुनरीक्षित किया गया तथा वास्तविक उत्पादन 10 प्रतिशत सीमा के अन्दर था। हरदा (उत्पादन) तथा डिंडोरी (उत्पादन) के संदर्भ में यह बताया गया कि ईमारती तथा जलाऊ काष्ठ का उत्पादन निर्भर करता कि वृक्ष हरा, मृत या रोगग्रस्त था तथा सामान्य वन मण्डल ने वृक्षो को चिन्हांकित किया तथा फार्म फैक्टर के आधार पर उत्पादन अनुमानित किया जो 10 प्रतिशत से अधिक विचलित हो सकता था। सिवनी (उत्पादन) के संदर्भ में यह बताया गया कि विभिन्न कूपों में वास्तविक उत्पादन, पुनरीक्षित अनुमानित उत्पादन से 10 प्रतिशत कम के साथ–साथ अधिक भी था। अन्य छः वन मण्डलों के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ उत्तर स्वीकार्य नही है जैसा कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों (मार्च 2004) के अनुसार अनुमान के पुनरीक्षण हेतु संयुक्त निरीक्षण विदोहन के दौरान किया जाना था, जबकि संयुक्त निरीक्षण विदोहन के उपरान्त किया गया जो उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नही होता है। हरदा (उत्पादन) तथा डिंडोरी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि ईमारती एवं जलाऊ काष्ठ का उत्पादन वृक्ष की अवस्था यथा ईमारती, अर्द्ध ईमारती तथा जलाऊ पर निर्भर करता है, जो चिन्हांकन पंजी में दिया गया है तथा उत्पादन का अनुमान इसी पर आधारित

---

4 खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), सिवनी (उ) तथा कटनी (सा)

5 हानि की गणना 10 प्रतिशत अनुमत्य विचलन को घटाकर किया गया है। अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान चयनित वनमण्डलो में विक्रित मिश्रित काष्ठ के औसत नीलाम दर तथा सम्बन्धित प्राप्त राशि (कुल राशि को कुल मात्रा से विभाजित करके) तथा जलाऊ हेतु निस्तार दर का उपयोग कर राशि निकाली गई है।

6 5488.818 (कम उत्पादन) =17995.850 (अनुमानित उत्पादन)– 7330.332 (वास्तविक उत्पादन)– 3377.115 (वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित सामग्री)– 1799.585 (अनुमानित उत्पादन का 10 प्रतिशत)

7 खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), सिवनी (उ) तथा हरदा (उ)

है। सिवनी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण उन्ही कूपों से संबंधित है जहॉ विचलन 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।

8.2.10 बांस के कम उत्पादन से राजस्व हानि

बांस का अनुमान से कम उत्पादन हुआ तथा व्यापारिक बांस के कम उत्पादन को औद्योगिक बांस के उत्पादन में वृद्धि के द्वारा क्षतिपूर्ति किया गया, ₹ 10.37 करोड़ के हानि में परिणति हुई।

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने स्पष्ट किया (जून 1995) कि बांस विदोहन के प्रकरण में अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में किसी विचलन की अनुमति नही है।

विदोहन प्रगति प्रतिवेदन तथा पातन के अन्य अभिलेखों में बांस के विदोहन में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईः

8.2.10.1 बारह में से छः वन मण्डलों[8] में, विभिन्न कूपों में बांस के अनुमानित उत्पादन (19950.736 नोश्नल टन औद्योगिक एवं 27280.092 नोश्नल टन व्यापारिक) के विरूद्ध वास्तविक उत्पादन (12352.530 नोश्नल टन औद्योगिक एवं 19146.094 नोश्नल टन व्यापारिक) में कमी 10 से 100 प्रतिशत अन्तराल के मध्य रहा, जो ₹ 9.68 करोड़ के राजस्व हानि[9] में परिणित हुई।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) तथा हरदा (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि वन मण्डल स्तर पर वास्तविक उत्पादन अनुमान से अधिक था। मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में शासन ने बताया कि बांस कूपों के प्रकरण में सामान्य वन मण्डल का अनुमान बाध्यकारी सीमा नही थी तथा वन वर्धनिक कार्यो के दौरान आवश्यक बांसो का विदोहन किया गया तथा सिवनी (उत्पादन) के संदर्भ में बताया कि वन मण्डल का समग्र उत्पादन (औद्योगिक एवं व्यापारिक बांस) 10 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा के अन्दर था। अन्य दो वन मण्डलों के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्देशों (जून 1995 एवं जनवरी 2005) के अनुरूप नही हैं, जो कथन करता है कि अनुमानित उत्पादन के तुलना में वास्तविक उत्पादन में विचलन कूपवार लिया जाना था।

8.2.10.2 दो वन मण्डलों, खण्डवा (उत्पादन) तथा बालाघाट उत्तर (उत्पादन) में यद्यपि 18 कूपों में औद्योगिक एवं व्यापारिक बांस का समग्र उत्पादन, अनुमानित उत्पादन 4653.924 नोश्नल टन औद्योगिक एवं 3916.776 नोश्नल टन व्यापारिक बांस से बढ़ कर 7939.649 नोश्नल टन एवं 2308.531 नोश्नल टन हो गया। इस प्रकार, व्यापारिक बांस के उत्पादन में अनुमान की तुलना में चार से 100 प्रतिशत की कमी से शासन को राशि ₹ 69.49 लाख की राजस्व हानि उठानी पड़ी।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि औद्योगिक बांस के उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापारिक बांस के उत्पादन में कमी के पारिस्थितिकी एवं जैविक कारण हैं, बन्दर प्रथम वर्ष के बांस (करला) को नष्ट कर देते है। खण्डवा (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि चिन्हांकन एवं आंकलन तृतीय वर्ष में किया जाता है (विदोहन से एक वर्ष पूर्व), इस प्रकार, प्रथम वर्ष के घटना आंकलन में सम्मिलित रहते है।

---

[8] खण्डवा (उ), मण्डला (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) सिवनी (उ), तथा कटनी (सा)

[9] लेखापरीक्षा द्वारा की गयी गणना, औद्योगिक बांस के लिए स्वीकृत दर तथा व्यापारिक बांस के औसत नीलाम दर पर आधारित है।

8.2.11 अवैध कटाई के कारण राजस्व हानि

विदोहन हेतु कूपों के चिन्हांकन के दौरान 14 से 72 प्रतिशत वृक्षो के स्थान पर ठूँठ पाये गये जबकि प्राथमिक अपराध प्रतिवेदन (पी.ओ.आर.) पंजीकृत किया जाना नही पाया गया, ₹ 6.51 करोड़ के हानि की परिणित हुई।

शासन ने वन रक्षक से वन मण्डल अधिकारी तक के सभी पदाधिकरियों के लिए अवैध कटाई के प्रकरणों में उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने हेतु निदश (फरवरी 2004) जारी किये तथा यदि, उनके पक्ष में त्रुटि होती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही के प्रावधान किये हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित (मार्च 2005) किया कि परिक्षेत्र सहायक चिन्हांकन पुस्तिका के गोशवारा में कूप में ठूँठों के उपलब्धता तथा उनके उपलब्धता के कारण के बारे में टीप देंगें कि इन ठूँठों हेतु पी.ओ.आर. पंजीकृत किये गये हैं अथवा नही। परिक्षेत्र अधिकारी इसके सत्यापन के संबंध में टीप तथा उप वन मण्डल अधिकारी इस पर सहमति देंगें।

हमने नौ वन मण्डलों[10] में देखा गया कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान 127 कूपों में पातन हेतु चिन्हांकित 129650 वृक्षों में से 45539 वृक्ष ठूँठ या पोलार्ड[11] थे, जो इन कूपों में कुल चिन्हांकित वृक्षों का 14 से 72 प्रतिशत तक के मध्य विचलित था। उपरोक्त किसी भी प्रकरण में चिन्हांकन पुस्तिका के गोशवारे में पी.ओ.आर. पंजीकृत किये जाने सम्बन्धी टीप नही पाये गये। इतने बड़े स्तर पर अवैध कटाई होने से, शासन को ₹ 6.51 करोड़ की हानि परिणित हुई **(परिषिष्ट XXVIII)**। आगे, लेखापरीक्षा में देखे गये इन त्रुटियों हेतु कर्मचारियों/अधिकरियों के विरूद्ध कोई जॉच या कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि सामान्य वन मण्डल द्वारा चिन्हांकन पुस्तिका में ठूँठों तथा पोलार्ड पर कार्यवाही की प्रविष्टि नही की गई। डिंडोरी (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में शासन ने बताया कि 166 कटे वृक्षों के पी.ओ.आर. पंजीकृत थे तथा शेष 508 वृक्ष आंधी में गिरे थे। मण्डला (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में शासन ने बताया कि कार्यवाही हेतु सामान्य वन मण्डल उत्तरदायी था। सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के संदर्भ में यह बताया कि सम्बन्धित कर्मचारियों से वन अपराध प्रकरण पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गये थे। अन्य पॉच वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

बालाघाट उत्तर (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि सामान्य वन मण्डल के साथ चिन्हांकन का पुनरीक्षण नही किया गया था। डिंडोरी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योंकि चिन्हांकन पुस्तिका में पी.ओ. आर. तथा आंधी में गिरने सम्बन्धी प्रविष्टि नही थी, उत्तर के पक्ष में अभिलेख भी उपलब्ध नही कराये गये। सिंगरौली (सामान्य) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि उत्तर के पक्ष में पी.ओ.आर. पंजीकृत किये जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये।

---

[10] वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, सिंगरौली, कटनी तथा वन मण्डल अधिकारी (उ) मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर

[11] ठूँठ, अवैध काटे गये वृक्ष के 1 मी. तक के अवशेष तथा पोलार्ड, अवैध काटे गये वृक्ष के 1 मी. से 2 मी. तक के अवशेष होते हैं

वन प्राप्तियों की कम/वसूली नही होना

8.2.12 अभिवहन शुल्क की कम/वसूली नही होना

वन क्षेत्र से उत्खनित खनिजों के परिवहन हेतु अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली किया गया।

मध्य प्रदेश शासन ने वन भूमि से खनिजों के परिवहन के सम्बन्ध में निर्देश (मई 2001) जारी किये, जिसके अन्तर्गत पट्टाधारी खनिज विभाग को देय रायल्टी के साथ, कोयला, चूना पत्थर, इत्यादि पर ₹ सात प्रति मैट्रिक टन की दर से अभिवहन शुल्क का भुगतान करेगा। पट्टाधारी, खनिज विभाग द्वारा अनुमोदित सभी मासिक/अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन, वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। समय–समय पर खनिज विभाग अभिवहन शुल्क के वसूली से सम्बन्धित अभिलेख वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करायेगा; उसके उपरान्त अभिवहन शुल्क वन विभाग के राजस्व शीर्ष– 0406 में समायोजित किया जायेगा।

हमने दो सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली तथा सीधी में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 में, दो प्रकरणों[12] में 1.75 मैट्रिक टन खनिज का परिवहन किया गया, जैसा कि खनिज विभाग के अभिलेखों से देखा गया, पट्टाधारियों पर विभाग को ₹ 12.28 करोड़ के अभिवहन शुल्क भुगतान की देनदारी निर्मित हुई। इन दो प्रकरणों में पट्टाधारियों ने, मासिक प्रतिवेदनो के माध्यम से 69.45 लाख मैट्रिक टन खनिज का परिवहन घोषित किया, जबकि अभिवहन शुल्क के एवज में राशि ₹ पॉच लाख जमा किये। पट्टाधारियों के कथन के आधार पर, विभाग ने इन पट्टाधारियों के विरूद्ध अवशेष ₹ 4.81 करोड[13]. की मॉग जारी किया।

आगे, पट्टाधारी द्वारा खनिज विभाग को खनिज की मात्रा जिसके लिए रायल्टी का भुगतान किया गया था, के मिलान का कोई तंत्र वन विभाग में नही है। इस प्रकार के तंत्र के अनुपस्थिति में, 1.06 करोड़ मैट्रिक टन खनिज का परिवहन वन विभाग के संज्ञान में नही आया तथा परिणामतः ₹ 7.42 करोड़ की वसूली हेतु मॉग भी जारी नही किया गया (नवम्बर 2015)। इस प्रकार, 1.06 करोड़ मैट्रिक टन की कम घोषणा तथा ₹ 12.23 करोड़ के अभिवहन शुल्क की कम वसूली हुई।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन के दौरान में बताया (अक्टूबर 2015) कि प्रकरण में जॉच की जायेगी तथा खनिज विभाग से विषय पर चर्चा किया जायेगा। शासन ने सीधी (सामान्य) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि मझगॅवा विस्तार चूना पत्थर खदान से सम्बन्धित ₹ 23.68 लाख के अभिवहन शुल्क की वसूली की जा चुकी थी तथा अवशेष राशि शीघ्र वसूल कर ली जायेगी।

हम अनुशंसा करते है कि खनिज विभाग के साथ वन भूमि से उत्खनित तथा परिवहनित मात्रा के मिलान के तंत्र को सशक्त किया जाये।

---

12 सासन अल्ट्रा मेगा पावर लिमिटेड के मुहेर–अमरोली कोयला खदान, सिंगरौली (₹ 4.36 करोड़) तथा जयप्रकाश एसोसिएट प्रा. लिमिटेड की मझगांवा विस्तार चूना पत्थर खदान, सीधी (₹ 0.47 करोड़)

13 69.45 लाख मै.टन (घोषित परिवहन) x ₹ 7 प्रति मै.टन– ₹ 5.00 लाख (जमा राशि) = ₹ 4.81 करोड़ (बकाया)

8.2.13 वन अपराध प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का कम आंकलन तथा वसूली

एक सौ अड़तालिस वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज हेतु ₹ 12.07 लाख क्षतिपूर्ति की कम वसूली की गई।

हमने 11 सामान्य वन मण्डलों में से सात[14] में देखा कि 2010–11 से 2014–15 के दौरान निराकृत 148 प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज का प्राक्कलित मूल्य ₹ 7.39 लाख था। जबकि, अपराधियों के विरूद्ध अपराध प्रकरण ₹ 14.85 लाख के स्थान पर ₹ 2.78 लाख की वसूली कर अभिसंधानित किये। यह, भारतीय वन अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसमें उल्लेख है कि वन मण्डल अधिकारियो तथा उप वन मण्डल अधिकारियों अभिसंधानित वन अपराध प्रकरणों में क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गई राशि वनोपज के मूल्य के दोगुने से कम नही होनी चाहिए। यह, क्षतिपूर्ति के ₹ 12.07 लाख के कम आंकलन तथा वसूली में परिणित हुआ (**परिशिष्ट XXIX**)।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि उत्तर पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

8.2.14 क्षतिपूर्ति वनीकरण में पर्यवेक्षण शुल्क का अधिरोपण नही करना

क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजनाओं में उपयोगकर्ता संस्थाओं से राषि ₹ 67.59 लाख पर्यवेक्षण शुल्क वसूल नही किया गया तथा पॉच अन्य प्रकरणों में पर्यवेक्षण शुल्क के एवज् में प्राप्त राशि ₹ 5.45 करोड़ शासकीय राजस्व के स्थान पर कैम्पा निधि में जमा किया गया।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने निर्देशित किया (दिसम्बर 2004) कि शासकीय विभागों को छोड़कर, क्षतिपूर्ति वनीकरण के परियोजना लागत की 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क उपयोगकर्ता संस्था पर अधिरोपित किया जायेगा तथा राजस्व शीर्ष में जमा किया जायेगा।

हमने दो सामान्य वन मण्डलों, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी में देखा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दो वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में ₹ 6.76 करोड़ की क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजना तैयार किया गया। इन क्षतिपूर्ति वनीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोगकर्ता संस्था पर राशि ₹ 67.59 लाख पर्यवेक्षण शुल्क अधिरोपित किया जाना था, जिसकी न तो मॉग की गई न ही संग्रहित किया गया। इस प्रकार, शासन ₹ 67.59 लाख के राजस्व से वंचित रहा।

आगे, देवास, सिंगरौली, सीधी तथा कटनी वन मण्डलों के चार भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में उपयोगकर्ता संस्था से ₹ 5.45 करोड़ पर्यवेक्षण शुल्क के एवज् में वसूल किया गया। यह राशि मध्य प्रदेश शासन के राजस्व शीर्ष '0406' के स्थान पर कैम्पा[15] निधि में जमा किया गया। इस प्रकार, शासन राशि ₹ 5.45 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

प्रमुख सचिव ने लेखापरीक्षा प्रतिवाद को स्वीकार करते हुए, निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि त्रुटि सुधार किया जायेगा, जबकि, पर्यवेक्षण शुल्क के वसूली के संदर्भ में विशिष्ट उत्तर नही दिया गया।

---

14 सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, सिंगरौली, सीधी, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी

15 कैम्पा, क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी संस्था है

वनोपज का निर्वर्तन

8.2.15 औद्योगिक बांस के विक्रय में कम प्राप्ति

विगत वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से 30 से 58 प्रतिशत कम पर औद्योगिक बांस के विक्रय तथा स्थानीय नीलाम के विकल्प को नही अपनाने से राषि ₹ 2.38 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति ने निर्णय लिया (सितम्बर 2012) कि औद्योगिक बांस का निर्वर्तन मुख्यालय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर किया जायेगा तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/ मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को उच्चतम दरों की बोलियों को स्वीकार करने की शक्तियॉ प्रदान की गई। आगे, यह आदेश प्रावधान करता है कि वे लॉट, जिनके लिए बोलियॉ प्राप्त नही हुई या अवरोध मूल्य से कम प्राप्त हुई, वृत्त प्रभारी मुख्य वन संरक्षकों/वन मण्डलों के प्रभारी वन मण्डल अधिकारियों द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तन किया जायेगा। इस उद्देष्य हेतु, इन मुख्य वन संरक्षकों/वन मण्डल अधिकारियों के पास नीलाम द्वारा बांस निर्वर्तन की वही शक्तियॉ होंगी, जो काष्ठ विक्रय में होती हैं।

हमने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के अभिलेखों में देखा कि औद्योगिक बांसों के 16 लॉटों हेतु आमंत्रित प्रथम निविदा (जनवरी 2014) में सात लॉटों हेतु निविदायें अवरोध मूल्य से कम प्राप्त हुईं जबकि शेष नौ लॉटों हेतु निविदायें प्राप्त नही हुईं। इन लॉटों हेतु आमंत्रित द्वितीय निविदा में, 14 लॉटों हेतु मात्र एक निविदायें प्राप्त हुईं जबकि शेष लॉटों हेतु दो से तीन निविदायें प्राप्त हुईं। इस प्रकार प्राप्त बोलियॉ, अवरोध मूल्य से 30 से 58 प्रतिशत तक कम थीं। यद्यपि, वन मण्डल स्तर पर नीलाम के विकल्प को नही अपनाया गया तथा औद्योगिक बांस अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय किया गया। यह ₹ 2.38 करोड़ के कम प्राप्ति में परिणित हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि उत्तर पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

8.2.16 ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना

नौ वर्षो तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना।

मध्य प्रदेश शासन ने मैनुअल निविदा व्यवस्था को प्रतिस्थापित कर इलेक्ट्रानिक निविदा व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु अनुदेश जारी किये गये (सितम्बर 2006)। ई–नीलाम मंच तैयार करने हेतु, नेक्स्ट टेन्डर्स (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया (मई 2007)।

मध्य प्रदेश शासन ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) की अध्यक्षता में एक तकनिकी समिति का गठन किया (जूलाई 2009), जिसे वर्तमान नीलाम प्रक्रिया में संशोधन के साथ साथ अभिकरण के चयन पर अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करनी थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) ने ई–नीलाम तंत्र को रूपरेखित करते हुए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2010), जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2010)। इसी दौरान, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने एन.आई.सी. को सूचित किया (फरवरी 2012) कि विभाग नही चाहता था कि वे अप्लीकेशन विकसित करें तथा वन विभाग अपना अप्लीकेशन स्वयं विकसित करेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि दो विकल्पों – एन.आई.सी. द्वारा विकसित तंत्र

तथा व्यवसायिक सेवा प्रदाता द्वारा विकसित तंत्र का उपयुक्तता अध्ययन किया जा रहा है तथा इसके उपरान्त ही ई–नीलाम के क्रियान्वयन पर निर्णय लिया जायेगा।

इन गतिविधियों पर सितम्बर 2015 तक ₹ 19.95 लाख के व्यय किये जाने के उपरान्त, एक सुनिश्चित समयावधि जब तक कि ई–नीलाम का क्रियान्वयन किया जायेगा देने की स्थिति में विभाग नही था तथा मध्य प्रदेश शासन के अनुदेशों से नौ वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त ई–नीलाम का क्रियान्वयन नही किया जा सका। इस प्रकार, नीलाम प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य की पूर्ति नही किया जा सका।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि ई–नीलाम हेतु मूलभूत ढांचा की कमी के कारण इसका क्रियान्वयन कुछ और समय लेगा। यद्यपि, निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) में प्रमुख सचिव ने ई–नीलाम से सम्बन्धित लाभों पर विचार करते हुए वन विभाग के पदाधिकारियों को ई–नीलाम की ओर संक्रमण के कार्य को त्वरित करने का अनुदेश दिया।

8.2.17 नीलामी की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी

द्वितीय उच्चतम बोलीदार के विवरण तथा उसके हस्ताक्षर अभिलेखित नही किये गये तथा वन संरक्षक की उपस्थति सुनिश्चित नही किये जाने के कारण नीलामी प्रक्रिया में पारदर्षिता की कमी रही।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने काष्ठाागार में काष्ठ नीलाम में पालन किये जाने हेतु प्रक्रिया के सन्दर्भ में कुछ निर्देश जारी (जून 2008) किये गये थे। यह अनुदेश दिया गया कि नीलामी के समय, वन संरक्षक निश्चित उपस्थित रहेंगे, जिन काष्ठागारों में नियमित शिकायतें प्राप्त हो रही है, वहॉ नीलामी प्रक्रिया को आडियो तथा विडियोग्राफ करेंगे तथा नाम द्वितीय बोलीदार का नाम एवं हस्ताक्षर बीड पत्रक में अभिलेखित करेंगे।

हमने सभी 11 वन मण्डलों[16] में देखा कि द्वितीय उच्चतम बोली तथा इसके बोलीदार के नाम एवं हस्ताक्षर किसी भी बीड पत्रक में अभिलेखित नही था। इस प्रकार, नीलामी में पारदर्शिता सुनिश्चित नही किया गया। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों से वन संरक्षक के उपस्थिति की पुष्टि नही किया जा सका, यद्यपि, अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, कुल 231517 लाटों का विक्रय किया गया तथा राशि ₹ 2071.53 करोड़ प्राप्त किया गया।

शासन ने सात वन मण्डलों[17] के सन्दर्भ में बताया कि द्वितीय उच्चतम बोलीदार के विवरण एवं नाम प्राप्त नही किये जा सके क्योंकि नीलाम के दौरान कम समय में लम्बी प्रक्रिया का पालन किया जाना था; भविष्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा; पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु नीलामों की विडियोग्राफी की गई थी। अन्य चार वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

तथ्य यथावत बना रहा कि वन संरक्षक के उपस्थिति तथा द्वितीय उच्चतम बोलीदार के विवरण के सन्दर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुदेशों का पालन नही किया गया।

---

16 सीहोर (सा), खण्डवा (उ), ग्वालियर (सा), छिन्दवाड़ा (उ), सिंगारौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ) तथा हरदा (उ)

17 खण्डवा (उ), सीधी (सा), छिन्दवाड़ा (उ), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ) तथा हरदा (उ)

8.2.18 वनोपज का सामयिक निर्वर्तन नही करने से राजस्व की हानि

न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई।

मध्य प्रदेश वनोपज तथा काष्ठ का निर्वर्तन नियमावली, 1974 के नियम 114 अ के अनुसार, कटे काष्ठ तथा बांस का उपयोगी जीवनकाल क्रमशः पॉच एवं दो वर्ष है। अतः काष्ठागार में भण्डार किये गये काष्ठ तथा बांस का निर्वर्तन उनके गुणवत्ता में ह्मास से बचने तथा महत्तम विक्रय मूल्य प्राप्त करने हेतु समय से करना चाहिए।

वनोपज के अनिवर्तन में देखी गयीं कमियॉ नीचे उल्लेखित हैं:

8.2.18.1 हमने 18 वन मण्डलों[18] में से छः वन मण्डलों में देखा कि एक से चार वर्ष तक की अवधि के मध्य के 1094.414 घ.मी. काष्ठ के लट्ठे, 1617.835 घ.मी. तथा 39220 नग बल्ली, 0.869 घन मीटर चिरान तथा 69 नोश्नल टन बांस निवर्तन हेतु लम्बित थे तथा उनका अवसान निकट आ रहा था। इस प्रकार, काष्ठ तथा बांस के गुणवत्ता में ह्मास के कारण अनिर्वर्तन के जोख़िम के साथ ₹ 6.93 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध रहा।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल में अवशेष 42.712 घ.मी. काष्ठ का निर्वर्तन किया गया तथा खण्डवा (उत्पादन) वन मण्डल में निर्वर्तन हेतु प्रयास किये जा रहे थे। अन्य चार वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। उत्तर सत्य नही है क्योकि बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल में निर्वर्तन हेतु शेष काष्ठ की मात्रा 194.593 घ.मी. थी।

8.2.18.2 हमने 11 में से छः सामान्य वन मण्डलों[19] के काष्ठागारों में देखा कि 1982 से 2015 तक की अवधि से सम्बंधित न्यायालय में लम्बित 376 प्रकरणों में अभिगृहित 151. 186 घ.मी. काष्ठ अनिर्वर्तित पड़ी थी। यद्यपि, भारतीय वन अधिनियम[20] के धारा 58 के प्रावधानों के अन्तर्गत इन प्रकरणों में विभाग ने न्यायालय में निर्वर्तन के आदेश हेतु आवेदन नही किया। परिणामस्वरूप, पॉच वर्ष से अधिक पुरानी हो होने के कारण 38. 676 घ.मी. काष्ठ अपना उपयोगी जीवन पूर्ण करने से ₹ 8.10 लाख की हानि में परिणित हुई। इसके अतिरिक्त, अवशेष 112.51 घ.मी. काष्ठ जो अपनी उपयोगी जीवनकाल पूर्ण करने के निकट थी, अनिर्वर्तित पड़ी थी, ₹ 10.69 लाख के हानि की सम्भावना है।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

8.2.18.3 ग्वालियर (सामान्य) वन मण्डल में 2004–05 में 11 लॉट बनाये गये। इन लॉटों का अवरोध मूल्य दिसम्बर 2006 में ₹ 6.63 लाख निर्धारित किया गया तथा इसके उपरान्त नवम्बर 2007 से मार्च 2010 तक तीन बार नीलाम में रखा गया। इन लॉटों को विक्रित नही किया जा सका तथा वनोपज सड़–गल गया (दिसम्बर 2012)।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज में क्षय से होने वाले हानि से बचने हेतु, न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर वनोपज का निर्वर्तन अतिशीघ्र

---

18 वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, वन मण्डल अधिकारी (उ) खण्डवा, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर तथा हरदा

19 वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर खण्डवा, देवास, सिंगरौली, तथा छिन्दवाड़ा दक्षिण

20 भारतीय वन अधिनियम के धारा 52 के अन्तर्गत, किसी अभिगृहित सामग्री, जो त्वरित तथा अधिक क्षयशील है, के विक्रय हेतु दण्डाधिकारी निर्देशित कर सकते हैं

करना चाहिए तथा नीलाम प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई–नीलाम तंत्र का क्रियान्वयन अतिशीघ्र किया जाये।

8.2.19 काष्ठ लेखा नही बनाया जाना

काष्ठ लेखों का तैयार करना तीन माह से 38 वर्ष 11 माह तक की अवधि तक लम्बित थे।

काष्ठ लेखे में जानकारियॉ जैसे कि उत्पाद का प्रारम्भिक शेष, इसके प्राप्त होने का समय, माह के दौरान निर्वर्तित मात्रा, लम्बित अवशेष मात्रा इत्यादि सम्मिलित होती हैं जो वन मण्डल अधिकारी द्वारा विदोहित के साथ साथ वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज के प्राप्ति तथा निर्वर्तन पर निगरानी हेतु महत्वपूर्ण है। यह कूप से काष्ठागार के मध्य काष्ठ के किसी कमी को ज्ञात करने में सहायक होगा। वन मण्डल अधिकारी मासिक आधार पर इसे वन संरक्षक को प्रस्तुत करते है जो इसे मुख्य वन संरक्षक को अग्रेषित करेगा।

हमने 18 में से 15[21] वन मण्डलों में देखा कि काष्ठ लेखे समय से नही बनाये जा रहे थे तथा मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के नियम 217, जो प्रावधान करता है कि मासिक काष्ठ लेखा प्रपत्र 20 अ में परिक्षेत्रों तथा विक्रय काष्ठागारों में तैयार कर वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है, के प्रतिकूल तीन माह से 38 वर्ष 11 माह तक की अवधि विस्तार में लम्बित[22] थे। वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) बुरहानपुर ने बताया कि इनके वन मण्डल के लेखे 1976 के उपरान्त नही तैयार किये गये, जबकि वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) खण्डवा ने बताया कि काष्ठ लेखा 1997 के उपरान्त तैयार नही किये गये हैं। यद्यपि, दोनो वन मण्डल अधिकारी इनक काष्ठ लेखों को भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही कर पाये।

आगे, चार वन मण्डलों[23] में, काष्ठ लेखे अपूर्ण थे जैसा कि इनमें निस्तार काष्ठागारों या परिक्षेत्रों से सम्बन्धित जानकारियॉ शामिल नही थीं। इसके अतिरिक्त, मासिक काष्ठ लेखा के स्थान पर डिण्डोरी (उत्पादन) तथा छिन्दवाड़ा दक्षिण (सामान्य) में छःमाही आधार पर तथा कटनी (सामान्य) में वार्षिक आधार पर काष्ठ लेखे तैयार किये गये। इस प्रकार, विदोहित के साथ साथ वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज के प्राप्ति तथा निर्वर्तन पर निगरानी सुनिश्चित नही किया गया जैसा कि कंडिका 8.2.18 से दृष्टिगत है जिसमें यह पाया गया कि बड़ी मात्रा में काष्ठ अनिर्वर्तित शेष थी।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि काष्ठ लेखे का समय से बनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

---

21 सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा), खण्डवा (सा), खण्डवा (उ), छिन्दवाड़ा (उ), बेतुल उत्तर (उ), देवास (सा), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा कटनी (सा)

22 सम्बन्धित वन मण्डलो के लेखापरीक्षा के अंतिम दिन की स्थिति में

23 सीहोर (सा), ग्वालियर (सा), सिंगरौली (सा) तथा सीधी (सा)

वनोपज का पुनर्मापन/भौतिक सत्यापन में कमी

8.2.20 कूप से प्रेषित वनोपज में कमी के कारण हानि

कूप से प्रेषित वनोपज का काष्ठागार में परिवहन पर कमी पायी गयी, परिणामतः ₹ 1.42 करोड़ की हानि हुई।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने निर्देशित किया (मार्च 2003) कि कूप में मापन के समय विभिन्न गोलाई वर्ग के लिए सूखत तथा अन्य कारणों हेतु छूट, जैसा कि मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के निर्देशों (अक्टूबर 1997) में दिया गया है, के प्रावधान किया जाना चाहिए तथा काष्ठागार में पुनर्मापन के दौरान छूट के कोई प्रावधान उपलब्ध नही है तथा यदि कोई कमी पायी गयी तो, कूप प्रभारी से उसकी वसूली किया जायेगा।

8.2.20.1 हमने 12 में आठ वन मण्डलों[24] में देखा कि अवधि 2010–11 से 2013–14 के दौरान, 127 कूपों से 24084.244 घ.मी. काष्ठ प्रेषित किया गया। काष्ठागार में पुनर्मापन पर, 23527.555 घ.मी. काष्ठ पाया गया। इस प्रकार, 556.689 घ.मी. काष्ठ की कमी हुई। यह ₹ 1.17 करोड़ के हानि में परिणित हुआ (परिषिष्ट XXX)।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), मंडला (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा सिंगरौली (सामान्य) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि कूप में मापन अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा उबड़–खाबड़ भूमि पर किया गया तथा इसी कारण त्रुटि हुई, विदोहन एवं संग्रहण व्यय की वसूली कूप प्रभारी से की जा रही थी। अन्य तीन वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर में विदोहन एवं संग्रहण व्यय की वसूली का कथन स्वीकार्य नही है क्योंकि काष्ठ के मात्रा में कमी की राशि की वसूली नही किया गया।

8.2.20.2 हमने चार वन मण्डलो[25] के कूप समाधान पत्रक तथा विदोहन प्रगति प्रतिवेदन से देखा कि 2475 घ.मी. काष्ठ, 955 जलाऊ चट्टे तथा 29.039 नोश्नल टन बांस का उत्पादन हुआ, जिसके विरूद्ध 2418 घ.मी. काष्ठ तथा 12.742 नोश्नल टन बांस का परिवहन काष्ठागार में किया गया। वनोपज की अवशेष मात्रा का न तो परिवहन किया गया न ही सम्बन्धित कूपों में उपलब्ध था। वनोपज की अनुपलब्धता के कारण विभाग को ₹ 25.55 लाख की हानि हुई।

शासन ने डिण्डोरी (उत्पादन) के सन्दर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि समस्त उत्पाद का काष्ठागार में परिवहन किया जा चुका है। अन्य तीन वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। उत्तर सत्य नही है क्योकि अभिलेखो से ज्ञात होता है कि परिवहन अभी तक पूर्ण नही किया गया।

हम अनुशंसा करते हैं कि काष्ठागार में पुनर्मापन के समय वनोपज में कमी हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा इस प्रकार के हानियों हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों से वसूली किया जायेगा।

---

24 सीहोर (सा), खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा कटनी (सा)

25 सीहोर (सा), खण्डवा (उ), सीधी (सा) तथा डिण्डोरी (उ)

8.2.21 राजसात वनोपज में कमी के कारण हानि

अवैध कटाई में अभिगृहित वनोपज के काष्ठागार में परिवहन पर कमी पाई गई, ₹ 64.80 लाख के हानि में परिणित हुई।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने निर्देशित किया (फरवरी 2004) कि वन अधिकारी, उनके नियंत्रण के क्षेत्र में सुरक्षा हेतु उनके द्वारा निर्वहित कर्तव्यों के अनुरूप, अवैध कटाई से किसी हानि के उत्तरदायी होंगे। विभाग में हानि की गणना, राजसात काष्ठ के मूल्य में से अवैध कटाई के वृक्ष के अनुमानित मूल्य को घटा कर किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने काष्ठागार में प्राप्त पी.ओ.आर. सामग्री के आयतन में कमी देखा (जनवरी 2005) तथा अनुदेश दिया कि मिलान के उपरान्त कमी के वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

हमने 12 में से सात वन मण्डलो[26] के राजसात काष्ठ के परिवहन से सम्बन्धित अभिलेखों से देखा कि अवधि 2010 से 2015 के दौरान, वन अपराध प्रकरणों में कुल 1317.532 घ.मी. सामग्री अभिगृहित तथा वन मण्डल के विक्रय काष्ठागारों में परिवहन किया गया, जिसके काष्ठागारों में पुनर्मापन में 309.297 घ.मी. की कमी देखी गई। इस प्रकार, काष्ठागार में प्राप्त सामग्री में 23.48 प्रतिशत की कमी हुई, ₹ 64.80 लाख के हानि की कम आंकलन में परिणित हुआ जिसकी वसूली सम्बन्धित पदाधिकारियों से नही की गई (**परिषिष्ट XXXI**)।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), सीधी (सामान्य), खण्डवा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के सन्दर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि आयतन में कमी सूखत, परिवहन में विलम्ब तथा अपराध स्थल पर काष्ठ का माप छाल के साथ लिये जाने जबकि काष्ठागार में माप छाल हटा कर लिये जाने के कारण हुआ। अन्य दो वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। तथ्य वही बना रहा कि काष्ठागार में प्राप्त सामग्री में कमी हुई तथा काष्ठ के अपराध स्थल पर मापन विधि में परिवर्तन वन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नही है।

8.2.22 वनोपज की भौतिक सत्यापन में पायी गयी कमी से हानि

निस्तार काष्ठागारों में वनोपज की राशि ₹ 30.84 लाख की भौतिक सत्यापन में पायी गयी कमी की वसूली नही किया गया।

हमने 18 में छः वन मण्डलो[27] में देखा कि वन प्राधिकारियों के द्वारा अवधि 2010–11 से 2013–14 के दौरान किये गये भौतिक सत्यापनो में 52397 नग बांस, 2806 नग बल्ली तथा 863.05 जलाऊ चट्टे की कमी पायी गयी। जिसकी कुल कीमत ₹ 27.85 लाख है।

आगे, अवधि 2008–14 के दौरान, लोक निर्माण विभाग/ पुलिस विभाग तथा नगर पालिका निगम को वन मण्डल अधिकारी (सामान्य) सीहोर तथा ग्वालियर द्वारा अवरोधक कार्य के लिए प्रदान किये गये राशि 2.99 लाख के 6177 बांस तथा 1213 बल्लीयॉ वापस प्राप्त नही हुई। इस प्रकार, वनोपज में कमी ₹ 30.84 लाख की हानि में परिणित हुई (**परिषिष्ट XXXII**)।

इन हानि प्रकरणों को विभागाध्यक्ष/महालेखाकार अनुपालन कार्य जैसे हानि के कारणों का स्पष्टीकरण, परिस्थितियॉ जिसमें हानि हुई तथा भविष्य में हानि से बचाव हेतु निवारक उपाय हेतु को प्रतिवेदित किया जाना नही पाया गया। यह मध्य प्रदेश वित्त संहिता के नियम 22(1) के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधानित है कि कोई हानि

---

26 वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, देवास तथा सीधी, वन मण्डल अधिकारी (उ), खण्डवा, मण्डला, बालाघाट उत्तर तथा हरदा

27 सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा) खण्डवा (सा), सिंगरौली (सा), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा) तथा कटनी (सा)

विभागाध्यक्ष के साथ साथ महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाना चाहिए तथा जॉच उपरान्त, वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ किया चाहिए।

शासन ने सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के सन्दर्भ में बताया गया (नवम्बर 2015) कि दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त हानि की वसूली की जायेगी। अन्य पॉच वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। यद्यपि, प्रमुख सचिव ने भौतिक सत्यापन में पाई गई कमी के प्रकरण को गंभीरता से लिया तथा निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की जायेगी।

कार्य आयोजना का क्रियान्वयन

8.2.23 कम/विदोहन नही होने के कारण राजस्व की प्राप्ति नही होना

कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित किया (अप्रैल 2004) कि कूप के चिन्हांकन, चिन्हांकित वृक्षों की संख्या, वृक्षों के वर्गीकरण की गुणवत्ता तथा कूपों में अनाभिलेखित अवैध कटाई के वृक्ष के सम्बन्ध में किसी असहमति के प्रकरण में, सामान्य एवं उत्पादन वन मण्डल के वन मण्डल अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जायेगा। आगे, यह निर्देशित किया (नवम्बर 2004) कि कार्य आयोजना में दिये गये विभिन्न कार्य वृत्तों के कूपों के कार्यो का क्रियान्वयन किया जायेगा। यह भी निर्देशित किया गया कि यदि कूप में विदोहन लाभकारी नही है तो, चिन्हांकित वृक्षों का पातन वन वर्धनिक दृष्टि से किया जायेगा जिसके उपरान्त पुनरूत्पादन के कार्य अनिवार्यतः किया जायेगा तथा कूप किसी भी दशा में अपलेखित नही किया जायेगा।

विदोहन वर्ष[28] 2010–11 से 2014–15 के दौरान, प्रदेश में 7,40,286.557 हेक्टेयर में विदोहन हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति के विरूद्ध 7,20,049.343 हेक्टेयर में विदोहन किया गया। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि दौरान 1,04,36,188 चिन्हांकित वृक्षों के विरूद्ध 96,67,876 वृक्षों का पातन किया गया। इस प्रकार, 20,237.214 हेक्टेयर कम क्षेत्र में उपचार तथा 7,68,312 चिन्हांकित वृक्षों का कम पातन किया गया।

हमारे द्वारा निम्नलिखित कमियॉ पायी गई :

8.2.23.1 ग्यारह में से पॉच वन मण्डलों[29] में, 50 कूपों के 6189.900 हेक्टेयर में चिन्हांकन एवं विदोहन नही किया गया जैसा कि विभाग अतिक्रमण रोकने तथा वृक्षों को डूबने से पूर्व पातन सुनिश्चित करने में विफल रहा। यह वनों के प्रबन्धन में कमी दर्शाता है, राशि ₹ 8.34 करोड़ के वनोपज के अनुमानित[30] अनुत्पादन में परिणित हुआ।

प्रमुख सचिव ने कार्य आयोजना के क्रियान्वयन में कमियों को स्वीकार करते हुए, निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि कार्य आयोजना बनाते समय, यद्यपि कुछ कूप कार्य आयोजना में सम्मिलित थे, जबकि क्रियान्वयन के समय, वृक्षों के उपलब्धता के अनुसार चिन्हांकन किया गया।

---

28 विदोहन चक्र में अक्टूबर में प्रारम्भ होकर सितम्बर तक जारी रहता है

29 सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा) खण्डवा (सा), खण्डवा (उ) तथा सिंगरौली (सा)

30 लेखापरीक्षा द्वारा अनुमान की गणना वन मण्डलवार, अन्य कूपों में जहॉ पातन किया गया था के सम्बन्धित वर्ष में प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन पर आधारित है (3089.856 घ.मी. ईमारती, 1525.70 घ.मी. अरकाट तथा 3837.487 जलाऊ चट्टे)

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि कूपों का चिन्हांकन नही किया गया, तथा जिसके कारण, वृक्षों की उपलब्धता सुनिश्चित नही किया जा सकता था।

8.2.23.2 ग्वालियर (सामान्य) वन मण्डल के अवधि 2005–2015 के कार्य आयोजना में प्रत्येक वर्ष 10 सुधार कार्यवृत्त[31] के 10 कूपों के उपचार के प्रावधानित था। भारत सरकार ने भी इन कूपों में विदोहन हेतु क्रमशः वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन कूपों में चिन्हांकन एवं विदोहन नही किया गया। इस प्रकार, शासन राजस्व से वंचित रहा।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

8.2.23.3 सीधी (सामान्य) वन मण्डल की कार्य आयोजना अवधि 2000–10 हेतु अनुमोदित थी। कार्य आयोजना में 2010–11 के प्रावधानित कार्यो के कार्यान्वयन हेतु अनुमति प्राप्त हुई (मार्च 2010) तथा अवधि 2012–22 हेतु आगामी कार्य आयोजना भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2013 में अनुमोदित हुई। इस प्रकार, वर्ष 2011–12 में विदोहन नही किया गया, परिणामतः राशि ₹ 10.53 करोड़ के काष्ठ के विदोहन[32] नही हुआ।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

8.2.23.4 12 में से चार वन मण्डलो[33] में, विभाग द्वारा 20 कूपों के 9645 चिन्हांकित वृक्षों का पातन नही किया गया। इसके कारण 2151.458 घ.मी. काष्ठ तथा 2134.308 जलाऊ चट्टों का कम उत्पादन हुआ, परिणामतः राशि ₹ 4.81 करोड़ का राजस्व अप्राप्त रहा।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि दुर्लभ प्रजाति के वृक्षों का पातन नही किया गया तथा इसके सम्बन्ध में सामान्य वन मण्डल को सूचित किया गया (अप्रैल 2011) था। अन्य तीन वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष होने के दावे की पुष्टि हेतु सामान्य वन मण्डल के साथ संयुक्त निरीक्षण नही किया गया।

8.2.23.5 सीहोर तथा कटनी सामान्य वन मण्डलो में, अवधि 2009–10 से 2013–14 के दौरान, विदोहन हेतु बकाया बांस के 36 कूपों की बिना किसी कारण के उल्लेख किये विदोहन नही किया गया। यह राशि ₹ 18.79 लाख के 188.524 नोश्नल टन व्यापारिक तथा 25.823 नोश्नल टन औद्योगिक बांस के विदोहन किये जाने में परिणित हुआ।

शासन ने उत्तर उपलब्ध नही कराया (नवम्बर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि वन संसाधन से महत्तम राजस्व क्षमता को प्राप्त करने तथा साथ ही वन वर्धनिक गतिविधियों के माध्यम से जैव विविधता को बनाये रखने के उद्देष्य से कार्य आयोजना के प्रावधानों को कड़ाई से क्रियान्वित किया जाये।

---

[31] सुधार कार्यवृत्त में, अन्य वृक्षों के वृद्धि हेतु कुविकसित वृक्षों का पातन कर स्थान प्रदान किया जाता है

[32] 2010–11 तथा 2012–13 में औसत उत्पादन 4765.422 घ.मी. काष्ठ तथा जलाऊ चट्टे है

[33] सिंगरौली (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ) तथा बालाघाट उत्तर (उ)

8.2.24 स्वीकृति के शर्तो का पालन नही किया जाना

कार्य आयोजना का कार्यान्वयन करते समय, वन मण्डल अधिकारियों ने अवैध कटाई तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य कटाई को समायोजित नही किया गया, जो सम्बन्धित वर्ष हेतु अधिक विदोहन में परिणित हुआ।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के कार्य आयोजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक अनुमति में अपेक्षित था कि मृत, मृतप्राय एवं रोगग्रस्त वृक्षों का पातन, अधिकार एवं छूट प्रदान हेतु, अवैध कटाई तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदित अनिवार्य कटाई सहित सभी प्रकार के पातन को सम्बन्धित वर्ष हेतु प्रावधानित उत्पादन के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

हमने 11 में छः सामान्य वन मण्डलो[34] में देखा कि 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान 24702.73 घ.मी. काष्ठ, 10521 बल्ली तथा 20672.85 जलाऊ चट्टे के उत्पादन का अनुमानित कर विदोहन किया किया गया। इस अवधि के दौरान, विभाग ने वन अपराध प्रकरणों में 2840.79 घ.मी. काष्ठ अभिगृहित किया तथा वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य कटाई में 8055.805 घ.मी. काष्ठ उत्पादन किया। इस प्रकार, कुल 10896.59 घ.मी. काष्ठ की मात्रा को, भारत सरकार द्वारा दिये गये स्वीकृति के क्रियान्वयन के समय समायोजित नही किया गया। यह अधिक कटाई तथा पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान दिये बिना ₹ 22.83 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया **(परिशिष्ट XXXIII)**।

शासन ने सीधी (सामान्य) वन मण्डल के सन्दर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि वर्ष 2014–15 के दौरान, वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य कटाई के एवज् में 84.342 हेक्टेयर क्षेत्र के एक कूप का विदोहन नहीं किया गया तथा अवशेष क्षेत्र में विदोहन नहीं करने को 2018–19 तक समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य छः वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत कटाई को सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित किया जाना था। यद्यपि, उत्तर प्रावधानित विदोहन में अभिगृहित सामग्री को समायोजित किये जाने के संदर्भ में मौन है।

8.2.25 प्रवरण गोलाई से कम के वृक्षों का पातन

कार्य आयोजना में प्रावधानित प्रवरण गोलाई से कम के वृक्षों का पातन, अधिक विदोहन तथा सम्बन्धित राषि ₹ 8.69 करोड़ के राजस्व प्राप्ति में परिणित हुआ।

कार्य आयोजना, वृक्षों से महत्तम काष्ठ आयतन प्राप्त करने तथा वनस्पतियों के विभिन्न आयु वर्गो में विविधता करने हेतु प्रवरण–सह–सुधार[35] कार्यवृत्तो में परिपक्व वृक्षों का पातन प्रावधानित करते हैं। इसके लिए, कुछ कसौटियों यथा जलवायु क्षेत्र तथा प्रजातियों, इत्यादि के प्रयोग से निष्कर्शित प्रवरण गोलाई का निर्धारण कार्य आयोजना करता है। मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त के प्रकरणों को छोड़कर प्रवरण गोलाई से कम के वृक्षों का पातन प्रतिबन्धित है।

हमने 12 में से 10 वन मण्डलों[36] में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, 131 प्रवरण–सह–सुधार कूपों में साल, सागौन तथा अन्य प्रजातियों के 104704 वृक्षों

[34] वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर, सिंगरौली, सीधी, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी

[35] प्रवरण सह सुधार कूपों में चयनित परिपक्व के साथ–साथ कुविकसित वृक्षों का पातन किया जाता है

[36] वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा वन मण्डल अधिकारी (उ) मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर तथा हरदा

का पातन किया गया। इन पातित वृक्षों में से, 68940 (65 प्रतिशत) उनके लिए निर्धारित प्रवरण गोलाई से कम के थे। चिन्हांकन पुस्तिका में इन वृक्षों के मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त होने का उल्लेख नही था। अपरिपक्व वृक्षों का पातन, उन्हे आगे विकास का अवसर नही दी तथा इस प्रकार, महत्तम काष्ठ प्राप्त नही किया जा सका। कार्य आयोजनाओं में प्रतिबन्धित वृक्षों का पातन, अधिक पातन तथा सम्बन्धित राजस्व राशि ₹ 8.69 करोड़ के प्राप्ति में परिणित हुआ (**परिषिष्ट XXXIV**)।

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि प्रवरण गोलाई से कम के मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त वृक्षों का पातन किया गया तथा हरदा (उत्पादन) के संदर्भ में शासन ने बताया कि प्रवरण गोलाई से कम के वृक्ष विरलन प्रदान करने हेतु काटे गये। शासन ने मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में बताया कि प्रवरण गोलाई से कम के अधिकांश वृक्ष या तो अर्द्ध ईमारती या जलाऊ श्रेणी के थे।

बालाघाट उत्तर (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा सिंगरौली (सामान्य) वन मण्डल के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि चिन्हांकन पुस्तिका इन वृक्षों का मृत, मृतप्राय तथा रोगग्रस्त होना नही दर्शाती है तथा तथ्य कि इतनी बड़ी संख्या में (65 प्रतिशत) वृक्ष कुविकसित थे, भी स्वीकार्य नही है। हरदा (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कार्य आयोजना में विरलन हेतु प्रवरण गोलाई से कम के वृक्ष के पातन का कोई प्रावधान नही हैं। मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि कसौटी में का प्रावधान नही है कि यदि वृक्ष प्रवरण गोलाई से कम के है तो अर्द्ध ईमारती तथा जलाऊ श्रेणी के वृक्षों के पातन किये जायेंगे।

वनोपज का परिवहन

8.2.26 परिवहन ठेकेदारों से सुरक्षा निधि की अप्राप्ति

वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन ठेकों में, ठेकेदारों से सुरक्षा निधि की राषि ₹ 1.51 करोड़ प्राप्त नही किये गये।

वनोपज के परिवहन हेतु परिवहन ठेकों के अनुबन्ध के शर्त 6 प्रावधान करता है कि ठेकेदार, ठेके के नियमों एवं शर्तो के निर्वहन एवं अनुपालन के प्रतिभूति के रूप में परिवहन ठेके की कुल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मांग पर जमा/सावधि जमा/किसी अनुसूचित बैंक का बैंक प्रतिभूति के रूप में सुरक्षा निधि प्रदान करेगा।

हमने 12 में से नौ वन मण्डलो[37] के परिवहन ठेके के 341 अनुबन्धों में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, ठेकेदारों द्वारा राशि 1.51 करोड़ की सुरक्षा निधि प्रदान नही किया गया, फिर भी कार्य प्रदान किया गया तथा कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया, ठेका अनुबन्ध के शर्तो का अनुपालन नही करने तथा ठेके के अवधि के लिए ठेकेदार को अनुचित मौद्रिक लाभ में परिणित हुआ।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि सीधी (सामान्य) तथा डिण्डोरी (उत्पादन) के संदर्भ में, 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि ठेकेदारों के चलित देयकों से कटौती की गई तथा छिन्दवाड़ा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) वन मण्डलो के संदर्भ में, सुरक्षा निधि वसूल की जा चुकी थी। अन्य पॉच वन मण्डलो के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया।

[37] खण्डवा (उ), छिन्दवाड़ा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा सिवनी (उ)

सीधी (सामान्य) तथा डिण्डोरी (उत्पादन) के संदर्भ में उत्तर स्वीकार्य नही है क्योकि अनुबन्ध के शर्त में सुरक्षा निधि कार्य प्रारम्भ करने के समय वसूल किये जाने का प्रावधान था तथा किस्तों में चलित देयकों के माध्यम से नही। आगे, अनुबन्ध के शर्त 6 के अनुसार, सुरक्षा निधि संग्रहण का उद्देश्य ठेके के शर्तो के अनुपालन हेतु प्रतिभूति के रूप में लिये जाने का था, जो यदि किस्तों में चलित देयको के माध्यम से कटौती की जाये तो सुनिश्चित नही की जा सकती। छिन्दवाड़ा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) वन मण्डल के संदर्भ में उत्तर सत्य नही है क्योकि सुरक्षा निधि अग्रिम में वसूल नही किया गया था।

8.2.27 परिवहन अनुज्ञा पत्र के लेखे का संधारण नही होना

व्यक्तियों, जिन्हें परिवहन अनुज्ञा पत्र पुस्तिकाओं जारी की गई थी, परिवहन अनुज्ञा पत्रों के मासिक लेखे प्राप्त नही किये जा रहे थे।

हमने 18 वन मण्डलो में से 15 वन मण्डलो[38] में देखा कि परिक्षेत्र अधिकारियों, उप वन मण्डल अधिकारियों, काष्ठागार अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिन्हें परिवहन अनुज्ञा पत्र पुस्तिकाएं प्रदान की गई थीं, से परिवहन अनुज्ञा पत्रों के मासिक लेखे प्राप्त नही किये जा रहे थे, जो परिवहन (वन उपज) नियम 2000 के नियम 10(1) के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधानित है कि कोई व्यक्ति, जिसे परिवहन अनुज्ञा पत्र पुस्तिकाओ की आपूर्ति की गई है वन मण्डल अधिकारी को उसको जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्रों से निकाले गये वनोपज का मासिक लेखा प्रस्तुत करेगा।

इसके अतिरिक्त, आठ वन मण्डलो[39] में परिवहन अनुज्ञा पत्र के प्रतिपर्णो का वापस किये जाने की प्रविष्टी परिवहन अनुज्ञा पत्र पंजी में नही पायी गई, जो नियम 10(2) के प्रतिकूल था जिसमें प्रावधान है कि सभी प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त प्रतिपर्णो, यदि कोई है, को उस अधिकारी, जिससे अनुज्ञा पत्रों की पुस्तिका प्राप्त की गई थी, को वापस किया जायेगा। इस प्रकार, परिवहन अनुज्ञा पत्रों के लेखे के अनुपस्थिति में, वनोपज जो निकाले गये का वास्तविक निकाले एवं परिवहित से प्रतिसत्यापन किया जाना सुनिष्चित नही किया जा सका। साथ ही, यह सुनिश्चित नही किया जा सका कि आवश्यक परिवहन शुल्क जमा किया गया है अथवा नही।

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि परिवहन अनुज्ञा पत्र के लेखे का समय से तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

8.2.28 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य विधियों, नियमों तथा विभागीय अनुदेशों के उपयुक्त प्रवर्तन के लिए युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करना है। यह जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं के रोकथाम तथा संसूचना में सहायक होता है। आंतरिक नियंत्रण, त्वरित तथा दक्ष सेवा तथा शासकीय राजस्व के वंचन के विरूद्ध उपयुक्त सुरक्षा हेतु विश्वसनीय वित्तीय तथा प्रबन्धकीय सूचना प्रणाली निर्माण में सहायक होता है।

अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, विभाग द्वारा किये गये आंतरिक लेखापरीक्षा का वर्षवार विभाजन तालिका–8.3 में दिया गया है:

---

[38] सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा), खण्डवा (सा), खण्डवा (उ), ग्वालियर (सा), देवास (सा), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा सिवनी (उ) तथा कटनी (सा)

[39] सीधी (सा), खण्डवा (उ), सिंगरौली (सा), डिण्डोरी (उ), छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा सिवनी (उ)

तालिका– 8.3

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु चयनित वन मण्डलो की संख्या	लेखा परीक्षित वन मण्डलो की संख्या	कमी प्रतिषत में	निर्मित कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	लम्बित कंडिकाओं की संख्या
2010–11	72	52	28	431	274	157
2011–12	66	47	29	647	341	306
2012–13	42	42	0	604	87	517
2013–14	62	15	76	132	32	100
2014–15	47	22	53	287	0	287
योग	**289**	**178**		**2101**	**734**	**1367**

(स्रोतः विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षित वन मण्डलों के आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी थी, जो शून्य से 76 प्रतिशत तक विचलित थी। लेखापरीक्षा हेतु वन मण्डलो के चयन के मानदण्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गये। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2015 को, निराकरण हेतु अवधि 2010–11 से 2014–15 सम्बन्धित, 1367 कंडिकाएं (कुल कंडिकाओं का 65 प्रतिशत) लम्बित थीं, जो आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रति संवेदनशीलता में कमी को प्रदर्शित करता है।

8.2.29 विभाग के प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति

वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

हमने 10 वन मण्डलो में से आठ वन मण्डलो[40] में देखा कि विभाग द्वारा काष्ठागार में ‘काष्ठ एवं बांस का राजकीय व्यापार’ शीर्ष के अन्तर्गत वनोपज के विक्रय से प्राप्त मूल्य संवर्धन कर (वैट) को वन प्राप्ति के मुख्य शीर्ष 0406 ‘वानिकी तथा वन्यजीव’ में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार, पॉच वर्षो हेतु वास्तविक प्राप्तियों ₹ 251.58 करोड़ में इन वर्षो के दौरान वैट के एवज में प्राप्तियॉ भी सम्मिलित है।

आगे, इस प्रकार प्राप्त वैट को, मुख्य शीर्ष 2406, उप शीर्ष 0058– करों तथा रायल्टी का भुगतान के अन्तर्गत बजट आवंटन प्राप्त कर वाणिज्यिक कर विभाग को मुख्य शीर्ष 0040 ‘विक्रय व्यापार पर कर’ में भुगतान किया गया, इस प्रकार, वैट भुगतान पर ₹ 254.07 करोड़[41] का व्यय किया गया। इसका प्रभाव विभाग के मात्र वास्तविक प्राप्तियों तथा व्यय के अत्युक्ति में ही नही पड़ा, अपितु बजट अनुमानों के बनाये जाने की प्रक्रिया को भी अवास्तविक बनाया।

प्रमुख सचिव ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि व्यवस्था में संशोधन किया जायेगा।

लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप, वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट तथा इसके भुगतान के तंत्र को सुप्रवाही बनाया जाना चाहिए।

---

40 वन मण्डल अधिकारी (सा) सीहोर, सिंगरौली, सीधी तथा वन मण्डल अधिकारी (उ) खण्डवा, मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट उत्तर, हरदा

41 अन्तर विभिन्न कारणो यथा सम्बन्धित वर्ष में बजट आवंटन की अनुपलब्धता तथा बाद में आगामी वर्ष में जमा करना, इत्यादि पर आरोपणीय है

8.2.30 शासकीय लेखे में राजस्व का विलम्ब से समायोजन

राशि ₹ 8.50 करोड़ की वन प्राप्तियाँ शासकीय लेखे में पाँच से 157 दिनों के विलम्ब से जमा किया गया।

हमने 19 में से 11 वन मण्डलो[42] में देखा कि अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान, 670 प्रकरणों में काष्ठ के नीलाम के परिणाम स्वरूप, व्यापारियो से पंजीकरण शुल्क इत्यादि के रूप में प्राप्त ₹ 8.50 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट प्राप्ति दिनांक से पाँच से 157 दिनों के विलम्ब के उपरान्त शासकीय लेखे में समायोजित किये गये जैसा कि **तालिका–8.4** में विस्तृत किया गया है। यह मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के नियम 11 वी.बी. के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधान है कि निजी व्यक्ति से शासकीय राजस्व के एवज् प्राप्त किसी धनादेश या बैंक ड्राफ्ट की प्रविष्टि रोकड़ बही में किया जाना चाहिए तथा बैंक/कोषालय में बिना किसी विलम्ब के प्रेषित किया जाना चाहिए।

तालिका–8.4

विलम्ब दिनों में	प्रकरणो की संख्या	विलम्ब से जमा की गई राषि (₹ लाख में)
5 से 25	422	840.76
26 से 50	82	6.97
51 से 157	166	1.92
योग	**670**	**849.65**

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), सीधी (सामान्य), खण्डवा (उत्पादन), डिण्डोरी (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि नीलामी की अधिक आवृत्ति, कर्मचारियों की कमी, सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश तथा शासकीय अवकाश के कारण विलम्ब हुआ। अन्य पाँच वन मण्डलों के संदर्भ में उत्तर उपलब्ध नही कराया गया। तथ्य वही बना रहा कि शासन प्रेषण में विलम्ब की अवधि में राजस्व से वंचित रहा।

8.2.31 प्रेषणों का मिलान नही होना

कोषालय अभिलेखों से राशि ₹ 3.23 करोड़ के प्रेषणों का मिलान 49 वर्ष तक से लम्बित था।

हमने लेखापरीक्षित 19 में से 14 वन मण्डलों में देखा कि मासिक आधार पर मिलान नही किया जा रहा था जैसा कि इन वन मण्डलों में मिलान एक से 38 माह तक मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के अनुपूरक नियम 505 के विरूद्ध लम्बित था, जो प्रावधानित करता है कि वन मण्डल अधिकारी द्वारा कोषालय में प्रेषित राजस्व का मिलान आगामी माह में पूर्ण कर लेना चाहिए।

आगे, नौ वन मण्डलो के मिलान किये गये लेखो के 234 प्रकरणों से दिखा कि अवधि 1966–67 से 2014–15 तक की राशि ₹ 79.73 लाख लेखे में सम्मिलित किया गया किन्तु वह कोषालय अभिलेखों[43] में उपलब्ध नही था। इस प्रकार, गंभीर अनियमितताओं यथा जालसाजी, दुरूपयोग इत्यादि की सम्भावनाओं से इन्कार नही किया जा सकता है। इसी प्रकार, 466 प्रकरणों में राशि ₹ 2.43 करोड़ कोषालय अभिलेखों में सम्बन्धित वन मण्डल के प्राप्तियों के रूप में दिखा, किन्तु वह 11 वन मण्डलो के लेखों में सम्मिलित नही किया गया। यह उस सीमा तक विभाग के राजस्व प्राप्ति के न्यूनोक्ति में परिणित हो सकता है।

---

42 सीहोर (सा), बुरहानपुर (सा), खण्डवा (सा), खण्डवा (उत्पादन), देवास (सा), सीधी (सा) मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ), हरदा (उ) तथा कटनी (सा)

43 सम्बन्धित वन मण्डलो के लेखापरीक्षा के अंतिम दिन तक

प्रमुख सचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (अक्टूबर 2015) कि कोषालय के पक्ष में विलम्ब था, यद्यपि, कोषालय के साथ चर्चा करके मिलान प्रक्रिया तीव्र की जायेगी।

8.2.32 पंजीकृत विनिर्माताओं, व्यापारियों, इत्यादि से विवरणी प्राप्त नही किया जाना

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नही कर रहे थे, फिर भी उनके पंजीकरण का नवीनीकरण किया जा रहा था।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देशित किया (मार्च 2011) कि उन विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के पंजीकरण का नवीनीकरण नही किया जाये, जो नियमित विवरणी प्रस्तुत नही कर रहे हैं। उपलब्ध कराई गई विवरणी वन विभाग को यह सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि क्रय काष्ठ तथा उसके उपरान्त उसका उपभोग वैध है तथा वन विभाग के अनुमति के अनुसार है।

हमने 11 में सात सामान्य वन मण्डलो[44] में देखा कि कैलेण्डर वर्ष 2014 में पंजीकृत विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के 791 पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया। 13 आरा मशीन मालिकों को छोड़कर, किन्ही भी विनिर्माताओं, व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं ने त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत नही किया। नवीनीकरण मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 के नियम 7 (4) के प्रतिकूल था, जिसमें प्रावधान है कि सभी विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता अपने लेखे की विवरणी वन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी प्राप्त करने के लिए अनुदेश परिक्षेत्र अधिकरियों को जारी किये गये ।

हम अनुषंसा करते हैं कि काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को नियमित तैयार करके/आवष्यक अभिलेख प्राप्त करके तथा प्रेषणो का नियमित मिलान कर निगरानी तथा पर्यवेक्षण के व्यवस्था को सशक्त किया जाये।

8.2.33 हस्तन व्यय का पुनरीक्षण नही किया जाना

निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय मार्च 2007 से पुनरीक्षित नही हुआ, जबकि मजदूरी दर इस अवधि में बहुत बढ़ गया।

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने निजी उत्पादको से काष्ठ के हस्तन व्यय के दर को बिना किसी विश्लेषण के ₹ 250 से घटा कर ₹ 100 प्रति घ.मी. कर दिया (मार्च 2007)। निजी उत्पादक अपने भूमि से वनोपज विदोहित करने वाले भूमि स्वामी हैं। निजी भूमि से विदोहित वनोपज या तो विभाग द्वारा इन उत्पादकों को एक मुश्त भुगतान कर अधिग्रहित किया जाता है या विभाग वनोपज संग्रहण करता है, इसे विक्रय करता है तथा उसके उपरान्त भुगतान करता है। इन गतिविधियों के निष्पादन हेतु हस्तन व्यय लिया जाता है।

हमने 10 में नौ वन मण्डलो[45] में देखा कि मार्च 2007 से मार्च 2015 तक की अवधि के दौरान मजदूरी दर 139 से 175 प्रतिशत तक बढ़ गई, किन्तु निजी वनोपज विक्रेताओं पर अधिरोपित हस्तन व्यय वही बना रहा। इस प्रकार, निजी उत्पादकों को प्रदान सेवा पर किये गये वास्तविक व्यय को, विभाग द्वारा अधिरोपित हस्तन व्यय से आच्छादित नही होने की सम्भावना है।

---

[44] सीहोर, बुरहानपुर, खण्डवा, देवास, सीधी, छिन्दवाड़ा दक्षिण तथा कटनी

[45] सीहोर (सा), खण्डवा (उ), छिन्दवाड़ा (उ), सिंगरौली (सा), सीधी (सा), मण्डला (उ), डिण्डोरी (उ), बालाघाट उत्तर (उ) तथा हरदा (उ)

शासन ने बालाघाट उत्तर (उत्पादन), हरदा (उत्पादन), सीधी (सामान्य), खण्डवा (उत्पादन) तथा मण्डला (उत्पादन) के संदर्भ में बताया (नवम्बर 2015) कि निर्धारित दर से वसूली की जा रही थी तथा हस्तन व्यय का पुनरीक्षण शासन द्वारा किया जा था।

हम अनुशंसा करते हैं कि निजी उत्पादको पर अधिरोपित हस्तन व्यय का आवधिक पुनरीक्षण किया जाये।

8.2.34 निष्कर्ष तथा अनुशंसाएं

- वन विभाग ने वन क्षेत्र में उत्खनित तथा परिवहित खनिज के मात्रा का खनिज विभाग के आंकड़ों से मिलान नही किया। यह परिवहित खनिजों के अभिवहन शुल्क ₹ 12.23 करोड़ की कम वसूली में परिणित हुआ।

अनुशंसाः खनिज विभाग के साथ वन भूमि से उत्खनित तथा परिवहित मात्रा के मिलान के तंत्र को सशक्त करने पर विभाग विचार कर सकता है।

- न्यायालयीन प्रकरणों में शामिल 33 वर्षो तक पुरानी तथा अन्य प्रकरणों की चार वर्ष तक की वनोपज काष्ठागारों में पड़ी थी, इस प्रकार ₹ 7.18 करोड़ की सम्भावित हानि हुई तथा नौ वर्षो तक विचार करने तथा ₹ 19.95 लाख के व्यय के उपरान्त भी ई–नीलाम का कार्यान्वयन नही किया जाना।

अनुशंसाः वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज में क्षय से होने वाले हानि से बचने हेतु, न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर वनोपज का निर्वर्तन अतिशीघ्र करना चाहिए तथा नीलाम प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई–नीलामी तंत्र का क्रियान्वयन अतिशीघ्र किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- कूप से प्रेषित तथा वन अपराध प्रकरणों में अभिगृहित वनोपज काष्ठागार में परिवहन पर कम पायी गई, परिणामतः ₹ 2.07 करोड़ के हानि की हुई।

अनुशंसाः काष्ठागार में पुनर्मापन के समय वनोपज में कमी हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये तथा इस प्रकार के हानियों हेतु उत्तरदायी पदाधिकारियों से वसूली पर विभाग विचार कर सकता है।

- कार्य आयोजना में प्रावधानित कूपों में वृक्षो के कम/विदोहन नही होने तथा कार्य आयोजना नही बनाये जाने से विदोहन नही होने के परिणामतः राजस्व राशि ₹ 23.87 करोड़ की प्राप्ति नही होना।

अनुशंसाः वन संसाधन से महत्तम राजस्व क्षमता को प्राप्त करने तथा साथ ही वन वर्धनिक गतिविधियों के माध्यम से जैव विविधता को बनाये रखने के उद्देश्य से कार्य आयोजना के प्रावधानों को कड़ाई से क्रियान्वित किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट को विभाग के राजस्व मद में जमा किया (₹ 251.58 करोड़) गया तथा वाणिज्यिक कर विभाग को बजट आवंटन के माध्यम से भुगतान किया गया (₹ 254.07 करोड़), प्राप्ति तथा व्यय की अत्युक्ति में परिणित हुआ।

अनुशंसाः लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप, वनोपज के विक्रय से प्राप्त वैट तथा इसके भुगतान के तंत्र को सुप्रवाही बनाये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर थी जैसा कि काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को तैयार करने/आवश्यक अभिलेख संधारण करने तथा प्रेषणों का नियमित मिलान करने में कमियाँ थीं।

अनुशंसाः काष्ठ लेखा, परिवहन अनुज्ञा पत्र के मासिक लेखा, पंजीकृत व्यापारियों से त्रैमासिक विवरणी, इत्यादि को नियमित तैयार करके/आवश्यक अभिलेख प्राप्त करके तथा प्रेषणो का नियमित मिलान कर निगरानी तथा पर्यवेक्षण के व्यवस्था को सशक्त किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

- निजी उत्पादकों पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर का पुनरीक्षण अंतिम बार मार्च 2007 में किया गया तथा तबसे पुनरीक्षित नही हुआ।

अनुशंसाः निजी उत्पादको पर अधिरोपित हस्तन व्यय की दर का आवधिक पुनरीक्षण किये जाने पर विभाग विचार कर सकता है।

भोपाल **(दीपक कपूर)**
दिनांक 19 फरवरी 2016 **महालेखाकार**
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक 22 फरवरी 2016 **(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक)**

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I

(कंडिका 2.2.11 के सन्दर्भ में)

(कर योग्य विक्रय का गलत/कम निर्धारण)

(राषि ` में)

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
अंकेक्षित लेखे/विक्रय सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के तथ्यों एवं राषियों/आंकड़ों (फेक्ट्स एण्ड फिगर) की तुलना में कम निर्धारित कर योग्य विक्रय स.क्र. 01 से 33 तक दर्षाये गये हैं										
1	वा.क.अ. वृत्त–9, इंदौर	मेसर्स जुपिटर इंटरनेषनल सेल्स, इंदौर 23220903060 वेट	2010–11 सितम्बर, 2013	27920702	34102702	618200	467794	0	467794	कार्य अनुबंधों/वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में मजदूरी व्यय एवं अन्य व्यय की अंकेक्षित लेखे में सत्यापित राशियों/आंकड़ों/व्यय से अधिक कमी दिया/किया जाना.
2	वा.क.अ. वृत्त–9, इंदौर	मेसर्स भाटिया मोटर्स 23270902305 सीएस0000001690 वेट	2011–12 मई, 2013	20275303	21500852	1225549	98044	294132	392176	13 प्रतिशत से करयोग्य सामग्री/आइटम का अंकेक्षित लेखे में सत्यापित विक्रय से कम निर्धारण किया जाना.
3	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम	मेसर्स वीनस एलोयस/एलोएस प्राइवेट लिमिटेड, मंदसौर 23323101995 सीएस00000054395 वेट	2011–12 मई, 2013	149193131	162657526	13464395	673220	2019660	2692880	अंकेक्षित लेखें में सत्यापित स्क्रैप चैनल एवं एंगल का विक्रय/व्यवसाय करयोग्य विक्रय में सम्मिलित/षामिल न किया जाना.
4	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–2, भोपाल	मेसर्स बैतूल मिनरल्स लिमि., 23514705737 179/11 वेट	2010–11 जून, 2013	79549957	99851704	20301747	812070	2436210	3248280	अंकेक्षित लेखें में सत्यापित कोयले का विक्रय/व्यवसाय कम निर्धारित किया जाना एवं करयोग्य विक्रय में सम्मिलित/षामिल न किया जाना.
5	वाणिज्यिक कर अधिकारी खरगौन	मेसर्स सेवा सहकारी संस्थान मर्यादित, बड़ूड/बड़ूद 23192102530 सीएस000000058705 वेट	2010–11 मई, 2013	6504787	6708754	203967	10198	0	10198	कर मुक्त विक्रय की अधिक कमी दिया जाना.
6	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–2, भोपाल	मेसर्स सतरंग स्टील एण्ड एलोयस/अलोयस प्राइवेट लिमिटेड, मंडीदीप 23794104571 03/12 वेट	2010–11 जनवरी, 2014	575025702	587480582	12454880	622744	1868232	2490976	अंकेक्षित लेखें में सत्यापित स्क्रैप का विक्रय/व्यवसाय कर योग्य विक्रय में शामिल न किया जाना.
7	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मेसर्स कल्याणटोल इंफ्रास्ट्रक्चर 23621403554 559/2010 वेट	2009–10 अप्रेल, 12 एवं जून 13	44747222	59276460	14529238	581169	1743507	2324676	कार्य अनुबंधों/वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में मजदूरी व्यय एवं अन्य व्यय की अंकेक्षित लेखे में सत्यापित राषियों/आंकड़ों/व्यय से अधिक कमी दिया/किया जाना.
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मेसर्स कल्याणटोल इंफ्रास्ट्रक्चर 23621403554 628/2011 वेट	2010–11 सितंबर, 13	23140348	36121910	12981562	649078	0	649078	कार्य अनुबंधों/वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में मजदूरी व्यय एवं अन्य व्यय की अंकेक्षित लेखे में सत्यापित राषियों/आंकड़ों/व्यय से अधिक कमी दिया/किया जाना.
				82900	338960	256060	256060	0	256060	गिट्टी की मात्रा का कम निर्धारण.
9	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मेसर्स मीनाक्षी मेनुफेक्चर एंड फेब्रीकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 23631400687 116/10 वेट	2009–10 जून 12	8464108	9675304	1211196	142491	427473	569964	टर्नओवर/व्यवसाय/विक्रय का निर्धारण क्रय पक्ष से 10 प्रतिशत लाभ जोड़ते हुए किया गया, जबकि अंकेक्षित लेखे में लाभ 25.70 प्रतिषत प्रमाणित है।

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मेसर्स रवि स्टील इंदौर 23711400934 09/12 वेट	2011–12 अक्टूबर, 13	38797852	39338908	541056	27053	81159	108212	अंकेक्षित लेखे में प्रमाणित तथ्यों/राषियों से कम सकल/करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
11	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मेसर्स पोलारोन मार्केटिंग लिमिटेड 23921404553 103000001134976/वेट	2011–12 जून, 13	6306364	6316884	10520	1368	4104	5472	छः माह से अधिक विक्रय वापसियों/सेल्स रिटर्न की अनियमित कमी दिया जाना.
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–12, इंदौर	मेसर्स डी. एच. इंटरप्राइजेज़ 23641203917 सी एस000000021255/वेट	201–11 सितंबर, 13	0	59554101	59554101	7742033	23226099	30968132	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य विक्रय सत्यापित अंकेक्षित लेखे अनुसार न लेते हुये निरंक लिया जाना.
13	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–1 भोपाल	मे. सी. आई. फिन लीज लिमिटेड 23564006097 87/11 वेट	2010–11 सितंबर, 13	649856612	655508612	5652000	734760	2204280	2939040	अंकेक्षित लेखे में सत्यापित लॉजिस्टिक व्यय टर्नओवर/विक्रय में नहीं लिया जाना.
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. आर. के. सलीम 23753602618 172/11 वेट	2010–11 सितंबर, 13	1283109	3728418	2445309	134388	403164	537552	अंकेक्षित लेखे में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. जैक्सन इंटरप्राइजेज़ 23453606566 सीएस0000000970 वेट	2010–11 सितंबर, 13	43141079	44087883	946804	123085	369255	492340	सर्विस चार्जेज एवं कमीषन की प्रमाणित/सत्यापित अंकेक्षित लेखे के तथ्यों/राषियों से अधिक कमी दिया/किया जाना.
16	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. भोपाल इंजीनियरिंग 23403600434 219/11 वेट	2010–11 सितंबर, 13	34199503	41476988	7277485	946073	2838219	3784292	मजदूरी व्यय एवं अन्य व्यय की प्रमाणित/सत्यापित अंकेक्षित लेखे के तथ्यों/राषियों से अधिक कमी दिया/किया जाना.
17	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–।। जबलपुर	मेसर्स शारदा माँ इंटरप्राइजेज़ 23716024180 18/11 वेट	2010–11 जुलाई, 13	964062431	1181983013	217920582	8716823	0	8716823	अंकेक्षित लेखे के षिड्यूल्स से कम कर योग्य विक्रय का निर्धारण किया जाना. जबकि व्यापार खाते/ट्रेडिंग एकाउंट में क्रय कम दर्षाई गई है.
18	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11 इंदौर	मेसर्स सत्यम गैस एजेंसी, 23781101408 57/12 वेट	2011–12 जुलाई, 14	147973396	149259972	1286576	167255	0	167255	सकल कर योग्य विक्रय/जी.टी.ओ. में परिवहन से हुई आय सम्मिलित/षामिल न किया जाना.
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11 इंदौर	मेसर्स एग्रोटेक फूड लिमिटेड 23751101376 51/12 वेट	2011–12 अप्रेल, 14	139630967	148027490	8396523	1091548	3274644	4366192	पॉपकॉर्न एवं खाने के तेल/एडीबल ऑयल का अंकेक्षित लेखे के तथ्यों/राषियों से कम निर्धारण.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–10 इंदौर	मेसर्स भारत इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड 23181003574 87/13 वेट	2012–13 फरवरी, 15	241190113	245123317	3933204	196660	589980	786640	अंकेक्षित लेखे में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
21	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3 भोपाल	मेसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, भोपाल 23793804453 186/13 वेट	2012–13 स्वकर	34642146	37276884	2634738	131737	395211	526948	अंकेक्षित लेखे में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3 भोपाल	मेसर्स राधा ट्रेडर्स, भोपाल 23023803955 सीएस0000000003040 वेट	2011–12 जून, 2014	83787943	85304800	1516857	75842	227526	303368	अंकेक्षित लेखे में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
23	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13 इंदौर	मेसर्स सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेषन 23851300753 सीएस0000000193892 वेट	2012–13 जनवरी, 2015	9940200	10750275	810075	40504	121512	162016	कर मुक्त विक्रय (प्रमाणित/प्रसंस्कृत बीज) की कमी प्रमाणित/सत्यापित अंकेक्षित लेखे के अनुसार नहीं दिया जाना.
24	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–मंडीदीप	मेसर्स इंसप्रोस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 23454101654 सीएस0000079380/2012 वेट	2011–12 जून, 2014	82459636	83414165	954529	124088	372264	496352	अंकेक्षित लेखे में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण एवं विक्रय वापसी/सेल्स रिटर्न की कमी तथ्यपरक नहीं.
24	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–मंडीदीप	मेसर्स कृष्णा फेब्रीकेटर्स 237141104227 145/13 वेट	2012–13 मार्च, 2015	18342720	27067440	8724720	436236	0	436236	अंकेक्षित लेखे के अनुसार मरम्मत एवं रखरखाव कार्य/रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क से हुई प्राप्तियों को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया जाना.
26	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2 ग्वालियर	मेसर्स केंद्रीय भण्डार 23675203938 सीएस000000094130 वेट	2011–12 जून, 2014	168725427	174132477	5407050	702917	2108751	2811668	अंकेक्षित लेखे में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
27	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2 ग्वालियर	मेसर्स समर्थ कॉर्प्स प्राइवेट लिमिटेड 23699028104 सीएस00000000179009 वेट	2012–13 दिसम्बर, 2014	159056378	179306798	20250420	2632555	7897665	10530220	टी.डी.एस. प्रमाणपत्र के अनुसार अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू/अन्य प्रक्रियात्मक/प्रासंगिक राजस्व रु. 20250420/– को सकल/कर योग्य विक्रय में सम्मिलित/षामिल न किया जाना.
28	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2 ग्वालियर	मेसर्स सौदागर ममनमल प्राइवेट लिमिटेड 23085203341 487/12 वेट	2011–12 जून, 2014	50069387	50353765	284378	36969	110907	147876	सकल विक्रय एक्साइज़ ड्यूटी/ एवं अन्य कर के बिना होने के बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य विक्रय में पुनः कमी दिया जाना.
29	वाणिज्यिक कर अधिकारी,	मेसर्स सौदागर ममनमल प्राइवेट लिमिटेड	2011–12 जून, 2014	50069387	50353765	284378	36969	110907	147876	सकल विक्रय एक्साइज़ ड्यूटी/ एवं अन्य कर के बिना होने के बावजूद कर निर्धारण

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	वृत्त–5 भोपाल	23085203341 487/12 वेट								अधिकारी द्वारा कर योग्य विक्रय में पुनः कमी दिया जाना.
30	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5 भोपाल	मेसर्स अमित ग्लास एम्पोरियम 23364005237 सीएस0000000215758 वेट	2011–12 अक्टूबर, 14	7717568	9250433	1532865	122629	367887	490516	प्रमाणित/सत्यापित अंकेक्षित लेखे से/के अनुसार/की तुलना में 13 प्रतिषत से करयोग्य सामग्री/गुड्स का/के संदर्भ में करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
31	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5 भोपाल	मेसर्स लोकनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, भोपाल 23974006502 80/12 वेट	2011–12 मई, 14	166258605	179755527	13496922	674846	0	674846	कर योग्य विक्रय में कोयले के परिवहन की/से हुई प्राप्तियों को सम्मिलित/षामिल न किया जाना.
32	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सेंधवा	मेसर्स प्रीषियस ऑटोमोटिव, खरगौन 23692107684 474/12 वेट	2012–13 फरवरी, 15	291026242	294351654	3325412	382569	0	382569	अंकेक्षित लेखे में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण
		योग		4553618852	5030985398	477366546	33149803	64166832	97316635	
अंकेक्षित लेखों/विक्रय सूची एवं अन्य संबंधित अभिलेखों से/की तुलना में एवं आर.ए.बिल/रनिंग अकाउण्ट बिल, कार्य आदेष, प्रषमन विवरण आदि के अभाव में कार्य अनुबंध/वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट प्रकरणों में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण.										
33	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–।। वाणिज्यिक कर, सागर	मेसर्स खजुराहो बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रेक्टर्स, छतरपुर 23167702696 157/11 वेट	2010–11 जून, 13	81342132	138223656	56881524	4010626 (2962845+538740+509041)	0	4010626	व्यवसायी रेलवे ठेकेदार है. कर निर्धारण के समय करनिर्धारण अधिकारी द्वारा कर चुके माल/सामग्री यथा–रेत, मेटल आदि की गलत/अनियमित कमी देते हुये कर योग्य विक्रय का निर्धारण किया गया.
33	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–।। वाणिज्यिक कर, सागर	मेसर्स भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड 23557404255 32/10 वेट अपील आदेष	2009–10 मई 2012 एवं अपील आदेष अगस्त 2012	103232254	138458700	35226446	4403306	13209918	17613224	विभाग द्वारा जारी किये गये टी.डी.एस. के अनुसार व्यवसायी की सत्यापित प्राप्तियां रु. 138458700/– हैं. कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया.
35	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–।। वाणिज्यिक कर, सागर	मेसर्स नारायण बिल्डर्स इंडिया लिमिटेड, टीकमगढ़ 23977801336 246/12 वेट	2011–12 जनवरी 2014	58770097	75803796	17033699	1128095	0	1128095	कार्य अनुबंधों/वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में मजदूरी व्यय एवं अन्य व्यय की अंकेक्षित लेखे में सत्यापित राषियों/आंकड़ों/व्यय से अधिक कमी दिया/किया जाना.
36	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मेसर्स नाथूराम अग्रवाल 23454701696 सीएस0000000047856 वेट	2010–11 अप्रेल 2013	37170174	44346172	7175998	620071	1860213	2480284	मजदूरी एवं परिवहन व्यय की अनियमित/गलत कमी दिया जाना. डीजल व्यय अंकेक्षित लेखे में सत्यापित नहीं.
37	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मेसर्स ओ.पी.गुप्ता कॉन्ट्रेक्टर प्राइवेट लिमिटेड 23343805525	2010–11 जून 2013	26682387	57953952	31271565	1250863	3752589	5003452	कार्य आदेष/आर.ए.बिल/रनिंग अकाउण्ट बिल नस्ती में संलग्न नहीं. इसके अतिरिक्त मजदूरी एवं प्रत्यक्ष

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
		सीएस000000002291 वेट								व्यय/डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अधिक कमी दी गई. अतः कर योग्य विक्रय कम संगणित हुआ.
38	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मेसर्स द्रौपदी कंस्ट्रक्षन 23584003855 सीएस00000000048 वेट	2010–11 जुलाई 2013	46994395	52869856	5875461	460201	1380603	1840804	विक्रय का निर्धारण मजदूरी प्राप्तियां अधिक लेते हुए किया गया अतः अंकेक्षित लेखे के तुलना में कर योग्य विक्रय कम संगणित हुआ.
39	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मेसर्स इलेक फेब भोपाल 23723705309 सीएस00000000830 वेट	2010–11 जून 2013	14672937	16819958	2147021	279113	0	279113	प्रशमन कार्य के मद में/के लेखे में दी गई कमी के समर्थन में वैध घोषणा पत्र फार्म 4 बी संलग्न नहीं पाये गये.
40	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मेसर्स सतीष कुमार रायजादा एण्ड कम्पनी 23843803989 सीएस000000002466 वेट	2010–11 जुलाई 2013	13450882	13771514	320632	74612	0	74612	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे अनुसार 13 प्रतिषत लाभ के स्थान पर 10 प्रतिषत लाभ जोड़ा गया. अतः कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण हुआ.
41	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मेसर्स हरिओम एक्सप्लोसिव्स 23629014046 ऑडिट/36	2011–12 मार्च 2013	10990127	11963059	972932	111930	335790	447720	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे अनुसार 18.72 प्रतिषत लाभ के स्थान पर 10 प्रतिषत लाभ जोड़ा गया. अतः कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण हुआ.
42	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मेसर्स बलवीर सिंह राठौर 23773403078 348/11 वेट	2010–11 जून 2013	11781560	14352069	2570509	190213	570639	760852	कार्य आदेष/आर.ए.बिल/रनिंग अकाउण्ट बिल नस्ती में संलग्न नहीं. इसके अतिरिक्त मजदूरी एवं प्रत्यक्ष व्यय/डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अधिक कमी दी गई. अतः कर योग्य विक्रय कम संगणित हुआ.
43	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. राठौर कंस्ट्रक्षन 2386340144 397/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	9140811	13001560	3860749	330139	990417	1320556	
44	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. रतनलाल मायाराम, रतलाम 23063401868 192/11 वेट	2010–11 मई 2013	0	18266421	18266421	125604	0	125604	धारा 11 ए के तहत/अंतर्गत अतिरिक्त मांग 15 दिन की निर्धारित/तय समयसीमा में जमा नहीं की गई, अतः प्रकरण में धारा 20 के तहत कर निर्धारण किया जाना था, जो नहीं किया गया.
45	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. राज कंस्ट्रक्षन, रतलाम 23113404799 632/12 वेट	2011–12 जुलाई 2013	11147905	15304528	4156623	509839	1529517	2039356	कार्य आदेश एवं चलित देयक नस्तियों के साथ संलग्न नहीं पाये गये है । इसके अतिरिक्त मजदूरी एवं प्रत्यक्ष व्यय के लिए अधिक डीडक्शन स्वीकृत किये गए अतः प्रमाणित खातों में कर योग्य विक्रय कम संगणित हुआ ।
46	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. राज कंस्ट्रक्षन, रतलाम 23113404799 674/11 वेट	2010–11 जुलाई 2013	2898921	4105390	1206469	122233	366699	488932	
47	वाणिज्यिक कर अधिकारी,	मे. एस.एम. कंस्ट्रक्षन्स 23423404386	2011–12 अक्टूबर 2013	14059100	15883804	1824704	191447	574341	765788	

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	वृत्त–1, रतलाम	सीएस00000079648 वेट								
48	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. श्रीराम ट्यूबवेल 23903404607 सीएस000000102501 वेट	2011–12 दिसम्बर, 2013	0	6838011	6838011	341901	0	341901	सत्यापित अंकेक्षित लेखे से अधिक कमियां दी गई.
49	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. हरिओम बोरवेल 23023404606 सीएस00000000102486 वेट	2011–12 दिसम्बर, 2013	0	1302425	1302425	65121	0	65121	सत्यापित अंकेक्षित लेखे से अधिक कमियां दी गईं.
50	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–1, इंदौर	मे. जेपलीन मोबाइल इंडिया 23131504267 295/10 वेट	2009–10 जून, 2012	33390395	137743700	104353305	4717049	14151147	18868196	टी.डी.एस. प्रमाणपत्र के अनुसार व्यवसायी की कुल प्राप्तियां रु. 137743700/– सत्यापित हैं. कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया.
51	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर–II, भोपाल	मे. गोविन्द राय कॉन्ट्रेक्टर, होषंगाबाद 150/11 वेट	2010–11 सितंबर, 2013	15743619	26758939	11015320	550766	1652298	2203064	कार्य आदेश/आर.ए.बिल/रनिंग अकाउण्ट बिल नस्ती में संलग्न नहीं. इसके अतिरिक्त मजदूरी एवं प्रत्यक्ष व्यय/डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अधिक कमी दी गई. अतः कर योग्य विक्रय सत्यापित अंकेक्षित लेखे की तुलना में कम संगणित हुआ.
52	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर–II, भोपाल	मे. पॉवर मेक प्रोजेक्टर लिमिटेड 23494702450 54/11 वेट	2010–11 सितंबर, 2013	15743619	26758939	11015320	550766	1652298	2203064	
53	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–II, भोपाल	मे. वैषाली निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड 23464302875 44/11 वेट	2010–11 सितंबर, 2013	406855063	497456853	72601790	7751218	0	7751218	दतिया के अनुबंध कार्य में बारदाना एवं स्क्रेप विक्रय की प्राप्तियों को करयोग्य विक्रय में सम्मिलित/षामिल न किया जाना.
				1369101	4309256	2940155	134903	0	134903	कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण खण्डवा शाखा ।
54	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–वैढन	मे. अरुण कंस्ट्रक्षन, सीधी 23807305517 228/10 वेट	2009–10 जून, 2012	12186194	16615726	4429532	427744	1283232	1710976	अंकेक्षित लेखे एवं क्रय विवरण आदि की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण ।
55	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–वैढन	मे. एम.के. अग्रवाल एण्ड कम्पनी, सिंगरौली 23137300890 21/11 वेट	2010–11 अप्रेल 2013	6630256	9690000	3059744	152987	0	152987	मजदूरी व्यय की अधिक कमी दिया जाना ।
56	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–II, भोपाल	मे. सुनील हाइटेक इंजीनियर लिमिटेड, बैतूल 23544704217 44/11 वेट	2010–11 सितंबर 2013	228282643	460952399	232669756	9306790	0	9306790	मजदूरी व्यय की अधिक कमी दिया जाना.
57	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14,	मे. आर.एम.सी. रेडीमिक्स 23824404026 216/11 वेट	2010–11 जून 2013	154954977	181759993	26805016	3484652	0	3484652	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/रिटर्न/विवरणी की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	इंदौर									
58	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–12, इंदौर	मे. संखेष्वर पार्ष्व डेवेलपर्स एण्ड सप्लायर्स 23381204254 सीएस000000097360 वेट	2011–12 जनवरी 2014	1612524	7541732	2228359	111418	0	111418	कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण.
						3700849	185042	0	185042	जे.सी.बी./पोकलेन मषीन के किराये से प्राप्ति को करयोग्य विक्रय में सम्मिलित न किया जाना.
59	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–1 भोपाल	मे. शेपर्स कंस्ट्रक्षन लिमिटेड, भोपाल. 23883600655 37/11 वेट	2010–11 सितम्बर, 2013	337665274	484213816	119405241	11447765	34343295	45791060	अंकेक्षित लेखे में सत्यापित तथ्यों/राषियों से कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण
						27143301	1229077	0	1229077	सीमेंट एवं बिटुमिन का विक्रय कर योग्य विक्रय में सम्मिलित/षामिल न किया जाना.
60	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–1, भोपाल	मे. दिलीप बिल्डकॉन 23974000876 131/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	858876110	894168109	35291999	1764600	5293800	7058400	सामग्री/माल के क्रय मूल्य में सकल लाभ अंकेक्षित लेखे में/के द्वारा सत्यापित 14.52 प्रतिषत के स्थान पर 10 प्रतिषत जोड़ने के कारण अनुबंध कार्यों में करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण.
60	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–1, भोपाल	मे. दिलीप बिल्डकॉन 23974000876 131/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	2211346	5528376	3317030	431214	1293642	1724856	रोड मार्किंग मटेरियल/सामग्री की अंकेक्षित लेखे में दर्षाये/सत्यापित राषि से/की तुलना में कम राषि पर करारोपण किया जाना.
61	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–1, भोपाल	मे. एस.के.जैन 23303603011 112/11 वेट	2010–11 अगस्त 2013	140286031	758902297	618616266	27918793	83756379	111675172	उत्तर प्रदेष राज्य से संबंधित कार्य का अधिक भाग देने से/अधिक विभाजन करने से कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. इसके अतिरिक्त सब कॉन्ट्रेक्टर को किये गये भुगतान को अनियमित रूप से/गलत ढंग से सम्मिलित/षामिल किया जाना.
	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–1, भोपाल	मे. एस.के.जैन 23303603011 112/11 वेट	2010–11 अगस्त 2013	3565363	10798390	7233027	6888600	20665800	27554400	34430 क्यूबिक मीटर गिट्टी की कीमत का कम मूल्यांकन/निर्धारण.
62	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 ग्वालियर	मे. गोविंद कंस्ट्रक्षन कम्पनी, ग्वालियर 23625207409 74/13 वेट	2012–13 फरवरी 2013	10284988	30133384	19848396	1217150	3651450	4868600	चलित देयक/रनिंग अकाउण्ट बिल, वर्क ऑर्डर आदि के अभाव में सब कॉन्ट्रेक्टर को सामग्री/मटेरियल/माल कम्पोनेंट/मद/भाग/अवयव में 60 प्रतिषत के स्थान पर 20 प्रतिषत लेने से सकल विक्रय का कम निर्धारण.
63	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1	मे. भवानी प्रसाद शर्मा 23045101804 सीएस000000127862 वेट	2011–12 जुलाई 2014	12229969	29105505	16875536	1140785	3422355	4563140	कर निर्धारण आदेष में सकल/करयोग्य विक्रय का निर्धारण मटेरियल साइड/सामग्री/माल पक्ष से किया गया. अतः

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	ग्वालियर									मजदूरी व्यय, वाटर चार्जेस/पानी व्यय/प्रत्यक्ष व्यय/डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कमी मान्य नहीं/विधिसंगत नहीं.
64	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 सतना	मे. राजेष काइला/कालिया 230467002288 812/11 वेट	2011–12 जुलाई 2014	21882286	28213955	6331669	620503	1861509	2482012	अंकेक्षित लेखे में राषि रु. 34209182/– सत्यापित है. जबकि, कर निर्धारण आदेष में प्रषासनिक व्यय की राषि रु. 59876661/– की कमी प्रदान की गई है.
65	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 सतना	मे. मेहरोत्रा बिल्डकॉन लिमिटेड, सतना 23407000963 732/12 वेट	2011–12 अप्रेल 2014	90450769	332981466	242530697	19499468	0	19499468	अंकेक्षित लेखे में दर्षाए सत्यापित तथ्यों एवं राषियों से कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. चलित देयक/आर.ए. बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
66	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 सतना	मे. विंध्य कंस्ट्रक्षन कम्पनी, सतना 23597004011 1096/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	118360	355060	236700	236700	710100	946800	गिट्टी का प्रति घनमीटर/क्यूबिक मीटर दर गलत निर्धारित करने से/के पणिामस्वरूप गिट्टी की मात्रा/के आयतन/के वॉल्यूम का गलत निर्धारण हुआ, जिससे कर कम निरुपित हुआ.
67	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. रूरल वाटर सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 232990001081 सीएस00000003788 291/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	22603362	30919242	8315880	362388	1087164	1449552	अंकेक्षित लेखे में सत्यापित/दर्षाये तथ्यों एवं राषियों से कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. चलित देयक/आर.ए. बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
68	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. ओम इंजीनियरिंग 23453605887 सीएस00000003788 291/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	5441402	10121790	4680388	348101	1044303	1392404	विभाग द्वारा जारी टी.डी.एस. के अनुसार प्राप्तियां रु. 16869650/– प्रमाणित हैं. चलित देयक/आर.ए.बिल, कार्य आदेष एवं संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये.
68	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. ओम इंजीनियरिंग 23453605887 सीएस00000003788 291/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	5441402	10121790	4680388	348101	1044303	1392404	विभाग द्वारा जारी टी.डी.एस. के अनुसार प्राप्तियां रु. 16869650/– प्रमाणित हैं. चलित देयक/आर.ए.बिल, कार्य आदेष एवं संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये.
69	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. श्रीराम इंटरप्राइजेज़ 23493605768 604/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	6641901	8630945	1989044	315699	947097	1262796	अंकेक्षित लेखे में दर्षाए सत्यापित तथ्यों एवं राषियों से कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. चलित देयक/आर.ए. बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
70	वाणिज्यिक कर अधिकारी	मे. रेडिएन्ट कन्स्ट्रक्षन 23403606254	2010–11 सितम्बर 2013	7686789	9475798	1789009	349758	1049274	1399032	अंकेक्षित लेखे में दर्षाए सत्यापित तथ्यों एवं राषियों से कर योग्य विक्रय का कम

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	वृत्त–1 भोपाल	719/11 वेट								निर्धारण. चलित देयक/आर.ए. बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
71	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. टीन/तीन एसोसिएट्स 23513606921 924/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	2428524	4263947	1835423	106236	318708	424944	अंकेक्षित लेखे में दर्षाए सत्यापित तथ्यों एवं राषियों से कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. चलित देयक/आर.ए. बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
72	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. लेजर कट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 23503605811 161/11 वेट	2010–11 जून 2013	13627257	25495634	11868377	1542889	0	1542889	जॉब वर्क व्यय अंकेक्षित लेखे में सत्यापित न होने के बावजूद कर योग्य विक्रय की गणना में घटाये जाने से कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण.
73	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 भोपाल	मे. साईंनाथ इलेक्ट्रिकल्स 23673606348 136/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	10867112	14789358	3922246	509892	1529676	2039568	अंकेक्षित लेखे में दर्षाए मटेरियल ट्रांसफर/सामग्री अंतरण की तुलना में/के संदर्भ में करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण.
74	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सतना	मे. रिलायंस यूटिलिटी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड 2345901220 सीएस000000000212030 वेट	2012–13 मार्च 2015	5193734453	5260476376	66741923	3337096	10011288	13348384	मजदूरी व्यय के मद में अधिक कमी दिया जाना.
75	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–11, इंदौर	मे. ज़ेनिथ रबर प्राइवेट लिमिटेड 23271105035 सीएस00000000083355 वेट	2011–12 जुलाई 2015	4655541	7868916	3213375	417738	1253214	1670952	अंकेक्षित लेखे के अनुसार मजदूरी व्यय की कमी देय नहीं है.
76	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–3, भोपाल	मे. नील घन कंस्ट्रक्षन 23723806868 सीएस000000091720 वेट	2011–12 जून 2014	7314758	7816337	501579	57703	173109	230812	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकेक्षित लेखे में/के द्वारा सत्यापित 11.51 प्रतिषत के स्थान पर 10 प्रतिषत जोड़ा गया.
77	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–13, इंदौर	मे. हिंदुस्तान कंस्ट्रक्षन कॉर्पोरेषन 23201304360 116/10 वेट	2011–12 जून 2014	11872290	18289233	6416943	834203	2502609	3336812	टी.डी.एस. प्रमाणपत्र के अनुसार व्यवसायी की कुल प्राप्तियां रु. 18289233/– सत्यापित हैं. जबकि/अतः करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया.
78	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–13, इंदौर	मे. सतीष कंस्ट्रक्षन्स 23711303740 सीएस00000000145017 वेट	2011–12 जून 2014	6670007	10592630	3922623	196131	0	196131	कर योग्य विक्रय का निर्धारण करते समय अधिक कटौतियां किया जाना.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
79	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2, ग्वालियर	मे. यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 23719035377 सीएस00000000156336 वेट	2011–12 जुलाई 2014	14416207	50141063	35724856	1786242	5358726	7144968	सब–कॉन्ट्रेक्ट कार्य की आय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया जाना.
80	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2, ग्वालियर	मे. पीताम्बरा कंस्ट्रक्षन कम्पनी 23405207239 सीएस000000001567324 वेट	2011–12 जुलाई 2014	14403094	15648695	1245601	76739	230217	306956	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे में/के द्वारा सत्यापित 17.34 प्रतिषत के स्थान पर 08 प्रतिषत जोड़ा गया.
81	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2, ग्वालियर	मे. रामेन्द्र सिंह कुषवाहा 23335203349 सीएस0000000132584 वेट	2011–12 जून 2014	21546476	60429854	38883378	1227344	3682032	4909376	कर योग्य विक्रय का निर्धारण करते समय अंकेक्षित लेखे के अनुसार कटौतियां नहीं की गईं.
82	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2, ग्वालियर	मे. मुकेष कुमार जैन कॉन्ट्रेक्टर/ठेकेदार 23055204182 सीएस0000000173167 वेट	2011–12 जुलाई 2014	21349240	21851918	502678	25134	75402	100536	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे में/के द्वारा सत्यापित 12.59 प्रतिषत के स्थान पर 10 प्रतिषत जोड़ा गया.
83	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–5, भोपाल	मे. इन्फेब इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 23794005922 सीएस000000118526 वेट	2011–12 जून 2014	73862552	122890141	49027589	2451379	7354137	9805516	अंकेक्षित लेखे में दर्षाए सत्यापित तथ्यों एवं राषियों से/की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. चलित देयक/आर.ए. बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
84	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–5, भोपाल	मे. राहुल राय कॉन्ट्रेक्टर 2318404754 2258 वेट	2011–12 जून 2014	3030564	8607423	5576859	209324	627972	837296	चलित देयक/आर.ए.बिल/रनिंग एकाउंट बिल, कार्य आदेष आदि की अनुपस्थिति में सकल विक्रय का कम निर्धारण.
85	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–5, भोपाल	मे. राजीव बिल्डकॉन 23444008103 664/12 वेट	2011–12 जून 2014	1513761	4631528	3117767	142170	426510	568680	अंकेक्षित लेखे में दर्षाए सत्यापित तथ्यों एवं राषियों से/की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. चलित देयक/आर.ए. बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
86	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–5, भोपाल	मे. एम.एल.राय कॉन्ट्रेक्टर 23254006995 2257 वेट	2011–12 जून 2014	3582677	10171556	6588879	189329	567987	757316	चलित देयक/आर.ए.बिल/रनिंग एकाउंट बिल, कार्य आदेष आदि की अनुपस्थिति में सकल विक्रय का कम निर्धारण.
87	वाणिज्यिक कर अधिकारी	मे. ओंकार गोमती यादव 23802204384	2011–12 जुलाई 2014	1759467	2010282	250815	32606	97818	130424	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्रय मूल्य में अंकेक्षित लेखे में/के द्वारा सत्यापित 10

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	वृत्त–सेधवा	1233/12 वेट								प्रतिषत के स्थान पर 06 प्रतिषत जोड़ा गया.
88	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. भास्कर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 23329009614 156/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	3531743044	3688243044	156500000	6200000	18700000	24900000	अनुबंध कार्यों में पूर्ण/षुद्ध मजदूरी/लेबर कार्य की कमी दी गई जो कि पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार व्यवसाय की प्रकृति की परिधि में नहीं है. इसके अतिरिक्त कार्य अन्य एजेंसी/व्यवसायी द्वारा किया गया था.
89	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. सिटी, इंदौर 2326114604 2/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	94465688	104379966	9914278	495714	0	495714	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया. चलित देयक/आर.ए.बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
90	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. सिटी, इंदौर 2326114604 391/12 वेट	2011–12 फरवरी 2014	57127731	225516291	168388560	8419428	0	8419428	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया. चलित देयक/आर.ए.बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
91	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. सिटी, इंदौर 2326114604 622/14 वेट	2012–13 मार्च 2014	74817660	205921916	131104256	6555212	0	6555212	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया. चलित देयक/आर.ए.बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
92	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. सिटी, इंदौर 239509058511 3102/2010–11 वेट	2010–11 दिसम्बर 2012	80275468	114679141	34403673	2690515	0	2690515	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया. चलित देयक/आर.ए.बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
93	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. इंदौर ट्रेजर, इंदौर 239509058511 2215/2011–12 वेट	2011–12 नवम्बर 2013	117841670	170215746	52374076	4020827	0	4020827	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया. चलित देयक/आर.ए.बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
94	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. इंदौर ट्रेजर, इंदौर 239509058511 3102/2010–11 वेट	2012–13 अप्रेल 2014	92026791	128704419	36677628	3231345	0	3231345	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया. चलित देयक/आर.ए.बिल्स/रनिंग अकाउंट बिल, कार्य आदेष एवं अन्य संबंधित अभिलेख भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये.
95	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट	मे. सीता कंस्ट्रक्षन्स 23400904125	2011–12 जून 2014	40366293	41589703	1223410	159043	0	159043	अनुबंध कार्य में आर.एम.सी. का विक्रय रु. 613655/– एवं मटेरियल/सामग्री का

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	विंग–1, इंदौर	2487/2011–12 वेट								विक्रय रु. 69755/– कम निर्धारित.
96	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. एस. एम. इंफ्रास्ट्रक्चर 23650905006 256/2013 वेट	2010–11 फरवरी 2013	13652859	30786691	17133832	856692	2570076	3426768	सब–कॉन्ट्रेक्टर कार्य के मद में अधिक कमी दिया जाना.
				12334333615	**15056878555**	**2722544940**	**172109958**	**256263052**	**428373010**	
जॉब वर्क प्रभार/चार्जेज़, इंस्टालेषन प्रभार/चार्जेज़ एवं लेबर प्रभार/चार्जेज़ के भाग को सम्मिलित/षामिल न किये जाने/गलत वर्गीकृत किये जाने के कारण कर एवं अंकेक्षित लेखे/विक्रय सूची तथा अन्य संबंधित अभिलेख/विवरण आदि के विपरीत कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण.										
97	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मे. ड्रीम किचन, भोपाल 23664005072 82/12 वेट	2011–12 अगस्त 2013	9681866	9817441	135575	17625	52875	70500	जॉब–वर्क प्रभार से प्राप्तियाँ कर योग्य विक्रय में सम्मिलित नहीं.
98	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मे. ओम इलेक्ट्रिकल्स 23324003125 20/12 वेट	2011–12 फरवरी 2013	1180953	1928756	747803	85236	255708	340944	जॉब–वर्क प्रभार से प्राप्तियाँ कर योग्य विक्रय में सम्मिलित नहीं.
99	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. एयर शॉपी, इंदौर 23670903831 सीएस00000005450 वेट	2011–12 मई 2013	42424374	44361943	1937569	251884	755652	1007536	अन्य कार्य से प्राप्तियाँ सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं.
100	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–12, इंदौर	मे. सुषान ऑटो कॉम प्राइवेट लिमिटेड 23611203691 सीएस000000043875 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	3070105	32485594	29415489	3824014	11472042	15296056	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉब–वर्क की रु. 24129284/– की कमी दी गई, जबकि अंकेक्षित लेखे के अनुसार जॉब–वर्क में सामग्री/मटेरियल अंतरण/ट्रांसफर सत्यापित है एवं मजदूरी कार्य/लेबर वर्क सत्यापित नहीं है.
101	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–12, इंदौर	मे. कवीन्द्र वेसल्स टैंक प्राइवेट लिमिटेड 23351201118 सीएस0000000076752 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	5433644	6393306	959662	124756	374268	499024	जॉब–वर्क की गलत/अनियमित छूट.
102	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–12, इंदौर	मे. मिमानी वायर्स, इंदौर 23789000450 440/11 वेट	2010–11 जून 2013	12195323	16082204	3886881	194344	0	194344	जॉब–वर्क के लेखे/मद में/पेटे करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण.
103	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1,	मे. अंजना प्रिंटर्स 23033601753 114/11 वेट	2010–11 जुलाई 2013	4145200	5291858	1146658	57333	171999	229332	जॉब–वर्क की गलत/अनियमित कमी दी गई.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	भोपाल									
102	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–मंडीदीप	मे. स्टील इनोवेषन प्राइवेट लिमिटेड, मंडीदीप 23934104979 सीएस00000079439 वेट	2011–12 जून 2014	3281620	9142640	5861020	761932	0	761932	जॉब–वर्क (लेबर बेसिस/मजदूरी आधारित) के मद में/लेखे में/पेटे की रु. 5861020/– की गलत/अनियमित कमी दी गई. जबकि अंकेक्षित लेखे के षिड्यूल 14 के अनुसार रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेषन/कार्य से प्राप्तियाँ उत्पाद का विक्रय में स्क्रेप सेल शामिल है.
105	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, ग्वालियर	मे. स्मार्ट कंट्रोल इण्डिया लिमिटेड 23705204067 361/12 वेट	2011–12 जून 2014	3001528	8961903	5960375	774848	2324544	3099392	जॉब–वर्क रु. 9933958/– करयोग्य विक्रय में शामिल नहीं.
106	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, ग्वालियर	मे. गासा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 23255206885 1180/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	2367081	2479081	112000	14560	43680	58240	इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेषन राषि रु. 112000/– करयोग्य विक्रय में शामिल नहीं.
107	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. एच.सी. जांगड़े 23804004219 2273 वेट	2011–12 जून 2014	5326279	7098329	1772050	220368	0	220368	पेंटिंग एवं फेब्रीकेषन कार्य सकल विक्रय में शामिल नहीं.
108	उपायुक्त, टेक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. सांई नाथ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ 23021100565 3046/1011 वेट	2010–11 दिसम्बर 2012	61104668	100609275	39504607	5135598	15406794	20542392	फॉर्म 49 घोषणा पत्र पर प्रांत बाहर से क्रय सामग्री का लेखांकन नहीं किया जाना/को लेखे में नहीं लिया जाना.
				153212641	**244652330**	**91439689**	**11462498**	**30857562**	**42320060**	
उत्पाद शुल्क को टर्नओवर/विक्रय में सम्मिलित न किये जाने के कारण कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण किये जाने के प्रकरण स.क्र. 110 से 114 तक दर्षाये गये हैं										
109	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–7, इंदौर	मे. सौरभ पॉली प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड 23880701810 सीएस000000008224 वेट	2010–11 जुलाई 2013	31265836	34030786	2764950	138247	0	138247	करयोग्य विक्रय के निर्धारण में उत्पाद शुल्क शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
110	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, इंदौर	मे. भगवान दास मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2311150380 275/10 वेट	2009–10 जून 2012	106542750	117522772	10980022	1372503	4117509	5490012	करयोग्य विक्रय के निर्धारण में उत्पाद शुल्क शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
111	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वैढन	मे. नवभारत फयूज़ कम्पनी लिमिटेड, वैढन 23307302882 17/11 वेट	2010–11 जुलाई 2013	168936367	197672901	28736534	3735749	0	3735749	करयोग्य विक्रय में उत्पाद शुल्क शामिल/सम्मिलित न किया जाना.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
112	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11, इंदौर	मे. नॉटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 23151104131 262/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	14809234	16498642	1689408	219623	658869	878492	करयोग्य विक्रय में उत्पाद शुल्क शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
112	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–मंडीदीप	मे. मेकसन हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड 23654101641 30/13 वेट	2011–12 जून 2014	4723388	4955646	232258	30583	0	30583	उत्पाद शुल्क के मद में तनण 232258/– करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
				326277575	**370680747**	**44403172**	**5496705**	**4776378**	**10273083**	
114	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–2, सागर	मे. अग्रवाल ग्रेन स्टोर्स 23457502377 240/11 वेट	2010–11 अप्रेल 2013	87410225	88698525	1288300	51532	154596	206128	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित विक्रय मूल्य में से मिट्टी क्लेम की अनियमित कमी दिया जाना.
115	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–2, सागर	मे. रॉयल ट्रेडर्स, रेहली 234575002862 231/11 वेट	2010–11 अप्रेल 2013	91320699	91901524	580825	23233	69699	92932	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित विक्रय मूल्य में से मिट्टी क्लेम की अनियमित कमी दिया जाना.
116	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–2, सागर	मे. अरिहंत ट्रेडर्स, सिहोरा एण्ड आदि इंटरप्राइजेज़ 23747502945 214/11 वेट	2010–11 जून 2013	63083325	63685050	601725	24069	72207	96276	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्यापित विक्रय मूल्य में से मिट्टी क्लेम की अनियमित कमी दिया जाना.
				241814249	**244285099**	**2470850**	**98834**	**296502**	**395336**	
करयोग्य विक्रय के निर्धारण में प्लाण्ट एण्ड मशीनरी को फिक्स्ड एसेट्स में शामिल/सम्मिलित न किये जाने वाले प्रकरण स.क्र. 118 से 129 तक दर्शाये गये हैं										
117	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–2, सागर	मे. भदोरा इंडस्ट्रीज़ 23117800645 32/12 वेट	2011–12 जनवरी 2014	594010	2544531	1950521	141385	424155	565540	कार एवं प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
118	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त–2, सागर	मे. विकास इंडस्ट्रीज़, खुरई 23487402305 58/11 वेट	2010–11 जुलाई 2013	11539669	11925187	385518	5783	17349	23132	अचल सम्पत्ति/फिक्स्ड एसेट्स का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
119	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम	हिमटेक्नो फोर्ज लिमिटेड 23961601926 159 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	55281324	56089698	808374	105089	0	105089	प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
120	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–12, इंदौर	मे. अमनदीप होटल्स प्राइवेट लिमिटेड 23281202757 सीएस0000000023211 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	8436439	8818739	382300	49699	149097	198796	प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
121	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, ग्वालियर	मे. गोविन्द कन्स्ट्रक्षन कम्पनी, ग्वालियर 23625207409 74/2013 वेट	2012–13 फरवरी 2015	10284988	12338920	2053932	267011	801033	1068044	प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
122	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. जय महाकाल राइस मिल, सतना 23147004404 512/2012 वेट	2011–12 मई 2014	0	308121	308121	30264	0	30264	प्लाण्ट एण्ड मषीनरी का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
123	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. उवर्ती इंजीनियर्स 23237000911 सीएस0000000251468 वेट	2012–13 दिसम्बर 2014	2478327	2603327	125000	16250	0	16250	प्लाण्ट एण्ड मषीनरी का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
124	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सतना	मे. नॉदर्न कोल फील्ड लिमिटेड, अमलोही 23657300604 सीएस000000080260 वेट	2011–12 दिसम्बर 2013	7937889200	8646723200	708834000	91845970	0	91845970	फिक्स्ड एसेट्स/अचल सम्पत्ति का विक्रय करयोग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
125	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11, इंदौर	मे. स्टील कम्पोनेंट प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर 23411104182 सीएस00000000109373 वेट	2011–12 मई 2014	305074	2626658	2321584	301806	905418	1207224	फिक्स्ड एसेट्स/अचल सम्पत्ति का विक्रय सकल विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
126	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, भोपाल	मे. अर्पित ट्रेडिंग, भोपाल 23403805783 सीएस0000000111634 वेट	2011–12 जून 2014	2657668	3013668	356000	5340	16020	21360	पुराने वाहन का विक्रय कर योग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
127	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, उज्जैन	मे. शुभम पेट्रोलियम 23072607481 1300/13 वेट	2012–13 दिसम्बर 2014	98951052	99355298	404246	6064	18191	24255	कार का विक्रय कर योग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
128	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. चिनार रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड 23234004969 126/12 वेट	2011–12 जून 2014	102599425	102876338	276913	4154	0	4154	वाहन का विक्रय कर योग्य विक्रय में शामिल/सम्मिलित न किया जाना.
				8231017176	**8949223685**	**718206509**	**92778815**	**2331263**	**95110078**	
अंकेक्षित लेखे/विक्रय सूची/क्रय सूची में दर्षाये तथ्यों एवं राषियों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों की तुलना में एवं प्रारम्भिक शेष/अंतिम शेष, व्यापार लेखा आदि के अभाव में कर योग्य विक्रय के कम निर्धारण के अन्य विविध प्रकरण सरल क्रमांक 130 से 161 तक दर्षाये गये हैं–										
129	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मे. शांति पल्सेस, बीना 23497403451 260/11 वेट	2010–11 मई 2013	43527170	44548551	1021381	51069	153207	204276	बारदाना का विक्रय कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं.
130	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर –2, भोपाल	खण्डेलवाल एग्रो एजेन्सीस् सीएस 0000005926 वेट	2010–11 मई 2013	52574111	53696759	1122648	56132	168396	224528	बारदाना का विक्रय कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
131	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मे. कोचर प्लायवुड 23863700770 सीएस000000034476 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	87404725	87657466	161508	20996	62988	83984	छः माह से अधिक की विक्रय वापसी एवं सामग्री/माल की कमी की अनियिमित छूट/कमी देने के कारण करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण.
						91233	20996	62988	83984	
132	वाणिज्यिक कर अधिकारी, इंदौर	मे. कृष्णा मोबाइल्स 23780904692 सीएस000000079072 वेट	2011–12 मार्च 2014	30613254	32563853	1950599	253578	0	253578	डिस्काउण्ट/बट्टे पर भी कर संग्रहण किया गया था. जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डिस्काउण्ट/बट्टा काटकर करयोग्य विक्रय का निर्धारण किया गया.
133	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. एच.एम. डिस्ट्रीब्यूटर्स 23534004901 105/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	1118592135	1138448050	19855915	2581269	7743807	10325076	निवल/नेट विक्रय में से डिस्काउण्ट की कमी देते हुए कर योग्य विक्रय का निर्धारण किया गया.
134	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. अल्बर्ट डेविड लिमिटेड 23094000778 सीएस000000189696 वेट	2011–12 सितम्बर 2014	71657372	80855533	9198161	495644	1486932	1982576	करयोग्य विक्रय का निर्धारण करते समय/करने में डिस्काउण्ट एवं कर की दो बार कमी दी गई.
135	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, इंदौर	मे. माइक्रोमैक्स इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड 23900203607 23/2010 वेट	2009–10 जून 2012	1370456047	1381072038	10615991	1326999	3980997	5307996	स्टॉक ट्रांसफर को त्रुटिवष विक्रय वापसी मान्य किया गया.
136	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. भास्कर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड स्पिनिंग डिवीज़न 23893601959 136/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	37190594	40522694	3332100	133284	399852	533136	विक्रय वापसी की राषि की दोबार कमी दी गई.
137	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11, इंदौर	मे. मांगलिया किचन सर्विसेज़ इंदौर 23331100346 17/12 वेट	2011–12 जून 2014	120290317	122458855	2168538	281910	845730	1127640	व्यवसायिक/कॉमर्षियल गैस सिलेण्डर बची हुई गैस की अनियमित विक्रय वापसी मान्य किया गया.
				2932305725	**2981823799**	**49518074**	**5212741**	**14841909**	**20054650**	
138	वाणिज्यिक कर, अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. एडिटिव्स फार्मा एण्ड फ्रोजन लिमिटेड, इंदौर 235709028192 सीएस0000000023946 वेट	2010–11 मई 2013	37999850	55157517	17157667	2230497	6691491	8921988	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रा. शेष/अंतिम शेष निरंक थे. सामग्री/माल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक था. इसके अतिरिक्त विक्रय सामग्री का/व्यवसाय की गई सामग्री का मात्रात्मक विवरण संलग्न नहीं था.
139	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9,	मे. राजस्थान इंजीनियर्स कॉन्ट्रेक्टर्स इंटरप्राइजेज़ 23550902636	2011–12 जुलाई 2013	23888526	26853777	2965251	148263	444789	593052	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रा. शेष/अंतिम शेष निरंक थे. सामग्री/माल का क्रय मूल्य उसके विक्रय

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
	इंदौर	सीएस000000008350 वेट								मूल्य से अधिक था. इसके अतिरिक्त विक्रय सामग्री का/व्यवसाय की गई सामग्री का मात्रात्मक विवरण संलग्न नहीं था.
140	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. पाईप हाउस 23683402982 421/11 वेट	2010–11 जुलाई 2013	1905553	2325518	419965	56326	168978	225304	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रा. शेष/अंतिम शेष निरंक थे. सामग्री/माल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक था. इसके अतिरिक्त विक्रय सामग्री का/व्यवसाय की गई सामग्री का मात्रात्मक विवरण संलग्न नहीं था.
141	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. हार्लेस्टिक फार्मास्युटिकल्स 23983404757 737/11 वेट	2010–11 मई 2013	3029266	5796760	2767494	138368	415104	553472	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रा. शेष/अंतिम शेष निरंक थे. सामग्री/माल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक था. इसके अतिरिक्त विक्रय सामग्री का/व्यवसाय की गई सामग्री का मात्रात्मक विवरण संलग्न नहीं था.
142	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, इंदौर	मे. एस.सी. जॉन्सन्स प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 23941503191 सीएस0000000027239 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	146058968	149280337	3221369	418778	1256334	1675112	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रा. शेष/अंतिम शेष निरंक थे. सामग्री/माल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक था. इसके अतिरिक्त विक्रय सामग्री का/व्यवसाय की गई सामग्री का मात्रात्मक विवरण संलग्न नहीं था.
143	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, इंदौर	मे. इंटास फार्मा 23400100189 सीएस00000009738 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	390750846	469789392	79038546	3951927	11855781	15807708	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रा. शेष/अंतिम शेष निरंक थे. सामग्री/माल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक था. इसके अतिरिक्त विक्रय सामग्री का/व्यवसाय की गई सामग्री का मात्रात्मक विवरण संलग्न नहीं था.
144	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–12, इंदौर	मे. वी.एल.सी.सी. हेल्थ केअर 23071203406 सीएस000000021152 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	2905656	5090035	2184379	283969	851907	1135876	अंकेक्षित लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं प्रा. शेष/अंतिम शेष निरंक थे. सामग्री/माल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक था. इसके अतिरिक्त विक्रय सामग्री का/व्यवसाय की गई सामग्री का मात्रात्मक विवरण संलग्न नहीं था.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/ अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
145	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सेंधवा	मे. सुभाष ठक्कर ठेकेदार 23582204408 सीएस0000000100715 वेट	2011–12 जून 2014	7094970	7854145	759175	78042	234126	312168	प्रा. शेष/अंतिम शेष के अंतर एवं वर्गीकरण के कारण करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया.
				613633635	**722147481**	**108513846**	**7306170**	**21918510**	**29224680**	
146	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11, इंदौर	मे. एच.एस.आई.एल. लिमिटेड 23191104400 260/12 वेट	2011–12 जून 2014	103102848	105858519	2755671	358237	1074711	1432948	स्टॉक ट्रांसफर की अधिक कमी दी गई.
147	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–10, इंदौर	मे. ऋषभ इंटरप्राइजेज़ 23291004388 133/12 वेट	2011–12 जून 2014	169405490	171520433	2114943	105747	317241	422988	नॉटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (नॉन–एस.ई.जेड. इकाई) को किये गये विक्रय को एस.ई.जेड. इकाई को करमुक्त विक्रय मान्य किया गया.
148	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. ओकाया पॉवर लिमिटेड 23951303608 सीएस00000000184814 वेट	2012–13 फरवरी 2015	128259705	148423033	20163328	2621233	0	2621233	रु. 20163328/– की अनियमित कमी दी गई.
149	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. आरती ट्रेडर्स 23141300319 सीएस0000000095827 वेट	2011–12 मई 2014	64890796	66957537	2066741	268676	806028	1074704	अंकेक्षित लेखे के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण. इसके अतिरिक्त विक्रय की तुलना में क्रय अधिक है तथा प्रा. शेष/अंतिम शेष में कोई राषि नहीं दर्षाई गई है.
150	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. वीवा कम्प्यूटर्स 23491303279 246/2013 वेट	2012–13 फरवरी 2015	123044665	124375077	1330412	359211	0	359211	कर चुकी राषि रु. 1330412/– की गलत/अनियमित कमी दी गई.
151	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, ग्वालियर	मे. वेक्टस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड 23525202614 सीएस000000179002 वेट	2012–13 फरवरी 2015	188390275	195904373	7514098	470511	1411533	1882044	रॉ मटेरियल/कच्चा माल एवं लिड्स का विक्रय सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं.
152	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, ग्वालियर	मे. यष ऑटोमोबाइल, ग्वालियर 23535211202 सीएस00000094089 वेट	2011–12 जून 2014	144517631	144835058	317427	41266	123798	165064	हायर चार्जेज रु. 317247/– कर योग्य विक्रय में सम्मिलित/षामिल नहीं.
153	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, ग्वालियर	मे. जय मारुति गैस सिलेण्डर 230452022199 सीएस000000178997 वेट	2012–13 जून 2014	12155157	12458192	303035	15152	45456	60608	एक्सपोर्ट सामग्री रु. 303035/– की अतिरिक्त कमी.

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित विक्रय/टर्नओवर	लेखा पुस्तकों/अंकेक्षित लेखे के अनुसार निर्धारित विक्रय/ टर्नओवर	कम निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर की कम निर्धारित राशि	शास्ति की राषि	अतिरिक्त कर की मांग	संक्षिप्त विवरण
154	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. मिषिगन रबर इण्डिया लिमिटेड 23914001394 07/12 वेट	2011–12 जून 2014	8847527	365329621	356482094	46342672	0	46342672	व्यवसायी को सेल्स टेक्स एक्ट के तहत छूट/कमी दी गई. वेट एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद प्रमाण पत्र की पात्रता अवधि अथवा दिनांक 01/04/2006 को कर के क्यूमूलेटिव क्वांटम की सीमा तक जो भी पहले हो, छूट/कमी मान्य है. विचाराधीन/इस प्रकरण में कर का क्यूमूलेटिव क्वांटम निरंक होने के कारण छूट/कमी गलत/अनियमित दी गई.
155	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. डिजियाना इण्डट्रियल प्राइवेट लिमिटेड 23270900462 वेट	2010–11 मई 2013	0	304585231	304585231	15229262	0	15229262	कर मुक्त लिक्योर की रु. 30.45 करोड़ की कमी दी गई. जो कि पंजीयन प्रमाणपत्र के अनुसार व्यवसाय की परिधि में नहीं है.
156	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, इंदौर	मे. समता वुड प्रॉडक्ट 223423602557 214/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	0	4687897	4687897	609426	0	609426	कर मुक्त लकड़ी के विक्रय की कमी पंजीयन प्रमाणपत्र के अनुसार व्यवसाय की परिधि में नहीं है.
157	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. शान्ति रियलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड 23721404469 1069/11 वेट	2010–11 मई 2013	130931848	134817423	3885575	505059	0	505059	डोर फ्रेम का विक्रय राषि रु. 1191287/– को कर मुक्त मान्य किया गया एवं ईंट, सीमेंट तथा आर.एम.सी. का विक्रय मूल्य रु. 3343033/– कम निर्धारित.
157	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. शान्ति रियलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड 23721404469 1069/11 वेट	2010–11 मई 2013	130931848	134817423	3885575	505059	0	505059	डोर फ्रेम का विक्रय राषि रु. 1191287/– को कर मुक्त मान्य किया गया एवं ईंट, सीमेंट तथा आर.एम.सी. का विक्रय मूल्य रु. 3343033/– कम निर्धारित.
159	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग–1, इंदौर	मे. सिल्वर रियलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड 23440904976 3103/2010–11 वेट	2010–11 दिसम्बर 2012	171663937	173048944	1385007	334840	0	334840	फर्नीचर एवं वुडन मटेरियल/सामग्री का विक्रय रु. 1385007/– कर योग्य विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया. इसप्रकार, करयोग्य विक्रय का कम निर्धारण किया गया.
160	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–मंडदीप	मे. श्री तुंगा केटरर्स 23684105068 200/13 वेट	2012–13 मार्च 2015	29459385	52280942	22821557	1141077	0	1141077	कुक्ड फूट/निर्मित खाद्य सामग्री का विक्रय गलत ढंग से/अनियमित रुप से एस.ई.जेड. इकाई को करमुक्त विक्रय मान्य किया गया.
		योग		**1560358388**	**2340090863**	**779732475**	**74813899**	**23013357**	**97827256**	
		महायोग		**30946571856**	**35940767957**	**4994196101**	**402429423**	**418465365**	**820894788**	

परिशिष्ट –II
(कंडिका 2.2.12 के सन्दर्भ में)
कर की दर का गलत इस्तेमाल/प्रयोग

(राशि ` में)

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	समग्री का नाम	टर्नओवर/व्यवसाय	कर की दर जो लगाई जानी थी (प्रतिषत)	कर की दर जो लगाई गई (प्रतिषत)	कम निरूपित कर की राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
1	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सगर	मे. विजय निर्माण कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 23117404497 291/11 वेट	2010–11 मई 2013	कार्य अनुबंध से संबंधित विविध सामग्री	1861831	5	1	74473	223419	297892	क्रय विवरण के अनुसार समस्त क्रय प्रांत बाहर से किया गया. वेट अधिनियम की धारा 11–ए उपनियम 8–ए(4)(II) के अनुसार 1 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से करयोग्य ।
2	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सगर	मे. शान्ति पल्सेस, बीना 23497403451 260/11 वेट	2010–11 मई 2013	बरदाना	497730	5	4	4977	14931	19908	बारदाना पर 5 प्रतिषत के स्थान पर 4 प्रतिषत से कर का निरुपण किया गया ।
3	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मे. ड्रीम किचन भोपाल 23664005072 82/12 वेट	2011–12 अगस्त 2013	मॉड्यूलर किचन	3284101 454250	13 13	8 0	262728 59025	788184 177075	1050912 236100	मॉड्यूलर किचन 13 प्रतिषत से करयोग्य है ।
4	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग, भोपाल	मे. डी. के. मॉड्यूलर फर्नीचर 23579014633 86/12 वेट	2011–12 जून 2013	फर्नीचर	1687660	13	5	135013	405039	540052	फर्नीचर 13 प्रतिषत से करयोग्य है.
5	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–7, इंदौर	मे. एच. एम. ट्रेडर्स 23430701233 167 वेट	2011–12 सितम्बर 2013	डीजल इंजन एवं स्पेयर पार्ट्स	1430662	13	5	114453	343359	457812	डीजल इंजन एवं स्पेयर पार्ट्स पर कम दर से कर का निरूपण.
6	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–I, इंदौर	मे. माइक्रोमेक्स इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड 23900203607 23/2010 वेट	2009–10 जून 2012	मेबाइल	10631215	12.5	5	797341	2392023	3189364	कर निर्धारिण अधिकारी द्वारा मोबाइल एवं एसेसरीज़ के विक्रय पर 5 प्रतिषत की दर से करारोपण किया गया जबकि उक्त सामग्री पर दिनांक 01.08.2009 से 12.5 प्रतिषत की दर से करारोपण किया जाना है.
7	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–I, इंदौर	मे. भगवान दास मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2311150380 275/10 वेट	2009–10 जून 2012	ऑटो मोबाइल पार्ट्स	6444398	12.5	4	547774	1643322	2191096	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्मित माल/सामग्री को गलत ढंग से स्क्रेप मान्य किया गया.
8	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–I,	मे. भगवान दास मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2311150380	2009–10 जून 2012	ऑटो मोबाइल पार्ट्स	1690100	12.5	4	143659	430977	574636	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्मित माल/सामग्री को गलत ढंग से स्क्रेप मान्य किया गया एवं कर की दर कम

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	समग्री का नाम	टर्नओवर/व्यवसाय	कर की दर जो लगाई जानी थी (प्रतिषत)	कर की दर जो लगाई गई (प्रतिषत)	कम निरूपित कर की राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
	इंदौर	276/10 वेट									लगाई गई.
9	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–।। भोपाल	मे. लक्ष्मी ट्रेक्टर्स 23934602686 175/11 वेट	2010–11 मई 2013	ट्रेक्टर एसेसरीज़	888428	13	5	71074	213222	284296	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एसेसरीज को गलत ढंग से स्पेअर पाट्र्स माना गया एवं कम कर दर लगाई गई.
10	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–।। भोपाल	मे. देसाई ब्रदर्स 23954301975 25/11 वेट	2010–11 जुलाई 2012	जिंजर पेस्ट/अदरक की चटनी	1947966	13	5	155837	467511	523348	जिंजर पेस्ट/अदरक की चटनी की पृथक से पृविष्टि न होने के कारण 13 प्रतिषत की दर से कर योग्य.
11	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–वैढन	मे. यष कंस्ट्रक्षन्स,सिंगरौली 23607306306 13/11 वेट	2010–11 मई 2013	मशीनरी एवं स्पेअर पाट्र्स	45258901	13	5	3620712	10862136	14482848	मशीनरी पाट्र्स 13 प्रतिषत से करयोग्य.
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–वैढन	मे. रवि डीजल सिंगरौली 2386730519311/11 वेट	2010–11 अगस्त 2013	एच.ई.एम.एम. स्पेअर पाट्र्स	104870946	13	5	8389675	0	8389675	पृविष्टि क्रमांक II/IV/I के अनुसार मशीनरी पाट्र्स 13 प्रतिषत से करयोग्य.
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–वैढन	मे. जे.के. सप्लाइज़ एवं सॉल्यूषन्स, सिंगरौली 23387306524 215/11 वेट	2010–11 जुलाई 2013	इंजन स्पेयर पाट्र्स	14443760	13	5	1155501	0	1155501	अंकेक्षित लेखे एवं फार्म 49 से इंजन स्पेयर एवं तेल का क्रय स्थापित/सत्यापित होता है.
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–वैढन	मे. जे.के. सप्लाइज़ एवं सॉल्यूषन्स, सिंगरौली 23387306524 215/11 वेट	2010–11 जुलाई 2013	इंजन स्पेयर पाट्र्स	14443760	13	5	1155501	0	1155501	अंकेक्षित लेखे एवं फार्म 49 से इंजन स्पेयर एवं तेल का क्रय स्थापित/सत्यापित होता है.
15	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–।।, सागर	मे. भदौरा इण्डस्ट्रीज 23117800645 32/12 वेट	2011–12 जनवरी 2014	इलेक्ट्रिकल केबल एवं वायर	594010	13	5	47521	142563	190084	पृविष्टि क्रमांक II/IV/I के अनुसार इलेक्ट्रिक वायर 13 प्रतिषत से करयोग्य है.
16	उपायुक्त वाणिज्यिक कर भोपाल	मे. भास्कर इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड वीविंग डिवीजन 23213602430 144/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	यार्न वेस्ट	9106912	5	4	91069	273207	364276	पृविष्टि क्रमांक II/II/5(a) के अनुसार यार्न वेस्ट 5 प्रतिषत से करयोग्य है.
17	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–।, ग्वालियर	मे. आकाय सन्स ग्वालियर 23525101346 577/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	टाइल्स एण्ड सेनिटरी गुड्स	6792734	13	5	543419	0	543419	अंकेक्षित लेखे के अनुसार टाइल्स एवं सेनिटरी गुड्स का व्यवसाय प्रमाणित है, जो कि 13 प्रतिषत से करयोग्य है.
18	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–।, सतना	मे. किसान सेवा केन्द्र सतना 2367004451 1310/13 वेट	2012–13 दिसम्बर 2014	डीज़ल/पेट्रोल	14125390 9516065	23 27	0 0	3248840 2569337	0	3248840 2569337	डीजल/पेट्रोल को त्रुटिवष/गलत ढंग से/गलती से कर चुका मानते हुए करारोपण नहीं किया गया.
19	वाणिज्यिक कर	मे. एस.एम.मोटर्स	2010–11	मोटर वेहिकल	32160271	13	1ʊ5	3698431	0	3698431	पुराने वाहनों का पंजीयत व्यवसायी

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	समग्री का नाम	टर्नओवर/व्यवसाय	कर की दर जो लगाई जानी थी (प्रतिषत)	कर की दर जो लगाई गई (प्रतिषत)	कम निरूपित कर की राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
	अधिकारी, वृत्त– I, भोपाल	230632605347 स्वकर वेट	स्वकर								द्वारा विक्रय प्रमाणित नहीं.
20	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त– I, भोपाल	मे. समता फूड प्रॉडक्ट्स 233423602557 214/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	फर्नीचर	4687897	13	0	609425	0	609425	फर्नीचर विक्रय गलत ढंग से/त्रुटिवष करमुक्त लकड़ी विक्रय में वर्गीकृत किया गया. अतः 13 प्रतिषत से करयोग्य.
21	उपायुक्त वाणिज्यिक कर सतना	मे. जिमको लिमिटेड 232917300752 19/13 वेट	2012–13 जनवरी 2015	मोटर पार्ट्स	943901920	13	5	75512153	226536459	302048612	मशीनरी पार्ट्स (फार्म 49 के अनुसार) त्रुटिवष/गलत ढंग से एच.ई.एम.एम. पार्ट्स में वर्गीकृत. अतः 13 प्रतिषत से करयोग्य.
22	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11, इंदौर	मे. मल्होत्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 23901103476 122/12 वेट	2011–12 मई 2014	सेफ्टी रेजर	771104	13	5	61688	185064	246752	सेफ्टी रेजर के विक्रय को तेल का विक्रय मानते हुए 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से कर निरुपित किया गया.
23	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–11, इंदौर	मे. नॉटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 23151104131 262/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	कन्फेक्षनरी, लॉलीपॉप, बबलगम, केण्डी	2163453	13	5	173076	519228	692304	कन्फेक्षनरी एवं केण्डी के विक्रय को त्रुटिवष/गलत ढंग से पैकिंग स्क्रेप मान्य किया गया. अतः कम दर से कर निरुपित किया गया.
232 4	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–10, इंदौर	मे. कूल कॉर्नर 23541000466 सीएस000000214889 वेट	2012–13 दिसम्बर 2014	रेफिजरेटर पार्ट्स	1931932	13	5	154554	463662	618216	रफिजरेटर के पार्ट्स 13 प्रतिषत से करयोग्य है. कम दर से कर निरुपित किया गया.
25	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, भोपाल	मे. गुरमुखदास कॉन्ट्रेक्टर, भोपाल 23033804483 सीएस00000002325 वेट	2011–12 जून 2014	वूडन डोर्स एवं पी.सी.सी. पोल्स	901232	13	5	72098	216294	288392	वूडन डोर्स पर व्यसायी द्वारा 5 प्रतिषत के स्थान पर 13 प्रतिषत से कर दिया जाना है.
26	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, उज्जैन	मे. तिरुपति इंडस्ट्रीज़ 23362605624 11/2014 वेट	2010–11 मई 2014	मशीनरी	153575	13	5	17661	52983	70644	प्लाण्ट एवं मषीनरी पर 1.5 प्रतिषत की दर से करारोपण किया गया.
27	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, उज्जैन	मे. पटेल ऑटोमोबाइल्स 23242607242 415/11–12 वेट	2011–12 जून 2014	बैटरी पार्ट्स, इन्वर्टर	423831	13	5	21192	0	21192	इन्वर्टर पर 5 प्रतिषत के स्थान पर 13 प्रतिषत से करारोपण किया गया.
28	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इन्दौर	मे. हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्षन कम्पनी 23201304360 116/10 वेट	2011–12 जून 2014	फायर अलार्म सिस्टम	11523627	13	5	921890	2765670	3687560	सिक्योरिटी अलार्म/फायर अलार्म सिस्टम 13 प्रतिषत से करयोग्य.

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	समग्री का नाम	टर्नओवर/व्यवसाय	कर की दर जो लगाई जानी थी (प्रतिषत)	कर की दर जो लगाई गई (प्रतिषत)	कम निरूपित कर की राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
29	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. एस.एल.वण्डरपैक प्राइवेट लिमिटेड 23831303771 सीएस000000143881 वेट	2011–12 जुलाई 2014	प्लाण्ट एण्ड मषीनरी	750000	13	1.5	86250	258750	345000	प्लाण्ट एवं मषीनरी पर 1.5 प्रतिषत की दर से करारोपण किया गया.
30	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. कंवलदीप सोंढी 23671300949 99/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	स्टील रेलिंग एण्ड ग्रीन नेट	4724349	13	1.5	377948	1133844	1511792	स्टील रेलिंग एण्ड ग्रीन नेट पर त्रुटिवष/गलत ढंग से 5 प्रतिषत की दर से करारोपण किया गया.
31	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. सन शाइन क्रॉकरी 23431302827 सीएस000000196730 वेट	2012–13 ज्नवरी 2015	क्रॉकरी	3929657	13	5	314373	943119	1257492	क्रॉकरी 13 प्रतिषत से करयोग्य है.
32	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. एषियन नेचुरल रिसोर्सेस 23281301503 सीएस0000000121121 वेट	2011–12 मई 2014	कोल	1038560	5	4	10386	31158	41544	कोयले/कोल पर 5 प्रतिषत से करारोपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
33	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. मिण्डा ऑटो केयर लिमिटेड 2367304732 सीएस0000000099970 वेट	2012–13 मई 2014	ऑटो पार्ट्स	27783231	13	5	2222658	0	2222658	ऑटो पार्ट्स पर 13 प्रतिषत से करारोपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
34	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–मंडीदीप	मे. मेक्सन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 23654101641 30/13 वेट	2012–13 फरवरी 2015	विक्स, केण्डी, लॉलीपॉप	5899532	13	5	471962	1415886	1887848	केण्डी/लॉलीपॉप पर 13 प्रतिषत से करारोपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
35	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–मंडीदीप	मे. मेक्सन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 23654101641 30/13 वेट	2011–12 जून 2014	विक्स, केण्डी, लॉलीपॉप	4723388	13	5	377871	1133613	1511484	केण्डी/लॉलीपॉप पर 13 प्रतिषत से करारोपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
36	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	मे. बी. एण्ड एम. सन्स, ग्वालियर 238745201426 437/12 सीएसटी	2011–12 जुलाई 2014	ऑटो मोबाइल पार्ट्स	21288755	13	5	103100	0	103100	ऑटो मोबाइल पार्ट्स पर 13 प्रतिषत से करारोपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
37	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	मे. मेप इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, ग्वालियर 23495208499 598/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	मोटर पार्ट्स	12536012	13	5	1002881	3008643	4011524	ऑटो मोबाइल पार्ट्स पर 13 प्रतिषत से करारोपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
38	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–देवास	मे. शारदा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, देवास 2332305183	2012–13 मार्च 2015	कलर अर्थ पावडर	21652780	13	5	1732222	5196666	6928888	कलर अर्थ पावडर पर 13 प्रतिषत से करारोपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	समग्री का नाम	टर्नओवर/व्यवसाय	कर की दर जो लगाई जानी थी (प्रतिषत)	कर की दर जो लगाई गई (प्रतिषत)	कम निरूपित कर की राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
		सीएस00000337045 वेट									
39	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. विराषा इंफ्रास्ट्रक्चर 23149003909 553/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	बिल्डिंग मटेरियल	4853254	5	0	242662	727986	970648	धारा 9(बी) के तहत व्यवसायी द्वारा निर्मित भवन के पूंजीगत मूल्य/केपिटल वेल्यू पर कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 9 (बी) के प्रावधानों के विपरीत कर चुकी एवं कर मुक्त सामग्री की कमी देते हुये कर निर्धारण किया गया.
40	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. स्पीड इंफास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 23204008332 762/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	प्लाण्ट एण्ड मषीनरी	300000	13	5	34500	103500	138000	प्लाण्ट एण्ड मषीनरी पर 13 प्रतिषत के स्थान पर 1.5 प्रतिषत से करारोपण किया गया.
41	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. लोकनाथ ट्रेडिंग कम्पनी भोपाल 23974006502 80/12 वेट	2011–12 मई 2014	कोल ब्रिकेट	5275826	13	5	472826	0	472826	कोल ब्रिकेट पर 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से करारोपण किया गया.
42	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सेंधवा	मे. मालवीय ट्रॉली वर्क्स, अंजारेड 23192204768 सीएस0000000295685 वेट	2012–13 जनवरी 2015	हाइड्रॉलिक ट्रॉली	1788346	13	5	143067	429201	572268	हाइड्रॉलिक ट्रॉली प्रविष्टि क्रमांक II/IV/I के अनुसार 13 प्रतिषत से करयोग्य है.
43	सहा. आयुक्त वाणिज्यिक कर, सं.–1 भोपाल.	मे. स्टर्लिंग एवं विल्सन प्राइवेट लिमिटेड 23294008331 199/13 वेट	2011–12 जुलाई 2014	स्ट्रक्चरल मटेरियल	6366992	13	5	509359	1528077	2037436	स्ट्रक्चरल मटेरियल 13 प्रतिषत से करयोग्य है. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
44	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त– I, सतना.	मे. एक्सेल अर्थमूवर्स 23567002621 1090/2102 वेट	2011–12 जून 2014	अर्थ मूविंग मषीन के स्पेयर पार्ट्स	752258	5	3	15045	0	15045	अर्थ मूविंग मषीन के स्पेयर पार्ट्स 5 प्रतिषत से करयोग्य है.
45	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I, इंदौर	मे. इंदौर ट्रेज़र, इंदौर 239509058511 3102/2010–11 वेट	2010–11 दिसम्बर 2012	फर्नीचर	6993931	13	5	559515	0	559515	निर्माण कार्य में प्रयुक्त फर्नीचर पर 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से करारोपण किया गया.
46	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I, इंदौर	मे. इंदौर ट्रेज़र, इंदौर 239509058511 2215/2011–12 वेट	2011–12 नवम्बर 2013	फर्नीचर	12697530	13	5	1015802	0	1015802	निर्माण कार्य में प्रयुक्त फर्नीचर पर 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से करारोपण किया गया.
47	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I,	मे. इंदौर ट्रेज़र, इंदौर 239509058511 3102/2010–11 वेट	2010–11 अप्रेल 2014	फर्नीचर, सीमेंट एवं पुट्टी	28877231	13	5	2310178	0	2310178	निर्माण कार्य में प्रयुक्त फर्नीचर पर 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से करारोपण किया गया.

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	समग्री का नाम	टर्नओवर/व्यवसाय	कर की दर जो लगाई जानी थी (प्रतिषत)	कर की दर जो लगाई गई (प्रतिषत)	कम निरूपित कर की राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
	इंदौर										
48	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I, इंदौर	मे. डिजिटल इंटर ग्रेटर प्राइवेट लिमिटेड 23871002564 320/11 वेट	2010–11 नवम्बर 2012	डिस्प्ले यूनिट्स (टोकन डिस्प्ले सिस्टम विथ बेल)	5450315	13	5	436025	1308075	1744100	डिस्प्ले यूनिट्स(टोकन डिस्प्ले सिस्टम विथ बेल) 13 प्रतिषत से करयोग्य है. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
49	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I, इंदौर	मे. प्लायको इण्डस्ट्रीज़ 23971002564 2040000001499351 वेट	2011–12 दिसम्बर 2013	वुड पेनल एवं डोर्स	3619445	13	5	289556	868668	1158224	वुड पेनल एवं डोर्स पर 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से करारोपण किया गया.
50	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I, इंदौर	मे. महालक्ष्मी एजेंसी 23500103238 592/2011–12 वेट	2011–12 जनवरी 2014	लेज़, कुरकुरे, चीटोज़	2992376	13	5	239390	718170	957560	लेज़, कुरकुरे एवं चीटोज़ पर 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत से करारोपण किया गया.
51	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I, इंदौर	मे. दिल बहार सुपारी 23660801065 2040000001334951 वेट	2011–12 सितम्बर 2014	गुटका, पान मसाला	733351	13	5	58668	176004	234672	गुटका, पानमसाला 5 प्रतिषत से करारोपण किया गया जबकि 13 प्रतिषत से कर निरूपण किया जाना था.
52	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विंग– I, इंदौर	मे. समय इंटरप्राइजेज़ 23350902358 124/2010–11 वेट	2010–11 जनवरी 2012	घड़ी	1262376	13	1	151485	0	151485	घड़ियों पर 13 प्रतिषत से कर निरूपण किया जाना था. जबकि कम दर से करारोपण किया गया.
				योग	**1435463689**			**117654588**	**268097688**	**385752276**	

परिशिष्ट –III

(कंडिका 2.2.13.1 के सन्दर्भ में)

गलत/त्रुटिपूर्ण/अनियमित कमियाँ देने के कारण कर का न्यून/कम निरूपण

(राशि ` में)

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री	टर्नओवर/व्यवसाय/विक्रय	कर की दर (प्रतिषत)	निरुपित किये जाने योग्य कर की राषि	निरुपित कर की राषि	कर की न्यून/कम निरुपित राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
1	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. एडिटिव्स फार्मा एण्ड फ्रोजन लिमिटेड, इंदौर 235709028192 सीएस000000023946	2010–11 मई 2013	फूड कलर फ्लेवर	37999850	13	4939981	4371664	568317	0	568317	विक्रय में कर की राशि शामिल नहीं थी फिर भी कटौति स्वीकृत की गई जो कि धारा–2(10)(3) के प्रावधानों के विरुद्ध थी ।
2	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, रतलाम	मे. मोहित इंटरप्राइजेज़ रतलाम 23983402720 307/11 (वेट)	2010–11 जुलाई 2013	कम्प्यूटर पाट्र्स	246469	13	32041	28355	3686	11058	14744	
				कम्प्यूटर पाट्र्स	9979429	13	498971	475211	23760	71280	95040	
3	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–II, भोपाल	मेसर्स रामदेव शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, शुगर डिवीजन बनखेड़ी 23494304362 27/11 (वेट)	2010–11 अगस्त 2013	शुगर, मोलासेस	18834976	13	2448547	2166856	281691	845073	1126764	अंकेक्षित प्रतिवेदन में प्रमाणित विक्रय में कर की राशि शामिल नहीं थी फिर भी कटौति स्वीकृत की गई जो कि धारा–2(10)(3) के प्रावधानों के विरुद्ध थी ।
4	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–II, भोपाल	मेसर्स रामदेव शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, शुगर डिवीजन बनखेड़ी 23494304362 25/11 (वेट)	2010–11 अगस्त 2013	शुगर, मोलासेस	27709566	2	554191	543325	10866	32598	43464	
					2048002	13	266362	259865	6497	19491	25988	
5	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–खरगौन	मे. आर. के. व्यंकटेष्वरलू 232822107961 सीएस000000055451/वेट	2010–11 सितम्बर 2013	कार्य अनुबंध	2996928 5266067	13 5	389600 263303	344779 250765	57359	0	57359	विक्रय में कर की राशि शामिल नहीं थी फिर भी कटौति स्वीकृत की गई जो कि धारा–2(10)(3) के प्रावधानों के विरुद्ध थी ।
6	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–14, इंदौर	मे. श्री सांई सेल्स, इंदौर 23081403560 9/12 वेट	2010–11 मई 2013	मोटर पाट्र्स	5253999	13	683020	0	683020	0	683020	
7	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1, ग्वालियर	मे. प्रेग्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 23825208172 22/13 वेट	2012–13 फरवरी 2015	कार्य अनुबंध	45269087 15392086	5 13	2263454 2000971	3926441	337984	0	337984	

स. क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री	टर्नओवर/व्यवसाय/विक्रय	कर की दर (प्रतिषत)	निरुपित किये जाने योग्य कर की राषि	निरुपित कर की राषि	कर की न्यून/कम निरुपित राषि	शास्ति	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
8	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1, सतना	मे. एक्सपर्ट कम्प्यूटर 23887002639 849/12 वेट	2011–12 जून 2014	कम्प्यूटर पार्ट्स	34058200 441402	5 13	1702910 57382	1621819 50781	87692	263076	350768	
9	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1, भोपाल	मे. डायनोपॉवर सिस्टम 23643602227 116/11 वेट	2010–11 सितम्बर 2013	ट्रांफार्मर रिपेयरिंग	3846601	13	500058	0	500058	1500174	2000232	
10	उपायुक्त वाणिज्यिक कर संभाग–II, जबलपुर	मे. बी.एल.ए. इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, गाडरवारा 23096403371 28/11 वेट	2010–11 अगस्त 2013	कोल एक्सट्रेक्षन	757710836 1260185	4 13	3030843 3163824	29142724 144977	1184556	3553668	4738224	
11	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–9, इंदौर	मे. सत्यम गैस एजेंसी 23781101408 57/12 वेट	2011–12 जुलाई 2014	गैस इक्विपमेंट, गैस सिलेण्डर	5276883 126032729 25841179	4 5 13	211075 6301636 3359353	202957 6001559 2972879	694669	0	694669	
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1, उज्जैन	मे. पी.सी. गैलरी 23139025444 1020/13 वेट	2012–13 दिसम्बर 2014	कम्प्यूटर एण्ड एसेसरीज़	41242464	5	2062123	1963926	98197	294591	392788	
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–II, ग्वालियर	मे. सौदागरमल ममनमल प्राइवेट लिमिटेड 23085203341 487/12 वेट	2011–12 जून 2014	हेक्जेनल वायर, आयरन टूल्स आदि	808262	13	105074	0	105074	315222	420296	
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–II, ग्वालियर	मे. बंसल ब्रदर्स 23135208212 सीएस000000097254 वेट	2011–12 जुलाई 2014	रेडीमेड गारमेंट्स	721045	5	36052	0	36052	108075	144127	
				योग	**1168236245**		**59148361**	**54468883**	**4679478**	**7014306**	**11693784**	

परिशिष्ट–IV

(कंडिका क्रमांक 2.2.13.2 के सन्दर्भ में)

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 39 के तहत वैट ऑडिट रिपोट 41 (ए) में आकंड़ों का गलत चित्रण

(राशि ₹ में)

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	टर्न ओवर	कर की दर (प्रतिशत)	कर आरोपनीय	आरोपित कर	कम आरोपित कर की राशि	शास्ति की राशि	कुल
वैट ऑडिट रिपोर्ट में बेचे गए माल की कीमत शुद्ध क्रय पर निर्धारित की गयी (क्रय में वैट की राशि शामिल नहीं थी) और माल की बिक्री मूल्य इस प्रकार निकाली गयी माल की कीमत में प्रॉफिट जोड़ कर निर्धारित की गयी. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा गलत ढंग से अंकेक्षित खाते में माल की बिक्री मूल्य को कर रहित के स्थान पर कर सहित दर्शाया गया.										
1	डीसीसीटी सतना	मेसर्स अग्रवाल मोटर्स सतना 23667003827 10/12 (वैट)	2011–12 फरवरी 2013	2556851487	13	332390693	294151647	38239046	114717138	152956184
2	सर्किल–XI इंदौर	शैल इंडिया मार्किट प्राइवेट लिमिटेड 23291104636 /176/12 वैट	2011–12 अप्रैल 2014	389408465	13	50623100	44868108	5754992	17264976	23019968
3	सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स डैकिन एयर कंडीशनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 23479017844 /215/12 वैट	2011–12 मई 2014	167467814 2068341	13 5	21770816 103417	19526031	2348202	7044606	9392808
4	सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स यूएसवी लिमिटेड 23631100666 /26/13 वैट	2012–13 दिसम्बर 2014	412496594 13350949	5 13	20624830 1735623	19642695 1535950	1181808	3545424	4727232
5	सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स मल्होत्रा मार्किंग प्राइवेट लिमिटेड 23901103476 /122/12 वैट	2012–13 मई, 2014	225518967 860241	13 5	29317465 43012	26244263	3116214	9348642	12464856
6	सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स माइक्रो लैब लिमिटेड 23381103859 /133/12 वैट	2011–12 जुलाई , 2014	225397875 3200376	5 13	11269894 416049	11049115	636828	1910484	2547312
7	सर्किल–X इंदौर	मेसर्स सुपरत्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 23211004091 /120/12 वैट	2011–12 जुलाई, 2014	216197631 2880462	5 13	10809882 374460	10295121 331381	557840	1673520	2231360
8	सीटीओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स बजाज कोर्प लिमिटेड 23211304112 सीएस00000145835 वैट	2012–13 दिसम्बर 2014	10762425 638708737	5 13	538121 83032136	512496 73479766	9577995	28733985	38311980
9	सीटीओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स एफडीसी लिमिटेड 23141301289 सीएस0000000178969 वैट	2012–13 दिसम्बर 2014	366717820 16723567	5 13	18335891 2174064	17462753 1923950	1123252	3369756	4493008
10	सीटीओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स एफ डी सी लिमिटेड 23141301289 सीएस000000092797 वैट	2011–12 मई, 2014	336607338 15771699	5 13	16830367 2050321	16033682 1814443	1032563	3097689	4130252
11	सीटीओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स रेड्डी लैब 23531301511 सीएस00000000179451 वैट	2012–13 जनवरी 2015	377562646 27287547	5 13	18878132 3547381	21118449	1307064	3921192	5228256
12	सीटीओ सर्किल V भोपाल	मेसर्स मोबिलिटी लिमिटेड 23554004793 सीएस000000250889 वैट	2012–13 फरवरी 2015	565732519	13	73545227	65084272	8460955	25382865	33843820
13	सीटीओ सर्किल V भोपाल	मेसर्स एयर प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड 23319010294 सीएस000000250865 वैट	2012–13 फरवरी 2015	552739849 198886944	5 13	27636992 25855303	26320945 22880799	4290551	12871653	17162204
			योग	**7323200293**		**751903176**	**674275866**	**77627310**	**232881930**	**310509240**

परिशिष्ट –V

कंडिका क्रमांक 2.2.14 के सन्दर्भ में

विक्रय को गलत तरीके से कर मुक्त मान्य करने से टैक्स का अनारोपण

(राशि ₹ में)

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	वस्तु का नाम	कर की दर/ अनुसूची की एंट्री नंबर	टर्नओवर	अनारोपित कर	शास्ति की राशि	कुल
1	सीटीओ सर्किल IX इंदौर	मेसर्स कोठारी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर 23670905189 347/12 वैट	2011–12 मई, 2013	एग्रीकल्चर पाइप्स	5 प्रतिशत II/II/64	27480344	1374017	4122051	5496068
2	डीसीसीटी रतलाम	मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 23953404531 सी.एस.00000029433 वैट	2011–12 जून 2013	स्प्रिंकलर पाइप एंड फिटिंग्स	5 प्रतिशत II/II/64	7331309	366565	0	366565
3	डीसीसीटी रतलाम	मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 23953404531 सी.एस.00000029434 वैट	2010–11 जून 2013	स्प्रिंकलर पाइप एंड फिटिंग्स	5 प्रतिशत II/II/64	15265294	763265	0	763265
4	सीटीओ सर्किल मंडीदीप	मेसर्स मित्तल फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 23374105384 189/2012 वैट	2011–12 जून 2013	टोमेटो सॉस	5 प्रतिशत II/II/108	4033499	201675	0	201675
4	सीटीओ सर्किल XII इंदौर	मेसर्स ग्लोबल इजी वाटर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड /23671203658/209/11 वैट	2010–11 अप्रैल 2013	ड्रिप इरीगेशन पाइप	5 प्रतिशत II/II/64	40100227	2005011	6015033	8020044
6	सीटीओ सर्किल XI इंदौर	मेसर्स वीएसएन इंजीनियरिंग ण 23311104625 सी.एस.000000291149 वैट	2012–13 मार्च 2015	वैनटीलेटर	13 प्रतिशत II/IV/1	2313437	300747	902241	1202988
7	सीटीओ सर्किल मंडीदीप	मेसर्स जय श्री कृष्ण ट्रेडर्स डोरी 23279059477 326/13 वैट	2012–13 फरबरी 2015	पेस्टिसाइड	5 प्रतिशत II/II/24	2901108	145055	435165	580220
8	सीटीओ सर्किल देवास	मेसर्स त्यागी किसान सेवा केंद्र 23749000163 सी.एस.000000144718 वैट	2011–12 जून 2014	ड्रिप इरीगेशन पाइप	5 प्रतिशत II/II/64	5882929	294146	882438	1176584
9	सीटीओ सर्किल V भोपाल	मेसर्स रूचि सिक्यूरिटी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड 23764006473 99/12 वैट	2011–12 जून 2014	आंसर बुक्स ओएमआर शीटस और बार कोड	5 प्रतिशत II/II/33	2094475	104724	314172	418896
योग						**107402622**	**5555205**	**12671100**	**18226305**

परिशिष्ट–VI
(कंडिका 2.2.15.1 के सन्दर्भ में)
सत्यापित क्रय के विपरीत आगत कर रिबेट का अनियमित भुगतान

(राशि ₹ में)

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट की दावा की गयी राशि/ स्वीक्रत राशि	डीलर रिकाड्र्स के अनुसार स्वीकार्य आगत कर रिबेट	आपति ली गयी आगत कर रिबेट की राशि	शास्ति की राशि	आगत कर रिबेट की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि	लेखा परीक्षा आपति
1	सर्किल–IX इंदौर	मेसर्स कुमार इंटरप्राइजेज 23240900042 04/12 वैट	2011–12 मई–2013	2275661	2210665	64996	194988	259984	अंकेक्षित खाते में सताप्यित क्रय के अतिरिक्त क्रय पर आगत कर रिबेट का स्वीक्रत किया जाना.
2	सर्किल–IX इंदौर	मेसर्स गाँधी हार्डवेयर स्टोर्स 23480903596/93/ 2011	2011–12 मई–2013	3127938	3121108	6830	20490	27320	
3	सीटीओ रतलाम	मेसर्स जयकिशन फ़रटीलाईजर 23933401147 158/11 वैट	2011–12 जनवरी 2014	1009032	989770	19262	57786	77048	
4	डीसीसीटी–II भोपाल	क्रोम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड ट्रांसफार्मर डिवीज़न 23644104120 11/11;वैट	2010–11 जून–2013	39949984	39595055	354929	1064787	1419716	
				11469	0	11469	34407	45876	जॉब वर्क पर दिए गए आगत कर रिबेट के डिटेल्स बीजकों पर नही पाए गए
5	सीटीओ वैढन	आर के इंटरप्राइजेज सिंगरौली 23047306032	2010–11 जनवरी 2013	260179	225817	34362	103086	137448	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
6	सी टी ओ सर्किल–I ग्वालियर	मेसर्स सिकरवार सीमेंट एजेंसी 23615204359 516/2013 वैट	2012–13 मार्च 2015	2468936	0	2468936	0	2468936	क्रय सूची संलग्न नहीं पाई गयी. ट्रेडिंग अकाउंट में सत्यापित कुल क्रय ₹ 21060750 के विरुद्ध राशि ₹ 21460750 पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
7	सीटीओ सर्किल–I ग्वालियर	मेसर्स श्री हरी ट्रेडिंग कम्पनी 23469036469 416/2013 वैट	2012–13 मार्च 2015	4236336	4211386	24950	*74850*	99800	डीलर के ऑडिटेड अकाउंट के अनुसार रेट डिफरेंस के रूप में राशि ₹ 191927 की प्राप्ति हुई जिसपर आगत कर का रेवेर्सल नहीं किया गया.
8	सीटीओ सर्किल–I ग्वालियर	मेसर्स एमराल्ड इंडस्ट्रीज लश्कर ग्वालियर 23225104615 /384/2012	2011–12 जुलाई 2014	1145382	1012420	132962	0	132962	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
9	सीटीओ	मेसर्स दीपक ट्रेडर्स लश्कर 23765104997	2012–13 अगस्त 2014	2590520	2472263	118257	0	118257	अंकेक्षित खाते के अनुसार 13 प्रतिशत का क्रय

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट की दावा की गयी राशि/ स्वीक्रत राशि	डीलर रिकाड्र्स के अनुसार स्वीकार्य आगत कर रिबेट	आपति ली गयी आगत कर रिबेट की राशि	शास्ति की राशि	आगत कर रिबेट की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि	लेखा परीक्षा आपति
	सर्किल–I ग्वालियर	08/2013ट।ज							₹ 18448857 एवं 5 प्रतिशत का क्रय ₹ 82425870 के विपरीत ₹ 19927079 पर 13 प्रतिशत की दर से एवं ₹ 80974648 पर 5 प्रतिशत की दर से आगत कर रिबेट की स्वीकृत किया गया.
10	सीटी ओ सर्किल I सतना	मेसर्स आर एम सर्विसेज 23587103296 153/13 वैट	2012–13 जनवरी 2015	98302969	97095945	1207024	3621072	4828096	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
11	सीटी ओ सर्किल I भोपाल	मेसर्स दीपक वाच एंड रेडियो 23963601290 16/11 वैट	2010–11 मई 2013	3163209	3055406	107803	323409	431212	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय राशि ₹ 23503122 के विपरीत राशि रु 24332378 पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
12	डीसीसीटी सतना	मेसर्स नार्थन कोल फील्ड लिमिटेड अम्लोही 23657300604 सी.एस.000000080260 ;वैटद्ध	2011–12 दिसम्बर 2013	49256423	46935850	2320573	6961719	9282292	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
13	डीसीसीटी सतना	मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 23657306036 20/2012 वैट	2011–12 जून 2014	21711962	0	21711962	0	21711962	
14	सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स एवेरेस्ट टायर्स 23831100071 9/12 वैट	2011–12 नवम्बरए 2014	14603016	14322078	280938	842814	1123752	
15	सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स एवेरेस्ट टायर्स 23831100071 12/13 वैट	2012–13 नवम्बर 2014	17742269	17425916	316353	949059	1265412	
16	सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स इंदौर स्टील एंड आयरन लिमिटेड 23721100083 251/12 वैट पुनः कर्निर्धारण	2010–11 सितम्बर 2013	12580892	9300562	3280330	9840990	13121320	फुरनंस आयल की क्रय राशि ₹ 25233310 अंकेक्षित खाते में सत्यापित नहीं है अतःइस राशि पर आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति.
17	सर्किल–X इंदौर	मेसर्स डिजाईन वर्ल्ड 23251004166 सी.एस.000000291653	2012–13 दिसम्बर 2014	1297409	1259311	38098	114294	152392	अंकेक्षित खाते के अनुसार डीलर द्वारा रेट डिफरेंस के रूप में राशि ₹ 647119 की प्राप्ति हुई जिसमे से राशि ₹ 293063 की क्रय राज्य के भीतर की थी जिसपर आगत कर का रेवर्सल नहीं किया गया.

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट की दावा की गयी राशि/ स्वीक्रत राशि	डीलर रिकाड्र्स के अनुसार स्वीकार्य आगत कर रिबेट	आपति ली गयी आगत कर रिबेट की राशि	शास्ति की राशि	आगत कर रिबेट की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि	लेखा परीक्षा आपति
18	सीटीओ सर्किल–I उज्जैन	मेसर्स सत्यम सेनेटरी एंड हार्डवेयर स्टोर 23912602072 सी.एस.000000097648/2013 वैट	2011–12 जुलाई 2014	157473	104892	52581	0	52581	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
19	सी टी ओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स वीवा कंप्यूटरस 23491303279 246/13 वैट	2012–13 फरबरी 2015	30039875	29685762	354113	0	354113	अंकेक्षित खाते के अनुसार सकल क्रय कर सहित राशि ₹ 150868988 सत्यापित है जबकि राशि ₹ 152564634 पर आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया अतः अंतर राशि पर अधिक आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
20	सी टी ओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स एक्स एक्ट रोड इक्विपमेंट 23701302533 सी.एस.0000000196257 वैट	2012–13 मार्च 2015	417136	400885	16251	48753	65004	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
21	सीटीओ सर्किल मंडीदीप	मेसर्स बालाजी प्रोडक्शन 23149064049 655/13 वैट	2012–13 दिसम्बर 2014	446271	366277	79994	0	79994	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
22	सी टी ओ सर्किल II ग्वालियर	मेसर्स करन स्टूम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर 23115206671 सी.एस.000000156039 वैट	2011–12 जुलाई 2014	2124872	877116	1247756	3743268	4991024	भंडार क्रय पैकिंग मटेरियल एवं फिक्स्ड अस्सेस्स्ट्स पर अधिक आगत कर रिबेट की स्वीकृति. आगत कर रिबेट ₹ 877116 के स्थान पर ₹ 2124872 के आगत कर की स्वीकृति होने से राशि ₹ 1247756 का अधिक आगत कर का स्वीक्रत किया जाना.
23	सी टी ओ सर्किल V भोपाल	मेसर्स अजय पेंट्स भोपाल 23394006142 97/12 वैट सी.एस.00000137859	2011–12 जून 2014	2318570	2249862	68708	206124	274832	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
24	सी टी ओ सर्किल सेंधवा	मेसर्स जैसवाल इलेक्ट्रिक एंड जनरल स्टोर्स 23962100312 199/13 वैट	2012–13 जनबरी 2015	13005108	12578986	426122	0	426122	
25	डीसी टैक्स ऑडिट विंग–I इंदौर	मेसर्स मुकेश रेडियोज 23500701049 146/13	2012–13 अक्टूबर 2014	4581849	4407374	174475	0	174475	
26	डीसी टैक्स	मेसर्स ए–वन रेडियोज 23290500714	2011–12 मार्च 2014	6241599	6115609	125990	377970	503960	
				248963	0	248963	0	248963	पूर्व वर्ष से लाये गए आगत कर रिबेट का कोई

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट की दावा की गयी राशि/ स्वीक्रत राशि	डीलर रिकाड्र्स के अनुसार स्वीकार्य आगत कर रिबेट	आपति ली गयी आगत कर रिबेट की राशि	शास्ति की राशि	आगत कर रिबेट की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि	लेखा परीक्षा आपति
	ऑडिट विंग–I इंदौर	754/2011–12							साक्ष्य नहीं पाया गया.
27	डीसी टैक्स ऑडिट विंग–I इंदौर	मेसर्स नीओ ऑटोमोबाइल 23581424643 2222/11	2010–11 नवम्बर 2011	3643517	3580738	62779	0	62779	अंकेक्षित खाते में सत्यापित क्रय के परे क्रय पर आगत कर रिबेट की स्वीकृति.
28	सीटीओ XII इंदौर	आर आर टायर्स इंदौर /23751204002/422/2011 वैट	सितम्बर 2013	6359800	6279000	80800	242400	323200	प्रवेश कर की राशि ₹ 621542 पर 13 प्रतिशत की दर से आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
29	सीटीओ सर्किल मंडीदीप	मेसर्स महावीर गैस एजेंसी 23529002513 97/134 वैट	2012–13 जनवरी 2015	4331249	4248417	82832	0	82832	प्रवेश कर की राशि ₹ 627169 पर आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
30	सीटीओ सर्किल XII इंदौर	मेसर्स टायर तुबेस यू पी इंदौर 23221201723 351/2011 वैट	2010–11 सितम्बर 2013	2117501	2075981	41520	124560	166080	प्रवेश कर की राशि पर आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
31	सीटीओ सर्किल–I भोपाल	मेसर्स डी के कंसट्रकशन 23913603015 63/11 वैट	2010–11 मई 2013	93406	0	93406	280218	373624	पूर्व वर्ष के क्रय पर इस वर्ष आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
32	सीटीओ सर्किल–I भोपाल	मेसर्स टाटा कैपिटल लिमिटेड 23333600341 128/11 वैट	2010–11 सितम्बर 2013	196824	0	196824	590472	787296	पूर्व वर्ष के क्रय पर इस वर्ष आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
33	डी सी टैक्स ऑडिट भोपाल	2/11 ट ा ज मेसर्स एन आर कंस्ट्रक्शन भोपाल 23423607019 2/11 वैट	2010–11 जुलाई 2012	8052240	7700815	351425	1054275	1405700	पूर्व वर्ष के क्रय पर इस वर्ष आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
34	सर्किल–IX इंदौर	मेसर्स वर्धमान इंटरप्राइजेज /23020901327/ सी.एस. 0000003454	2011–12 अप्रैल 2013	1045053	857558	187495	0	187495	वर्ष 2009.10 से कैरी फॉरवर्ड आगत कर रिबेट का 2011–12 में अनियमित रूप से समायोजन के कारण अधिक भुगतान.
				361154892	**324762824**	**36392068**	**30871791**	**67263859**	
35	सी टी ओ सर्किल XI	मेसर्स नॉटी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड 23151104131 262/12 वैट	2011–12 जुलाई 2014	724114	0	724114	0	724114	दावा किये गया आगत कर रिबेट से सम्बन्धित क्रय सूची, बीजक अंकेक्षित खाते आदि प्रकरण के साथ संलग्न नहीं पाए गए.

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट की दावा की गयी राशि/ स्वीक्रत राशि	डीलर रिकाड्र्स के अनुसार स्वीकार्य आगत कर रिबेट	आपति ली गयी आगत कर रिबेट की राशि	शास्ति की राशि	आगत कर रिबेट की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि	लेखा परीक्षा आपति
	इंदौर								
36	सी टी ओ सर्किल XI इंदौर	मेसर्स चन्द्र प्रोतेको लिमिटेड 23419074207 264/13	2012–13 नवम्बर 2014	68158	0	68158	204474	272632	दावा किये गया आगत कर रिबेट से सम्बन्धित क्रय सूची, बीजक अंकेक्षित खाते आदि प्रकरण के साथ संलग्न नहीं पाए गए.
37	डी सी टैक्स ऑडिट भोपाल	ओ पी गुप्ता कांट्रेक्टर 23343805525 सी.एस.000002291	2010–11 जून–2013	520578	262746	257832	773496	1031328	क्रय सूची के अनुसार जय नारायण इंटरप्राइजेज ग्वालियर से क्रय पर आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया जबकि क्रय सूची में कई टिन नंबर अंकित पाए गए.
38	सर्किल IX इंदौर	मेसर्स चड्डा टायर्स इंदौर 23560900254 13/2012 वैट	2011–12 मार्च 2014	16287047	15294310	992737	0	992737	विक्रेता व्यवसायी द्वारा डिस्काउंट के तारतम्य में आगत कर रिबेट का सत्यापन नहीं किया गया.
39	सी टी ओ सर्किल I रतलाम	मेसर्स स्काई टेक्नोलॉजी 23973404908 33/11 वैट	2010–11 सितम्बर 2013	18081	0	18081	54243	72324	दावा किये गया आगत कर रिबेट से सम्बन्धित क्रय सूची, बीजक अंकेक्षित खाते आदि प्रकरण के साथ संलग्न नहीं पाए गए.
40	सी टी ओ सर्किल I रतलाम	बुरहानी ग्लासेज 23943403421 428/11	2010–11 सितम्बर 2013	65920	0	65920	197760	263680	दावा किये गया आगत कर रिबेट से सम्बन्धित क्रय सूची, बीजक अंकेक्षित खाते आदि प्रकरण के साथ संलग्न नहीं पाए गए.
41	सी टी ओ सर्किल वैढन	देल्ही मशीनरी स्टोर्स 23987300083	2010–11 जनवरीए 2013	392272	0	392272	0	392272	दावा किये गया आगत कर रिबेट से सम्बन्धित क्रय सूची, बीजक अंकेक्षित खाते आदि प्रकरण के साथ संलग्न नहीं पाए गए.
42	सी टी ओ सर्किल वैढन	सिंगरौली ट्रेडिंग कारपोरेशन 23707300819	2010–11 जनवरीए 2013	1997201	0	1997201	0	1997201	
43	सी टी ओ सर्किल वैढन	शर्मा बैटरी वर्क्स 23597301316	2010–11 मई ए 2013	680820	0	680820	0	680820	
44	सी टी ओ सर्किल वैढन	आर्यन एसोसिएट्स 23287304736	2010–11 जनवरीए 2013	415845	0	415845	0	415845	
45	सी टी ओ सर्किल वैढन	डिजिटल इंटरप्राइजेज 23847305731	2010–11 जनवरीए 2013	171818	0	171818	0	171818	
46	सी टी ओ	वेअवेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड	2010.11	104524	0	104524	0	104524	

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट की दावा की गयी राशि/ स्वीक्रत राशि	डीलर रिकाड्र्स के अनुसार स्वीकार्य आगत कर रिबेट	आपति ली गयी आगत कर रिबेट की राशि	शास्ति की राशि	आगत कर रिबेट की प्रस्तावित अतिरिक्त मांग की राशि	लेखा परीक्षा आपति
	सर्किल वैढन	23927305742	जनवरीए 2013						
47	सी टी ओ सर्किल वैढन	वरेली टेचनेक प्राइवेट लिमिटेड 23287305706	2010–11 दिसम्बर 2013	87851	0	87851	0	87851	
48	सी टी ओ सर्किल वैढन	श्री राम किरण देवसर 23957305386	2010–11 जूनए 2013	158284	0	158284	0	158284	
49	सी टी ओ सर्किल वैढन	राज इलेक्ट्रॉनिक्स 23627306198	2010–11 जनवरी 2013	231262	0	231262	0	231262	
50	सी टी ओ सर्किल वैढन	जय भवानी इंटरप्राइजेज 23347305770	2010–11 मईए 2013	132971	0	132971	0	132971	
51	सी टी ओ सर्किल–I ग्वालियर	मेसर्स सिकरवार एजेंसी 23825208657 514/2013 वैट	2012–13 मार्च 2015	2779423	0	2779423	0	2779423	दावा किये गया आगत कर रिबेट से सम्बन्धित क्रय सूची, बीजक अंकेक्षित खाते आदि प्रकरण के साथ संलग्न नहीं पाए गए.
52	सर्किल X इंदौर	मेसर्स सुदर्शन मार्केटिंग 23719023231 सी.एस.00000000218586 वैट	2012–13 अगस्त 2014	8258308	7962762	295546	0	295546	क्रेडिट नोट में वैट की राशि प्रथक से दिखाई गयी फिर भी डीलर द्वारा पूरी राशि पर आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया.
53	सीटीओ सर्किल–II ग्वालियर	मेसर्स सिकरवार सीमेंट एजेंसी ग्वालियर 23615204359 1036/12 वैट	2011–12 जुलाई 2014	2340393	0	2340393	0	2340393	आगत कर रिबेट से सम्बन्धित क्रय सूची प्रकरण के साथ संलग्न नहीं पाए गए.
54	डीसीसीटी 1 भोपाल	मेसर्स शेपेर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भोपाल 23883600655 37/11 वैट	2010–11 सितम्बर 2013	1673845	0	1673845	0	1673845	उन वस्तुओ पर आगत कर रिबेट स्वीक्रत किया गया जो वर्क पर प्रतक्ष्य रूप से भारित नहीं थे.
				37108715	**23519818**	**13588897**	**1229973**	**14818870**	
		कुल योग		**398263607**	**348282642**	**49980965**	**32101764**	**82082729**	

परिशिष्ट–VII

(कंडिका 2.2.15.3 के सन्दर्भ में)

राज्य से बाहर स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने की स्थिति में आगत कर का कम रिवेर्सल या रिवेर्सल न किये जाना

(राशि ₹ में)

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट के रेवेर्सल की राशि	आगत कर रिबेट के रेवेर्सल योग्य राशि	आगत कर रिबेट की अतिरिक्त मांग	सेक्शन 21 के अनुसार शास्ति की राशि (₹)	कुल अतिरिक्त मांग	लेखा परीक्षा आपत्ति
1	डी सी सी टी सतना	नोर्थन कोलफील्ड निगाही प्रोजेक्ट 23507300638 25/2012 वैट	2011–12 मार्च 2014	0	39707	39707	119121	158828	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
2	सी टी ओ सर्किल–XI इंदौर	मेसर्स सॉफ्ट मेदिकैप्स लिमिटेड 23911104683 273/12 वैट	2011–12 जुलाई 2014	0	81927	81927	245781	327708	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
3	सी टी ओ–III भोपाल	मेसर्स परस किराना स्टोर्स भोपाल 23673805295 सी.एस.0000000197325 वैट	2012–13 अक्टूबर 2014	0	179272	179272	537816	717088	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
4	सी टी ओ–III भोपाल	मेसर्स परस किराना स्टोर्स भोपाल 23673805295 सी.एस.000000089619 वैट	2011–12 मई, 2014	0	44141	44141	132424	176565	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
5	सी टी ओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 23249049780 459/12 **वैट**	2012–13 फरबरी 2015	0	20312	20312	60936	81248	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
6	सी टी ओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स श्री बालाजी इंडस्ट्रीज 23941303080 **सी.एस.**000000121819 वैट 2012	2011–12 जून 2014	0	259667	259667	779001	1038668	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल एवं टैक्स फ्री वस्तु का निर्माण किया जाना.
7	सीटीओ सर्किल XIII इंदौर	मेसर्स रवि होम्स इंडस्ट्रीज 23931300321 **सी.एस.**000000120470 वैट	2011–12 जून 2014	0	60698	60698	182094	242792	अन्ताराजीय टैक्स फ्री विक्रय में उपयोग हुए पैकेजिंग मटेरियल में आगत कर रिबेट का नॉन रेवेर्सल.
8	सी टी ओ–III भोपाल	मेसर्स परस किराना स्टोर्स भोपाल 23673805295 सी.एस.000000089619 वैट	2011–12 जून 2014	0	88029	88029	264087	352116	विक्रय के अलावा स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल
9	सी टी ओ सर्किल सेंधवा	मेसर्स पंजाब आटो सर्विस 23022101023 214/2013	2012–13 फरबरी 2015	0	31395	31395	0	31395	विक्रय के अलावा स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल

स क्र	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन नंबर, प्रकरण क्रमांक	अवधि/निर्धारण का दिनांक	आगत कर रिबेट रेवेर्सल की राशि	आगत कर रिबेट के रेवेर्सल योग्य राशि	आगत कर रिबेट की अतिरिक्त मांग	सेक्शन 21 के अनुसार शास्ति की राशि (₹)	कुल अतिरिक्त मांग	लेखा परीक्षा आपत्ति
10	सी टी ओ सर्किल सेंधवा	मेसर्स तिरुपति फ्यूल्स 23859011889 425/2013	2012–13 फरबरी 2015	0	15067	15067	0	15067	विक्रय के अलावा स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल
11	सी टी ओ सर्किल सेंधवा	मेसर्स आरती ऑटो सेंटर 23769007824 361/2013	2012–13 फरबरी 2015	0	42755	42755	0	42755	विक्रय के अलावा स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
				0	**862970**	**862970**	**2321260**	**3184230**	
12	डी सी सी टी रतलाम	किसान इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 23481604518 सी.एस.000000029021 वैट	2010–11 अप्रैल 2013	919406	981406	62000	0	62000	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
13	डी सी सी टी रतलाम	हिम् टेक्नो फोर्ज लिमिटेड 23961601926 159/वैट	2010–11 सितम्बर 2013	454150	1929311	1475161	0	1475161	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
14	डी सी सी टी रतलाम	मेसर्स वीनस अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड मंदसौर 23323101995 सी.एस.00000054395	2011–12 मई, 2013	424958	484861	59903	0	59903	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
15	सी टी ओ VII इंदौर	सुमी टोमो चेमिकाल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 23441304422 389/11	2010–11 जुलाई 2013	0	92326	92326	0	92326	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
16	सी टी ओ सर्किल–I भोपाल	मेसर्स आदित्य फूड प्रोडक्ट भोपाल 23643605928 सी.एस.00000035971 289/11/वैट	2010–11 अप्रैल 2013	86633	211893	125260	0	125260	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
17	डी सी सी टी दृII जबलपुर	मेसर्स केलदेर्यस इंडिया रिफेक्ट्रीज लिमिटेड 23846206388 19/11 वैट	2010–11 सितम्बर 2013	924927	1238568	313641	940923	1254564	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
18	सी टी ओ सर्किल X इंदौर	मेसर्स यू वी रेसिन प्राइवेट लिमिटेड 23111004243 882/12 वैट	2011–12 जुलाई 2014	8934	19886	10952	0	10952	स्टॉक स्थानान्तरित किये जाने के अनुपात में आगत कर का कम रेवेर्सल.
			योग	**2819008**	**4958251**	**2139243**	**940923**	**3080166**	
			सकल योग	**2819008**	**5821221**	**3002213**	**3262183**	**6264396**	

परिशिष्ट– VIII
(कंडिका 2.2.15.4 के संदर्भ में)
लोह एवं इस्पात और खाद्य तेलों पर आई.टी.आर. का प्रमाणीकरण नहीं होना

(राशि ` में)

क्र. सं.	इकाई का विस्तार	डीलर का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	वस्तु का नाम	अवधि/कर निर्धारण का माह	आगत कर रिबेट की राशि दावा/स्वीकृत	आगत कर रिबेट आपत्ति की राशि
1	उप आयुक्त टैक्स ऑडिट विंग भोपाल	मेसर्स मक़सूद स्टील 23153704216	लोहा एवं इस्पात	2010–11	740562	740562
2	उप आयुक्त टैक्स ऑडिट विंग भोपाल	मेसर्स स्टील सेंटर 23633601132 सी.एस. 0000000038816	लोहा एवं इस्पात	2010–11 अप्रैल 2013	961727	961727
3	उप आयुक्त टैक्स ऑडिट विंग भोपाल	मेसर्स गुप्ता स्टील्स 23583703834/उपलब्ध नहीं	लोहा एवं इस्पात	2010–11	47832	47832
4	उप आयुक्त टैक्स ऑडिट विंग भोपाल	मेसर्स लक्ष्मी स्टील्स 23773802718 4/वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11	875507	875507
5	उप आयुक्त टैक्स ऑडिट विंग भोपाल	मेसर्स मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन 2356360024990	लोहा एवं इस्पात	2011 जुलाई 2013	1397478	1397478
6	उप आयुक्त टैक्स ऑडिट विंग भोपाल	मेसर्स मोहम्मदी एजेंसी 23584004437 /50/29–9.13/वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11 सितम्बर 2013	1895330	1895330
7	आर ऐ सी II सागर	मेसर्स आनंद स्टील 23127401630 /12/11वैट	लोहा एवं इस्पात	2010-जून 2013	4247317	4247317
8	आर ऐ सी II सागर	मेसर्स अमित इस्पात 23777801834 /203/11 वैट	लोहा एवं इस्पात का स्क्रैप	2010–11 जनवरी 2013	2397097	2397097
9	वा.क.का. IX इंदौर	मेसर्स भाटिया मोटर स्टोर्स सी.एस.000000001690	स्टील रिंग्स	2011–12 मई 2013	680831	680831
10	उपायुक्त वाणिज्य कर रतलाम	मेसर्स कटारिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 23953404531 /सी.एस 00000029434 (वैट)	लोहा एवं इस्पात	2010–11 जून 2013	60414994	60414994
11	उपायुक्त वाणिज्य कर रतलाम	मेसर्स वीनस अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड मंदसौर 23323101995 /सी एस 00000054395	लोहा एवं इस्पात	2011–12 मई 2013	870810	870810
12	उपायुक्त वाणिज्य कर रतलाम	जे.के फाइल्स लिमिटेड 23811605161 /179/11 (वैट)	लोहा एवं इस्पात	2010–11 अगस्त 2013	5084392	5084392
13	वा.क.का. I रतलाम	मेसर्स नाकोडा ट्रेडर्स 23333404387/430/2011 (वैट)	लोहा एवं इस्पात	2010–11 अगस्त 2013	1322421	1322421
14	वा.क.का. I रतलाम	मंगलम स्टील 23933404251/408/11 (वैट)	लोहा एवं इस्पात	2010–11 अगस्त 2013	168373	168373
15	वा.क.का. VII इंदौर	मेसर्स पी वायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 23240702550/274/12(वैट)	लोहा एवं इस्पात	2011–12 दिसम्बर 2013	860797	860797
16	उपायुक्त वाणिज्य कर I इंदौर	राम दर्शन मिल्स 23511500178/ 269/10 (वैट)	लोहा एवं इस्पात	2009–10 जून 2012	3192039	3192039
17	उपायुक्त वाणिज्य कर I इंदौर	मेसर्स सीमा आयल ट्रेडर्स इंदौर 23441502205 /263/10 (वैट)	खाद्य तेल	2009–10 जून 2012	5791822	5791822
18	सहायक आयुक्त वा.क.II भोपाल	मेसर्स सेवा राम सदोरामल 23074200027/4/12 (वैट)	खाद्य तेल	2011–12 दिसम्बर 2013	1465399	1465399

Ś Ń Ň ╡.	इकाई का विस्तार	डीलर का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	वस्तु का नाम	अवधि/कर निर्धारण का माह	आगत कर रिबेट की राशि दावा/स्वीकृत	आगत कर रिबेट आपत्ति की राशि
19	व.क.का. खरगोन	मेसर्स सुपर स्टील 23932106973/ सी.एस. 000000004564/वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11 सितम्बर 2013	843088	843088
20	उपायुक्त वाणिज्य कर II भोपाल	मेसर्स सतरंग स्टील एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड मंडीदीप 23794104571	लोहा एवं इस्पात	2010–11 जनवरी 2014	9034146	9034146
21	व.क.का वृत XIV	मेसर्स के नरेन्द्र एंड कम्पनी 23371403837 / सी.एस. 00000058726	लोहा एवं इस्पात	2010–11 जून 2013	2954587	2954587
22	व.क.का वृत XIV	आर.आर.स्टील 23841403433 / 385/12 वैट	लोहा एवं इस्पात	2011–12 अक्टूबर 2013	3521018	3521018
23	व.क.का वृत XIV	जे.एम्.डी.ऑयल्स 23521404482/385/12 वैट	खाद्य तेल	2010–11 मई 2013	4920532	4920532
24	व.क.का वृत XIV	परेश स्टील इंदौर 23481400527 /68/12वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11 फ़रवरी 2014	7173966	7173966
25	उपायुक्त वाणिज्य कर I भोपाल	संजय स्टील्स 23873604977 / 84/11 वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11/ 09/2013	8109726	8109726
26	उपायुक्त वाणिज्य कर I भोपाल	बेतुल ऑयल्स एंड फ्लोर्स लिमिटेड 23864003507/84/11 वैट	खाद्य तेल	2010–11/ 09/2013	9074000	9074000
27	उपायुक्त वाणिज्य कर I भोपाल	दिव्या स्टील्स 23984001695 / 84/11 वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11/ 09/2013	8690106	8690106
28	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स डी.के कंस्ट्रक्शन 23913603015 / 63/11 वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11/ 05/2013	693993	693993
29	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स एग्रो एनर्जी 23323601060 /81/11वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11 अगस्त 2013	240368	240368
30	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स साक्षी इंटरप्राइजेज 23693605076 /287/11 वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11 जुलाई 2013	651017	651017
31	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स राजधानी स्टील्स ज्प्छ 2873601000 /66/11	लोहा एवं इस्पात	2010–11 जुलाई 2013	2593870	2593870
32	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स लेज़र कट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 23503605811 /161/11	लोहा एवं इस्पात	2011 जून 2013	1311372	1311372
33	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स भोपाल इंजीनियरिंग 23403600434 /219/11 वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11/ 09/2013	712382	712382
34	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स संजय इंडस्ट्रियल स्टील भोपाल 23933606593 /92/11 वैट	लोहा एवं इस्पात	2010–11/ 09/2013	6409034	6409034
35	व.क.का वृत XI इंदौर	मेसर्स बलदेव स्टील्स इंदौर 23741100169 /सी.एस 000000131813	लोहा एवं इस्पात	2011–12/ 07/2014	795060	795060
36	व.क.का वृत XI इंदौर	मेसर्स नोवा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 23581105107 /बै00000082896	लोहा एवं इस्पात	2011–12/ 07/2014	576210	576210
37	व.क.का वृत XI इंदौर	मेसर्स मुस्कान मार्केटिंग 23171104508 /सी.एस 00000082964	लोहा एवं इस्पात	2011–12/ 07/2014	608010	608010
38	व.क.का वृत III भोपाल	मेसर्स ओम ट्रेडर्स बैरागढ़ 23683803495 /सी.एस	लोहा एवं इस्पात	2011–12	1833853	1833853

ŚŃ Ň ╡.	इकाई का विस्तार	डीलर का नाम, टिन, प्रकरण क्रमांक	वस्तु का नाम	अवधि/कर निर्धारण का माह	आगत कर रिबेट की राशि दावा/स्वीकृत	आगत कर रिबेट आपत्ति की राशि
		000000003025				
38	व.क.का वृत III भोपाल	मेसर्स मॉडर्न स्टील ट्रेडर्स 23123801863 /सी.एस 000000011595	लोहा एवं इस्पात	2011–12 मई 2014	1440190	1440190
39	व.क.का वृत III भोपाल	मेसर्स वसुमल संतुमल 23953800873 /सी.एस 000000124086	खाद्य तेल	2012–13 दिसम्बर 2014	1074862	1074862
40	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स श्री बालाजी एसोसिएट 23224405633 /105/13 वैट	लोहा एवं इस्पात	2012–13 फ़रवरी 2015	10392378	10392378
41	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स चंदुमल संमुखदास	खाद्य तेल	2012–13 फ़रवरी 2015	19107650	19107650
42	सहायक आयुक्त वा.क.I भोपाल	मेसर्स हकीम सेल्स कारपोरेशन भोपाल	लोहा एवं इस्पात	2011–12 जून 2014	5725023	5725023
43	सहायक आयुक्त वा.क.I भोपाल	मेसर्स द इंडिया सेल्स कारपोरेशन	लोहा एवं इस्पात	2011–12 जून 2014	6015654	6015654
44	सहायक आयुक्त वा.क.I भोपाल	मेसर्स फार्च्यून भोपाल 23383705108 /131/2013	खाद्य तेल	2012–13 जनवरी 2015	5239773	5239773
				कुल	**21,21,56,596**	**21,21,56,596**

परिशिष्ट–IX

(पैरा क्रमांक 2.2.17 से संन्दर्भित)

फार्मो के अभाव में एवं त्रूटिपूर्ण फार्मो के विरूद्ध रियायत/छूट प्रदान किया जाना

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	वस्तु का नाम	सकल आवर्त	कर की लागू दर (प्रतिशत में)	कर की लगाई गई दर (प्रतिशत में)	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
1	डी.सी. सी.टी. रतलाम	धनुष्का एक्सटेशन प्रा. लि. 23553203864 101/सी.एस.टी.	2012–13 मार्च 2014	खादय तेल	1668858	5	2	50065	0	50065	'सी' फार्म विधिवत निर्धारित ब्यौरे यथावस्तु का नाम, भाव खरीद का प्रयोजन, इत्यादि के साथ वही भरा।
2	डी.सी. सी.टी. रतलाम	किसान इरीगेशन एण्ड इनफ्राष्ट्रक्चर. 23481604518 सी.एस.000000029021 वैट	2010–11 अप्रैल 2013	पाईप एण्ड फीटिग्स	612605546	5	0	30630277	0	30630277	'सी' फार्म विधिवत निर्धारित ब्यौरे यथावस्तु का नाम, भाव खरीद का प्रयोजन, इत्यादि के साथ वही भरा।
3	डी.सी. सी.टी. रतलाम	हिमटेक्नो फोर्ग लिमिटेड 23961601926 159/वैट	2010–11 सितम्बर 2013	फोरजिंग्स	200113279	4	0	8004531	0	8004531	'एफ' फार्म में आवष्यक ब्यौरे नही भरे गये तथापि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये।
4	डी.सी. सी.टी. रतलाम	जे. के. फाइल लिमिटेड 23811605161 179/11 (वैट)	2010–11 अगस्त 2013	लौह एवं इस्पात	221786904	4	0	8871476	0	8871476	'एफ' फार्म में आवष्यक ब्यौरे नही भरे गये तथापि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये।
5	सी.टी.ओ. –1 रतलाम	मेसर्स जय मान टेक्सटाइल्स प्रा. लिमि. 23323400949 770/11 (वैट)	2010–11 अगस्त 2013	कॉटन बेलस	40025675	4	2	800514	2401542	3202056	अधुरे 'सी' फार्म स्वीकार किये गये जो TIN XYS से सत्यापित नही किए जा सके।
6	सी.टी.ओ. –7 इन्दौर	मेसर्स मैक्स फलेक्स अमेजिंग सिस्टम इन्दौर 2330104499 सी.एस. 0000003493	2010–11 सितम्बर 2013	फलैक्स प्रिंटिग स्याही	2748655	5	0	137433	0	137433	'एफ' फार्म में आवष्यक ब्यौरे नही भरे गये तथापि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये।
7	सी.टी.ओ. –7 इन्दौर	सुमी टोमो केमिकल्स इण्डिया प्रा. लिमिटेड 23441304422 389/11	2010–11 जुलाई 2013	एग्रो केमिकल्स	8185583	5	0	409279	0	409279	'एफ' फार्म में आवष्यक ब्यौरे नही भरे गये तथापि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये गये।
8	डी.सी.सी. टी.–1 इन्दौर	अम्बिका सोलवेक्स 23871404348 सी.एस. 0000000532	2010–11 सितम्बर 2013	तेल	513556012	4	0	20542240	0	20542240	'सी' एवं 'एफ' फार्म अधुरे थे साथ ही फार्म 49 (बाहर वाले) के अभाव में स्थानांतरित स्टॉक का सत्यापन नही किया जा सका। (अधिसूचना क्. 53 दिं 24.04..2010)
					577847422	4	2	11556948	0	11556948	

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	वस्तु का नाम	सकल आवर्त	कर की लागू दर (प्रतिशत में)	कर की लगाई गई दर (प्रतिशत में)	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
9	डी.सी.सी.टी.–1 इन्दौर	मेसर्स एम.के. कोटेक्स 23251404097 सी.एस. 0000000648	2010–11 फरवरी 2013	कॉटन एवं कॉटन बीज	63133015	4	2	1262660	0	1262660	'सी' एवं 'एफ' फार्म अधुरे थे साथ ही फार्म 49 (बाहर वाले) के अभाव में स्थानांतरित स्टॉक का सत्यापन नही किया जा सका। (अधिसूचना क्र. 53 दिं 24.04..2010)
					37537153	4	0	1501486	0	1501486	राज्य के भीतर विक्रय को निर्यात माना गया (एच–फार्म से समर्थित)
					2279208102			**83766909**	**2401542**	**86168451**	
10	सी.टी.ओ.–9 इन्दौर	मेसर्स पेस टेल कम्युनिकेषन 23120905055 सी.एस.000000011065 सी.एस.टी.	2010–11 सितम्बर 2013	मोबाइल और टेलिफोन	2328740	13	5	186300	0	186300	'सी' फार्म नही पाए गए एवं 13 प्रतिषत के स्थान पर 5 प्रतिषत की गलत दर लगायी गयी।
11	सी.टी.ओ. सर्कल–2 ग्वालियर	मेसर्स यूनिपेच रबर लि. 23165202812 सी.एस. 00000093693 सी.एस.टी.	2011–12 जून 2014	रबर पेचस गोंद	93654719	13	0	12175113	0	12175113	'एफ' फार्म में बिल इनवाइस की राषि प्रदर्षित नही थी।
12	डी.सी. टैक्स ऑडिट विंग–1 इन्दौर	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्टीज लि. 23451101056 1607/2010-11	2010–11 अगस्त 2012	हाइडेटेड और केलसाइनड एलयुमिनियम	1952371	5	2	58571	175713	234284	'सी' फार्म संबंधित व्यवसायी से संबंध नही थे।
13	सर्कल–12 इन्दौर	मेसर्स इम्पैकस कर्मर्षियल. 23501204770 सी.एस.00000001820 सी.एस.टी.	2010–11 जून 2013	टी.एम.टी. बार	4705233	4	2	94105	282315	376420	9 'सी' फार्म की राषि रू. 1346312135 थी जबकि रिआयाती दर रू. 139336468 पर लगायी गयी।
14	सर्कल–12 इन्दौर	मेसर्स इम्पैकस कर्मर्षियल. 23501204770 सी.एस.00000001820 सी.एस.टी.	2010–11 जून 2013	टी.एम.टी. बार	5833845	4	2	116677	0	116677	'सी' फार्म क्र MH10/0401953 एवं MH12/A435406 पर बिल क्रमांक एवं दिनांक अंकित नही थी।
15	सी.टी.ओ. सर्कल–1 भोपाल	मेसर्स जैक्सन इन्टरप्राइजेज 23453606566 सी.एस.0000000970 वैट	2010–11 सितम्बर 2013	जनरेटिंग सेटस्	1018699	13	0	132431	0	132431	'एफ' फार्म अधुरे थे जैसे कि दिनांक एवं यात्रा का विवरण नही था।
16	डी.सी.सी.टी.–2	मेसर्स महाविर कोल रिसोर्सेज प्रा.लि.	2010–11 सितम्बर 2013	कोयला	143678744	4	2	2873575	8620725	11494300	'सी' फार्म आवष्यक ब्योरे दर्ज नही थे।

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	वस्तु का नाम	सकल आवर्त	कर की लागू दर (प्रतिशत में)	कर की लगाई गई दर (प्रतिशत में)	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
	ज्बलपुर	23787206297 / 2/11 सी. एस.टी.									
17	डी.सी.सी. टी. सतना	एस्सार पॉवर म.प्र. लि. सिंगरौली 23637305853 41/12 ई.टी.	2011–12 जून 2014	मषीनरी पार्टस	12697948	13	2	1396774	0	1396774	'सी' फार्म में प्रदर्षित इनवायस में दिनांक की अनुक्रम व अन्य ब्यौरे दर्ज नही थे।
18	डी.सी.टैक्स ऑडिट भोपाल	मे. गुलाटी इन्डस्टिस 23233601643 सी.एस.00000042030 सी. एस.टी.	2010–11 अप्रैल 2010	औद्योगिक पेन्ट	72774	13	2	8005	24015	32020	राशि रू. 72777 के 'सी' फार्म नही पाए गए।
19	सी.टी.ओ. खरगौन	मे. गुलषन टेडर्स 23572108141 सी.एस.000000059247 सी.एस.टी.	2010–11 मई 2010	मिर्ची	442466	5	2	13274	0	13274	राशि रू. 442466 के 'सी' फार्म प्रकरण में नही पाए गए।
20	सी.टी.ओ. सर्कल–9 इन्दौर	मे. फोर्स मल्टीपलाइस टेडर्स 23630900361 16/2012 सी.एस.टी.	2011–12 जनवरी 2014	मेबाइल और कम्प्युटर	6711295	13	2	738242	0	738242	राशि रू. 6711295 के 'सी' फार्म नही पाए गए।
21	डी.सी.सी. टी.–1 भोपाल	मे. डाइव इण्डिया इन्टरप्राइजेस सोल्यूषन 23223605092 25/2011 वैट	2010–11 सितम्बर 2013	मेबाइल हैण्ड सेट	9321237	13	0	1211761	0	1211761	प्रकरण के साथ 'एफ' फार्म नही होने के बाद भी कमी प्रदान की गयी।
22	सी.टी.ओ. सर्कल–1 ग्वालियर	मे. मुलचन्द माधोदास ग्वालियर 23115100844 477/2012 सी.एस.टी.	2011–12 जुलाई 2014	Tilli, tilhan	539281	5	2	16178	48534	64712	राशि रू. 539281 के 'सी' फार्म नही पाए गए।
23	सी.टी.ओ. सर्कल–11 इन्दौर	मे. आर.पी.जी. लाइफ साइंस लि. 23681104373 सी.एस. 0000000186212 सी.एस.टी.	2011–12 जुलाई 2014	डग और मेडिसीन	9996966	5	2	291173	0	291173	राशि रू. 9996969 के 'सी' फार्म नही पाए गए।
24	सी.टी.ओ. सर्कल–11 इन्दौर	मे. वालास फार्मासियूटिकलस प्रा. लि. 23521100696 सी.एस. 000000131837 वैट	2011–12 जुन 2014	डग और मेडिसीन	2112028	5	0	105601	0	105601	राशि रू. 2112028 के 'एफ' फार्म प्रकरण में नही पाए गए।

स.क्र.	इकाई का विवरण	व्यवसायी का नाम, टिन, प्र.क्र.	कर निर्धारण की अवधि/माह	वस्तु का नाम	सकल आवर्त	कर की लागू दर (प्रतिशत में)	कर की लगाई गई दर (प्रतिशत में)	कर की कम निर्धारित राषि	शास्ति की राषि	योग	लेखापरीक्षा विवेचना
25	सी.टी.ओ. सर्कल–11 इन्दौर	मे. कैडिला फार्मासियूटिकलस प्रा. लि. 23651101043 सी.एस. 000000103577 वैट	2011–12 जुलाई 2014	डग और मेडिसीन	4197970	5	0	209898	629694	839592	राशि रू. 2112028 के 'एफ' फार्म प्रकरण में नही पाए गए।
26	सी.टी.ओ. सर्कल–13 इन्दौर	मे. ओकाया पावर लि. 23951303608 सी.एस. 0000000184814 वैट	2012–13 फरवरी 2015	मोबाइल और बैटरी	344667	13	0	44807	0	44807	राशि रू. 344667 के 'एफ' फार्म प्रकरण में नही पाए गए।
27	सी.टी.ओ. सर्कल–2 ग्वालियर	मे. बी. एण्ड एम सन्स ग्वालियर 238745201426 437/12 सी.एस.टी.	2011–12 जुलाई 2014	आटो मोबाइल पार्टस	726630	13	5	58130	0	58130	राशि रू. 726630 के 'सी' फार्म नही पाए गए।
28	सी.टी.ओ. सर्कल–2 ग्वालियर	मे. जय मारूती गैस सिलिएण्डर 230452022199 सी.एस. 000000178998 सी.एस.टी.	2012–13 जून 2014	गैस सिलिएण्डर	83999169	5	2	2519975	0	2519975	राशि रू. 83999169 के 'सी' फार्म नही पाए गए।
29	सी.टी.ओ. सर्कल–2 ग्वालियर	मे.एम.पी.टेली लिंक लिमिटेड 23575202926 सी.एस. 00000003705 सी. एस.टी.	2011–12 जून 2014	लुब्रिकेंट पेंट एवं वार्निश	13664117	5	2	409923	0	409923	राशि रू. 13664117 के 'सी' फार्म नही पाए गए।
					397998899			**22660513**	**9780996**	**32441509**	
			कुल योग		**2677207001**			**106427422**	**12182538**	**118609960**	

परिशिष्ट – X

(कंडिका 2.2.17.2 के सन्दर्भ में)

गलत छूट देने से कम कर का करारोपण

(राशि ₹ में)

सरल क्र.	इकाई का नाम	डीलर का नाम,टिन, प्रकरण क्र	अवधि/कर निर्धारण का माह	शामिल राशि (अमान्य फॉर्म्स)	वस्तु का नाम	लागू कर की दर (प्रतिशत)	कर की दर लागू (प्रतिशत)	कर की कम उगाही की राशि	शास्ति की राशि	प्रस्तावित अतिरिक्त माँग	लेखापरीक्षा कथन
1	उपायुक्त वा.क. रतलाम	मेसर्स रिषभ जिनिंग रतलाम 23653404696 165/11	2010–11 अक्टूबर 2013	22899705	कपास	4	2	457994	0	457994	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
2	व.क.का वृत XIV इंदौर	मेसर्स के.जी.गोल्ड स्प्रिग 23471404655 सी.एस 0000013193/11	2010–11 सितम्बर 2013	228065	लीफ स्प्रिग	13	1	27368	0	27368	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
3	व.क.का वृत XIV इंदौर	मेसर्स खेम्स इंजीनियरिंग 23431200395 378/11 सी.एस.टी	2010–11 मई 2013	135823	एयर कंडीशनर पाट्‌र्स	13	2	14941	0	14941	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
4	व.क.का वृत XIV इंदौर	मेसर्स अतुलित केमिकल्स प्रोडक्ट्स 23501200987 सी.एस 00000001801 सी एस टी	2010–11 जून 2013	10599271	रासायनिक	5	0	529964	0	529964	एफ फॉर्म के अंतर्गत एक माह से अधिक लेनदेन
5	वृत XII इंदौर	मेसर्स यूनियन इंटरप्राइजेज 23601204812 सीएस 0000000074952 सीएसटी	2010–11 सितम्बर 2013	1365378	एच.सी.एल.	5	0	68269	0	68269	तीन सी फॉर्म मे तीन माह से अधिक लेनदेन तथा चार सी फॉर्म मे दिनांक नहीं पाई गयी
6	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स बी.के.इंटरप्राइजेज 23313600626 231/11 सीएसटी	2010–11 सितम्बर 2013	16023354	मशीनरी	13	2	1762569	0.	1762569	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
7	व.क.का वृत I भोपाल	मेसर्स बेंड जॉइंट प्राइवेट लिमिटेड 23123600200 199/11 सीएसटी	2010–11 सितम्बर 2013	18973666	आयरन एंड स्टील पाइप्स	13	2	2087103	0	2087103	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
8	व.क.का वृत XI इंदौर	मेसर्स पैक आर्ट 23081103345 सीएस 00000255566	2012–13 मार्च 2015	720666	पैकिंग मटेरियल	5	2	21619	0	21619	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
9	व.क.का वृत XI इंदौर	मेसर्स हाईटेक मेटल फोर्मिंग्स	2010–11 सितम्बर 2013	2678867	ऑटोमोबाइल पाट्‌र्स एवं फायर एक्सटिनगुईशर	13	0	341424	0	341424	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
10	व.क.का वृत XI इंदौर	मेसर्स नीविया इंडिया लिमिटेड 23531104310 419/9 (सीएसटी)	2008–09 मई , 2011	6073826	कास्मेटिक्स	12ण5	2	637752	0	637752	तीन सी फॉर्म मे तीन माह से अधिक लेनदेन तथा चार सी फॉर्म मे दिनांक नहीं पाई गयी

सरल क्र.	इकाई का नाम	डीलर का नाम,टिन, प्रकरण क्र	अवधि/कर निर्धारण का माह	शामिल राशि (अमान्य फॉर्म्स)	वस्तु का नाम	लागू कर की दर (प्रतिशत)	कर की दर लागू (प्रतिशत)	कर की कम उगाही की राशि	शास्ति की राशि	प्रस्तावित अतिरिक्त मॉंग	लेखापरीक्षा कथन
11	व.क.का वृत I उज्जैन	मेसर्स सावन इंडस्ट्रीज 23342602531 427/12 ईटी	2011–12 मई 2014	500106	मेहंदी एवं हर्बल प्रोडक्ट्स	5	2	15003	0	15003	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
12	व.क.का वृत I उज्जैन	मेसर्स एल.के.मी केमिकल्स 23502603607 360/2013 (सीएसटी)	2011–12 मार्च 2015	190259	जड़ी एवं बूटी	5	2	5708	17124	22832	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
13	व.क.का वृत XIII इंदौर	मेसर्स एलक्योर फार्मास्युटिकल्स 23343502303 सीएस 0000000305154 सीएसटी	2011–12 जनवरी 2015	205502	आयुर्वेदिक मेडिसिन	5	2	6165	0	6165	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
14	व.क.का वृत देवास	मेसर्स विराज कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड 23512302659 सीएस 000000153316	2011–12 जनवरी 2015	4384787	कॉपर वायर	5	2	1315440	0	1315440	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
15	व.क.का वृत देवास	मेसर्स राम कॉटन इंडस्ट्रीज 23272302888 सीएस 000000103305	2011–12 जुलाई 2014	3292353	कपास	5	2	98771	0	98771	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
16	व.क.का वृत देवास	मेसर्स मंगला इंजीनियरिंग लिमिटेड 23412302229 सीएस 000000102315	2011–12 जून 2014	8174169	पम्पस एवं पार्ट्स	5	2	245225	0	245225	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
17	व.क.का वृत देवास	मेसर्स मुंशी राम देवास 23732303411 सीएस 000000103242	2011–12 जून 2014	8616305	पम्पस एवं पार्ट्स	5	2	258489	0	258489	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
18	व.क.का वृत देवास	मेसर्स मंगला इंजीनियरिंग लिमिटेड 23512302756 सीएस 000000103335	2011–12 जून 2014	6058795	पम्पस एवं पार्ट्स	5	2	181764	0	181764	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
19	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स के.के.फाइन कोट प्राइवेट लिमिटेड 23869019454 470/12 सीएसटी	2012–13 फरवरी 2015	3159194	कपास	5	2	94776	0	94776	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
20	सहायक आयुक्त संभाग I भोपाल	मेसर्स भास्कर व्यंकटेश प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2012–13 जनवरी 2015	1308338	डिटर्जेंट सोप	13	2	143917	0	143917	सी फॉर्म के अंतर्गत तीन माह से अधिक लेनदेन
				96614763				**8314261**	**17124**	**8331385**	

परिशिष्ट–XI

(कंडिका 2.2.18 के संदर्भ में)

निर्धारित किये गये कर के विरुद्ध अनियमित टी.डी.एस. का समायोजन

(राशि ` में)

सरल क्र.	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन, प्रकरण क्र.	अवधि/कर निर्धारण का माह	आंकलित कर	अनियमित/कम टी.डी.एस.की राशि	लेखापरीक्षा कथन
1	आरएसी सागर	मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स रहली 23457502862 231/11	2010.2011/ अप्रैल /2013	3652828	314212	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
2	आरएसी सागर	मेसर्स अगरवाल ग्रेन स्टोर्स 23457502377 240/11	2010.2011/ अप्रैल /2013	3496409	1007119	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
3	आरएसी सागर	मेसर्स सांवरिया ट्रेडिंग 23167505010 223/11	2010.2011/ अप्रैल/2013	3654211	152709	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
4	उपायुक्त टैक्स ऑडिट विंग	मेसर्स इलेक फेब भोपाल टिन 23723705309 सीएस 00000000830	2010.11 जून 2013	1848279	821285	टी.डी.एस प्रमाण पात्र पाए नहीं गए
5	उपायुक्त वा.कर.–I इंदौर	मेसर्स एम.के.कोटेक्स इंदौर 23251404097 /सीएस 00000651	2010.11 फ़रवरी 2013	15091155	8879681	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
6	सहायक आयुक्त वा.क.–II भोपाल	नर्मदा ज़िन्निग एंड प्रोसेसिंग 23624600577 /11/2011 वेट	2010.11 अप्रैल 2013	15130239	535335	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
7	सहायक आयुक्त वा.क.–II भोपाल	कृष्णा कुमार एंड जीतेन्द्र कुमार 23404602056 /158/11 वेट	2010.11 मई 2013	4076638	221234	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
8	व.क.का खरगोन	मेसर्स प्रखर इंटरप्राइजेज खरगोन 23392104166 /सीएस 00000004705 वेट	2010.11 जून 2013	1409954	381827	एक माह से अ/िाक लेनदेन शामिल
9	व.क.का वृत XIV इंदौर	मेसर्स एमएस कारपोरेशन 23621400935 /268/2011	2010.11 सितम्बर 2013	1600558	107876	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
10	व.क.का वृत X इंदौर	मेसर्स मीना एजेंसी 23689013361 /147/13 वेट	2012.13 जनवरी 2015	19703192	982531	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
11	व.क.का वृत X इंदौर	मेसर्स नारायण जिनिंग एंड आयल 23651001230 /37/13 वेट	2012.13 फ़रवरी 2015	5748854	437536	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
12	व.क.का वृत III भोपाल	मेसर्स हिमालय हाउस 23043805593 /सीएस 0000000099616	2011.12 जून 2014	66657	66657	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
13	व.क.का वृत III भोपाल	मेसर्स महावीर आयल मिल 23853804032 /सीएस 000000042221	2009.10 जून 2014	790744	790744	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
14	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स पदम् चंद शिखर चंद 23434100598 /183/12 वेट	2011.12 जून 2014	3999816	1720965	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
15	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स राजेश कुमार मोहन लाल 23484501326 168/12 वेट	2011.12 मई 2014	7903064	502018	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल

सरल क्र.	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन, प्रकरण क्र.	अवधि/कर निर्धारण का माह	आंकलित कर	अनियमित/कम टी.डी.एस.की राशि	लेखापरीक्षा कथन
16	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स घनश्याम दास महेश 23194501631 136/2012 वेट	2011.12 अप्रैल 2014	3147155	66592	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
17	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स राज कुमार राजेंद्र कुमार 2325400337 118/12 वेट	2011.12 अप्रैल 2014	4146727	72200	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
18	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स शिव शंकर ट्रेडर्स 23354402312 11/2012 वेट	2011.12 जून 2014	2020320	464802	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
19	व.क.का वृत मंडीदीप	मेसर्स सिंघई ब्रदर्स 23524403819 175/2012 वेट	2011.12 जून 2014	3605736	1483965	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
20	व.क.का वृत II ग्वालियर	मेसर्स चिराग इंडस्ट्रीज 23115206186 / सीएस 000000178803 वेट	2012.13 जनवरी 2015	2609689	1071361	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
21	व.क.का वृत II ग्वालियर	मेसर्स सी.पी.इंडस्ट्रीज 23695202278 / सीएस 000000179667 वेट	2012.12 फ़रवरी 2015	9973999	896595	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
22	व.क.का वृत देवास	मेसर्स संजय ट्रेडर्स देवास 2372304841 / सीएस 000000113595 वेट	2011.12 जुलाई 2014	381368	87539	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
23	व.क.का वृत देवास	मेसर्स कपाडिया उद्योग देवास 23852302957 /सीएस 00000104641	2011.12 जून 2014	1595383	849405	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
24	व.क.का वृत देवास	मेसर्स बालू राम चंदर 23692300814 / सीएस 0000000104696 वेट	2011.12 जून 2014	1835304	774831	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
25	व.क.का वृत देवास	मेसर्स नर्मदा श्री बायोटेक देवास 23212305928 सीएस 000000104655 वेट	2011.12 जून 2014	1738815	306787	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
26	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स प्रेम प्रकाश जिनिंग एंड प्रोसेसिंग 23272103747 270/2012 वेट	2012.13 फ़रवरी 2015	13114785	5535134	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
27	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स विकास जिनिंग एंड प्रोसेसिंग 23982103599 262/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	8232522	1014214	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
28	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स किसान जिनिंग उद्योग 23572103873 459/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	20937651	1462678	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
29	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स सी.एम्. इंडस्ट्रीज 23512102354 235/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	5023627	2687485	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
30	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स के.के.फाइनकोट प्राइवेट लिमिटेड खरगोन 23869019454 468/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	18222461	1554134	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
31	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स प्रह्लाद कॉखरगोन टन कारपोरेशन 23572103582 258/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	6700945	639626	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
32	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स के.के. फाइबर खरगोन 23352107389 187/2012	2012.13 फ़रवरी 2015	9226435	314871	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
33	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स सोनी जिनिंग सेंधवा 23542202490 37/2012.13	2012.13 सितम्बर 2014	10212978	1554243	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
34	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स टेल्को जिनिंग एंड आयल मिल 23182103748 998/2012	2011.12 जून 2014	2007429	1351089	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
35	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स आरती कॉटन कंपनी 23292107907 365/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	13593019	1389681	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
36	व.क.का वृत	मेसर्स आरती कॉटन कंपनी	2011.12	8741922	1130420	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल

सरल क्र.	इकाई का नाम	डीलर का नाम, टिन, प्रकरण क्र.	अवधि/कर निर्धारण का माह	आंकलित कर	अनियमित/कम टी.डी.एस.की राशि	लेखापरीक्षा कथन
	सेंधवा	23292107907 216/2011.12	जून 2014			
37	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स रूचि कॉटन खरगोन 23502108131 387/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	10864755	1015596	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
38	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स सत्यम इंडस्ट्रीज 23642204957 104/2013	2012.13 अक्टूबर 2014	9123085	786399	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
39	व.क.का वृत सेंधवा	मेसर्स महावीर कॉटन फाईबर्स 23102205060 107/2012.13	2012.13 फ़रवरी 2015	12130123	824741	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
40	सहायक आयुक्त संभाग I भोपाल	मेसर्स लक्ष्मण प्रसाद बतनलाल साहू 23673700826 80/2013 वेट	2012.13 फ़रवरी 2015	4920409	255664	एक माह से अधिक लेनदेन शामिल
			कुल	**25,96,27,513**	**4,45,11,781**	

परिशिष्ट–XII

(कंडिका 2.4 के सन्दर्भ में)

कर योग्य राशि का गलत निर्धारण

(राशि ₹ में)

सरल क्रमांक	इकाई का नाम/डीलर	अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/निरीक्षण प्रतिवेदन का माह	लेखों के अनुसार कर योग्य विक्रय/कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित कर योग्य विक्रय	कर योग्य विक्रय का कम निर्धारण	लागू कर की दर	कम वसूली की राशि	लेखापरीक्षा की आपत्ति	संक्षिप्त में उत्तर
1	सी.टी.ओ.कटनी मेसर्स बालाजी मार्बल्स एंड टाइल्स	2010–11 जून 2013	मई 2014 जून 2013	13277870/ 1239611	12038259	1.5/13/5	508237 203548 (ब्याज) 711785	कर निर्धारण अधिकारी व्हीकल, मशीनरी और अर्थ मूविंग मशीन के विक्रय की राशि जो अंकेक्षित खाते में थी को टर्नओवर में शामिल करने में विफल रहे ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
2	एसीसीटी डिवीज़न–II ग्वालियर मेसर्स राजमार्ग क्रिएशन	2010–11 सितम्बर 2013	सितम्बर 2014 अक्टूबर 2014	2816950/ 0	2816950	13	366204 164791(ब्याज) 530995	कर निर्धारण अधिकारी प्लांट और मशीनरी के विक्रय की राशि जो अंकेक्षित खाते में थी को टर्नओवर में शामिल करने में विफल रहे ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
2	सी.टी.ओ.शाजापुर मेसर्स सेनेटरी हाउस	2009–10 दिसम्बर 2011	मई 2014 जून 2014	12568657/ 11444762	1123895	12.5/4	133837 401511(शास्ति) **535348**	कर निर्धारण अधिकारी टर्नओवर में से टेक्स की गलत छूट दी ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
4	सी.टी.ओ मंदसौर मेसर्स मृदुल इंटरप्राइजेज	2010–11 स्वकर	मार्च 2014 मई 2014	39843254/ 37093087	2750167	13	357522 1072566 (शास्ति) **1430088**	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मोबाइल्स का टर्नओवर डीलर द्वरा स्वकर प्रकरण में दिए अनुसार ₹ 37093087 स्वीकार किया गया जबकि अंकेक्षित खाते में ₹ 39903279 था ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
5	डी.सी.टी.टैक्स ऑडिट विंग इंदौर–II मेसर्स सुराना ट्रेडर्स	2009–10 अप्रैल 12 अक्टूबर 12	अक्टूबर 12 नवम्बर 2013	141375822/ 136441070	4934752	5	246738	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा डीलर का टर्नओवर ₹ 136441070 स्वीकार किया गया जबकि अंकेक्षित खाते में ₹ 141375822 था ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
6	डी.सी.टी.टैक्स ऑडिट विंग जबलपुर मेसर्स श्री राम हार्डवेयर एंड लुब्रिकेंट	2011–12 अगस्त 2013	नवम्बर 2014 दिसम्बर 2014	31696994/ 28027134	3913363	5/13	191505 89050 (ब्याज) 280555	कर निर्धारण अधिकारी टर्नओवर में से टेक्स की गलत छूट दी ।	इंगित किये जाने पर करनिर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
7	सी.टी.ओ. II जबलपुर मेसर्स लक्ष्मी पाइप ट्रेडर्स	2009–10 स्वकर	फरबरी 2014 अप्रैल 2014	21952592/ 18039498	3913094	4/5/12.5	195654 586962 (शास्ति) 782616	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर डीलर द्वरा स्वकर प्रकरण में दिए अनुसार ₹ 18039498 स्वीकार किया गया जबकि अंकेक्षित खाते में ₹ 21952592 था ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
8	सी.टी.ओ. IV जबलपुर मेसर्स रामानंद पाण्डेय	2010–11 सितम्बर 2013	जनवरी 2015 फरबरी 2015	3717768/ 3171884	545883	13	62801	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर डीलर द्वरा प्रकरण में दिए अनुसार ₹ 3171884 स्वीकार किया गया जबकि अंकेक्षित खाते में ₹ 3717768 था ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
9	सी.टी.ओ. I सतना मेसर्स पवन ट्रेडिंग कम्पनी	2011–12 स्वकर	फरबरी 2015 अप्रैल 2015	9963504/ 1209824	8753680	5	413961	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर डीलर द्वरा स्वकर प्रकरण में दिए अनुसार ₹ 1209824 स्वीकार किया गया जबकि अंकेक्षित खाते में ₹ 9963504 था ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
10	सी.टी.ओ.शहडोल मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन	2010–11 सितम्बर 2013	जनबरी 2015 फरबरी 2015	10111587/ 8450205	1661382	5	79113	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर ₹ 8450205 स्वीकार किया गया जबकि डीलर के अंकेक्षित खाते में ₹ 10111587 था ।	इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।

11	सी.टी.ओ.शहडोल मेसर्स एस खोदियर कंस्ट्रक्शन	2010–11 सितम्बर 2013	जनबरी 2015 फरबरी 2015	27095119 / 22070151	5024968	5 / 13	307783	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर ₹ 22070151 स्वीकार किया गया जबकि डीलर के अंकेक्षित खाते में ₹ 27095119 था ।	इंगित किये जाने पर करनिर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
12	सीटीओ इंदौर मेसर्स आकाश नमकीन प्राइवेट लिमिटेड	2010–11 जनवरी 2013	जून 2013 जून 2013	2320553 / 1126069	1194484	13 / 1.5	93449	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टर्नओवर ₹ 1126069 स्वीकार किया गया जबकि डीलर के अंकेक्षित खाते में ₹ 2320553 था ।	इंगित किये जाने पर करनिर्धारण अधिकारी ने बताया की परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
			कुल				**2956804** **2518428** **5475232**		

परिशिष्ट –XIII
(कंडिका 2.5 के सन्दर्भ में)
कर की गलत दर का निर्धारण

(राशि ₹ में)

सरल क्रमांक	इकाई का नाम/डीलर	अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/निरीक्षण प्रतिवेदन का माह	वस्तु/कर योग्य विक्रय (₹)	लागु कर की दर/आरोपित कर की दर (₹)	कम वसूली की राशि (₹)	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा की आपति
1.	सीटीओ सर्किल–II उज्जैन मेसर्स सौम्य इंटरप्राइजेज	2010–11 सितम्बर 2013	अक्टूबर 2014 दिसम्बर 2014	पेपर पेपर दोना और बोड्र्स/ 12,66,080/–	13 5	1,01,286/–	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि पेपर कप एक अंग्रेजी का शब्द है जो की आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है और दोना भी कहा जाता है। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि वस्तु बाऊल (दोना), कप और गिलास से अलग है। बाऊल (दोना) 1/4/11 से प्रविष्टी क्रमांक आयआय/आयआय/29 शामिल की गयी । अतः 2010–11 में प्रविष्टी क्रमांक आयआय/आयव्ही/1 के तहत कर आरोपनीय है।
2.	एसीसीटी डिवीज़न–II ग्वालियर मेसर्स मोती ट्रैक्टर्स और जनरल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	2010–11 सितम्बर 2013	सितम्बर 2014 अक्टूबर 2014	ट्रेक्टर एक्सेसरीज/ 23,78,074/–	13 5	1,90,246/–	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
3.	सीटीओ सर्किल सीहोर मेसर्स तत्पर गैस एजेंसी	2009–10 अप्रैल 2012	दिसम्बर 2013 जनवरी 2014	एलपीजी/ 5,62,675/–	12.5 4	47,827 (कर) 1,43,481(शास्ति) 1,91,308	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
4.	सीटीओ–आयआय मेसर्स विजय पम्पस	2007–08 जुलाई 2010	अप्रैल 13 मई 13	डीजल आयल इंजनस/ 26,95,931	12.5 4	2,29,154	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि डीलर पम्पस के क्रय विक्रय का कार्य करते हैं न की इंजनस का । उत्तर मान्य नहीं क्योंकि फॉर्म–49 के अनुसार यह स्पष्ट होता है की डीलर द्वारा प्रान्त बाहर से डीजल इंजन का क्रय सत्यापित होता है ।
5.	सीटीओ सर्किल खंडवा मेसर्स साहिनी बैटरीज	2008–09 जून 2011	मार्च 14 अप्रैल 14	एन्वेर्टरस/ 12,26,290/-	12.5 4	1,04,235/-	कर निर्धारण अधिकारीं द्वारा इस विषय में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।
6.	सीटीओ सर्किल हरदा मेसर्स अग्रवाल इंटरप्राइजेज	2008–09 अप्रैल 2011	फरवरी 14 अप्रैल 14	मशीनरी/ 13,21,496/–	12.5 4	112327 336981 449308	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परिक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
7.	एसीसीटी सागर मेसर्स अशोक एजेंसी	2010–11 जनवरी 2013	मार्च 14 मई 14	ट्रेक्टर एक्सेसरीज/ 16,96,412/–	13 5	135713	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परिक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी

सरल क्रमांक	इकाई का नाम/डीलर	अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/निरीक्षण प्रतिवेदन का माह	वस्तु/कर योग्य विक्रय (₹)	लागु कर की दर/आरोपित कर की दर (₹)	कम वसूली की राशि (₹)	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा की आपति
8.	एसीसीटी नीमच मेसर्स टेक्स फेल्ट नीमच	2010–11 सितम्बर.13	जनवरी–15 फरवरी–2015	फेल्ट एंड फेल्ट कॉम्पोनेन्ट/ 2,63,09,563 (राज्य) 14,26,691 (केंदीय) 2,77,36,254	13 5	2104765 (राज्य) 114135 (सेंट्रल) 2218900	कर निधारण अधिकारी ने बताया की राज्य प्रकरण में अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कर निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है. और केन्द्रीय प्रकरण में वूल फेल्ट को कपडा मानते हुए करारोपण किया गया है. मेसर्स सील वेल के प्रकरण में कमिश्नर के आदेश के अनुक्रम में कर निधारण अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरोपनीय कर की दर 13 प्रतिशत है।
9.	सीटीओ देवास मेसर्स इंडिया मोटर साइकिल कम्पनी देवास	2010–11 सितम्बर 2013	जून 2014 सितम्बर 2014	इन्वर्टर/ 1535253/	13 5	122820(टैक्स) 368460(पेनल्टी) 491280	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
10.	सीटीओ देवास मेसर्स श्री जी सेल्स कोर्प देवास	2010–11 डीम्ड कर निर्धारण	जून 2014 सितम्बर 2014	इन्वर्टरस/– 40,15,526/–	13 5	321242(टैक्स) 963726(पेनल्टी) 1284968	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
11.	एसीसीटी डिवीज़न–1 इंदौर मेसर्स नीरज प्रतिभा जॉइंट वेंचर	2010-11 जून 2013	जनवरी 2015 फरवरी 2015	इलेक्ट्रिकल एकुप्मेंट्स की सप्लाई और इंस्टालेशन/ 9,86,62,002	4 2	19,73,240	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टी द्वारा जारी किये गश्रए एवं फाइल में उपलब्ध टीडीएस सत्यापन कराया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी द्वारा कम्पोजीशन अग्रीन्मेंट में दिए अनुसार में चार प्रतिशत के स्थान पर गलत दर दो प्रतिशत की कटौती की ।
12.	डीसीसीटी उज्जैन मेसर्स ग्रासिम इंडिया लिमिटेड नागदा	2009-10 जून 2012	जून 2014 जुलाई 2014	ब्लीचिंग पाउडर/ 79,47,729	125.5 4.5	6,41,221	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
13.	डीसीसीटी उज्जैन मेसर्स ग्रासिम इंडिया लिमिटेड नागदा	2009-10 जून 2012	जून 2014 जुलाई 2014	ब्लीचिंग पाउडर/– 15,31,536	12.5 4.5	1,24,833	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परिक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
14.	सीटीओ सर्किल–2 कटनी मेसर्स शारदा ट्रेडर्स	2010-11 दिसम्बर 2013	मार्च 2015 मार्च 2015	मशीन के स्पेयर पाट्र्स/ 6,54,456	13 5	52356 (टैक्स) 157068 (पेनल्टी) 209424	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
15.	सीटीओ सर्किल–2 कटनी मेसर्स उजाला इंडस्ट्रीज	2011-12 दिसम्बर 2013	मार्च 2015 मार्च 2015	वाइटनिंग एजेंट/ 61,79,664	13 5	494373 (टैक्स) 1483119 (पेनल्टी) 1977492	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
16.	सीटीओ सर्किल 2 कटनी मेसर्स उजाला इंडस्ट्रीज	2012-13 मार्च 2014	मार्च 2015 मार्च 2015	वाइटनिंग एजेंट 64,01,318	13 5	512105 (टैक्स) 1536315 (पेनल्टी) 2048420	कर निर्धारण अधिकारीं ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।
17.	सीटीओ सर्किल–2	2010-11	मार्च 2015	इन्वर्टर होम	13	5,19,721	कर निर्धारण अधिकारी ने पंजाब वैट एक्ट के न्यायिक निर्णय के

सरल क्रमांक	इकाई का नाम/डीलर	अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/निरीक्षण प्रतिवेदन का माह	वस्तु/कर योग्य विक्रय (₹)	लागु कर की दर/आरोपित कर की दर (₹)	कम वसूली की राशि (₹)	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा की आपति
	कटनी मेसर्स कमल इलेक्ट्रॉनिक्स	अप्रैल 2013	मार्च 2015	यूपीएस/ 64ए96ए507	5		हवाले से बाते की डीलर यूपीएस और बैटरी का व्यवसाय करता है और मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की प्रविष्टी संख्या 51(8) आयआय के अनुसार यूपीएस 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपनीय है । पंजाब वैट एक्ट के न्यायिक निर्णय के सन्दर्भ में कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर तथ्यों की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि पंजाब वैट एक्ट के परिशिस्ट एवं मध्यप्रेश वैट अधिनियम 2002 के परिशिष्ट भिन्न है । मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 की प्रविष्टि 'कंप्यूटर पाट्र्स देयर ऑफ एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स' की है । पंजाब वैट एक्ट में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की कोई कंडीशन नहीं है । जैसा की निर्णय में विस्तार से वर्णित है । निर्णय के अनुसार भी बेची गयी वस्तु 13 प्रतिशत की दर से कर आरोपनीय है ।
18.	सीटीओ–2 कटनी मेसर्स कॉसमॉस इंडिया	2010-11 सितम्बर 2013	मार्च 15 मार्च 2015	मशीनरी पाट्र्स, मोटर पाट्र्स/ 1,0096,499	13 5	807720	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया की मशीनरी पाट्र्स और एग्रीकल्वर इक्विपमेंट पांच एवं 13 प्रतिशत दोनों के दर से कर आरोपनीय है. उत्तर तथ्य की सही व्याख्या नहीं करते क्योंकि आपति मशीनरी पाट्र्स, मोटर पाट्र्स के विक्रय पर 13 प्रतिशत की दर से करारोपण से सम्बन्धित है न की एग्रीकल्वर इक्विपमेंट के एवं मशीनरी पाट्र्स, मोटर पाट्र्स के विक्रय पर 13 प्रतिशत की दर से से कर आरोपनीय है ।
कुल				**182403702**		**8595184 (टी)** **5103285 (पी)** **13698469**	

परिशिष्ट–XIV

(पैराग्राफ 2.6 के सन्दर्भ में)

गलत कर मुक्त बिक्री मानते हुए करारोपण न करना

(राशि ₹ में)

सरल क्रमांक	इकाई का नाम/डीलर	अवधि/कर्निर्धारण का माह	लेखा परीक्षा का माह/निरिक्षण प्रतिवेदन का माह	**कर योग्य विक्रय (`)**	लागु कर की दर (%)/वस्तु	कम वसूली की राशि (`)	विभाग का जबाब
1	एसी इनचार्ज सर्किल–11 इंदौर मेसर्स मालवीय फिलिंग स्टेशन	2011–2012 मार्च–2014	मई 14 अगस्त 2014	2,24,35,832	13 / ऑटो एलपीजी	29,16,658 87,49,974 (पेनल्टी) 1,16,66,632	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।
2	सीटीओ–8 इंदौर मेसर्स कैप्टेन पोली प्लास्ट लिमिटेड	2010–11 मई 2013	दिसम्बर 2014 जनवरी 2015	18,25,873	5 /– ड्रिप लाइन	91,294 2,73,882 (पेनल्टी) 3,65,176	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि परिक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।
3	सीटीओ धार मेसर्स श्री राम कृषि केंद्र	2010–11 फरवरी 2013	मार्च 2014 अप्रैल 2014	51,17,986	5 / पेस्टिसाइड	2,59,899	लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि बायो फ़र्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड (गोबर काका प्रोडक्ट) दोनों परिशिष्ट–1 की प्रविष्टी क्रमांक 26 के तहत कर मुक्त हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पेस्टिसाइड अधिनियम की प्रविष्टी क्रमांक II/II/24 के तहत कर आरोपनीय हैं।
4	सीटीओ नीमच मेसर्स शेखर एसोसिएट्स	2011–12 दिसम्बर 2013	ज्नवरी–2015 फरवरी –2015	57,77,496	5/ ड्रिप लाइन	2,88,875 8,66,625(पेनल्टी) 11,55,500	लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि स्प्रिंकलर (ड्रिप इरीगेशन लाइन) अधिनियम की प्रविष्टि क्रमांक I/72 के अंतर्गत टैक्स फ्री है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पाइप और मोटर प्रविष्टि क्रमांक I/72 के अंतर्गत नहीं आते एवं प्रविष्टि क्रमांक II/II/64 के अंतर्गत करारोपणीय है।
5	सीटीओ–4 जबलपुर मेसर्स दिलीप ट्रेडिंग कम्पनी	2012–13 स्वकर	जनवरी 2015 फरवरी 2015	32,35,756	5 / कॉटन सीड	1,61,788 4,85,364 (पेनल्टी) 6,47,152	कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जाएगी।
				3,83,92,943		(टैक्स) **37,18,514** (पेनल्टी) **1,03,75,845** कुल **1,40,94,359**	

परिशिष्ट– XV

(कंडिका 2.7 के संदर्भ में)

अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति

(राशि लाख ₹ में)

स.क्र.	लेखापरीक्षा इकाई/व्यवसायी का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने का माह	मान्य किये गये आई.टी.आर. की राषि/आई.टी.आर. की राषि जो मान्य करने/ मानने योग्य थी	अमान्य आई.टी. आर. की राषि	लेखापरीक्षा विवेचना	कर निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी का उत्तर एवं लेखापरीक्षा का अभिमत
1.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अशोक नगर मे. कृष्णा ऑटो पार्ट्स, शहडोल	2010–11 दिसम्बर–12	मई–14 जून–14	26,78,798 24,08,430	2,70,368	क्रय सूची के अनुसार दो पहिया वाहनों एवं स्पेयर पार्ट्स पर इनपुट टैक्स ₹ 24,08,430/– चुकाया गया था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल के ₹ 26,78,798/– के क्रय पर आई.टी.आर. दिया गया ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
2.	प्रभारी सहायक आयुक्त, वृत्त–1, उज्जैन मे. अंबिका एंटरप्राइजेज़	2010–11 सितम्बर–13	जून–14 अगस्त–14	30,91,031 25,42,822	5,48,209	अंकेक्षित लेखे के अनुसार बिल्डिंग मटेरियल के ₹ 1,95,60,172/– के क्रय पर इनपुट टैक्स देने योग्य था । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 2,37,77,148/– के क्रय पर ₹ 30,91,031/– आई.टी.आर. मान्य किया गया ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–सागर मे. सागर को–ऑपरेटिव	2010–11 सितम्बर–13	जून–14 सितम्बर–14	7,59,512 0	7,59,512	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केमिकल फर्टिलाजर्स के क्रय पर आई.टी.आर. दिया गया जबकि क्रय देयकों में पृथक से आई.टी.आर. वसूला नहीं गया था ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण/सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
4.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–15, इंदौर मे. आर.आर. एण्ड कम्पनी इंदौर	2010–11 स्वकर	जुलाई–14 अक्टूबर–14	1,14,28,289 1,11,84,419	2,44,170 (शास्ति) 7,32,510 9,76,680	सीमेंट की क्रय मूल्य राषि ₹ 8,79,25,876/– पर आई.टी.आर. क्लेम का दावा किया गया । जबकि अंकेक्षित लेखे के अनुसार ₹ 8,60,47,645/– पर देय था ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में कहा गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
5.	प्रभारी सहायक आयुक्त, वृत्त–1, उज्जैन मे. विकास इण्डस्ट्रीज़ उज्जैन	2010–11 सितम्बर–13	जून–14 अगस्त–14	8,08,647 6,38,204	1,70,443	तांबा एवं पीतल के स्क्रेप के स्टॉक ट्रांसफर/अंतरण पर आई.टी.आर. वापसी किया जाना था, जो वापसी नहीं किये गये.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
6.	वणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–हरदा मे. किसान हार्डवेयर एवं कृषि	2009–10 जून–12	फरवरी–14 अप्रेल–14	3,08,495 2,41,183	67,312	पेस्टीसाइड्स की क्रय वापसी पर भी आई.टी.आर. मान्य किया गया.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
7.	प्रभारी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त–III, ग्वालियर मे. सोनू उद्योग	2009–10 जून–12	अक्टूबर–13 दिसम्बर–13	1,20,46,617 1,15,37,572	5,09,045	सोप एवं डिटर्जेण्ट के क्रय मूल्य पात्रता से अधिक आई.टी.आर. दिया गया ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रस्तुत की गईं क्रय सूचियों एवं देयकों के आधार पर आई.टी.आर. दिया गया । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आपत्ति अंकेक्षित लेखे में दर्ज क्रय के आधार पर ली गई है ।
8.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक	2009–10	दिसम्बर–13	14,49,303	53,376	मोटर वाहन के राषि ₹ 1,15,67,413/– के क्रय पर	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया

स.क्र.	लेखापरीक्षा इकाई/व्यवसायी का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने का माह	मान्य किये गये आई.टी.आर. की राषि/आई.टी.आर. की राषि जो मान्य करने/ मानने योग्य थी	अमान्य आई.टी. आर. की राषि	लेखापरीक्षा विवेचना	कर निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी का उत्तर एवं लेखापरीक्षा का अभिमत
	कर, छिंदवाड़ा मे. कुणाल मोटर्स	जून–12	जनवरी–14	13,95,927		आई.टी.आर. दिया गया जबकि अंकेक्षित लेखे में उक्त का क्रय मूल्य ₹ 1,11,67,412/– दर्ज है.	कि परीक्षण/सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
9.	वणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, इंदौर मे. नितिन ट्रेडर्स	2012–13 स्वकर	जुलाई–14 सितम्बर–14	18,57,448 17,65,834	91,614 (शास्ति) 2,74,872 3,66,456	सीमेंट के राशि ₹ 1,42,09,844/– के क्रय पर आई. टी.आर. दिया गया जबकि अंकेक्षित लेखे में उक्त का क्रय मूल्य ₹ 1,35,83,341/– दर्ज है ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
10.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, नीमच मे. डोनीपोलो उद्योग, नीमच	2010–11 मई–13	जनवरी–15 फरवरी–15	61,493 निरंक	61493 (शास्ति) 1,84,479 2,45,972	बिल्डिंग मटेरियल पर आई.टी.आर. दिया गया जबकि अधिसूचना के अनुसार बिल्डिंग मटेरियल पर आई.टी. आर. नहीं दिया जाना था ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
11.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–शहडोल मे. अभय प्रताप सिंह	2011–12 स्वकर	जनवरी–15 फरवरी–15	10,38,352 7,37,135	3,01,217	सीमेंट एवं अन्य निर्माण सामग्री के राशि ₹ 1,30,14,455/– के क्रय पर आई.टी.आर. दिया गया जबकि अंकेक्षित लेखे में उक्त का क्रय मूल्य ₹ 69,90,115/– दर्ज है ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
12.	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–।।, इंदौर मे. इम्पीरियल ऑयल एण्ड केमिकल्स, इंदौर	2010–11 अप्रेल–13	फरवरी–15 मार्च–15	34,46,824 थ्नरंक	34,46,824 (शास्ति)1,03,40,47 2 1,37,87,296	खाद्य तेल के स्टॉक अंतरण पर आई.टी.आर. रिवर्स किया जाना था, जो नहीं किया गया ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि प्रांत बाहर से क्रय सामग्री को एस.ओ.एस. किया गया जिस पर आई.टी.आर. रिवर्स किये जाने योग्य नहीं है । उत्तर का तथ्यों से मेल नहीं होता. क्योंकि कर ांनर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में लेख किया गया है कि प्रांत बाहर से क्रय सामग्री का क्रय–स्थल से विक्रय किया गया ।
13.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, उज्जैन मे. जी. एस. मेडालिका	2011–12 फरवरी–14	जून–14 अगस्त–14	2,15,547 निरंक	2,15,547	तांबा एवं पीतल के बर्तनों के स्टॉक अंतरण पर आई. टी.आर. रिवर्स किया जाना था, जो रिवर्स नहीं किया गया.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
14.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना मे. कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिषन	2010–11 जुलाई–13	फरवरी–15 मार्च–15	44,39,925 43,62,853	77,072 (ब्याज) 30,058 1,07,130	स्टील के प्रांत बाहर से क्रय पर आई.टी.आर. दिया गया.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया कि क्रय सूची से अंतरप्रांतीय क्रय को विभाजित कर आई.टी.आर. दिया गया. उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्रय सूची से प्रमाणित है कि सेल नागपुर (देयक क्रमांक 381 दिनांक 31/5/10) से क्रय पर गलत आई.टी.आर. दिया गया ।
15.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना मे. रामा सेल्स	2010–11 अगस्त–13	फरवरी–15 मार्च–15	61,44,328 60,23,732	1,20,596 (ब्याज) 48,841 1,69,437	हिन्दुस्तान लीवर के उत्पादों के राशि ₹ 4,79,76,180/– के क्रय पर आई.टी.आर. दिया गया जबकि अंकेक्षित लेखे में उक्त का क्रय मूल्य ₹ 4,70,48,511/– दर्ज/अंकित है.	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया/कहा गया कि परीक्षण/सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
16.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना मे. मेहरोत्रा रेडियो सर्विस	2011–12 स्वकर	फरवरी–15 मार्च–15	3,10,099 1,44,610	1,65,489	पिछले वर्ष लाई गई आई.टी.आर. की शेष राशि ₹ 3,10,099/– को मान्य किया गया । जबकि पिछले वर्ष के कर निर्धारण आदेश में ₹ 1,44,610/– आगामी वर्ष में समायोजन के लिये/हेतु फॉरवर्ड	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया गया/कहा गया कि परीक्षण/सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।

स.क्र.	लेखापरीक्षा इकाई/व्यवसायी का नाम	कर निर्धारण अवधि/कर निर्धारण का माह	लेखापरीक्षा का माह/ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने का माह	मान्य किये गये आई.टी.आर. की राषि/आई.टी.आर. की राषि जो मान्य करने/ मानने योग्य थी	अमान्य आई.टी. आर. की राषि	लेखापरीक्षा विवेचना	कर निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी का उत्तर एवं लेखापरीक्षा का अभिमत
						किया गया था ।	
17.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना मे. राज ट्रेडर्स	2010–11 जून–13	फरवरी–15 मार्च–15	12,23,891 11,59,064	(कर) 64,827 (शास्ति) 1,94,481 2,59,308	वर्ष में किये गये ऑयल सीड्स के क्रय पर राशि ₹ 12,23,891/– का आई.टी.आर. दिया गया. जबकि अंकेक्षित लेखे के अनुसार वर्ष में किये गये क्रय पर कुल राशि ₹ 11,59,064/– का कर चुकाया गया ।	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उत्तर में बताया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
			कुलयोग	51308899 44141785	**कर–71,67,114** **शास्ति/ब्याज–1,18,05,713/–** **कुलयोग–1,18,05,713/–**		

परिशिष्ट–XVI

(कंडिका 2.8 के संदर्भ में)

प्रवेश कर का अनारोपण /कम आरोपण

(राशि ` में)

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
1	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मेसर्स जकोटिया प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड 23817603932 248/11 प्र.क.	21010–11 जून 2013	प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल	87827703	1	0	878277	2434831	3313108	दिनांक 01.04.2010 से पैकिंग मटेरियल प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची II के भाग III में सूचीबद्ध है एवं 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है ।
2	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सगर	मेसर्स एस.आर. ट्रेडर्स 23027501789 285/11 प्र.क.	21010–11 मई 2013	मिल्क पावडर	16803085	2	1	168031	504093	672124	मिल्क पावडर प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची II के भाग II की प्रविष्टि क्रमांक 31 के अंतर्गत आता है एवं 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है ।
3	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मेसर्स कमलेष ट्रेडर्स, गढ़ाकोटा 23227502552 278/11 प्र.क.	21010–11 मई 2013	ऑइल सीड्स	6576799	1	0	65766	197298	263064	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पर विक्रय की गई सोयाबीन का क्रय मूल्य अधिक निर्धारित किया गया जिससे सोयाबीन के क्रय पर कम कर का निरूपण हुआ. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
4	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मेसर्स फॉर्च्यून स्टोन्स लिमिटेड 23287701854 169/12 प्र.क.	21010–11 दिसम्बर 2013	टायर्स, लुब्रीकेंट्स, एम.एस. एंगल आदि	4679679	2	1	46797	140391	187188	फार्म 49 के अनुसार लुब्रीकेंट्स, ग्रीस, एम.एस. एंगल, टायर्स का क्रय प्रमाणित होता है, जिन पर 2 प्रतिशत से प्रवेश कर की देयता होती है । विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
5	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मेसर्स नारायण बिल्डर्स इण्डिया लिमिटेड, टीकमगढ़ 23977801336 247/12 प्र.क.	2011–12 जनवरी 2014	बिटुमिन	34725505	2	1	347255	0	347255	प्रविष्टि क्रमांक II/II/26 (5) के अनुसार प्रवेश कर 2 प्रतिशत से देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मेसर्स नारायण बिल्डर्स इण्डिया लिमिटेड, टीकमगढ़ 23977801336 247/12 प्र.क.	2011–12 जनवरी 2014	विविध	23207148	1	0	232071	0	232071	विविध सामग्रियों पर प्रवेश कर निरूपित नहीं किया गया है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
6	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स, रेहली 23457502862 232/11 प्र.क.	21010–11 अप्रैल 2013	ऑइल सीड्स	1516254	1	0	15163	45489	60652	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पर विक्रय की गई सोयाबीन का क्रय मूल्य अधिक निर्धारित किया गया जिससे सोयाबीन के क्रय पर कम कर का निरूपण हुआ. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	क्र निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
7	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त–II, सागर	मेसर्स अग्रवाल ग्रेन स्टोर्स, गढ़ाकोटा 24457502377 241/11 प्र.क.	21010–11 अप्रैल 2013	ऑइल सीड्स	1067507	1	0	10675	32025	42700	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पर विक्रय की गई सोयाबीन का क्रय मूल्य अधिक निर्धारित किया गया जिससे सोयाबीन के क्रय पर कम कर का निरूपण हुआ. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
8	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट, भोपाल	मेसर्स भोपाल टिम्बर्स, गोन्दिपुरा, भोपाल 223893601377 26/11 प्र.क.	21010–11 जुलाई 2012	ईमारती लकड़ी	1620773	2	1	16207	48621	64828	प्रान्त बाहर से क्रय की गई ईमारती लकड़ी पर 1 प्रतिशत से कर देय है । विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट, भोपाल	मेसर्स भोपाल टिम्बर्स, गोन्दिपुरा, भोपाल 223893601377 26/11 प्र.क.	21010–11 जुलाई 2012	मशीनरी	81600	1	0	816	2448	3264	प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय को करयोगय क्रय में सम्मिलित नहीं किया गया है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
9	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट भोपाल	मेसर्स सामी ट्रेडर्स, 23233705627 सीएस0000000000844 प्र.क.	21010–11 अगस्त 2013	आयरन स्क्रैप	1090400	2	0	21808	65424	87232	भाड़ा करयोग्य क्रय में सम्मिलित नहीं है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
10	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. एडीटिव्स फार्मा एण्ड फ्रोज़न लिमिटेड, इंदौर, 235709028192 244/11 प्र.क.	21010–11 मई 2013	फूड कलर एवं फ्रोजन	34624537	2	1	346245	1038735	1384980	पृविष्टि II/I स.क्र. 31 के अनुसार फूड कलर फ्लेवर 2 प्रतिषत से करयोग्य है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
11	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. आर.व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर, 23530904199 275/11 प्र.क.	21010–11 जून 2013	एल.डी.ओ. /फर्नेस ऑइल,	3013859	10	1	271247	813741	1084988	एल.डी.ओ./फर्नेस ऑइल 10 प्रतिषत से करयोग्य था. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
				बिटुमिन	21966460	10	1	271247	813741	1084988	बिटुमिन 2 प्रतिषत से करयोग्य था. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
12	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. कोठारी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड 23670905189 347/12 प्र.क.	2011–12 मई 2013	एच.डी.पी.ई. पाइप्स	40575908	1	0	405759	1217277	1623036	फार्म 49 की अनुपस्थिति में कर मुक्त सामग्री/माल का विक्रय रु. 40575908/– स्थापित/प्रमाणित नहीं होता एवं 1 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर देय था.
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. पेस टेल कम्यूनिकेषन, इंदौर 23120905055 सीएस000000011065 प्र.क.	2010–11 सितम्बर 2013	मोबाइल, टेलीफोन पार्ट्स	7021857	2	1	70219	210657	280876	दिनांक 01.04.10 से मोबाइल एवं टेलीफोन पार्ट्स 2 प्रतिषत से कर योग्य हैं एवं पृविष्टि क्रमांक II/I/28 के अंतर्गत आते हैं.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरुपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
14	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, रतलाम	मे. पीयूष ट्रेडर्स, मंदसौर 23313101564 69/2011 प्र.क.	2010–11 जुलाई 2013	सोयाबीन	1175256	1	0	11753	35259	47012	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र पर विक्रय की गई सोयाबीन का क्रय मूल्य अधिक निर्धारित किया गया जिससे सोयाबीन के क्रय पर कम कर का निरूपण हुआ. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
15	वाणिज्यिक कर अधिकारी– I, रतलाम	मे. बलबीर सिंह राठौर 23773403078 34 349/2011 प्र.क.	2010–11 जून 2013	बिटुमिन	5309746	2	1	53097	159291	212388	अनुसूची II/II/26 (5) के अनुसार बिटुमिन पर 2 प्रतिषत से कर देय है.
				अन्य	1943280	1	0	19433	58299	77732	राशि रु. 1943280/– क्रय कम निर्धारित किया गया, जिस पर प्रवेष कर 1 प्रतिषत से देय था. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
16	वाणिज्यिक कर अधिकारी रतलाम	मे. राठौर कंस्ट्रक्षन 2386340144 398/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	बिटुमिन	1064907	2	1	10649	31947	42596	अनुसूची II/I 26 (5) के अनुसार प्रवेषकर 2 प्रतिषत की दर से देय था. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
				विविध	1547100	1	1	15471	46413	61884	अंकेक्षित लेखे के अनुसार क्रय कम दर्षाई गई. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
17	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1 रतलाम	मे. रतनलाल मायाराम 23063401868 192/11 (प्र.क.)	2010–11 मई 2013	विविध सामग्री	12614619	1	0	126146	0	126146	15 दिन के अंदर/की सीमा में धारा 11 ए के अंतर्गत कर की अतिरिक्त मांग जमा न किये जाने से धारा 20 के अंतर्गत कर निर्धारण किया जाना था.
18	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–7 इंदौर	मे. एच. एम. ट्रेडर्स 23430701233 167/12 (प्र.क.)	2011–12 सितम्बर 2013	डीजल इंजिन एवं स्पेयर पाट्र्स	1340450	1	0	13405	40215	53620	चेकपोस्ट से प्राप्त फार्म 49 के अनुसार डीजल इंजिन एवं स्पेयर पाट्र्स का क्रय प्रमाणित/सत्यापित होता है, जिन पर 1 प्रतिषत से प्रवेष कर की देयता होती है.
19	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–7 इंदौर	मे. विकास डिस्ट्रीब्यूटर्स 23590701242 168/12 (प्र.क.)	2011–12 फरवरी 2014	आयरन एवं स्टील	3133839	2	1	31338	94014	125352	चेकपोस्ट से प्राप्त फार्म 49 के अनुसार आयरन एवं स्टील, टूल्स सॉज़/आयरन टूल्स का क्रय प्रमाणित/सत्यापित होता है, जिन पर 1 प्रतिषत से प्रवेष कर की देयता होती है.
20	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1,	मे. स्मृति ट्रेडिंग कार्पोरेषन 23270501307 सीएस000000110319 (प्र.क.)	2011–12 दिसम्बर 2013	मिल्क पावडर	20414073	2	1	504141	1512423	2016564	अनुसूची II के भाग II की पृविष्टि 31 के अनुसार व्यवसायी पर 2 प्रतिषत से कर की देयता आती है.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	इंदौर										
21	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, इंदौर	मे. सीमा ऑइल ट्रेडर्स, इंदौर 23441502205 264/10 (प्र.क.)	2009–10 जून 2012	ऑइल	110617127	1	0	1106171	3318513	4424684	बिल्टी के आधार पर रु. 1106217127/– के क्रय मूल्य को स्पोट्स विक्रय मानते हुए कमी दी गई. अपितु/किन्तु बिल्टी पर दर्षाये/दर्ज आर.टी.ओ./परिवहन पंजीयन क्रमांक/के अनुसार ट्रक,, ऑटो रिक्षा एवं रिकार्ड नॉट फाउण्ड पाया गया. उसी समय जारी किये गये विक्रय देयक से उसी डीलर से क्रय प्रमाणित होता है एवं बिलों पर स्पष्ट उल्लेख है कि इंष्योरेन्स/बीमा क्रेता के लेखे में है. जिसके अनुसार धारा 3 के अंतर्गत मे. सीमा ऑइल ट्रेडर्स पर कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जावेगी.
22	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, इंदौर	मे. माइक्रोमैक्स इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड 23900203607 25/10 (प्र.क.)	2009–10 जून 2012	मेबाइल	10616678	1	0	106167	318501	424668	स्टॉक ट्रांसफर रु. 88877505/– में से रु. 10616678/– का स्टॉक ट्रांसफर वापस आया था. अतः वापस हुये स्टॉक ट्रांसफर पर प्रवेष कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जावेगी.
23	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, संभाग–1, इंदौर	मे. रामदर्षन मिल्स 23511500178 269/10 (प्र.क.)	2009–10 जून 2012	आयरन एवं स्टील	9532878	2	0	190658	0	190658	फार्म 49 के अभाव में करमुक्त सामग्री/माल का सत्यापन नहीं होता. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरान्त कार्यवाही की जावेगी.
24	सहायक आयुक्त–II, भोपाल	मे. गोविन्द राय ठेकेदार, होषंगाबाद 161/11 (वेट)	2010–11 सितम्बर 2013	बिटुमिन	7866931	2	1	78669	236007	314676	अनुसूची क्रमांक II/I/26(5) के अनुसार बिटुमिन पर 2 प्रतिषत से प्रवेषकर की देयता आती है.
25	सहायक आयुक्त–II, भोपाल	मे. अग्रसेन ट्रेडर्स, टिमरनी 23984602125 88/11 (वेट)	2010–11 मई 2013	ऑइलसीड	625080	1	0	9251	27753	37004	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सोयाबीन के घोषणा पत्र पर पर विक्रय का क्रय मूल्य अधिक निर्धारित किये जाने के कारण सोयाबीन के क्रय पर कर का कम निरुपण किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।
26	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वैढन	मे. गजराज केमिकल्स, वैढन 23187304985 20/11 (वेट)	2010–11 जून 2013	एक्सप्लोसिव्स	225100000	2	1	2251000	6753000	9004000	अनुसूची III की पृविष्टि क्र. 1 के अनुसार एक्सप्लोसिव्स/विस्फोटक 2 प्रतिषत से करयोग्य है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जावेगी.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
27	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वैढन	मे. एम.के. एसोसिएट्स 23647300658 4/11 (वेट)	2010–11 सितम्बर 2013	एचईएमएम मशीनरी	27821507	1	0	278215	834645	1112860	कर निर्धारण आदेष में अंतरप्रांतीय विक्रय की राषि रु. 202775172/– की कमी दी गई. जबकि केन्द्रीय प्रकरण में अंतरप्रांतीय विक्रय रु. 201274128/– सत्यापित है. अतः अंतर की राषि पर प्रवेष कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
28	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वैढन	मे. राणा प्रताप सिंह, नंदगांव 23907300709 1086/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	बिटुमिन	1426627	2	1	14266	42798	57064	अनुसूची की पृविष्टि क्र. II/I/26(5) के अनुसार प्रवेषकर 2 प्रतिषत से देय था. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी.
29	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वैढन	मे. सिंगरौली ऑटो सेंटर 23737302112 56/11 (प्र.क.)	2010–11 अप्रेल 2013	ग्रीस	548000	2	1	5480	16440	21920	फार्म 49 से ग्रीस का क्रय रु. 548000/– सत्यापित होता है, जिस पर 2 प्रतिषत से प्रवेषकर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी.
30	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मे. आर.एम.सी. रेडीमिक्स 23824404026 216/11 (प्र.क.)	2010–11 जून 2013	रेडीमिक्स कांक्रीट	57815602	1	0	578156	0	578156	व्यवसायी पर 1 प्रतिशत की दर से कर की देयता आती है ।
31	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मे. भोलेबाबा डेयरी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड 23921404068 248/12 (प्र.क.)	2010–11 मार्च 2014	स्किम्ड मिल्क पावडर	12675000	2	1	126750	380250	507000	प्रवेश कर अधिनियम अनुसूची II भाग प्रविष्टि क्रमांक 31 के अनुसार व्यवसायी पर 2 प्रतिशत से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
32	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मे. कमलेष गुप्ता एण्ड कम्पनी 23631404664 सीएस0000000006298/11 (प्र.क.)	2010–11 जुलाई 2013	आयरन एण्ड स्टील	3192738	2	0	63855	191565	255420	भोपाल एवं पीथमपुर से क्रय की गई सामग्री ई.टी. नॉट पेड प्रमाणित है. अतः 2 प्रतिषत से प्रवेष कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
33	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–14, इंदौर	मे. अभिषेक मार्केटिंग, इंदौर 23511404342 337/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	स्किम्ड मिल्क पावडर	1292291	2	1	12923	38769	51692	प्रवेश कर अधिनियम अनुसूची II भाग पृविष्टि क्रमांक 31 के अनुसार व्यवसायी पर 2 प्रतिषत से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
34	वाणिज्यिक कर अधिकारी,	मे. आर.आर.टायर्स, इंदौर 23751204002 422/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	टायर ट्यूब्स	2649769	2	1	26499	79497	105996	अनुसूची की पृविष्टि क्रमांक II/I/29 के अनुसार 2 प्रतिषत से प्रवेश कर देय था. विभाग द्वारा उत्तर मे बताया गया कि सत्यापन

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	वृत्त–12, इंदौर										उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
35	उपायुक्त, वाणिजियक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. शेपर्स कन्स्ट्रक्षन लिमिटेड, भोपाल 23883600655 15/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	बिटुमिन	114724965	2	1	1147249	3441747	4588996	अनुसूची की प्रविष्टि क्र. II/I/26(5) के अनुसार प्रवेषकर 2 प्रतिशत से देय था ।
36	उपायुक्त, वाणिजियक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. दिलीप बिल्डकॉन 23974000876 123/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	बिटुमिन	363611147	2	1	3636111	10908333	1454444	अनुसूची की प्रविष्टि क्र. II/I/26(5) के अनुसार प्रवेशकर 2 प्रतिषत से देय था.
37	उपायुक्त, वाणिजियक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. एस.के. जैन 23303603011 105/11 (प्र.क.)	2010–11 अगस्त 2013	विविध	498500617	1	0	4985006	14955018	19940024	व्यवसायी पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेशकर की देयता आती है ।
38	उपायुक्त, वाणिजियक कर, संभाग–1, भोपाल	मे. अनिक इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड भोपाल 234641055286 119/11 (प्र.क.)	2010–11 अगस्त 2013	एस.एम.पी.	57612598	2	1	576126	0	576126	प्रवेश कर मुक्ति प्रमाण पत्र में एस.एम.पी. रॉ मटेरियल के रूप में दर्ज नहीं है एवं अपील ऑर्डर में भी अनुसूची II के भाग II की पृविष्टि क्रमांक 31 के अंतर्गत करयोग्य लेख किया गया है ।
39	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, ग्वालियर	मे. प्राग्मेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 23825208172 22/13 (प्र.क.)	2012–13 फरवरी 2015	टी.एम.टी. बार	14240512	2	0	284810	854431	1139241	राशि रु. 14240512/– के मेसर्स जयदीप इस्पात एवं मेसर्स राठी आयरन से क्रय पर प्रवेष कर नहीं चुकाया गया प्रमाणित है. अतः 2 प्रतिशत से प्रवेश कर की देयता आती है। विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी ।
40	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, ग्वालियर	मे. गुरुकृपा एसोसिएट्स 2325520176 49/13 (प्र.क.)	2012–13 फरवरी 2015	टी.एम.टी. बार एवं सीमेण्ट	4837265	2	0	96745	290236	386981	राशि रु. 4837265/– के मेसर्स राठी आयरन एण्ड स्टील एवं मे. प्रिज्म सीमेण्ट से क्रय पर प्रवेष कर नहीं चुकाया गया है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी.
41	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, ग्वालियर	मे. एच.एस. इंफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड 23059002948 57/13 (प्र.क.)	2012–13 फरवरी 2015	टी.एम.टी. बार	1600535	2	0	32011	96033	128044	राशि रु. 1600535/– के मेसर्स षिवांगी रोलिंग मिल्स से क्रय पर प्रवेश कर नहीं चुकाया गया है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्यवाही की जावेगी ।

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
42	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, ग्वालियर	मे. डी. जी. सॉ एण्ड मेटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड 23989009354 सी.एस.00000166618 (प्र.क.)	2010–11 जुलाई 2014	विविध	4581853	1	0	45819	0	45819	फार्म 49 के अनुसार हरिद्वार से क्रय राशि रु. 4581853/– पर प्रवेष कर नहीं चुकाया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण/सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
43	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, ग्वालियर	मे. आकाय सन्स, ग्वालियर 23525101346 578/12 (प्र.क.)	2010–11 जुलाई 2014	वाटर टेंक एवं सेनिटरी गुड्स	4704114	1	0	47041	0	47041	राशि रु. 4866829/– पर प्रवेषकर दिया गया जबकि सत्यापित अंकेक्षित लेखे के अनुसार रु. 9570943/– का क्रय सत्यापित/प्रमाणित है.
44	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. रागिनी इंटरप्राइजेज़, सतना 23607000756 58/12 (प्र.क.)	2011–12 मई 2014	दूध, घी, चॉकलेट	3425999	2	1	34260	102780	137040	व्यवसायी पर 2 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
45	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. एल टेल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड 23979035448 130/13 (प्र.क.)	2012–13 दिसम्बर 2014	ट्रांसफार्मर	8919873	5	1	356795	1070385	1427180	व्यवसायी पर 5 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
46	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. एल टेल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड 23979035448 सीएस0000000159473 (प्र. क.)	2011–12 जुलाई 2014	ट्रांसफार्मर	6000000	5	1	240000	0	240000	व्यवसायी पर 5 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन/परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।
47	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. जैन सन्स बांधवगढ़, सतना 23669034218 141/13 (प्र.क.)	2012–13 जनवरी 2015	स्टील बार	11463124	5	2	343896	0	343896	व्यवसायी पर प्रांत बाहर से स्टील बार के क्रय पर 5 प्रतिशत की दर से कर की देयता आती है ।
	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. जैन सन्स बांधवगढ़, सतना 23669034218 141/13 (प्र.क.)	2012–13 जनवरी 2015	स्टील	963421555	2	0	19268431	0	19268431	कर चुका होने संबंधी को तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये अतः व्यवसायी पर 2 प्रतिशत की दर से कर की देयता आती है ।
48	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1,	मे. एक्सेल अर्थमूवर्स 23567002621 1090/2012 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	अर्थ मूविंग मषीन एवं स्पेयर पार्ट्स	752268	5	3	15045	0	15045	ई–1/सी फार्म जमा न होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 3 प्रतिषत की दर से कर निरुपित किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन/परीक्षण उपरांत

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	सतना										कार्यवाही की जावेगी.
49	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, भोपाल	मे. साक्षी एंटरप्राइजेज़ 23693605076 287/11 (प्र.क.)	2010–11 जुलाई 2013	आयरन एवं स्टील	9968290	2	0	199366	0	199366	रेलवे साइडिंग एवं रेलवे लाइन लोकल एरिया/स्थानीय क्षेत्र की सीमा/के दायरे में न होने से व्यवसायी पर 2 प्रतिषत से कर की देयता आती है.
50	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, भोपाल	मे. राजधानी स्टील्स 2873601000 66/11 (प्र.क.)	2010–11 जुलाई 2013	आयरन एवं स्टील	42702828	2	0	854057	0	854057	रेलवे साइडिंग एवं रेलवे लाइन लोकल एरिया/स्थानीय क्षेत्र की सीमा/के दायरे में न होने से व्यवसायी पर 2 प्रतिषत से कर की देयता आती है.
51	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. कोस्टल प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 23486206974 31/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	मशीनरी	1211744527	1	0	12117445	36352335	48469780	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मषीनरी का क्रय अनियमित रूप से धारा 11 ए के अंतर्गत इंसीडेन्सल गुड्स में वर्गीकृत किया जिससे मषीनरी क्रय (टनल बोरिंग मषीन) पर प्रवेष कर निरुपित नहीं किया गया.
52	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. कोस्टल प्रॉडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 23486206974 31/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	टायर ट्यूब्स एवं लुब्रीकेंट्स	22193058	2	1	221931	665793	887724	प्रपत्र 49/फार्म 49 के अनुसार लुब्रीकेंट्स एवं टायर ट्यूब्स का क्रय सत्यापित/प्रमाणित होता है. अतः 2 प्रतिषत से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
53	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. शरद ट्रेडर्स, नरसिंहपुर 23836401315 3/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	सोयाबीन	3622389	1	0	36224	108672	144896	लाभ/प्राफिट की राषि कम नहीं किये जाने से अंतर की राषि पर 1 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर देय है.
54	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. नर्मदा शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड 231664020232 2/11 (प्र.क.)	2010–11 अप्रेल 2013	पी.पी. बेग्स	3822622	5	1	152905	458715	611620	अधिसूचना से बाहर/पूर्व के पी.पी.बेग्स पर 5 प्रतिषत से कर देय है/कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
55	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. बी.एल.ए. इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, गाडरवारा 23096403371 28/11 (प्र.क.)	2010–11 अगस्त 2013	कोल	42162526	2	0	843250	2529750	3373000	कोयले/कोल पर 2 प्रतिषत से कर की देयता आती है/कर देय है, जो कि नहीं दिया गया.
56	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. शारदा मां इंटरप्राइजेज़ 23716024180 18/11 (प्र.क.)	2010–11 जुलाई 2013	कोयला एवं आयरन	205818457	2	0	4116369	12349107	16465476	कोयले पर 2 प्रतिषत से कर देय था/कर की देयता थी, जो कि नहीं लगाया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
57	उपायुक्त, वाणिज्यिक	मे. महावीर कोल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड	2010–11 सितम्बर	कोयला	95164087	2	0	1903282	5709846	7613128	ट्रासंपोर्टेषन चार्जेज़/वाषरी रु. 95164087/– को कर योग्य विक्रय में सम्मिलित/षामिल

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरुपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	कर–II, जबलपुर	23787206297 06/11 (प्र.क.)	2013								नहीं किया गया, अतः 2 प्रतिषत से कर योग्य है.
58	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. महावीर कोल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड 23787206297	2010–11 सितम्बर 2013	कोयला	52786427	2	0	1055728	0	1055728	बिलों/देयकों पर आवष्यक स्टाम्प/मोहर "ई. टी. नॉट पेड" अंकित/लेख नहीं है. अतः 2 प्रतिषत से करयोग्य है.
59	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर–II, जबलपुर	मे. नीर निधि मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 23536206995 24/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	कोयला तथा आयरन एवं स्टील	128082999	2	0	2561660	0	2561660	एच.ई.एम.एम. स्पेयर्स एवं पार्ट्स पर प्रवेष कर देय है, जो कि निरुपित नही किया गया.
60	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सतना	मे. सतना सॉल्वेंट लिमिटेड, सतना 23537002686 61/11 (प्र.क.)	2010–11 जून 2013	हेक्सेन	4320358	10	1	388832	1166496	1555328	अधिसूचना क्रमांक ए–3–195–05–1–(14) दिनांक 1.04.2007 के अनुसार धारा 4 ए के तहत 10 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर देय था. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
61	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सतना	मे. जिमको लिमिटेड 232917300752 19/13 (प्र.क.)	2012–13 जनवरी 2013	एच.ई.एम.एम. स्पेयर पार्ट्स	1000635395	2	1	10006354	3019062	40025416	एच.ई.एम.एम. स्पेयर्स एवं पार्ट्स पर 2 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर देय था, जो कि निरुपित नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
62	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, सतना	मे. एस्सार पॉवर एम.पी. लिमिटेड, सिंगरौली 23637305853 41/12 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	रॉ मटेरियल, प्लाण्ट एवं मषीनरी	3736499708	1	0	37364998	0	37364998	रॉ मटेरियल, प्लाण्ट एवं मषीनरी पर 1 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर निरूपित किया जाना था जो कि उत्पादन व्यय मानते हुए निरूपित नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
63	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. ममता ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड 23981100037 08/12 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	ट्रांफार्मर	118962421	1	0	1189624	2379248	3568872	उत्पादन इकाई द्वारा विक्रय देयकों पर "एंट्री टैक्स नॉट पेड, स्थानीय माल" की मोहर नहीं लगाई गई/सत्यापित नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
64	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. ममता ट्रांसफार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड 23981100037 11/13 (प्र.क.)	2012–13 नवम्बर 2014	ट्रांफार्मर	118614898	1	0	1186149	2372298	3558447	उत्पादन इकाई द्वारा विक्रय देयकों पर "एंट्री टैक्स नॉट पेड, स्थानीय माल" की मोहर नहीं लगाई गई/सत्यापित नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
65	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9,	मे. वी.एन.एस. इंजीनियरिंग 23311104625 सी.एस.00000000000291149 (प्र.क.)	2012–13 मार्च 2014	मशीनरी पार्ट्स	496698	1	0	4967	14901	19868	प्रांत बाहर से क्रय रु. 1072510/– था, जबकि राषि रु. 575812/– पर प्रवेष कर निरुपित किया गया, अतः शेष राषि पर 01 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	इंदौर										है/कर देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
66	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. हाइटेक टेक्नोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड 23330105611 सीएस000000312503 (प्र.क.)	2012–13 मार्च 2015	इलेक्ट्रिकल गुड्स	5054181	2	1	50541	151123	201664	पृविष्टि क्रमांक ।।/।।।/। के अनुसार इलेक्ट्रिल गुड्स पर 1 प्रतिषत के स्थान पर 2 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
67	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–9, इंदौर	मे. प्लास्ट–ओ–फिबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 23211100897 सीएस000000131836 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	इण्डस्ट्रियल फाइबर शीट	161420	1	0	1614	4842	6456	राशि रु. 161420/– के फ्रेट एवं कार्टिज के प्रत्यक्ष व्यय क्रय में सम्मिलित/षामिल नहीं थे. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
68	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–10, इंदौर	मे. दीपक ट्रेडर्स 23181004447 1003/12 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	इलेक्ट्रिकल गुड्स	1884007	1	0	18840	56520	75360	देयको पर "ई.टी. नॉट पेड" मुद्रित होने के कारण 2011–12 में 1 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है/कर देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
69	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, भोपाल	मे. गुरमुखदास ठेकेदार, भोपाल 23033804483 सीएस000000002325 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	टी.एम.टी. बार्स	15779777	5	2	473393	1420179	1893572	टी.एम.टी. बार्स पर 5 प्रतिषत के स्थान पर 2 प्रतिषत से कर निरूपित किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
70	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, भोपाल	मे. गुरमुखदास ठेकेदार, भोपाल 23033804483 सीएस000000002325 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	बिटुमिन	1555302	2	1	15553	46659	62212	अनुसूची पृविष्टि क्रमांक ।।/।/26 (5) के अनुसार बिटुमिन पर 2 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर देय था. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
71	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–3, भोपाल	मे. माय बाइक, कोहेफिज़ा भोपाल 23503806407 सीएस000000063648 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	ओल्ड/पुराने एवं सेकेण्ड हेंड वाहन	9444363	1	0	94443	283329	377772	ओल्ड/पुराने एवं सेकेण्ड हेंड वाहनों पर प्रवेष कर निरूपित नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
72	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, उज्जैन	मे. सावन इण्डस्ट्रीज 23342602531 427/12 (प्र.क.)	2011–12 मई 2014	मेंहदी एवं मेंहदी पावडर	3375000	1	0	33750	101250	135000	मेंहदी को हर्बल/जड़ी–बूटी मान्य करते हुए कर निरूपित/रोपित नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
73	वाणिज्यिक	मे. नवनीत सीड्स	2012–13	सोयाबीन	10867542	1	0	108675	0	108675	व्यवसायी पर 1 प्रतिषत की दर से कर की

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	कर अधिकारी, वृत्त–1, उज्जैन	23972608411 982/12 (प्र.क.)	दिसम्बर 2014								देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
74	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–13, इंदौर	मे. मेट्रो केष एण्ड केरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 23972608411 459/12 (प्र.क.)	2012–13 फरवरी 2015	किराना कॉस्मेटिक्स	29974139	1	0	299741	899223	1198964	अंकेक्षित लेखे के अनुसार राषि रु. 18649814/– का करमुक्त क्रय किया गया जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राषि रु. 48623953/– की करमुक्त क्रय की कमी दी गई. अतः अंतर राषि पर 1 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
75	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, मंडीदीप	मे. हाइथ्रो पॉवर कॉर्पोरेषन लिमिटेड, बेतूल 23684705692 106/13 (प्रां.), 48/13(के.) 96/13 (प्र.क.)	2012–13 फरवरी 2015	पी.सी.सी. पोल, इंसुलेटर, गेल्वेनाइज्ड स्टे सेट, ट्रांफार्मर, फ्यूज इकाई	125000000	1	0	1250000	3750000	5000000	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ई–1/सी ट्रांजेक्षन/लेन–देन को फार्म/प्रपत्र प्रस्तुत न करने के कारण अमान्य किया गया एवं अंतरप्रांतीय विक्रय मान्य किया गया. अंतरप्रांतीय विक्रय के क्रय मूल्य पर प्रवेष कर निरूपित नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
76	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, मंडीदीप	मे. मानक्सिया लिमिटेड 23504102257 23/13 (प्रां.)	2012–13 फरवरी 2015	मॉस्किटो कॉइल/मच्छर अगरबत्ती एवं एल्युमिनियम कॉइल/अगर बत्ती स्टेण्ड	14527114	2	1	145271	0	145271	अनुसूची II/III/I के अनुसार कॉइल स्टेण्ड पर 2 प्रतिषत की दर से कर देय है/कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
77	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त, मंडीदीप	मे. बालाजी प्रोडक्षन 23149064049 561/13 (प्रां.)	2012–13 दिसम्बर 2014	प्लाण्ट एवं मषीनरी	2173914	2	1	21739	0	21739	प्लाण्ट एवं मषीनरी पर 2 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
78	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	मे. समेधा वेहिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 23275205225 सीएस000000255177 (प्रां.)	2012–13 जनवरी 2015	मोटर वेहिकल्स एवं स्पेयर पार्ट्स	2466106	2	0	49322	147966	197288	स्थानीय माल की रु. 22429182/– की कमी दी गई परन्तु प्रकरण में रु. 19963076/– के देयक ही पाये गये. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
79	वाणिज्यिक कर	मे. लखपत सिंह कॉन्ट्रेक्टर 23985203525	2011–12 जुलाई	बिटुमिन	5469023	2	1	54690	164070	218760	अनुसूची की पृविष्टि क्रमांक II/I/26 (5) के अनुसार बिटुमिन 2 प्रतिषत से करयोग्य है.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	1372/12 (प्र.क.)	2014								विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
80	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	मे. षिवानी एंटरप्राइजेज़ 23025204150 762/12 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	हॉट प्लेट्स	5416753	2	1	54168	162504	216672	अनुसूची की पृविष्टि क्रमांक II/I/21 के अनुसार हॉट प्लेट्स 2 प्रतिषत से करयोग्य थीं. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
81	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	मे. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ 23965203245 सीएस0000000136171 (प्र.क)	2011–12 जून 2014	मिल्क पावडर	8884200	2	1	88842	266526	355368	अनुसूची की पृविष्टि क्रमांक II/I/31 के अनुसार एसएमपी/स्किम्ड मिल्क पावडर 2 प्रतिषत से करयोग्य थां. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
82	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	मे. रामेन्द्र सिंह कुषवाहा 23335203349 सीएस000000013259 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	बिटुमिन	8211468	2	0	164229	492687	656916	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राषि रु. 1209810/– के बिटुमिन पर 2 प्रतिषत की दर से कर निरूपित किया गया जबकि बिटुमिन की कुल प्राप्ति रु. 15938552/– में से रु. 6517273 (40.89 प्रतिषत) प्रषमन कार्य में प्रयुक्त हुआ. अतः अंतर राषि रु. 8211468/– पर 2 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
82	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–II, ग्वालियर	मे. टी.डी.टी. कॉपर लिमिटेड, ग्वालियर 23909006161 सीएस0000000179730(प्र.क.)	2011–12 नवम्बर 2014	कॉपर वायर, रॉड	3324358	1	0	33244	99732	132976	सकल क्रय में से अंतरप्रांतीय विक्रय की कमी देने/कम करने उपरान्त 1 प्रतिषत की दर से कर निरूपित/रोपित किया गया, जबकि प्रांतीय एवं केन्द्रीय प्रकरण में सकल एवं अंतरप्रांतीय विक्रय क्रमषः रु. 184972444 एवं रु. 29307264 निर्धारित था/किया गया. अतः अंतर राषि रु. 3324358 पर 1 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि सत्यापन उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
83	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–देवास	मे. उन्नति कंस्ट्रक्षन प्राइवेट लिमिटेड 23752306019 सीएस0000000110515(प्र.क.)	2011–12 जून 2014	रेडीमिक्स कॉंक्रीट	10826821	2	0	216536	0	216536	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत व्यवसायी से क्रय राषि रु. 8787272 पर कर निरूपित किया गया एवं मे. अषोका बिल्डकॉन से क्रय राषि रु. 108226821/– से क्रय की कमी दी गई. मे. अषोका बिल्डकॉन निर्माण/निर्माता इकाई है एवं निर्माता इकाई

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई / व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि / माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य / कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरुपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
											से क्रय कर चुका नहीं है. अतः 2 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है / कर देय है.
84	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–देवास	मे. एस. कुमार्स लिमिटेड, देवास 23542301236 सीएस0000001974467(प्र.क.)	2011–12 फरवरी 2015	प्लाण्ट एवं मषीनरी	8377842	2	1	83778	251335	335113	प्लाण्ट एवं मषीनरी पर 1 प्रतिषत की स्थान पर 2 प्रतिषत से कर देय है / कर की देयता आती है.
85	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–देवास	मे. मूलचंद गोपीकृष्ण गर्ग 23052302136 सीएस000000103450(प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	बरदाना	6773745	1	0	67737	0	67737	बारदाना क्रय रु. 6773745 कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
86	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. इन्फेब इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 23794005922 सीएस000000118527 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	स्टील टीएमटी बार	15762401	5	2	472872	1418616	1891488	प्रांत बाहर से क्रय किया गया टी.एम.टी. बार 5 प्रतिषत की दर से करयोग्य है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. इन्फेब इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 23794005922 सीएस000000118527 (प्र.क.)	2011–12 जून 2014	स्टील	7916922	2	0	158338	475014	633352	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करचुका क्रय की रु. 31141775 / – की कमी दी गई. मे. एस्सार स्टील द्वारा जारी किये गये विक्रय देयकों के अनुसार प्रवेषकर अधिनियम की अधिसूचना दिनांक 01 / 04 / 10 के तहत घोषण पत्र पर विक्रय सत्यापित है. अतः क्रय प्रवेष कर चुका क्रय सत्यापित नहीं एवं 2 प्रतिषत की दर से करयोग्य है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
87	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. वियरटेक इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड 23584000848 सीएस000000205004 (प्र.क.)	2012–13 फरवरी 2015	फिक्स्ड एसेट्स	12908513	2	0	258170	774510	1032680	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर योग्य क्रय रु. 263114208 निर्धारित किया गया जिसमें अचल सम्पत्ति क्रय रु. 2996272 लिया गया. अंकेक्षित लेखे के अनुसार भोपाल शाखा का क्रय रु. 273026449 सत्यापित है. अतः कम निर्धारित कर योग्य क्रय रु. 12908513 पर 2 प्रतिषत की दर से कर देय है / कर की देयता आती है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
88	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. मारुति एंटरप्राइजेज़ 23794007959 678 / 12 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	कोल / कोयला	1944820	3	2	19448	58344	77792	पृविष्टि क्रमांक ।। / । / 3 के अनुसार कोयले पर 3 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर की देयता आती है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिषत की दर से करारोपण किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
89	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड 23464007025 204/12 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	टेलीकम्यूनिकेशन टॉवर्स एवं इक्विपमेंट्स	91120308	2	1	911203	2733609	3644812	पृविष्टि क्रमांक II/32 के अनुसार टेलीकम्यूनिकेषन टॉवर्स पर 2 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर की देयता आती है/देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
90	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. अल्काटेल लूसेंट नेटवर्क मेनेजमेंट सर्विसेज़ 23284008385 121/12 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	टेलीकम्यूनिकेशन टॉवर्स एवं इक्विपमेंट्स	17025437	2	1	170254	510762	681016	पृविष्टि क्रमांक II/32 के अनुसार टेलीकम्यूनिकेषन टॉवर्स पर 2 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर की देयता आती है/देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
91	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. जय अम्बे स्टोन क्रषर 23074001565 सीएस000000171941 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	विस्फोटक	650760	2	0	13015	39045	52060	विस्फोटक पर 2 प्रतिषत की दर से कर की देयता आती है/कर देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
91	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–5, भोपाल	मे. जय अम्बे स्टोन क्रषर 23074001565 सीएस000000171941 (प्र.क.)	2011–12 जुलाई 2014	गिट्टी	3743543	1	0	37435	112305	149740	देयकों/बिल इनवॉइस पर ई.टी. पेड/प्रवेष कर चुका की मोहर है एवं प्रवेष कर नहीं दिया गया है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
92	सहा. आयुक्त, संभाग–1 भोपाल	मे. स्टर्लिंग एण्ड विल्सन प्राइवेट लिमिटेड 23294008331 199/13 (प्र.क.)	2012–13 जुलाई 2014	ट्रांफार्मर	55520729	5	1	2220829	6662487	8883316	सेक्शन 4 ए के अनुसार ट्रांसफार्मर पर 2 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत से प्रवेश कर देय है ।
93	सहा. आयुक्त, संभाग–1 भोपाल	मे. राज रेडियोज़, भोपाल 23473700257 87/13 (प्र.क.)	2012–13 अक्टूबर 2014	पब्लिक एड्रेस सिस्टम	4138356	2	0	82766	248298	331064	क्रय में ट्रांसपोर्टेशन व्यय सम्मिलित/शामिल नहीं है ।
94	सहा. आयुक्त, संभाग–1 भोपाल	मे. सर्वोत्तम फ्यूल एण्ड मिनरलल्स 2318902311 123/13 (प्र.क.)	2012–13 जुलाई 2014	कोल/ कोयला	1422401	3	0	42672	0	42672	अंकेक्षित लेखे के अनुसार कोयला क्रय रु. 274706502/– है एवं प्रत्यक्ष व्यय रु. 611340/– है. प्रत्यक्ष व्यय जोड़ने उपरांत कुल क्रय रु. 275317842/– है. अंतर राशि रु. 422401/– पर 3 प्रतिशत की दर से कर देय है/कर की देयता आती है ।
95	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. साईंनाथ इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज़ 23021100565 3046/1011 (प्र.क.)	2010–11 दिसम्बर 2012	ऑटो पार्ट्स	37296646	1	0	372966	1118898	1491864	प्रांत बाहर से क्रय सामग्री/माल को क्रय में सम्मिलित नहीं किया गया. अतः प्रवेश कर देय है ।

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
96	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. गार्डन सिटी, इंदौर 2326114604 2/11 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2013	बिल्डिंग मटेरियल	99502729	1	0	995027	0	995027	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कम क्रय पर करारोपण किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
97	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. गार्डन सिटी, इंदौर 2326114604 391/12 (प्र.क.)	2011–12 फरवरी 2014	बिल्डिंग मटेरियल	131104256	1	0	1311043	0	1311043	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कम क्रय पर करारोपण किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. गार्डन सिटी, इंदौर 2326114604 391/1011 (प्र.क.)	2011–12 फरवरी 2014	टीएमटी बार	22900156	5	2	687005	2061015	2748020	प्रांत बाहर से क्रय किये गये टी.एम.टी. बार पर 5 प्रतिषत की दर से कर देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
98	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. गार्डन सिटी, इंदौर 2326114604 622/14 (प्र.क.)	2012–13 मार्च 2014	बिल्डिंग मटेरियल	168388600	1	0	1683886	0	1683886	अंकेक्षित लेखे की तुलना में कम क्रय पर करारोपण किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. डी.एल.एफ. गार्डन सिटी, इंदौर 2326114604 622/14 (प्र.क.)	2012–13 मार्च 2014	सीमेंट	7926761	2	0	158535	475596	634131	सीमेंट क्रय को प्रवेष कर देय मान्य किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
99	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. मणिधारी ट्रेडिंग कम्पनी 23980501256 41/10 (प्र.क.)	2010–11 सितम्बर 2012	चाय	2569001	1	0	25690	77070	102760	अंकेक्षित लेखे के अनुसार कंसाइनमेंट व्यय रु. 3521580/– के स्थान पर रु. 952579/– लिया गया, अतः प्रवेष कर की देयता आती है.
100	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. विकास डिस्ट्रीब्यूषन 23590701242 642/11 (प्र.क.)	2010–11 अप्रेल 2012	आयरन टूल्स	15632259	2	1	156323	0	156323	पृविष्टि क्रमांक II/II/30 के अनुसार प्रांत बाहर से क्रय आयरन एण्ड स्टील पर 2 प्रतिषत से प्रवेष कर देय है. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
101	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I,	मे. अमर राजा बैटरी, इंदौर 2351102734 167/11 (प्र.क.)	2010–11 फरवरी 2013	बैटरी	12440404	1	0	124404	0	124404	स्टॉक ट्रांसफर/अंतरप्रांतीय विक्रय की अधिक कमी दी गई. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	इंदौर										
102	उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग– I, इंदौर	मे. समय एंटरप्राइजेज़ 23350902358 124/11 (प्र.क.)	2010–11 जनवरी 2012	घड़ी	1529003	1	0	15290	0	15290	घड़ी के क्रय को करमुक्त मान्य किया गया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
103	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल	मे. सुनील हाइटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड, बैतूल	2010–11 सितम्बर 2013	आयरन एण्ड स्टील	106834850	2	0	2136697	0	2136697	आयरन एण्ड स्टील क्रय को ई–1/सी व्यवसाय मान्य कर कमी दी गई. अपितु/किन्तु अनुबंध से यह सत्यापित होता है निर्माण में प्रयुक्त मटेरियल/सामग्री का प्रांत बाहर से क्रय किया गया था.
104	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–1, भोपाल	मे. राजीव प्रकाष एसोसिएट्स 23436206371 सीएस0000000017989	2010–11 सितम्बर 2013	पेकिंग मटेरियल	6141157	1	0	61412	27297	88709	सामग्री को अनुसूची III की सामग्री मान्य करते हुए प्रवेष कर निरूपित नहीं किया गया/नहीं लगाया गया. जबकि अनुसूची II की पृविष्टि क्रमांक I/III के अनुसार पैकिंग मटेरियल पर 1 प्रतिषत की दर से प्रवेष कर देय है/की देयता आती है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
105	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–13, इंदौर	मे. आदिनाथ पैकेजिंग 23771304289 सीएस0000000047390	2010–11 मई 2013	पी.पी. फैब्रिक्स	6689934	5	1	267597	802791	1070388	प्रवेश कर 5 प्रतिषत से निरूपित किया जाना था. अपितु/किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिषत से कर का निरूपण किया गया. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
106	प्रभारी सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त–13, इंदौर	मे. मसंद एग्रीटेक 23961304039 47/11	2010–11 अक्टूबर 2013	एच.डी.पी.ई. बैग्स	24168170	5	1	966727	2900181	3866908	प्रवेश कर 5 प्रतिषत से निरूपित किया जाना था. अपितु/किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिषत से कर का निरूपण किया गया. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
106	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–3, ग्वालियर	मे. संत रविदास चरन शिल्प विकास एवं अनुसंधान केंद्र 2381511235 सीएस00000000026105	2010–11 सितम्बर 2013	लेदर गुड्स	6069726	2	1	60697	182091	242788	प्रवेश कर 2 प्रतिषत से निरूपित किया जाना था. अपितु/किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिषत से कर का निरूपण किया गया. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
108	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर	मे. बालाजी एंटरप्राइजेज़ कटनी 23856207498 277/11	2010–11 सितम्बर 2013	कोल/कोयला	8093105	2	1	80931	36419	117350	प्रवेश कर 5 प्रतिषत से निरूपित किया जाना था. अपितु/किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिषत से कर का निरूपण किया गया. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	वृत्त–01, कटनी										परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
109	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर सतना	मे. एलटेल इंजीनियर, सतना 23987102203 26/12	2011 स्वकर प्रकरण जानकारी उपलब्ध नहीं	ट्रांसफार्मर	3400000	5	1	136000	408000	544000	प्रवेश कर 5 प्रतिषत से निरूपित किया जाना था. अपितु/किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिषत से कर का निरूपण किया गया. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
110	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर संभाग–।।, ग्वालियर	मे. पारस ट्रेनिंग/ट्रेडिंग कम्पनी 23885003469 45/11	2010–11 थ्सतंबर 2013	ऑयल सीड्स एवं बारदाना	346954296	1	0	593974	0	593974	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि लेखापाल द्वारा करमुक्त सामग्री पर मण्डी शुल्क एवं निराश्रित शुल्क शामिल करते हुए गणना की गई जिस पर प्रवेष कर देय नहीं है. उत्तर मान्य नहीं है वेट अधिनियम की धारा 2(5) के अनुसार क्रय मूल्य में स्थानीय कर एवं क्रय पर किये गये अन्य व्यय सम्मिलित हैं.
111	सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक कर सतना	मे. कोटूमल हसनचंद, सतना 23237100045 सीएस0000000069243	2011–12 मार्च 2014	गुड़	10466081	1	0	104660	313980	418640	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करमुक्त मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 1 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
112	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–धार	मे. बालाजी एक्सप्लोसिव 23121603552 1492/10	2009–10 अप्रेल 2012	विस्फोटक	3172959	2	0	63459	0	63459	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करचुकी सामग्री/करचुका क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 2 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रु. 63459 का कर एवं रु. 190377 की शास्ति रोपित/निरूपित की गई (नवम्बर 14).
113	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–बुरहान पुर	मे. टेक्समो पाइप एवं प्रॉडक्ट लिमिटेड 23311908464 282/10	2009–10 मई 2012	पी.वी.सी. रेजिन एवं एच.डी.पी.ई.	17201534	1	0	172015	0	172015	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करचुकी सामग्री/करचुका क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 1 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया/कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
114	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–।।, भोपाल	मे. झूलेलाल बेकरी 2384702236 273/07	2006–07 एवं 07–08 मई 2009	मैदा	2091394 4071399	1	0	50914 40714	0	91628	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करमुक्त सामग्री/करमुक्त क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 1 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया/कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
115	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–4 भोपाल	मे. आशीर्वाद इलेक्ट्रॉनिक्स 23383902503 124/10	2009–10 टप्रेल 2012	इलेक्ट्रॉनिक	4527196	1	0	40426	0	40426	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समय त्रुटिवष रु. 4527196/– के स्थान पर रु. 484567/– क्रय मान्य किया. विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि राषि की वसूली की जावेगी.
116	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–नरसिंह पुर	मे. नर्मदा फर्टिलाइजर्स 23596403581 113/08	2007–08 जून 2010	फर्टिलाइजर, एच.डी.पी.ई. बैग्स, फर्नेस ऑयल	950426 62280 813000	1 5 10	0 1 1	9504 2491 73170		85165	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय फर्टिलाइजर्स को करचुकी सामग्री/करचुका क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 1 प्रतिषत से कर देय था. एच.डी.पी.ई. बैग्स एवं फर्नेस ऑयल के प्रकरण में प्रवेष कर क्रमषः 5 प्रतिषत एवं 10 प्रतिषत निरूपणीय था. अपितु/किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र 1 प्रतिषत कर निरूपित किया गया. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया/कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
		मे. नर्मदा फर्टिलाइजर्स 23596403581 96/09	2008–09 सितम्बर 2010	फर्टिलाइजर, एच.डी.पी.ई. बैग्स, फर्नेस ऑयल	2659764 925175 596088	1 5 10	0 1 1	26598 37007 53648		117253	
117	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–2 भोपाल	मे. विजय पम्प्स 23313703688 122/08	2007–08 जुलाई–10	डीजल ऑयल इंजिन	2284408	1	0	22844	9435	32279	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करमुक्त सामग्री/करमुक्त क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 1 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया/कहा गया कि व्यवसायी पम्प सेट का व्यवसाय करता है न कि इंजिन का. उत्तर मान्य नहीं है, व्यवसायी द्वारा प्रांत बाहर से डीजल इंजिन क्रय किये गये थे.
118	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त–धार	मे. श्रीराम कृषि केन्द्र 23661602964 सीएस000000043917	2010–11 फरवरी–13	बायो–पेस्टीसाइड्स	6304744	1	0	63047	0	63047	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करमुक्त सामग्री/करमुक्त क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 1 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया/कहा गया कि बाये–फर्टिलाइजर्स एवं बायो–पेस्टीसाइड्स (गोबर उत्पाद) अनुसूची 1 की पृविष्टि क्रमांक 26 के अंतर्गत करमुक्त हैं. उत्तर मान्य नहीं है, बायो–पेस्टीसाइड्स अनुसूची 1 में शामिल नहीं हैं अपितु अधिनियम की पृविष्टि क्रमांक ।।/ ।।/24 के अंतर्गत करयोग्य हैं.
119	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त, वाणिज्यिक	मे. कोठारी आयरन स्टील कम्पनी 23720203706	2010–11 फरवरी–13	आयरन एवं/एण्ड स्टील	22383143	2	0	447663	0	447663	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करचुकी सामग्री/करचुका क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण

स.क्र.	इकाई का विवरण	इकाई/व्यवसायी का नाम टिन, प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण की अवधि/माह	सामग्री का नाम	सामग्री का मूल्य/कर योग्य विक्रय	निरूपण योग्य कर की दर (प्रतिशत)	निरूपित कर की दर (प्रतिशत)	कम निरूपित कर की राशि	शास्ति	कुल योग	संक्षिप्त लेखापरीक्षा विवेचना एवं विभाग का उत्तर
	कर, संभाग–1, इंदौर	सीएस000000016323									नहीं किया, जबकि 2 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया/कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
120	वाणिज्यिक कर अधिकारी, शहडोल	मे. दोषी आयन एक्सचेंज एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज़ 23127205205 206/11	2010–11 सितम्बर–13	पाइप एवं फिटिंग्स	39072500	1	0	390725	169965	560690	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय सामग्री को करमुक्त सामग्री/करमुक्त क्रय मान्य करते हुए कर निरूपित/करारोपण नहीं किया, जबकि 1 प्रतिषत से कर देय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बताया/कहा गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
121	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. आर. एम. सेल्स 23667004700 46/12	2011–12/ स्वकर प्रकरण	वहनों के स्पेयर पार्ट्स	30953710	1	0	309537	928611	1238148	व्यवसायी द्वारा प्रवेष कर की गणना हेतु क्रय के कुछ भाग ही सम्मिलित/षामिल किया गया. यह बताये जाने पर/चिन्हित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक कोई उत्तर नहीं दिया गया.
122	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. महालक्ष्मी टाइल्स 23727004166 474/12	2011–12/ स्वकर प्रकरण	टाइल्स	13634286	2	1	136343	0	136343	प्रवेश कर 2 प्रतिषत से देय था, जबकि कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 1 प्रतिषत से करारोपण किया गया. यह बताये जाने पर/चिन्हित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक कोई उत्तर नहीं दिया गया.
123	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–2, उज्जैन	मे. मदन मोहन एंटरप्राइजेज़ 23672703278 131/11	2010–11 अगस्त 13	ऑयल सीड्स	29630560	1	0	296305	124448	420753	सामग्री पंजीकृत व्यवसायी द्वारा/से क्रय किये जाने पर करमुक्त है. जबकि ऑयल सीड्स अपंजीकृत व्यवसायी से क्रय किये गये अतः 1 प्रतिषत से कर निरूपणीय था. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कहा गया/बताया गया कि परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी.
124	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–1, सतना	मे. स्टील ट्रेडर्स 237070001089 743/11	2011–12 मार्च–14	टी.एम.टी. बार	2640562	5	2	79217	26141	105358	प्रवेश कर 5 प्रतिषत से निरूपणीय था/करारोपित किया जाना था. अपितु/किन्तु कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र 2 प्रतिषत से करारोपण किया गया. यह बताये जाने/चिन्हित किये जाने उपरांत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक कोई उत्तर नहीं दिया गया.
			योग		**11389800212**			**134029578**	**178463680**	**312493258**	

परिशिष्ट–XVII
(कंडिका 2.9 के संदर्भ में)
छूट की त्रुटिपूर्ण/अनियमित कमी

(राषि ` में)

स. क्र.	इकाई का नाम	व्यवसायी टिन प्रकरण क्रमांक	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह	समग्री का नाम	टर्नओवर विक्रय (लाख रु. में)	निरूपित किये जाने योग्य कर की दर (प्रतिषत)	निरूपित किये गये कर की दर (प्रतिषत)	कम निरूपित कर की राषि	शास्ति	कुल मांग	लेखा परीक्षा की टीप/का अभिमत	विभाग का उत्तर	लेखा परीक्षा की टीप/का अभिमत
1	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, रतलाम	धेनुका एक्सटेंषन प्राइवेट लिमिटेड	2012–13 मार्च 2014	हेक्जेन	16184082	10	0	1618408	4855224	6473632	अधिसूचना के अनुसार प्रवेष कर से छूट लागू नहीं है, अतः व्यवसायी प्रवेष कर से छूट हेतु पात्र नहीं है.	परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है.
				अन्य सामग्री	517324503	1	0	5173245	15519735	20692980			
2	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, रतलाम	धेनुका एक्सटेंषन प्राइवेट लिमिटेड	2011–12 फरवरी 2014	हेक्जेन	12163304	10	0	1216330	3648990	4865320			
				अन्य सामग्री	421611426	1	0	4216114	12648342	16864456			
3	उपायुक्त वाणिज्यि कर, रतलाम	किसान इरीगेषन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर	2010–11 अप्रेल 2013	एच.डी.पी.ई., पैकिंग मटेरियल	937035112	1	0	9370351	28111053	37481404	व्यवसायी द्वारा अधिसूचना के नियम एवं शर्तें पूरी/पूर्ण/मान्य न करने के बावजूद छूट दी गई. यथा/जैसे कि– मात्रात्मक विवरण, रॉ मटेरियल, कंसम्पषन/खपत विवरण (सनदी लेखापाल द्वारा सत्यापित) आदि उपलब्ध/संलग्न नहीं था	परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है.
4	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, रतलाम	मे. कटारिया इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	2010–11 जून 2013	प्लाण्ट एवं मषीनरी	38760911	1	0	387609	1162827	1550436	प्लाण्ट एवं मषीनरी पर प्रवेष कर निरूपित नहीं किया गया.	परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है.
5	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, रतलाम	मे. गुजरात अम्बुजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	2010–11 अप्रेल 2013	हेक्ज़ेन	7836200	10	0	783620	2350860	3134480	व्यवसायी द्वारा अधिसूचना के नियम एवं शर्तें पूरी/पूर्ण/मान्य न करने के बावजूद छूट दी गई. यथा/जैसे कि– मात्रात्मक विवरण, रॉ मटेरियल, कंसम्पषन/खपत विवरण (सनदी लेखापाल द्वारा सत्यापित) आदि उपलब्ध/संलग्न नहीं था	परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है.
				कोल	23547229	2	0	470945	1412835	1883780			
				सोया सीड्स आदि	1290597391	1	0	12905974	38717922	51623896			

6	उपायुक्त वाणिज्यि कर, संभाग–1, इंदौर	अंबिका सॉल्वेक्स	2010–11 सितम्बर 2013	सोयासीड्स एवं क्रूड ऑयल	234875590	1	0	2348755	7046265	9395020	पृथक अंकेक्षित लेखा, मात्रात्मक विवरण, उत्पादन विवरण (सनदी लेखापाल द्वारा सत्यापित) उपलब्ध/संलग्न नहीं था. अतः व्यवसायी द्वारा अधिसूचना की शर्तों को पूरा नहीं किया गया/का पालन नहीं किया गया.	कर निर्धारण के समय करमुक्ति अधिसूचना प्रस्तुत की गई थी.	न तो कर निर्धारण प्रकरण में पाया गया न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया
7	उपायुक्त वाणिज्यि कर, संभाग–1, इंदौर	मे. भगवान दास मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	2009–10 जून 2012	ऑटोमोबाइल पार्ट्स का रॉ मटेरियल/ कच्चा माल	118325367	1	0	1183254	3549762	4733016	व्यवसायी द्वारा रिटर्न/विवरणी प्रस्तुत नहीं किये गये, फिर भी छूट दी गई.	परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है.
8	उपायुक्त वाणिज्यि क कर, संभाग–। ।, भोपाल	मे. क्रॉम्प्टन ग्रीव्स लिमिटेड, ट्रांसफार्मर डिवीजन	2010–11 मई 2013	ट्रांफार्मर	1830752720	1	0	5988534	17965602	23954136	पृथक अंकेक्षित लेखा, मात्रात्मक, उत्पादन विवरण (सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित/सत्यापित) उपलब्ध नहीं था. अतः व्यवसायी अधिसूचना के नियम एवं शर्तों को पूर्ण नहीं कर सका.	इंस्टाल्ड केपेसिटी/क्षमता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेष कर से छूट दी गई.	अधिसूचना में दर्षाये अनुसार वांछित प्रमाण–पत्र न तो प्रकरण में संलग्न था न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया.
9	उपायुक्त वाणिज्यि क कर, संभाग–। ।, भोपाल	अभिषेक इण्डस्ट्रीज़	2010–11 जुलाई 2013	यार्न	1456649983	1	0	14566500	43699500	58266000		करमुक्ति पात्रता प्रमाणपत्र कर निर्धारण के समय प्रस्तुत किया गया था.	यह न तो प्रकरण की नस्ती में संलग्न था न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया.
10	उपायुक्त वाणिज्यि क कर, संभाग–। ।, भोपाल	मे. सतरंग स्टील एण्ड अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, मंडीदीप	2010–11 जनवरी 2014	आयरन एण्ड स्टील	415620997	1	0	4156210	12468630	16624840	व्यवसायी द्वारा रॉ मटेरियल/कच्चे माल की पूरी मात्रा पर करमुक्ति प्राप्त की गई. प्रवेष कर मुक्ति केवल इकाई की एक्टेंडेड यूनिट/विस्तारित क्षमता के लिये/में प्रयुक्त रॉ मटेरियल/कच्चे माल पर ही दी जानी थी.	उत्पादन इंस्टाल्ड क्षमता के अंदर था अतः छूट वैध है.	समस्त/ संपूर्ण रॉ मटेरियल/कच्चे माल पर छूट/ करमुक्ति नहीं दी जानी थी.

11			2012–13 फरवरी 2015	कोल/कोयला	3342955	2	0	66859	200577	267436	प्रवेशकर मुक्ति प्रमाण पत्र न तो प्रकरण की नस्ती में संलग्न था न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया.	उत्पादन इंस्टाल्ड क्षमता के अंदर था अतः छूट वैध है.	व्यवसायी द्वारा करमुक्ति अधिसूचना की शर्तों का पालन नहीं किया गया/को पूर्ण नहीं किया गया
12			2012–13 फरवरी 2015	अन्य सामग्री	20483828	1	0	203838	611514	815352			
13	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–10, इंदौर	मे. राइडर ट्रांस इंटरनेषनल	2011–12 जुलाई 2014	कन्वेयर बेल्स	9333000	1	0	93330	279990	373320	प्लाण्ट एण्ड मषीनरी का क्रय इंसीडेण्टल गुड्स की श्रेणी में नहीं आता.	परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जावेगी	लेखापरीक्षा में अंतिम कार्यवाही अपेक्षित है.
14	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सेंधवा	मे. राहुल कॉटन फैक्ट्री, सनावद	2012–13 जून 2014	बरदाना स्टोर पैकिंग मेटरियल	966122	1	0	9661	28983	38644	इंस्टाल्ड एवं उत्पादन क्षमता के संबंध में/विषयक अधिसूचना के मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया गया.		
15			2012–13 जून 2015		795345	2	1	15906	47718	63624			
					7356206065			**64775443**	**194326329**	**259101772**			

परिशिष्ठ–XVIII
(कंडिका 5.2.14 के संदर्भ में)
व्यपवर्त्त प्रब्याजि एवं भू–भारक का अवनिर्धारण

(राशि ₹ में)

क्रं. सं.	इकाई का नाम	कंडिका क्रं. एवं एच. एम. क्रं. दिनांक	प्रकरणों की संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रब्याज, व्यवर्तन लगान उपकर तथा शास्ति वसूली योग्य/वसूली गई/कम वसूली
1.	कलेक्टर (डावर्जन) धार	1 7 30.10.14	1	15007	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 6510 वर्ग मी. क्षेत्रफल पर प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया जब कि यह 15007 वर्ग मी. पर लगाया जाना था जो कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुमोदि तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.15 लाख का कम आरोपण प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान के रूप	732340 317364 414976
2.	तहसीलदार मउ	1(अ) 5 29.1.15	1	33100	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने एक प्रकरण में व्यपवर्तन (बिना अनुमति के व्यपवर्तन वर्ष 2005–06 से) निर्णित किया। इस प्रकरण में बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से ₹ 69.51 लाख की शास्ति आरोपित नहीं की तथा व्यपवर्तन लगान वर्ष 2005–06 के स्थान पर 2013–14 स लगाया।	8443611 209979 8233632
3.	राजधानी परियोजना भोपाल	6 16 26.3.15	47	574587	47 प्रकरणों में, 2013–13 से देय व्यपवर्तन लगान 2013–4 में किया परिणामस्वरूप लगान ₹ 29.26 लाख का कम आरोपण हुआ।	5852370 2926185 2926185
4.	कलेक्टर (डावर्जन) छत्तरपुर	2(1) 09 12.11.14	1	40180	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान की गणना में त्रुटि की।	244695 151946 92749
		2(2) 09 12.11.14	1	13040	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 13040 वर्ग मी. के स्थान पर 8240 वर्ग मी. पर प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.20 लाख प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान के रूप में कम आरोपित किया।	98584 37572 61012
5.	कलेक्टर (डावर्जन) उज्जैन 2011–12	3(1) 09 24.04.15	1	11460	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने 11460 वर्ग मी. क्षेत्रफल जो कि नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत था के स्थान पर 2192.35 वर्ग मी. क्षेत्रफल पर प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान वसूला इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.79 लाख की प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान के रूप में कम आरोपित किया गया।	1086408 207836 878572
6.	तहसीलदार रघुराजनगर (सतना) 2012–13	1 11 16.01.15	1	130020	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने गलत दर पर व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का निर्धारण किया। परिणामस्वरूप ₹ 4.56 लाख का प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान के रूप में कम आरोपित किया गया।	931613 475660 455953
कुल			**53**	**817399**		**17389621** **4326542** **13063079**

परिशिष्ट – XIX

(कंडिका 6.4 के संदर्भ में)

बाजार मूल्य की गलत गणना

(राशि ₹ में)

स.क्रं.	इकाई का नाम	आपत्ति की अवधि	विलेखों की कुल संख्या	पंजीकृत मूल्य/ गाईडलाइन के अनुसार मूल्य	आरोपणीय मु.शु./ प.फी	आरोपित मु.शु./ प.फी	अंतर मु.शु. / प.फी	कुल राशि	संक्षेप में ऑडिट प्रेक्षण	
									अनियमिततायें की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या
1	उप पंजीयक गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर)	01/12 से 08/13	06	34449000 46050190	2768824 369273	2054215 276530	714609 92743	807352	1. सड़क के किनारे पर स्थित सम्पत्ति का गाईडलाइन के अनुसार उल्लंघन ।	01
									2. गाईडलाइन के अनुसार विभिन्न लेखा धारक के लिए अलग स्लैब का पालन नहीं करना ।	04
									3. सिंचित जमीन का मूल्यांकन असिंचित के अनुसार	01
2	उप पंजीयक अनुपपुर	05/10 से 08/12	04	9513000 17029200	1423617 136814	593280 63070	830337 73744	904081	1. गाईडलाइन के अनुसार विभिन्न लेखा धारक के लिए अलग स्लैब का पालन नहीं करना ।	03
									2. सड़क के किनारे पर स्थित सम्पत्ति का गाईडलाइन के अनुसार उल्लंघन	01
3	उप पंजीयक कोतमा (अनुपपुर)	09/11 से 03/13	05	8393800 22757040	1520299 182834	588064 67865	932235 114969	1047204	1. गाईडलाइन के अनुसार विभिन्न लेखा धारक के लिए अलग स्लैब का पालन नहीं करना ।	04
									2. गाईडलाइन के अनुसार जमीन की दर पेड़ो के साथ लागू नहीं करना ।	01
4.	उप पंजीयक खरगौन	10/13 से 03/14	10	54929530 73624368	5049861 615601	3505120 429530	1544741 186071	1730812	1. गाईडलाइन के अनुसार विभिन्न लेखा धारक के लिए अलग स्लैब का पालन नहीं करना ।	01
									2. जमीन के साथ मशीनरी थी, परन्तु जमीन का मूल्यांकन करते समय मशीन का मूल्य नहीं जोडा गया।	01
									3. सिंचित जमीन का मूल्यांकन असिंचित के अनुसार	02
									4. भूखण्ड/पंक्ति घरो के बारे में गलत दर का लगाना ।	03
									5. सड़क के किनारे/कार्नर पर स्थित सम्पत्ति का गाईडलाइन के अनुसार उल्लंघन ।	01
									6. वाणिज्यिक जमीन का मूल्यांकन आवासीय के रूप में	02
5	उप पंजीयक छतरपुर	04/13	01	8086000 13940520	1010688 111670	586240 64840	424448 46830	471278	वाणिज्यिक जमीन का मूल्यांकन आवासीय रूप में	01
6	उप पंजीयक बड़वाह	08/12	01	3500000 7575000	303000 60745	140000 28145	163000 32600	195600	वाणिज्यिक जमीन का मूल्यांकन आवासीय रूप में	01
	योग		**27**	**118871330** **180976318**	**12076289** **1476937**	**7466919** **929980**	**4609370** **546957**	**5156327**		

परिशिष्ट XX

(कंडिका 6.5 के संदर्भ में)

पट्टा विलेख पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

स.क्रं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	आरोपणीय मु.शु./प.फी	आरोपित मु.शु./ प.फी	अंतर मु.शु./ प.फी	संक्षिप्त में ऑडिट प्रेक्षण
1	उप पंजीयक, गाडरवाड़ा	7	19439808 14549687	17832200 13375150	1606708 1174537 2782145	मुद्रांक शुल्क पंजीयन फीस की गणना करते समय प्रत्येक 3 वर्षो में 3 प्रतिशत वृद्धि लेखे में नहीं ली गई, जबकि अधिभार 5 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत लगाया गया ।
2	उप पंजीयक, अनुपपुर	2	4208048 3156036	3792110 2844085	415938 311951 727889	इन प्रकरणों में लीज अनुबंध के अनुसार बंधक अवधि 15 वर्ष थी एवं 5 वर्ष के ब्लाक पर 15 प्रतिशत वृद्धि करना चाहिए । इसलिए नियमानुसार पंजीयन फीस 7.5 प्रतिशत की दर से एवं अधिभार 5 प्रतिशत की दर से लगाना चाहिए, जो इन प्रकरणों में नहीं लगाया गया ।
3	उप पंजीयक, उमरिया	5	225524 169144	83800 62855	141724 106289 248013	
4	उप पंजीयक सुखालिया (इन्दौर III)	3	1654961 1241220	1630660 224245	24361 1016975 1041336	
	योग	**17**			**4799383**	

परिशिष्ट XXI

(कंडिका 6.6 के संदर्भ में)

मुख्तारनामे के विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण (पी.ओ.ए.)

(राशि ₹ में)

स.क्रं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	बाजार मूल्य (रू. में)	आरोपणीय मु.शु. /प.फी (रू. में)	आरोपित मु.शु. /प.फी (रू. में)	अंतर मु.शु./प.फी (रू. में)	संक्षिप्त में ऑडिट प्रेक्षण
1	उप पंजीयक, राजगढ़	7	1975552	127548 17018	3400 875	124148 16143 140291	नियमानुसार ₹ 1,000/– के भुगतान पर पी.ओ.ए. का हस्तांतरण किया जा सकता है, यदि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं है । यह पी.ए.ओ. में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए । हमने अवलोकित किया कि ₹ 1,000/– के मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर पी.ओ.ए. का हस्तांतरण किया गया । जिनमें या तो अवधि एक वर्ष से अधिक थी या स्पष्ट रूप से उल्लेखित नही की गई थी, जो इन नियमों का उल्लंघन है।
2	उप पजीयक कोतमा (अनुपपुर)	4	10318911	515946 83133	4000 400	511946 82733 594679	
3	उप पजीयक खण्डवा	1	21747180 1363500 23110680	1155534 185033	1000 100	1154534 184933 1339468	
4	उप पंजीयक उमरिया	5	10257184	675370 82782	5000 500	670410 82282 752692	
	योग					**2827130**	

परिशिष्ट XXII

(कंडिका 6.7 के संदर्भ में)

बंधक विलेखों का पंजीयन न होना

(राशि ₹ में)

स.क्रं.	इकाई का नाम	सम्पत्ति का क्षेत्रफल एवं दर जिसके अनुसार गणना की	प्रकरणों की संख्या/अनुमानित वर्ष/अनुमति विकास कीमत	आरोपित मु.शु./प.फी
1	उप पंजीयक गोटेगाँव (नरसिंहपुर)	6022 वर्गमीटर × ₹ 3800/– वर्गमीटर	01/ 12/12 22883600	228836 183214
2	उप पंजीयक बड़वाह (खरगौन)	1. 18846.98 वर्गमीटर × ₹ 1600/– वर्गमीटर 2. 46481.39 वर्गमीटर × ₹ 1600/– वर्गमीटर	02/ 05/12 से 10/13 तक 104525392	1045254 836498
3	उप पंजीयक सतना	7610 वर्गमीटर × ₹ 3100/– (अनुमानित) वर्गमीटर	01/ 05/13 23582500	235825 188805
	योग			**2718432**

परिशिष्ट XXIII

(कंडिका 6.8 के संदर्भ में)

मुद्रांक शुल्क की अनियमित छूट

(राशि ₹ में)

स.क्र.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	उच्च मूल्य के साथ सम्पत्ति का मूल्यांकन	आरोपणीय मु.शु./ प.फी	आरोपित मु.शु./प.फी	अंतर मु.शु./प.फी
1	**उप पंजीयक देपालपुर (इन्दौर)**	**1**	**प्रथम पार्टी 1.328 × 5000000 = 6640000** **द्वितीय पार्टी 1.052 × 6000000 = 6312000** **185.87 × 6000 = 1115220** **7427220**	**371361** **59563**	**100** **53265**	**371261** **6298** **377559**
2	उप पंजीयक गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर)	1	प्रथम पार्टी 1.243 × 850000 = 1056550 द्वितीय पार्टी 0.677 × 850000 = 575450	52850 8601	0 8610	52850 0
		1	प्रथम पार्टी 1.088 × 840000 = 913920 द्वितीय पार्टी 0.677 × 850000 = 575450	55100 8961	100 8970	55000 0
		1	प्रथम पार्टी 0.601 × 1400000 = 841400 द्वितीय पार्टी 0.677 × 2500000 = 1667500	83375 13485	0 8230	83375 5255
		1	प्रथम पार्टी 1.736 × 4000000 = 6944000 द्वितीय पार्टी 1.203 × 4000000 = 4812000	347200 55697	5000 55705	342200 0
		1	प्रथम पार्टी 3.264 × 1000000 = 32640000 द्वितीय पार्टी 3.832 × 1000000 = 3832000	191600 30810	0 30810	191600 0
		5		**730125** **117554**	**5100** **112325**	**725025** **5229** **730254**
	योग			**1101486** **177117**	**5200** **165590**	**1107813**

परिशिष्ट – XXIV
(कंडिका क्रमांक 7.4 के संदर्भ में)
खनिज पट्टा विलेखों के प्रकरणों में मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

(` लाख में)

क्र.सं	इकाई का नाम/लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	प्रकरणों की संख्या	संविदा राशि	देय मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	आरोपित मुद्रांक शुल्क/ पंजीयन फीस	शेष राशि मुद्रांक शुल्क/पंजीयन फीस
1.	डी.एम.ओ. कटनी शाजापुर 04/13–03/14	05	34,37,86,050	1,71,89,303/1,28,91,979	500/0	1,71,88,803/ 1,28,91,979
2.	डी.एम.ओ. टीकमगढ़ 04/13–03/14	02	11,43,45,000	57,17,250/42,87,938	200/0	57,17,050/ 42,87,938
योग		**07**	**45,81,31,050**	**2,29,06,553/1,71,79,917** **4,00,86,470**	**700/0**	**2,29,05,853/1,71,79,917** **4,00,85,770**

परिशिष्ट – XXV
(कंडिका क्रमांक 7.5.2 के संदर्भ में)
खनन पट्टे के अनिवार्य किराये की वसूली न होना/कम वसूली

(` लाख में)

क्र.सं	इकाई का नाम एवं अवधि	प्रकरणों की संख्या	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1.	डी.एम.ओ. कटनी छिंदवाड़ा 04/13–03/14	05	4.68	–	4.68
2.	डी.एम.ओ. अनुपपुर 04/13–03/14	03	5.87	–	5.87
3.	डी.एम.ओ. सागर 04/12–03/14	01	2.12	–	2.12
4.	डी.एम.ओ. कटनी 04/13–03/14	28	11.68	–	11.68
5.	डी.एम.ओ. सतना	157	32.74	–	32.74
योग		**194**	**57.09**		**57.09**

परिशिष्ट – XXVI

(कंडिका क्रमांक 7.7 के संदर्भ में)

व्यापारिक खदानों में संविदा राशि की वसूली न होना/कम होना

(` लाख में)

क्र.सं	इकाई का नाम एवं अवधि	प्रकरणों की संख्या	देय राशि	भुगतान की गई राशि	शेष राशि
1.	डी.एम.ओ. शाजापुर 04/11–03/14	2	4.19	1.41	2.78
2.	डी.एम.ओ. विदिशा 04/12–03/14	2	1.19	–	1.19
3.	डी.एम.ओ. हरदा 04/11 –03/14	3	2.57	0.48	2.09
4.	डी.एम.ओ. उमरिया 04/13–03/14	4	4.60	–	4.60
5.	डी.एम.ओ. सीधी 04/13–03/14	1	25.34	–	25.34
6.	डी.एम.ओ. रतलाम 04/11–03/14	7	9.68	1.29	8.39
7.	डी.एम.ओ. मुरैना 04/10–03/12	2	4.76	–	4.76
8.	डी.एम.ओ. श्योपुर 04/09–03/12	6	5.91	0.16	5.75
9.	डी.एम.ओ. शिवपुरी 04/11–03/13	1	7.50	–	7.50
योग		**28**	**65.74**	**3.34**	**62.40**

परिशिष्ट – XXVII

(कंडिका क्रमांक 7.10 के संदर्भ में)

विलंबित भुगतान पर ब्याज का वसूल न होना/कम होना

(` लाख में)

क्र.सं	इकाई का नाम	ठेकेदारो की संख्या	दिनों में देरी	देय ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज	शेष राशि
1.	डी.एम.ओ. अनुपपुर	01	459	4.42	–	4.42
	डी.एम.ओ. छिंदवाड़ा	01	258 से 1718	2.54	–	2.54
	योग (खनिज पट्टा)	**02**		**6.96**	**–**	**6.96**
2.	डी.एम.ओ. अनुपपुर	08	24 से 417	1.47	–	1.47
	डी.एम.ओ. छिंदवाड़ा	04	15 से 190	1.86	–	1.86
	डी.एम.ओ. शाजापुर	03	28 से 114	0.92	–	0.92
	डी.एम.ओ. जबलपुर	04	11 से 452	4.79	–	4.79
	डी.एम.ओ. पन्ना	07	07 से 261	2.07	–	2.07
	योग (व्यापारिक खदान)	**26**		**11.11**	**–**	**11.11**
3.	डी.एम.ओ. टीकमगढ़	13	40 से 163	1.11	–	1.11
	डी.एम.ओ. हरदा	06	21 से 1357	1.77	–	1.77
	डी.एम.ओ. शिवपुरी	05	42 से 593	1.04	–	1.04
	डी.एम.ओ. देवास	06	31 से 338	0.61	–	0.61
	डी.एम.ओ. होशंगाबाद	01	16 से 228	3.12	–	3.12
	डी.एम.ओ. उज्जैन	13	70 से 1165	5.03	–	5.03
	डी.एम.ओ. पन्ना	01	63 से 13.03	0.53	–	0.53
	योग (खनि पट्टा)	**45**		**13.21**	**–**	**13.21**
महायोग		**73**		**31.28**		**31.28**

परिशिष्ट – XXVIII
(कंडिका 8.2.11 में संदर्भित)
अवैध कटाई के कारण राजस्व हानि

(₹ लाख में)

स. क.	वन मण्डल	कूपों की संख्या	पातित वृक्षों की संख्या	ठूँठों की संख्या	ठूँठों का प्रतिषत	हानि
1	सीहोर (सा)	6	3261	458	14	4.88
2	बुरहानपुर (सा)	28	15361	10228	67	128.83
3	खण्डवा (सा)	6	20309	7050	35	107.68
4	देवास (सा)	26	17657	3196	18	22.75
5	सिंगरौली (सा)	14	13534	9736	72	188.84
6	मण्डला (उ)	16	12894	5072	39	89.91
7	डिण्डोरी (उ)	2	4060	674	17	5.46
8	बालाघाट उत्तर (उ)	13	22060	4736	21	57.93
9	कटनी (सा)	16	20514	4389	21	45.11
योग		**127**	**129650**	**45539**	**14 से 72**	**651.39**

परिशिष्ट – XXIX

(कंडिका 8.2.13 में संदर्भित)

वन अपराध प्रकरणों में क्षतिपूर्ति का कम आंकलन तथा वसूली

(राशि ₹ में)

स. क.	वन मण्डल	प्रकरणों की संख्या	वनोपज का मूल्य	अधिरोपण योग्य राशि	अधिरोपित राशि	कम अधिरोपण
1	सीहोर (सा)	52	482997	965994	123350	842644
2	बुरहानपुर (सा)	16	87441	174882	63450	111432
3	खण्डवा (सा)	6	37286	74572	43500	31072
4	सिंगरौली (सा)	16	18440	36880	6048	30832
5	सीधी (सा)	25	60996	121992	14078	107914
6	छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा)	6	44287	88574	7635	80939
7	कटनी (सा)	27	7735	22166	19612	2554
योग		**148**	**739182**	**1485060**	**277673**	**1207387**

परिशिष्ट – XXX

(कंडिका 8.2.20.1 में संदर्भित)

कूप से काष्ठागार में प्रेषित वनोपज का पूनर्मापन में कमी के कारण हानि

(₹ लाख में)

स. क.	वन मण्डल	कूपों की संख्या	कूप से प्रेषित	काष्ठागार में प्राप्त	कमी	हानि
1	सीहोर (सा.)	19	1129.517	1097.481	31.642	6.63
2	खण्डवा (उ.)	41	12719.85	12459.43	260.424	54.56
3	सिंगरौली (सा.)	14	1013.314	998.689	14.625	3.06
4	मण्डला (उ.)	6	2330.792	2310.181	20.611	4.32
5	डिण्डोरी (उ.)	17	4115.571	3968.958	146.613	30.72
6	बालाघाट उत्तर (उ.)	11	1079.972	1058.787	19.635	4.44
7	हरदा (उ.)	7	653.242	642.213	11.023	2.31
8	कटनी (सा.)	12	1041.986	991.816	50.17	10.51
योग		**127**	**24084.244**	**23527.555**	**554.743**	**116.55**

परिशिष्ट – XXXI

(कंडिका 8.2.21 में संदर्भित)

राजसात वनोपज का पूनर्मापन में कमी के कारण हानि

(सामग्री घ.मी. में)

स.क	वन मण्डल	प्रकरणों की संख्या	काष्ठागार को प्रेषित पी.ओ.आर. सामग्री	काष्ठागार में प्राप्त पी.ओ.आर. सामग्री	कमी	हानि ₹ में
1	सीहोर (सा)	44	194.555	144.736	49.819	1043808
2	खण्डवा (उ)	26	93.995	85.499	8.496	178008
3	देवास (सा)	18	50.45	46.917	3.533	74023
4	सीधी (सा)	11	17.378	13.854	3.524	73835
5	मण्डला (उ)	21	27.041	15.562	11.479	240508
6	बलाघाट उत्तर (उ)	74	864.261	638.472	225.789	4730731
7	हरदा (उ)	40	69.852	63.195	6.657	139477
योग		**234**	**1317.532**	**1008.235**	**309.297**	**6480390**

परिशिष्ट – XXXII

(कंडिका 8.2.22 में संदर्भित)

भौतिक सत्यापन में वनोपज की कमी पाये जाने के कारण हानि

(सामग्री संख्या में)

स.क	वन मण्डल	अवधि	कमी			हानि ₹ में
			बांस	बल्ली	जलाऊ चट्टे	
1	सीहोर (सा)	2010–14	23839	1068	50	550920
2	बुरहानपुर (सा)	2010, 2012, 2013	0	0	114.75	178948
3	खण्डवा (सा)	2012, 2013, 2014	3200	67	63.55	210422
4	सिंगरौली (सा)	2014	5170	33	20	121450
5	छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा)	2011–14	16435	417	57.5	896201
6	कटनी (सा)	2010–12 एवं 2014	3753	1221	557.25	827076
योग			**52397**	**2806**	**863.05**	**2785017**
बैरिकेडिंग सामग्री						
1	सीहोर (सा)	2008–14	2613	434		149743
2	ग्वालियर (सा)	2010–14	3564	779	0	149398
योग			**6177**	**1213**	**0**	**299141**
महायोग						**3084158**

परिशिष्ट – XXXIII

(कंडिका 8.2.24 में संदर्भित)

भारत सरकार के शर्तो के पालन नही करने से अनियमित राजस्व

(सामग्री घन मीटर में)

स. क	वन मण्डल	वास्तविक/ अनुमानित उत्पादन			पी.ओ.आर. सामग्री का अभिग्रहण	वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पातन से उत्पादन	योग	अनियमित राजस्व ₹ लाख में
		काष्ठ घ.मी. में	बल्ली घ. मी. में	जलाऊ घ. मी. में				
1	सीहोर (सा)	3617.639	0	2303	559.831	0	559.831	117.30
2	बुरहानपुर (सा)	1226.853	0	1050.147	1229.339	0	1229.339	257.57
3	सिंगरौली (सा)	5418.253	0	4721	591.649	4960.277	5551.926	1163.24
4	सीधी (सा)	7412.429	0	5490	133.589	3095.528	3229.117	676.56
5	छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा)	5347.581	10521	2968.7	221.33	0	221.330	46.37
6	कटनी (सा)	1679.979	0	4140	105.051	0	105.051	22.01
योग		**24702.734**	**10521**	**20672.847**	**2840.789**	**8055.805**	**10896.594**	**2283.05**

परिशिष्ट – XXXIV

(कंडिका 8.2.25 में संदर्भित)

चयन गोलाई से कम के वृक्षों के पातन के कारण अनियमित राजस्व

(₹ लाख में)

स. क.	वन मण्डल	कूपों की संख्या	पातित वृक्षों की कुल संख्या	चयन गोलाई से कम के वृक्षों की संख्या	अनियमित राजस्व
1	सीहोर (सा)	5	7439	7158	62.48
2	बुरहानपुर (सा)	10	3980	1208	85.82
3	खण्डवा (सा)	16	23253	15579	227.85
4	देवास (सा)	15	12162	10835	80.74
5	सिंगरौली (सा)	11	1620	1314	27.99
6	मण्डला (उ)	21	9723	2896	69.57
7	डिण्डोरी (उ)	5	14850	7620	185.12
8	छिन्दवाड़ा दक्षिण (सा)	17	11758	11420	31.21
9	बालाघाट उत्तर (उ)	14	1930	923	39.13
10	हरदा (उ)	17	17989	9987	59.37
योग		**131**	**104704**	**68940**	**869.28**

संक्षिप्तरुपों की शब्दावली	
एसीसीटी	अस्सिटेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टेक्स
एआरटीओ	एडीशिनल रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस
एईबी	एन्टी ऐवेसन ब्युरों
एसीटीओ	अस्सिटेंट कॉमर्शियल टेक्स ऑफीसर
एईसी	अस्सिटेंट एक्साइज़ कमिश्नर
बीएल	बल्क लीटर
सीएएमपीए	कम्पनसेटरी एफोर्सटेशन मेनेजमेंट एण्ड प्लानिंग एथॉरिटी
एम.व्ही.एक्ट	मोटर व्हीकल एक्ट
सी.ए.	कम्पनसेटरी एफोर्सटेशन
सी.सी.एफ.(जी)	कन्ज़रवेटर ऑफ फॉरेस्ट (जनरल)
सी.सी.एफ.(पी)	कन्ज़रवेटर ऑफ फॉरेस्ट (प्रोडक्शन)
सी.टी.डी.	कॉमर्शियल टेक्स डिपार्टमेंट
सी.टी.ओ./ए.सी.	कॉमर्शियल टेक्स ऑफीसर/अस्सिटेंट कमिश्नर
सी.सी.टी.	कमिश्नर ऑफ कॉमर्षियल टेक्स
सी.एस.एल.आर.	कमिश्नर, सेटलमेंट एण्ड लेंड रिकार्डस्
सी.एस.टी.	सेंट्रल सेल्स टेक्स
सी.टी.ओ.	कॉमर्शियल टेक्स ऑफीसर
डी.ई.ओ.	डिस्ट्रीक्ट एक्साइज़ ऑफीसर
डी.एम.ओ.	डिस्ट्रीक्ट माईनिंग ऑफीसर
डी.टी.ओ.	डिस्ट्रीक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफीसर
ई.एन.ए.	एक्सट्रा नेच्युरल एल्कोहल
एम.पी.एफ.एल.	मध्य प्रदेश फॉरेन लिकर
एम.पी.एच.बी.	मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड
पी.ओ.ए.	पॉवर ऑफ एटोर्नी
पी.सी.सी.एफ.	प्रिसिंपल चीफ कन्ज़रवेटर ऑफ फॉरेस्ट
पी.आर.सी.	प्रिसिंपल रेवेन्यु कमिश्नर
पी.एल.	प्रुफ लीटर
आर.टी.ओस.	रीजनल रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसेस
एस.डी.	स्टॉम्प ड्युटी
एस.डी.आर.	सीनियर डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार
एस.डी.ओ.	सब डीविज़नल ऑफीसर्स
एस.एल.आर.	सुपरीटेंडेन्ट लेंड रिकार्ड

टी.ए.डब्ल्यू.	टेक्स ऑडिट विंग
टी.ए.	टेक्सेशन अथॉरिटी
टी.सी.	ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर
टी.डी.एस.	टेक्स डिडक्टेड एट सोर्स
टी.आई.एन.	टेक्स आईडिफिकेशन नम्बर
व्ही.ए.टी.आई.एस.	वैल्यू एडेड टेक्स इनफॉरमेशन सिस्टम
व्ही.ए.टी.	वैल्यू एडेड टेक्स
डब्ल्यू.पी.	वर्किंग प्लान

©

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in